लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit.
Examined
On 14-10-92
Parliament Library

6th Lok Sabha

(खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 56, मंगलवार, 15 मई, 1979/ 25 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—21**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1114, 1115, 1117, 1118, 1120, 1122 और 1123	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**22—183**
तारांकित प्रश्न संख्या : 1116, 1119, 1121 और 1124 से 1133	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10695 से 10894	31—183
तारांकित प्रश्न सं० 4966 दिनांक 27·3·79 में शुद्धि करने वाला विवरण ...	**184—185**
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**185—186**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ...	**187—202**
(एक) पंजाब में पुलिस आन्दोलन के परिणामस्वरूप सेना द्वारा पुलिस से शस्त्रागारों को अपने अधिकार में लेना	
श्री विनायक प्रसाद यादव ...	187—192
श्री एच. एम. पटेल ...	187—202
श्री ज्योतिर्मय बसु ...	191 -197
श्री चित्त बसु ...	198—200
श्री रामधारी शास्त्री	201—202
हिन्दू महिलाओं के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार विधि में परिवर्तनों के बारे में याचिका	**—203**
बाबूदिह स्लैग डम्प आफ टिस्को के संबंध में 6·3·79 **के अतारांकित प्रश्न संख्या** 2023 **के उत्तर के संबंध में सदस्य द्वारा वक्तव्य**	**203—204**
श्री ए. के. राय	203—204
श्री कड़िया मुण्डा ...	—204
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	**204—213**
नियम 377 **के अधीन मामले**	**213—219**
(एक) दादरी स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा यात्रियों के बीच मुठभेड़ ...	213—214
श्री कंवर लाल गुप्त	—213
श्री एच. एम. पटेल ...	—214
(दो) दक्षिण भारत में कतिपय इस्पात संयंत्रों की योजनाओं को रद्द करना	—214
श्री आर. कोलथासइवेलु	—214
(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज भण्डारण की समुचित व्यवस्था न करने पर खाद्यानों का नुकसान	214—215
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	214—215
(चार) नेपाल में राजनैतिक अशांति ...	215—216
श्री मनीराम बागड़ी	215—216

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(पांच) विलिंग्डन अस्पताल में डा० राम मनोहर लोहिया के हुए इलाज के बारे में प्रतिवेदन—	216—218
श्री राजनारायण	216—218
(छः) गंगाराम अस्पताल के कुछ हरिजन कर्मचारियों द्वारा कथित आमरण अनशन ...	218—219
श्री रामविलास पासवान ...	—218
श्री एच० एम० पटेल	—219
गोवा, दमन और दीव विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1979	
विचार करने का प्रस्ताव ...	**219—221**
श्री सतीश अग्रवाल	—219
श्री एडुआर्डो फैलीरो	—219
खण्ड 2,3 तथा 1 पास करने का प्रस्ताव	—221
श्री सतीश अग्रवाल	—221
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आयुक्त के 23 वें तथा 24 वें प्रतिवेदनों संबंधी प्रस्ताव— ...	**221—282**
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु ...	221—225
श्री नटवरलाल बी. परमार ...	225—227
श्री पी. के. कोडियान ...	227—230
श्री राम देनी राम	230—242
श्री बी. सी. काम्बले	242—245
श्री आर. एन. राकेश	245—250
श्री पी. ए. संगमा	250—252
श्री नथुनी राम ...	252—255
श्री पीयूस तिरकी	255—258
श्री श्यामलाल धुर्वे	259—264
श्री ए. अशोकराज ...	264—267
डा० रामजी सिंह	267—272
श्री मंगल देव	272—275
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ...	276—279
श्री राम नरेश कुशवाहा	279—282
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (जारी)—	**282—296**
(दो) निजामुद्दीन, नई दिल्ली में पुलिस तथा निवासियों के बीच हुई मुठभेड़	
श्री राम विलास पासवान	282—293
श्री एच. एम. पटेल	282—296
चौ० बृहम प्रकाश	288—291
श्री एम. राम गोपाल रेड्डी	291—292
श्री जनार्दन पुजारी	293—296

लोक सभा

मंगलवार, 15 मई, 1979/25 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा 10 बजकर 35 मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्य सरकारों को समाचार-पत्रों पर दबाव डालने से रोकने की कार्यवाही

1114. श्री पी०एम० सईद : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोशिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विज्ञापनों को समाचार पत्रों पर दबाव डालने के लिये हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से राज्य सरकारों को रोकने के लिये तात्कालिक तथा प्रभावशाली उपाय किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने एक संकल्प, जो उन्होंने नई दिल्ली में अपनी दो दिन की बैठक में पास किया था, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने संकल्प में उल्लिखित प्रमुख समस्याओं पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर दबाव डालने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उनकी सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) और (ख) अखिल भारतीय लघु और मझौले समाचार पत्र एसोसिएशन ने अपने एक प्रस्ताव में कुछ राज्य सरकारों द्वारा विज्ञापनों के प्रयोग को समाचार-पत्रों पर दबाव डालने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में रिपोर्टों का उल्लेख किया है और इसे रोकने के उपाय करने के लिए कहा है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार की विज्ञापन नीति में राजनीतिक आधार पर समाचार-पत्रों/नियतकालिकपत्रों को विज्ञापन जारी करने में भेदभाव को विशेष रूप से वर्जित किया गया है और इसलिए, वह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के दबाव के विरुद्ध है । जहां तक एसोसिएशन के अभ्यावेदनों, जिनमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा दबाव डालने का आरोप लगाया गया है, का सम्बन्ध है प्रेस की स्वतंत्रता से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार करने हेतु प्रेस परिषद का गठन किया गया है ।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें वे बड़ी

सरलता से, बड़े आराम से दो या तीन बातों को छोड़ गये हैं। अपने प्रश्न के भाग (घ) में मैंने विशेष रूप से यह पूछा था कि वे कौन से राज्य हैं जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए छोटे और बीच के दर्जे के समाचार-पत्रों पर दबाव डालते रहते हैं। अपने उत्तर में उन्होंने उन राज्यों का कोई जिक्र नहीं किया है। छोटे और मध्य वर्ग के समाचार-पत्रों के संघ ने दो प्रस्ताव पास किये हैं। प्रथम तो उन राज्य सरकारों और केन्द्र-शासित सरकारों को नये निर्देश देने से सम्बद्ध है जो उन पर अपनी राजनैतिक सिद्धि और गुटवाद के लिए दबाव डालते रहते हैं तथा दूसरा प्रत्यायन के नियमों को संशोधित करने से सम्बन्धित है। छोटे और मध्यम दर्जे के इन समाचार-पत्रों द्वारा उठाई जा रही इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करती रही है? क्या वे यह जानते हैं कि कौन-कौन से राज्य इन हथकण्डों को अपना रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। यदि उन्हें उनके बारे में पता नहीं चला है तो क्या उन्होंने छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के संघ से यह जानने का कष्ट किया है कि वे कौन से राज्य हैं, जो उन्हें अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये दबाते रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह : जो रेजोल्यूशन हमारे पास आया है उसमें उन्होंने स्टेट का नाम नहीं दिया है, कोई स्पेसिफिक इंस्टैंसिस नहीं दिए हैं। हम यहां से डायरैक्टिव इशू नहीं करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आती है तो हम वहां की सरकार को लिख देते हैं। एक बार गोआ के बारे में आया था और हमने उनको लिख दिया था। हम तो उन्हें लिख ही सकते हैं। हम निर्देश नहीं जारी करते। प्रस्ताव में किसी राज्य सरकार का कोई जिक्र नहीं आया है।

श्री पी० एम० सईद : मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि कौन-कौन सी सरकारें हैं जो राजनीतिक कारणों से गलत तरीके से प्रैशराइज़ कर रही हैं? अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या आपने स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन को लिखा था यह जानकारी देने के लिए और यदि लिखा था तो उसका क्या उन्होंने कोई जवाब दिया है। मेरी जानकारी यह है कि वैस्ट बंगाल गवर्नमैंट और यहां दिल्ली की गवर्नमैंट और कुछ गवर्नमैंट्स अलग-अलग तरीकों से प्रैशराइज़ कर रही हैं। क्या इसके बारे में आपने पता लगाने की कोई कोशिश की है और इस तरह की चीजों के बारे में फ्रैश डायरैक्शन देना गवर्नमैंट का काम है या नहीं है? यह मैं पूछ रहा हूं, इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे लघु और मध्यम समाचार-पत्र संघ के उस सम्मेलन को सम्बोधित करने का अवसर मिला था जहां यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था और वहां मैंने बताया था कि वर्तमान संघीय व्यवस्था में हम उन विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें हम जारी करते हैं तथा सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है विज्ञापनों को दबाव के लिए हथियार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। यदि किसी समाचार-पत्र को कोई शिकायत है तो प्रेस-परिषद् के रूप में अब एक सांविधिक प्रबन्ध कर दिया गया है, परन्तु उसके बावजूद भी यदि आप मुझे कोई दृष्टान्त-विशेष लिखित रूप में भेजेंगे तो मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में लिखूंगा। परन्तु विज्ञापनों के मामले में केन्द्र सरकार के पास इससे बढ़कर निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।

श्री पी० एम० सईद : उनके द्वारा स्वीकार किए गए दूसरे प्रस्ताव के बारे में जो कि पत्रकारों को दिए जाने वाले प्रत्यायन में संशोधन करने के बारे में है और जिससे कि योग्य पत्रकारों को सम्मिलित किया जा सके, सरकार क्या सोच रही है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह प्रश्न तो विज्ञापनों से सम्बन्धित प्रस्ताव से सम्बद्ध है । इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यायन का सम्बन्ध है, यह कार्य पत्रकारों के व्यावसायिक निकाय की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है । प्रत्यायन समिति का गठन किया जा चुका है और वही मुझसे सिफारिश करती है कि किसको प्रत्यायन दिया जाए और किसको न दिया जाए । केन्द्रीय सरकार तो उसी के अनुसार कार्य करती है । जहां तक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायन देने का सम्बन्ध है यह तो उनके कार्य-क्षेत्र में आता है ।

श्री पी० एम० सईद : प्रत्यायन तो दलीय ढंग से दिया जाता है । इन लोगों ने संशोधन की मांग की है । उस दिशा में सरकार का क्या विचार है—क्या वे इसमें संशोधन करने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वे तो राज्य सरकारों की सलाह के अनुरूप कार्य करते हैं ।

श्री देवव्रत बरूआ : मुझे तो यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ है कि इस मामले में सरकार ने सामान्य रुख अपनाया है । क्या यह सच नहीं है कि जनता सरकार प्रेस की आजादी के लिए वचनबद्ध है ? केवल इतना ही नहीं है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ही इसके लिए वचनबद्ध है, अपितु जनता सरकार भी इसके लिए वचनबद्ध है । यदि राज्य सरकारें किसी समाचार-पत्र विशेष को ब्लैक मेल करने का प्रयास करती हैं अथवा उसकी स्वतन्त्रता को समाप्त करना चाहती हैं तो केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जायें । मैं उनकी ओर से एक आश्वासन चाहता हूं कि उनकी जानकारी के बिना कोई भी राज्य सरकार अपने राज्यों में, समाचार-पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार के संगठनों पर दबाव नहीं डालेगी । क्या उन्होंने कोई ऐसा अनुदेश जारी किया है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उसका मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं । सरकार इस तथ्य के प्रति सावधान है कि समस्त देश में प्रेस की स्वतन्त्रता बनाई रखी जाये । सरकार इसके प्रति सचेत है । मैंने असमर्थता तो प्रकट नहीं की है परन्तु फिर भी हमें संविधान की सीमाओं में रहकर ही कार्य करना होगा । मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि नवम्बर, 1977 में हुए सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में, मैंने उनके समक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई विज्ञापन-नीति प्रस्तुत की थी और मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि वे भी राज्यों में इसी प्रकार की नीति अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापनों को राजनैतिक दबाव के लिए हथियार के रूप में प्रयोग तो नहीं किया जाता । अब यह देखना है कि इस का कहां तक पालन किया जाता है, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है । अपनी ओर

से तो हमने प्रेस परिषद् स्थापित कर दी है जो यह देखेगी कि प्रेस स्वतन्त्रता का हनन न हो, उसको आघात न पहुंचाया जाये। दूसरे मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यदि कोई दृष्टान्त मेरे समक्ष लाया जाता है तो हम अपेक्षित कदम उठायेंगे।

श्री राम सेवक हजारी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विज्ञापनों का समाचार-पत्रों पर दबाव डालने के लिये प्रयोग किया जाता है? जो छोटे समाचार पत्र हैं या बड़े समाचार-पत्र हैं वह राज्यों के कुछ मंत्रियों के समाचारों को हाई-लाईट करते हैं, उनके विचारों को छापते हैं और इससे प्रभावित होकर खास-खास अखबारों को विज्ञापन दिये जाते हैं, जिससे जो समाचार-पत्र अपनी गरिमा नहीं निभाते हैं, सही खबरों को नहीं छापते हैं, ऐसे अखबारों को प्रश्रय मिलता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे उन अखबारों को प्रश्रय देंगे या ऐसे नियम बनायेंगे जिससे उन अखबारों को भी विज्ञापन मिल सकें जो सही विचारों को देश और राज्य के सामने रखते हैं और आगे भी सही खबरें छाप सकें? क्या मंत्री महोदय ऐसे अखबारों को भी विज्ञापन देने के नियम बनायेंगे ताकि उनका मनोबल बढ़े और वह काफी तरक्की कर सकें? क्या आप उस पर विचार कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर एसोसियेशन के इस सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार की विज्ञापन नीति के बारे में आलोचना नहीं थी, राज्य सरकारों के बारे में आलोचना थी कि कुछ राज्य सरकारें विज्ञापन नीति का उपयोग अखबारों पर दबाव डालने के लिए कर रही हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, जैसा मैंने जवाब दिया हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है।

जवानों को सप्लाई किया गया अनाज

***1115. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षा मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैदानों अथवा पहाड़ों पर तैनात जवानों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक अनाज की सप्लाई नहीं की जाती ;

(ख) मैदानों और पहाड़ों पर तैनात जवानों के लिए क्या-क्या अनाज की व्यवस्था की जाती है और अनाज पर प्रत्येक दिन प्रत्येक मामले में कितना खर्च आता है ;

(ग) सरकार का उनके भोजन, कपड़े और रिहायश में सुधार करने और उनके लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) गत दो वर्षों में इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात जवानों को "डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ

फिजियोलोजी एण्ड एलाइड साइंसिज" द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार पौष्टिक और कलोरीयुक्त राशन दिया जाता है।

(ख) जवानों को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में दिए जाने वाले खाद्यान्न का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	मद का नाम	शांति क्षेत्र (ग्राम)	फील्ड क्षेत्र (ग्राम)	अधिक ऊंचाई वाले स्थान (9000 फुट से ऊपर) (ग्राम)
1.	आटा या चावल	600	620	570
	और आटा	400 } 200 }	400 } 220 }	430 } 140 }
2.	दाल	90	90	85
3.	बनस्पति घी	70	80	85
4.	चीनी	90	90	140
5.	दूध ताजा/स्टैंडर्ड	230 मि०	250 मि०	100 (डिब्बा बंद दूध) 28 (दूध का पाउडर)
6.	ताजा मांस	100	110	110
7.	अण्डे	—	—	1
8.	ताजी सब्जियां	180	170	170
9.	आलू	110	110	140
10.	फल	50	110	60
11.	प्याज	60	60	60
12.	चाय	8	9	14
13.	नमक	20	20	21
14.	पिसा मसाला	16	16	16
15.	बेसन	15	—	30
16.	मक्खन (डिब्बा बन्द)	—	—	14

शांति, फील्ड और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में खाद्यान्न की औसत लागत इस प्रकार है :—

		कलोरियां	लागत रुपए
1.	शांति क्षेत्र	3940	4.22
2.	फील्ड क्षेत्र	4104	4.96
3.	अधिक ऊंचाई वाले स्थान	4820	7.62

(ग) जवानों के खाद्यान्न, वस्त्र और रिहायशी मकानों में सुधार लाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं :

खाद्यान्न : क्योंकि प्राधिकृत मापमान के राशन में खाद्यान्न पर्याप्त समझा जाता है, इसलिए इसमें कोई खास परिवर्तन करने का विचार नहीं फिर भी जवानों की पसन्द के आधार पर राशन की मदों की पौष्टिकता और उनकी उपलब्धता तथा उनके स्थान पर दूसरी वस्तु देने के बारे में समय-समय पर विचार किया जाता है।

आवास : थलसेना में अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों के लिए मकान निर्माण का कार्य लगातार चलता रहता है और पिछले वर्षों में 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से मकान निर्माण परियोजना के लिए दिया गया। 1978 के अन्त तक प्रत्येक श्रेणी के कार्मिकों की 50 प्रतिशत तक आवास की पूर्ति कर दी गई थी।

विवाहित कार्मिकों का मकान निर्माण का कार्य तेजी से करने के लिए 430 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना शुरू की गई है जिसमें 1978-79 से लेकर 13 वर्ष के भीतर आवास की कमी दूर हो जाएगी। निर्माण कार्य के लिए लगभग 40 लाख रुपया लिया गया है जो पिछले वर्षों में दी गई रकम का दुगना है। इससे पहले प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए दिए जाते थे।

आवास की मौजूदा कमी अफसरों को किराए के मकान देकर पूरी की जाती है। अफसरों को स्वयं मकान किराए पर लेने की अनुमति है और किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों को क्वार्टरों के बदले में प्रतिपूर्ति की जाती है।

वस्त्र : इस सम्बन्ध में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) हल्के वजन के वेट उपस्कर शुरू करना

(ii) थल सेना मुख्यालय वर्दी समिति द्वारा वर्दी के एक नए रूप पर विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन लड़ाई, काम और समारोह सम्बन्धी वर्दियों में पूरा परिवर्तन किया जाएगा।

(iii) वाटर प्रूफ कैप का सुधरा हुआ रूप।

(iv) बूट एंकलों के स्थान पर धीरे-धीरे सीधे मुड़े तलों वाले बूट देना।

इन सभी परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन करके उन्हें शुरू किया जा रहा है।

सुख-सुविधाएं : आवश्यक और व्यवहार्य सुख-सुविधाएं दी जाती हैं।

(घ) **खाद्यान्न** : पिछले दो वर्षों में चार शिकायतें प्राप्त हुईं जो, राशन में की गई अनिवार्य कटौती के बारे में थीं। (बड़ी यूनिटों के लिए 5% और छोटी यूनिटों के लिए $2\frac{1}{2}$% कटौती)। क्योंकि इस अनिवार्य कटौती के बाद खाद्यान की आवश्यक पौष्टिकता निर्धारित न्यूनतम सीमा के अन्तर्गत मानी गई थी इसलिए इन शिकायतों की जांच की गई और सभी को सही स्थिति के बारे में बता दिया गया। मसाला भत्ता और रेल यात्रा के दौरान राशन भत्ता बढ़ाने के बारे में

अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों भत्तों को बढ़ाने के प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

आवास : इस बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वस्त्र : इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें निम्न विरचना कमांडरों द्वारा देखी जाती हैं। यदि आवश्यकता हुई तो सूचना इकट्ठी करके सदन पटल पर रख दी जाएगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत एलोबरेट जवाब दिया है। मेरे पहले सवाल के दो भाग हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नौजवानों और आर्मी के आफिसर्स के लिये खुराक, कपड़ा और रहने के बारे में कोई साइंटिफिक स्टडी कराई है कि वह ठीक है या नहीं या उसमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? हम पी० ए० सी० के मैम्बर की हैसियत से वहां गये थे और वहां पर लोगों ने शिकायत की उन्हें अभी भी जो खुराक और कपड़ा मिलता है वह ठीक नहीं है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? ट्रैवलिंग एलाउन्स या खाने-पीने की चीजों को कुछ बढ़ा रही है क्या?

दूसरा हिस्सा यह है कि आफिसर्स को आपकी तरफ से कितनी एकमोडेशन मिली हुई है और कितनी जरूरत है? क्या आप जवानों की फैमिलीज के लिए भी एश्योरेंस देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप तो प्रश्न से बाहर जा रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : यही प्रश्न तो यहां है।

प्रो० शेर सिंह : आवास के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है।

जहां तक खुराक का सवाल है जो कि जवानों को मिलती है, उसके बारे में स्टडी होती रहती है और उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो खुराक मिले वह ऐसी हो कि जो हाई आल्टीच्यूड पर हैं, वहां की जरूरत के मुताबिक खुराक मिले, उसकी अलग से मात्रा रखी जाती है कि कौन-कौन-सी चीजें देनी चाहियें। जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिये अलग स्टैंडर्ड है और जो पीस स्टेशन्स पर काम कर रहे हैं, उनके लिये अलग है। इन सब चीजों के बारे में विचार कर के निश्चय किया जाता है।

जहां तक कपड़े का सवाल है, कपड़ों के बारे में अभी कुछ नये प्रोजैक्टस चल रहे हैं इम्प्रूवमैंट करने के लिए जिसमें कि वेट लाइट हो जाये, जवान कुछ साथ लेकर चल सकें, कैप वाटरप्रूफ हो जायें, बूट्स के जो एंकल्स हैं उनकी जगह इम्प्रूवमैंट कर रहे हैं कि डायरेक्टली मोल्डेड सोल हो जायें। इस तरह के इम्प्रूवमैंट्स पर विचार चल रहे हैं।

जहां तक एकोमोडेशन का सवाल है, उसमें मैरिड एकोमोडेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड अथौराइजेशन है। उसमें आफिसर्स के लिए 100 परसैंट, जे० सी०ओज के लिए 100 परसैंट अथौराइजेशन है। सिपाहियों और अदर रैंक्स के लिए कुछ कम रखा है, क्योंकि बैरक्स हैं, उसमें वह रहते हैं। मैरिड एकोमोडेशन अलग-अलग है। गोरखों के लिए कुछ ज्यादा है 27 परसैंट हैं, इंजीनियरिंग के लोगों के लिए भी ज्यादा है, बाकी के लिए 14 परसैंट है। अब विचार चल रहा है कि सभी रैंक्स के लिए 27 परसैंट मैरिड एकोमोडेशन का इंतजाम कर दें। अगले 13 सालों में

431 करोड़ रुपये एकोमोडेशन पर खर्च करने का विचार है, अगले 5 साल में 179 करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं जिससे अथौराइज्ड परसैंटेज अगर हम पूरा न कर सकें तो करीब-करीब उसके नजदीक पहुंच जायें। इस समय जो दे रहे हैं, वह परसैन्टेज आफ सैटिस्फैक्शन आफिसर्स के लिए 47 और अदर रैंक्स के लिये 59 है। उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिये काफी रुपया खर्च कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि हाई आल्टीट्यूड पर जो ट्रूप्स रहते हैं, उनको रम और वाइन दी जाती है, जिस पर एक साल में करीब तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये का खर्चा होता है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि अब हम प्राहिबिशन करने जा रहे हैं और अब रम और वाइन के सब्स्टीट्यूट के तौर पर केवल दूध और चाय देंगे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सिपाही 18,000 या 20,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है, क्या उसके लिए रम और वाइन का सब्स्टीट्यूट दूध और चाय हो सकता है, या प्राहिबिशन के द्वारा वह जो चार करोड़ रुपये की बचत करेंगे, क्या वह उससे उन लोगों के लिए घी और ड्राई फ्रूट्स की भी व्यवस्था करेंगे।

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बहुत से जवानों से अफसरों के घरों में एज डोमेस्टिक सरवेंट काम कराया जाता है ? उसको बन्द करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : हाई आल्टीट्यूड पर हमारे जो जवान रहते हैं, उनको आज-कल दो औंस या 60 मिलीलिटर रम डेली, महीने में 25 दिन, दी जाती है। जब सारे में प्राहिबिशन होगी, तो वहां पर भी प्राहिबिशन होगी। तब रम देने की बात नहीं चलेगी, उसका सब्स्टीट्यूट दिया जायेगा। उसमें ड्राई फ्रूट्स, काफी, टी, दूध वगैरह हैं, और भी चीजें हैं। इस पर स्टडी चल रही है कि हाई आल्टीट्यूड पर उन लोगों को लोकली पैदा होने वाली या दूसरी चीजें दी जायें, जो उनके लिए आकर्षक हों।

माननीय सदस्य ने जवानों से घरों में काम लेने की बात कही है। अगर वह इस बारे में कोई डेफिनट शिकायत भेजेंगे, तो हम एनक्वायरी करायेंगे। यह नहीं होना चाहिए। हम इसको डिसकरेज करते हैं।

श्री एम० अरूणाचलम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि शान्ति अवधि के दौरान क्रमिक बदली कार्यक्रम के अनुसार, कोई विवाहित जवान अपने 10 वर्ष के सेवाकाल में, अपने परिवार के साथ कितनी अवधि तक शन्ति क्षेत्र में रह सकता है ?

प्रो० शेर सिंह : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अन्य रैंकों को दिया गया प्राधिकार विभिन्न वर्गों पर निर्भर करते हुये, 14 प्रतिशत से लेकर 33⅓ प्रतिशत तक रहता है, परन्तु अब हम उस प्रतिशत को हर व्यक्ति के लिए समान रूप से 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने पर विचार कर रहे हैं। अब मैं यहां खड़े-खड़े तो यह गणना कर नहीं सकता कि 10 वर्षों में किसी को शान्ति क्षेत्र में कितने वर्षों तक रहने की अनुमति मिलती है, परन्तु उसका प्रतिशत यही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 18,000 फीट की ऊंचाई

पर जो सैनिक रहते हैं, उन्हें इस समय जो रम और वाइन प्रोवाइड की जाती है, उसके सब्स्टीट्यूट तलाश किए जा रहे हैं। उन्होंने काफी और ड्राई फ्रूट्स का सब्स्टीट्यूट्स के रूप में उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पौष्टिक तत्वों का जो परसैंटेज रम और वाइन में है, जिनके जरिये वे कड़ाके की सर्दी बर्दाश्त करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, क्या ड्राई फ्रूट्स और काफी में वही परसैन्टेजं है या उससे कम है, अगर कम है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी। भारत सरकार की नीति शराब बन्दी की है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे लड़ाई में उनकी एफिशेंसी पर क्या असर पड़ेगा। क्या मंत्री महोदय सब्स्टीट्यूट के तौर पर उन्हें गन्ने का रस देने पर विचार करेंगे।

प्रो० शेर सिंह : अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो रम नहीं पीते हैं। यह नहीं है कि सब रम पीते हैं; कुछ लोग उसके बगैर भी काम चलाते हैं। इस बारे में अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ड्राई फ्रूट्स या लोकली पैदा होने वाली दूसरी चीजें दी जायें, जिससे ज्यादा गर्मी आ सके।

फीचर फिल्मों के लिए "क्यू" सर्टिफिकेट जारी करने का प्रस्ताव

*** 1117. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फीचर फिल्मों के लिए "क्यू" (क्वालिटी) सर्टिफिकेट जारी करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो "क्यू" सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अच्छी किस्म की फिल्मों का चयन करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त और निदेश दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड उत्कृष्ट "श्रेणी" की अच्छी फिल्मों को पुरस्कार देने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। मामले में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

डॉ० वसन्त कुमार पंडित : हाल ही में, राष्ट्रभर में उन 'फार्मूला फिल्मों' या 'बाक्स आफिस फिल्मों' के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट की गई, जो इस देश में तैयार हो रही हैं और उन्हें या तो 'ए' या 'यू' प्रमाण-पत्र मिलता है। सेन्सर बोर्ड या तो 'ए' अथवा 'यू' प्रमाण-पत्र प्रदान करके ऋणात्मक कार्यवाही करता है। इस सम्बन्ध में बहुत भ्रान्ति रही है और जैसा कि 'शोले' फिल्म के मामले में हुआ है यह पता ही नहीं चलता किस आधार पर "ए" या "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया। अब चूंकि फिल्मों को 'क्यू' प्रमाण-पत्र प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अतः यह एक ठोस कार्यवाही होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निश्चित रूप में यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन से नियम अपनाए जायेंगे। वर्तमान नियम तो फिल्मों में कामवासना और अहिंसा की स्वीकृति देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हीं नियमों का पालन करेगी अथवा इसके लिए कुछ नये नियम बनाएगी। जब एक बार सरकार किसी फिल्म को श्रेष्ठ होने का प्रमाण-पत्र प्रदान कर देती है तो उसे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार ही नहीं मिलने चाहिएं, अपितु उसे मनोरंजन-कर से छूट का लाभ भी राज्य सरकारों की ओर से मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न भी है तथा सुझाव भी है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फिल्मों को 'क्यू' प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये नियम तैयार करते समय इन बातों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसा कि मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूं, यह प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव स्वयं बोर्ड की ओर से आया है। दिसम्बर मास में मद्रास में हुई अपनी बैठक में प्रथम तो बोर्ड ने भी ठीक माननीय सदस्य के अनुसार ही सोचा था अर्थात सेन्सर बोर्ड का कार्य केवल नकारात्मक ही नहीं हो और क्या अच्छी फिल्मों के निर्माण में वह कोई रचनात्मक योगदान दे सकता है। उसके पश्चात उन्होंने गत मास ही मेरे साथ एक बैठक की और मेरे विचारार्थ उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी प्रस्तुत की, जिस पर अब हर दृष्टिकोण से यहां तक कि कानूनी दृष्टिकोण से भी जांच-पड़ताल चल रही है। मुख्य रूप से बोर्ड का कार्य ऋणात्मक ही है। परन्तु यदि इस प्रकार का कोई सुझाव अच्छी स्वस्थ फिल्मों के निर्माण में, अच्छा मनोरंजन प्रदान करने, अच्छी शिक्षा देने में योगदान दे सकता है तो सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी।

श्री वसन्त कुमार पंडित : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि वे प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे, जिससे उन गलतफहमियों को दूर किया जा सके जो सेन्सर बोर्ड की वर्तमान नीति में विद्यमान हैं, जिससे कि यथाशीघ्र फिल्मी-दुनियां वास्तविक रूप में अच्छी फिल्में तैयार कर सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। मैंने सेन्सर बोर्ड के सदस्यों को सुझाव दिया है कि फिल्मों की कोटि के मामले—विशेष कर फिल्मी दुनिया में एक वाद-विवाद प्रारम्भ किया जाये तथा कुछेक सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणियां हमारे पास उपलब्ध ही हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने अभी प्रश्न के उत्तर में एक बात कही है कि अच्छी फिल्मों को पुरस्कार देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है लेकिन यह अन्तिम रूप कब तक ले लेगा इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विचार करना कब से प्रारम्भ किया है और उनको इस बात की जानकारी है कि फिल्मों में जितने ऐक्टर और हीरो काम करते हैं वे एक एक फिल्म में काम करने का पचास-पचास लाख रुपया लेते हैं ? क्या इस पर भी कोई प्रतिबन्ध लगाने का उनका विचार है ? फिल्मों में सेक्स भरा हुआ न हो इसका कठोरता से पालन किया जाय और ऊधम, तोड़-फोड़ मारपीट जिससे लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है फिल्मों में न हो, इस पर सख्ती से अमल किया जाय क्या ऐसा आदेश वह देंगे और ऐसी जो भी फिल्म बने जिसमें इस प्रकार का जरा भी हिस्सा हो, उन फिल्मों को सेंशर बोर्ड स्वीकृति न दे क्या ऐसा स्पष्ट आदेश उनका है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रश्न क्वालिटी फिल्म के बारे में है और पूछा गया है कि कब यह विचार शुरू हुआ है। तो मार्च के महीने में सेंसर बोर्ड से मेरी बात-चीत हुई है और मार्च के महीने में ही उन्होंने एक नोट मुझे दिया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि हम फिल्म जगत के बाकी लोगों से इसके बारे में बहस करेंगे और फिर निर्णय जल्दी होने की संभावना है।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके आने के बाद, फिल्मों में भारतीय सभ्यता की झलक नजर आए, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? अभी तक जो फिल्में बन रही हैं उनमें विदेशी, मगरबी सभ्यता पूरी तरह से हावी है, सेक्स इस ढंग से दिखाया जा रहा है कि हमारे बच्चों का जो निर्माण होना चाहिए वह खत्म होने वाला है। भारतीय सभ्यता के मंत्री जी भी प्रतीक हैं इसलिए फिल्मों में भारतीय सभ्यता की झलक नजर आए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार फीचर फिल्म नहीं बनाती है, डाक्यूमेंटरी, शार्ट फिल्में बनाती है और माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उस दृष्टिकोण को सामने रखकर वह बनाई जाती हैं। क्वालिटी रेटिंग का जो प्रपोजल है वह भी शायद इस दृष्टिकोण से अच्छी फिल्में बनाने में सहायक होगा।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर का फास्फोरिक अम्ल संयंत्र

*** 1118. श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** : निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के फास्फोरिक अम्ल संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो इसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है और इसमें इस समय फास्फोरिक अम्ल का दैनिक और प्रति माह उत्पादन कितना है।

(ग) इस समय फास्फोरिक अम्ल का उत्पादन करने के लिये सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की कुल कितनी मात्रा प्रतिदिन उत्पादित की जा रही है; और

(घ) फास्फोरिक अम्ल के विपणन के लिये हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं और इसके लिए निर्धारित किया गया मूल्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान जिंक लि० के देवारी (उदयपुर के निकट) स्थित फास्फोरिक अम्ल संयंत्र को जनवरी, 1979 के अन्तिम सप्ताह से परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है।

(ख) फास्फोरिक अम्ल संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 100% फास्फोरिक पेंट आक्साइड की दर से 26000 टन है। परिचालन के प्रथम वर्ष में, संयंत्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 52 टन उत्पादन होगा तथा साल में अनुमानतः 300 कार्य दिवसों के आधार पर प्रतिमाह 1300 टन उत्पादन होगा।

(ग) 141 टन सल्फ्यूरिक अम्ल की दैनिक आवश्यकता होगी ताकि फास्फोरिक अम्ल का उत्पादन चलता रहे। देवारी के सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र की वर्तमान सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन क्षमता लगभग 180 टन दैनिक है जिसमें अगले 3-4 महीनों में लगभग 60 मी० टन दैनिक की दर से और वृद्धि होने की आशा है।

(ब) हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि० (इफको) के साथ एक दस वर्षीय बिक्री समझौता किया है। इस समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें हैं—

(क) **मात्रा**—हिन्दुस्तान जिंक लि० ठेके के पहले वर्ष को छोड़कर 100% फास्फोरिक पेंट आक्साइड युक्त 20000 टन (+20%) के बराबर फास्फोरिक अम्ल सप्लाई करेगा ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि में कम्पनी 100% फास्फोरिक पेंट आक्साइड युक्त 17000 टन (+20%) मात्रा सप्लाई करेगी।

(ख) **किस्म**— फास्फोरिक अम्ल में न्यूनतम 45% फास्फोरिक पेंट आक्साइड की गारंटी होगी।

(ग) **मूल्य**—ठेके के प्रथम 5 वर्षों में देवारी जिंक स्पेल्टर से ट्रक पर्यन्त निशुल्क/रेल पर्यन्त निशुल्क 100% फास्फोरेस पेंट आक्साइड का बिक्री मूल्य 2,700 रु० प्रति टन होगा, जिसमें उत्पादन शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। यह निम्नतम या न्यूनतम मूल्य भी होगा। परन्तु यह मूल्य प्रथम पांच वर्षों के आयातित मात्रा के मूल्यों के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा। इस समय न्यूनतम मूल्य कुल मिलाकर शुल्कों व भाड़ा सहित आयातित मूल्य के बराबर है। ठेके में इफको के कांडला कारखाने में आयातित फास्फरिस फास्फोरिक अम्ल की उतारी गई मात्रा की लागत और 100% फास्फोरस पेंट आक्साइड के 2700 रु० प्रति टन बिक्री मूल्य के बीच समानता रखने का भी प्रावधान है। ठेके की 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण प्रथम पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति से 6 माह पूर्व परस्पर सहमति से किया जाएगा।

(घ) **ढुलाई**—देवारी जिंक स्पेल्टर से सड़क/रेल द्वारा अम्ल उठाने का प्रबन्ध इफको को करना होगा।

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, फास्फोरिक अम्ल संयंत्र का मामला कई बार इस सदन में उठाया गया है। मैं सबसे पहले पार्ट (ए) के बारे में जानना चाहता हूं कि फास्फोरिक एसिड प्लान्ट जिसे आपने जनवरी, 1979 में चालू होना बताया है, उसकी मशीनरी कब खरीदी गई, कब तक प्लान्ट पूरा हो जाना चाहिए था और इसमें देरी क्यों हुई ?

श्री बीजू पटनायक : 9-4-75 को 26000 मीट्रीक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले फास्फोरिक अम्ल संयंत्र की स्थापना के काम के लिए मैसर्स क्रेब्स एण्ड साई (आई) प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो कि एक 'टून-की' ठेकेदार है, के साथ एक करार किया गया, जिसके अनुसार संयंत्र का कार्य 9-8-77 तक पूरा हो जाना चाहिये था। यह आशा थी कि इसमें दिसम्बर, 1977 में ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा परन्तु उसमें निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ :—

(1) स्वदेशी सम्भरण कर्त्ताओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब;

(2) टैंकों और पाइपों जैसे अत्यावश्यक उपस्कर पर रबड़ चढ़ाने के काम में, ठेकेदारों के कामों पर हड़ताल होने के कारण, बिलम्ब हो जाना;

(3) श्रमिकों की गड़बड़, 'सीमन' एन जी इ एफ 'फाऊननैस' आदि जैसे विभिन्न स्वदेशी सम्भरण कर्त्ताओं, संगठनों में श्रमिकों की गड़बड़ी तथा हड़ताल।

ऐसी बात नहीं है कि यह विलम्ब केवल इसी संयंत्र में हुआ है, अपितु सम्भवतः देश के सभी संयंत्रों में हुआ है, चाहे वे निजी क्षेत्र के थे या सरकारी क्षेत्र के। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रबन्धकों ने इस विलम्ब को कम करने में काफी अच्छा काम किया है और इस वर्ष उन्होंने परीक्षण के तौर पर उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है।

श्री एस. एस. सोमानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी फैक्टरियों में जब कोई गड़-बड़ होती है आम वक्तव्य यह दिया जाता है कि श्रमिकों की गड़बड़ हो गई। मैं मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं। वहां पर अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य झूठा वक्तव्य है। **(व्यवधान)**

अगस्त, 1978 में नियम 377 के जरिये वहां के स्थानीय सदस्य श्री भानु कुमार जी शास्त्री ने यह प्रश्न उठाया था और यह कहा था कि वहां पर जो सलफ्यूरिक एसिड तैयार होता है उसको वहां के चार व्यापारियों को बिना ओपन-टेण्डर लिये 461 रुपये टन के हिसाब से बेच दिया गया। इसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। यह पिछले अगस्त की बात है और अब फिर अगस्त आ रहा है, अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं कराई गई है। ये व्यापारी एसिड में डील नहीं करते थे, चावल के व्यापारी थे, फिर भी उनको एसिड बेचा गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच न कराने का क्या कारण है। क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : महोदय उन्होंने दो प्रश्न उठाये हैं। उनका कहना है कि हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड में कोई ठेका नहीं दिया गया था और इसलिये मन्त्री द्वारा दिया गया सुझाव झूठा है। मैं तो सदस्य महोदय को केवल यही बता सकता हूं कि शायद उन्हें देश में श्रमिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। जो कुछ मैंने कहा वह यह था कि सम्मरणकर्त्ताओं द्वारा विलम्ब किया गया क्योंकि उनके यहां श्रमिकों की गड़बड़ थी और इसलिए उपस्कर हिन्दुस्तान जिन्क तक नहीं पहुंचाया जा सका। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि चावल कें व्यापारियों ने भी कुछ टांग अड़ाई थी। मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी किसी अवसर पर दिया था, परन्तु मैं उसे एक बार फिर दोहराता हूं। विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए सलफ्यूरिक एसिड के चालू मूल्य इस प्रकार हैं :—

सहायक उद्योग—दीर्घकालीन अनुबन्ध के सूत्रानुसार ...	400/रुपये प्रति मीटरी टन
राजस्थान के एस एस आई एकक	775/रु० प्र० मी० ट०
सरकारी उपक्रमों/सरकारी क्षेत्र की सहकारिताओं द्वारा	801/रु० प्र० मी० ट०
वास्तविक प्रयोगकर्त्ता जिन्होंने हाल के विज्ञापन के लिये मूल्य सूचित किए	801/रु० प्र० मी० ट०
उपर्युक्त की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के बाद सामान्य विक्रय	850/रु० प्र० मी० ट०

अतः, चावल व्यापारियों द्वारा इस उत्पाद को बेच देने की बात सही नहीं है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूं। मैंने इस सम्बन्ध में सबसे पहले प्रधानमन्त्री महोदय को लिखा था। आपने अपने उत्तर में कहा है कि यह सलफ्यूरिक एसिड जो एन्सीलियटी इण्डस्ट्रीज है—उनको बेचा जाता है। मैं इस कथन को चुनौती देता हूं। मेरे पास सूची है। 6 अप्रैल, 1978 को आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था—

"फैक्टरी से बाहर भेजते समय के 461 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उदयपुर के इस उत्पादन के गैर-जमाकर्त्ता खरीददारों से सीमित निविदाएं मंगाने के बाद, यह अधिकतम मूल्य दिया गया था।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह कैमिकल-पत्र है जो बम्बई से निकलता है—इसमें फरवरी अंक में पृष्ठ 71 पर लिखा है :—

"अब सलफ्यूरिक एसिड के लिए 1200 रुपये प्रति मी० ट० का मूल्य दिया गया है जबकि ओलियम के लिए 950 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक दिए गये।"

मेरा कहना यह है कि जब सलफ्यूरिक एसिड बाजार में 1200 रु० प्रति टन पर बिक रहा था तो आपके इस उपक्रम ने 461 प्रतिटन पर चार व्यापारियों को बेचा, जिनका इस एसिड के व्यापार से कोई लेना-देना नहीं था और एक मास में 1300 टन बेचा गया। मेरे प्रधान-मन्त्री को लिखने और नियम 377 में इस प्रश्न को यहाँ पर उठाने के बाद भी मन्त्री जी कहते हैं कि यह बात गलत है, इसमें कोई घोटाला नहीं है—यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 1300 टन मात्र को 700 रुपये टन के दाम पर बेचने से कितना नुकसान हुआ है आप स्वयं देख सकते हैं। इस प्रकार चार महीनों में 60 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। आपके उत्तर को सुनकर ऐसा मालूम होता है कि आपको वहां की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। आप इसकी जानकारी करें और इस विषय में जाँच करवाने के लिए कोई संसदीय समिति हो या आपका कोई दूसरा स्रोत हो तो आप उसकी जांच करवा लें, जैसे भी आप चाहें। मैं यह कह सकता हूं कि यह गलत तरीके से बेचा गया है।

श्री बीजू पटनायक : कुछ समय पहले माननीय सदस्य ने यह मामला 377 के अधीन भी उठाया था। मैंने उसकी जांच करने के लिये विशेषरूप से एक संयुक्त-सचिव को भेजा था। और जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार घोटाले के आरोप सही नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री भानु कुमार शास्त्री : मुझसे तो पूछते, मुझसे तो मिलते और जानकारी प्राप्त करते।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिस आफिसर ने रिपोर्ट दी है वह बेईमान है और खरीदा गया है। **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति नाम की एक संसदीय समिति है और वह सदैव हर बात की जांच कर सकती है। अतः मैं समझता हूं कि यदि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इसके बारे में मांग करती है, इसके बारे में पूछती है और जांच करती है तो

माननीय सदस्य को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। जो कुछ भी वे मांगेंगे, सरकार जाँच के लिए हर प्रकार सहायता देगी।

आवश्यक औषधों के उत्पादन के लिए फार्मास्यूटिकल यूनिटों का सांविधिक दायित्व

***1120 : श्री सी. एन. विश्वनाथन**

श्री सी. वेणुगोपाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि फार्मास्यूटिकल एककों पर यह सांविधिक दायित्व नहीं है कि वे अपने उत्पादन के 30 प्रतिशत भाग में आवश्यक औषधों का उत्पादन करें, और

(ख) यदि हां, तो उक्त दायित्व न लागू करने तथा उसका अनुपालन न करने के क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा : (क) जी, हां।

(ख) नई औषध नीति पर 29 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र के पैराग्राफ 59 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ड्रग्स कम्पनी, श्रेणी-i और ii के फार्मूलेशनों के कम से कम 20% कुल विक्रय को उत्तरोत्तर सुनिश्चित करेगी। परन्तु इसके लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की सम्बद्ध धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें विभिन्न कम्पनियों के मौजूदा औद्योगिक लाइसैंसों में अतिरिक्त शर्त का लगाना शामिल है। इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय से पहले ही परामर्श किया गया है। मामले पर आगे और कार्यवाही उद्योग (विकाश एवं विनियमन) अधिनियम 1951 में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात् ही की जा सकती है।

श्री सी. एन. विश्वनाथन : मंत्री महोदय के उत्तर को देखकर मुझे वास्तव में आघात पहुंचा है। वरिष्ठतम एवं अनुभवी मंत्री, महोदय ने अधिनियम में संशोधन नहीं किया है। सामाजिक रूप से एक नई औषध नीति नितान्त आवश्यक है जो लोक हित के लिए अपेक्षित है। सरकार की नीति के अनुसार इसके विभिन्न वर्ग हैं। वर्ग III तो आवश्यक औषधियों के अधीन आता है, तथा हाथी समिति ने कीमती दवाईयों के बारे में जिक्र किया है। और वर्ग III की दवाइयां गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। वर्ग III के अन्तर्गत कौन-कौन सी आवश्यक दवाईयां हैं ? इसमें कहा गया है कि "क्षयरोग, मलेरिया, मियादी बुखार और टेटेनस जैसी आम बीमामियों के उपचार में जो कुछ एक औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें श्रेणी III में रखा गया है।" वे इन औषधियों को उसमें सम्मिलित करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? यद्यपि हाथी-समिति के प्रतिवेदन में इसका जिक्र नहीं आया है या वह इसके विरुद्ध रही हैं, फिर भी इन्हें वर्ग III में नहीं रखा जाना चाहिए था। सरकार ने उन्हें वर्ग III में डाल दिया है। क्या मंत्री महोदय इन बातों का उत्तर देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न तो मुख्य रूप से वर्ग I और वर्ग II की औषधियों के निर्माण से सम्बद्ध है। औषधियों के वर्गीकरण के आधार को औषध-नीति में पूर्णतया स्पष्ट किया गया है। उस विषय में मुझे और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सी. एन. विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने बताया कि वर्ग I और II की दवाइयों के लिए की प्रार्थना उत्पादन के 30 प्रतिशत के लिए थी। उन्होंने प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया है।

उन्होंने कहा है—"29 मार्च, 1978 को नई औषध-नीति के बारे में सभा पटल पर रखे गए विवरण के पैरा 59 में कहा गया है कि विकासात्मक रूप में यह निश्चित किया जायेगा कि किसी निजी औषध निर्माता कम्पनी का 20 प्रतिशत उत्पादन वर्ग I और II की औषधियों का ही हो। कुछ भी हो इसके लिए 1951 के आई (डी एण्ड आर) अधिनियम के संगत उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए विभिन्न कम्पनियों के वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसों में एक अतिरिक्त शर्त जोड़नी पड़ेगी।"

मन्त्रालय ने I और II वर्ग के केवल 20% के लिए अनुरोध किया। उनमें संशोधन की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि कम से कम 20% औषध का निर्माण हो। परन्तु वर्ग III की औषधियों के बारे में क्या स्थिति है? मन्त्री महोदय ने वर्ग III के लिए वैसा ही अनुरोध क्यों नहीं किया जैसा कि उन्होंने वर्ग I और II के लिए किया। वर्ग III में जनसाधारण के लिए आवश्यक औषधियां आती हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह समझ-बूझकर किया गया है, क्योंकि वर्ग I और II की औषधियां पूर्णतया आवश्यक और जीवनदायी औषधियां हैं। वे उस प्रौद्योगिकी ढंग की हैं जिनका मूल्य तत्व वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने जीवनदायी औषधियों की इस विशेष किस्म को समाविष्ट कर लिया है। इसका एक कारण यह भी है कि आई.डी.पी.एल. और हिन्दुस्तान ऐण्टीबायटिक्स लिमिटेड—ये दो सरकारी क्षेत्र के ऐसे एकमात्र उपक्रम हैं जो वर्ग I और II की औषधियों के कुल उत्पादन को 91% का उत्पादन करते हैं और एच०ए०एल० वर्ग I और II का 86% का उत्पादन करता है। कुछ विदेशी कम्पनियां भी हैं जो वर्ग I और II के अन्तर्गत आने वाली औषधियों के 2 का उत्पादन करती है। वर्ग I और II की औषधियों को जीवनदायी होने के कारण वहां रखा गया है और यह शर्त निर्धारित की गई है कि वे 20% उत्पादन करेंगे और उस 20% उत्पादन को औषध-मूल्य आदि के अन्तर्गत रखा जायेगा। परन्तु हम उन पर जोर नहीं डाल सकते क्योंकि जो लाईसेन्स उन्हें दिया गया है उसमें इस प्रकार के वर्गीकरण की बात नहीं की गयी है। भारतीय औषध विनियम अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। उद्योग मन्त्री का कहना है वे अधिनियम को समग्र रूप से संशोधित कर रहे हैं और इसलिए वे इसमें थोड़ा थोड़ा करके संशोधन नहीं कर सकते। वे इस कार्य में लगे हुए हैं।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मन्त्री महोदय ने बताया है कि वर्ग I और II इसके अधीन नहीं आता। मैंने मन्त्री महोदय को यह बात स्पष्ट कर दी कि वर्ग III इस आवश्यक···

अध्यक्ष महोदय : आपका काम तो पूछने भर का है, व्याख्या करने का नहीं है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या यह सच नहीं है कि वर्ग III और IV की औषधियों को ही तैयार करने पर अधिक ध्यान देकर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियां भारी लाभ कमा रही हैं? यदि ऐसी ही बात है तो उनसे यह मांग करने में क्या कठिनाईयां हैं कि वे

अपनी उत्पादन सामर्थ्य का कम से कम 30% वर्ग I और II की आवश्यक औषधियों का उत्पादन करने में लगायें जिससे कि सरकारी क्षेत्र का बोझ कुछ कम हो जाए ? क्या अधिनियम में कोई औपचारिक संशोधन करने की प्रतीक्षा किये बिना, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ वर्ग III और IV की दवाईयों का उत्पादन करने, किसी प्रकार का समझौता करने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां तो व्यावसायिक हैं। वे भद्र तथा ईमानदारी को क्या जानें। मैं उनके लिये ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो व्यवसाय करते हैं, सज्जनता की कोई बात नहीं है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है···(**व्यवधान**)

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यवसायी सज्जन नहीं होते। परन्तु मेरा मुद्दा तो यह है कि व्यवसायी तो आवश्यक रूप में व्यवसायी होते हैं और इस बारे में उन्हें सज्जन बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो उन्हें तो व्यवसाय से मतलब होता है। सज्जन या असज्जन होने की तो कोई बात ही नहीं है। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, उसका ध्यान तो घोषित औषध-मूल्य-नियन्त्रण-आदेश रखता है कि वे कितना भारी लाभ कमा रहे हैं।

इन विदेशी औषध तैयार करने वाली बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाभ कमाये जाने के पहलू पर जांच करने के लिये, हमने एक समिति का भी गठन किया है और मुझे किसी भी दिन रिपोर्ट मिलने की आशा है। जहां कहीं भी आवश्यक होगा हम कुछ उपाय अवश्य करेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक बहु-राष्ट्रीय व्यवसायी और एक सज्जन पुरुष में क्या भेद है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एक सज्जन पुरुष तो कभी-कभी मित्र के वास्ते हानि भी उठाने को तत्पर हो जाता है, जबकि कोई व्यवसायी ऐसा नहीं करेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

* **1122 श्री छविराम अर्गल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के 50 प्रतिशत गांवों का छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में विद्युतीकरण करने का विचार है ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करने हेतु राज्य सरकार ने अनुरोध किया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई समूची राशि आवंटित कर दी गई है और यदि नहीं तो, उसमें कितनी कटौती की गई है ;

(घ) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण पर इस कटौती के क्या प्रभाव पड़ेंगे ; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और पधिक धनराशियां आवंटित करना सम्भव होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के 50% गांवों को विद्युतीकृत करने जैसा कोई विशेष विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। तथापि, राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त प्रस्तावों से लगभग 48% गांव विद्युतीकृत किये जाने की सम्भावना है।

(ख) से (ङ) : ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये वित्तीय व्यवस्था तीन स्रोतों से की जाती है, नामश: (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम से (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से, जिसके लिए धन राशि भी ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए उपलब्ध कराई जाती है, (ग) राज्य सरकारों द्वारा अपने सामान्य विकास कार्यक्रमों से। अतिरिक्त निधियां, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम, वाणिज्यिक बैंकों आदि वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराई जाती हैं।

मध्य प्रदेश के 70,883 गांवों में से 16,350 गांव (23%) मार्च, 1978 तक विद्युतीकृत किए गए थे। छठी योजना 1978-83 के दौरान 17,470 गांवों को विद्युतीकृत करने और 2,56,000 पम्पसेटों का ऊर्जन करने के लिए राज्य ने योजनाएं तैयार की थीं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ग्राम विद्युतीकरण के लिए निम्न प्रकार से 221.3 करोड़ रुपये के के परिव्यय का प्रस्ताव किया है :—

	करोड़ रुपयों में
(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम सामान्य कार्यक्रम	53.30
(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	45.32
(3) राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम	
(क) लिफ्ट सिंचाई स्कीमें	57.00
(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें	65.18
	221.30

राज्य से प्राप्त प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है तथा इन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री छवि राम अर्गल : जो विवरण रखा गया है उसमें कहा गया है कि छठी योजना में मध्य प्रदेश के पचास प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत करने जैसा कोई विशेष विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा यह जो जवाब दिया गया है गलत जानकारी के आधार पर दिया गया है। मध्य प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के बारे में सरकार की नीति यह है कि हम उन क्षेत्रों का विद्युतीकरण करेंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह का उत्तर देकर आप मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, मन्त्री महोदय इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार का क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव 50 प्रतिशत का नहीं है, अपितु 48 और शेष प्रतिशत का है।

श्री छविराम अर्गल : मंत्री महोदय ने कहा है कि 48 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है। मैं जानना चाहता हूं कि 52 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कब तक

आप कर देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 221.30 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मांगा है। क्या आप उसकी तत्काल स्वीकृति प्रदान करेंगे ? योजना आयोग के पास मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

श्री पी. रामचन्द्रन : प्रथम प्रश्न उस समयावधि से सम्बद्ध है जब तक मध्य प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना तैयार की थी उसके अनुसार यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध रहे तो वर्ष 1994-95 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच जाने की आशा है।

प्रश्न का दूसरा लाभ यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मांगी गई सारी की सारी धनराशि की स्वीकृति योजना आयोग दे देगा। योजना आयोग ने लक्ष्यों में किसी प्रकार की कमी किये बिना पर्याप्त धन इस काम के लिए दिया है। मध्य प्रदेश सरकार से अनेक योजनाएं आई हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम उन पर विचार करेगा और निश्चित रूप से उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर देगा।

श्री छवि राम अर्गल : आप कह रहे हैं कि वर्ष 1994-95 तक पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यह जवाब बड़ा ही हास्यास्पद है। लगता है कि मध्य प्रदेश के हितों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश की तरफ मन्त्री महोदय का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। मध्य प्रदेश हरिजन आदिवासी बहुल एरिया है। जनता सरकार के घोषणापत्र में भी कहा गया है कि हम हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी नीति में संशोधन करके हरिजन आदिवासी इलाकों में शत-प्रतिशत खर्च स्वयं वहन कर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को हाथ में लेकर इस योजना को अविलम्ब पूरा करेंगे। जैसा कि घोषणापत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 221.30 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं उनको अविलम्ब स्वीकृत करेंगे।

श्री पी. रामचन्द्रन : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है यह तो राज्य सरकार ही का काम है कि वह विद्युतीकरण की अनेक योजनायें तैयार करके भेजे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तो एक वित्त पोषक अभिकरण है। यह कोई समस्त विद्युतीकरण के कार्य के लिए वित्त पोषण करने वाला अभिकरण नहीं है। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह पर्याप्त साधन जुटाए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तो राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है और राज्य बिजली बोर्ड का काम है गांवों में बिजली पहुंचाना।

पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों के लिए निश्चित रूप से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत इन क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य सरकार कुछ प्रस्ताव लेकर आगे आये और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम निश्चित रूप से सदैव राज्य की ग्रामों में बिजली पहुँचाने की सहायता करेगा।

श्री छवि राम अर्गल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था······

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि प्रस्ताव आवश्यक रूप में राज्य सरकार की ओर से आना चाहिए।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बिजली की लाईनों को मजबूत बनाने के लिये कुछ रुपया मंजूर किया है। **(व्यवधान)** मेरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन मध्य प्रदेश में लाईनों को मजबूत बनाने के लिए कुछ धन दिया गया है।

श्री पी. रामचन्द्रन : हां, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं तो मध्य प्रदेश विद्युत-प्रणाली को ही सशक्त बनाने के लिये बनाई गई हैं और यदि राज्य सरकार इन योजनाओं का प्रस्ताव भेजती है तो यह निश्चित है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम उसके लिए भी धन जुटायेगा।

श्री लालू प्रसाद : मन्त्री जी ने बताया है कि मध्य-प्रदेश की विद्युतीकरण की योजना 1994-95 तक पूरी कर ली जायेगी जबकि जनता ने जनता सरकार को 1982 तक के लिये ही सत्ता दी है, क्या यह सरकार 1994-95 तक रहेगी ? मुझे तो शंका है, इसलिए यह अपना स्पष्टीकरण दें और बड़े पैमाने पर काम करें। और दूसरी सरकार योजना को बदल डालेगी, जनता को गलतफहमी में क्यों रखा जा रहा है ?

श्री पी. रामचन्द्रन : महोदय जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, योजना तैयार करने और स्वीकृति के लिए भेजने का काम राज्य सरकार का है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सदैव उनकी सहायता करेगा। परन्तु जब तक योजनाएं तैयार नहीं करली जातीं, योजनाओं को हमारी स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड और सैन्ट्रल कोल फील्डस, लिमिटेड के खान मुहानों पर ऊंचे ग्रेड के कोयले का भारी भण्डार

* 1123. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्टर्न कोलफील्ड्स तथा सैन्ट्रल कोल फील्ड्स की बहुत-सी खानों के मुहानों पर ऊंचे ग्रेड के कोयले का भारी भंडार जमा हो गया है और इस कोयले में आग लग जाने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) इस्टर्न कोल फील्ड्स और सैन्ट्रल कोल फील्ड्स की खानों के मुहानों पर 1 अप्रैल, 1979 को ऊंचे ग्रेड के कोयले का कितना भंडार था और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आग लगने के भय से बचने के लिए इस कोयले को शीघ्र उठाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और माल डिब्बों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये रेल मंत्रालय के साथ हुई बातचीत के क्या परिमाण निकले; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कोल फील्ड्स के कुछ स्थानों पर कोयले की कमी के कारण माल डिब्बे रोके गये हैं और (ङ) यदि हां, तो माल डिब्बों के उचित उपयोग के लिये, अन्य खानों के मुहानों पर जिनकी अत्यधिक मांग है, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) बढ़िया ग्रेड के कोयले (कोककर कोयले के मामले में ग्रेड एच एच और उससे

ऊपर तथा अकोक कर कोयले के मामले में ग्रेड-II और उससे ऊपर (का स्टाक 1.4.1979 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० में क्रमशः 2.29 मि० टन तथा 3.50 मि० टन रहा। उसके बाद से इन स्टाकों में कुछ कमी हुई है।

(ग) मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय बैठक दिनांक 17 फरवरी, 1979 को हुई थी जिसमें कोयले की लदान से सम्बद्ध जोनल रेलवे, कोयला कम्पनियों, कोयला विभाग और विद्युत विभाग तथा रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि थे। विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले की लदान में सुधार की संभावनाओं की जांच की गई थी और सप्लाई तथा लदान में सुधार के लिए आवश्यक कदम निश्चित किए गए थे। प्रमुख कोयला क्षेत्रों में 100 से 200 वैगनों की प्रतिदिन अधिक लदान करने की योजना बनाई गई थी। ताकि, उपभोक्ताओं की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुल मिलाकर लदान में 700 वैगन प्रतिदिन की वृद्धि की जा सके।

निदेशक, संचालन (रेलवे) रेलवे बोर्ड, कलकत्ता तथा उनके प्रभागीय स्तर के साथ, कोयले का लदान करने वाली कम्पनियों और कोल इंडिया लि० द्वारा दैनिक समन्वय भी रखा जा रहा है।

रेलवे द्वारा कोयले के प्रेषण में रह गई कमी को शत, प्रतिशत पूरा करने के लिए सड़क द्वारा कोयला ले जाने की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) कुछ सीमा तक वैगन रोके रहने की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार वैगनों का रोका जाना ज्यादातर ऐसे कारणों से होता है जिन पर कोलियरियों का वश नहीं होता। वैगन रोके रखने की घटनाएं कम से कम हों इस दृष्टि से, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वैगनों को लदान स्थल पर लगाने और हटाने का काम कोलियरियों के साथ दैनिक परामर्श करके किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं निरन्तर यह अनुरोध करता आ रहा हूं कि लम्बे वक्तव्य सभा पटल पर रखे जायें। मुझे आशा है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मिलियन का शब्द इस्तेमाल किया है। क्या मिलियन का कोई हिन्दी शब्द नहीं होता है ? यह मेरा पहला सवाल है। प्रश्न यह है कि इतना कोयला जमा हो गया है, इस कोयले में गर्मी से आग लगने का अंदेशा है उसको रोकने के लिये क्या इंतजाम किया जा रहा है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : खान पर कोयला ज्यादा जमा हो गया है। कुछ कोयला ऐसा होता है जो जल्दी आग पकड़ लेता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं खास तौर से जिसमें मौयस्चर कटेंट ज्यादा होता है, उसमें आग लगने का डर ज्यादा होता है। कुछ कोयला काफी दिन बाद आग पकड़ता है। जिसमें आ. पकड़ने का खतरा है, उसकी निगरानी रखी जा रही है, वहां पर पानी की विशेष व्यवस्था की गई है और मिट्टी खोदने वाली मशीन से कोयले को इसलिये हटाया जाता है कि आग लगने पर बुझ जाये, या खत्म हो जाये। इसके अलावा कोयले को फैला दिया जाता है, क्योंकि डर वहीं होता है जहां कि कोयला ऊंचा हो जाता है। इसलिए बराबर सतह पर फैला दिया जाता है तो वह खतरा भी समाप्त हो जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऋण लाइसेंसों के आधार पर विदेशी औषधि-फर्मों द्वारा कार्य किया जाना

***1116 : श्री सरतकार :**

श्री सी. के. जाफर शरीफ :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि ऋण लाइसेंस के आधार पर विदेशी औषधि फर्मों की एक और वर्ष के लिए कार्य करते रहने की अनुमति और उन्हें नए लाइसेंस देने के लिए सरकार ने निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) नई औषध नीति में इस संबंध में रखे गये प्रावधानों के अनुसार सरकार ने राज्य औषध नियंत्रकों को सलाह दी है कि भविष्य में औषधों के क्षेत्र में विदेशी औषध कम्पनियों को ऋण लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिए। जहां तक विदेशी कम्पनियों को दिये गये वर्तमान ऋण लाइसेंसों का संबंध है, राज्य औषध नियंत्रकों को सलाह दी गई है कि उनका नवीकरण किया जा सकता है लेकिन उनको वर्तमान लाइसेंसों में शामिल उत्पादों तक ही सीमित किया जाना चाहिए। ऐसे नवीकरण पर यह भी शर्त होगी कि ऋण लाइसेंस दाता के पास उन उत्पादों के लिये एक वैध औद्योगिक लाइसेंस हो। किसी भी विदेशी कम्पनी को अन्य किसी कम्पनी द्वारा प्राप्त ऋण लाइसेंस के अन्तर्गत किसी उत्पादन का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) इस मामले में सरकार की नीति से संबंधित ब्यौरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दर्शाये गये हैं। इस नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, कि एक ओर विदेशी औषध कम्पनियां भविष्य में औषधों के क्षेत्र में कार्य करने के लिये नये ऋण लाइसेंस प्राप्त न कर सकें और दूसरी ओर उनके वर्तमान ऋण लाइसेंस कार्यकलापों को बनाये रखा जा सके बशर्ते कि वे उपरोक्त भाग (क) में बताई गई शर्तों को पूरा करते हों ताकि दवाइयों की कमी भी न हो और ऐसे वर्तमान कार्यकलापों पर निर्भर रहने वाले लघु उद्योग एकक काम से वंचित भी न रहें।

सोडा-ऐश और नेफथालीन की कमी

*** 1119 श्री के. राममूर्ति :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सोडा-ऐश और नेफथालीन की भारी कमी है जिसके कारण रसायन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो रसायन उद्योग के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण कच्चे माल का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। इस समय देश में सोडा ऐश और नैफ्थालीन की कमी है।

(ख) सरकार ने सोडा ऐश के वितरण के बारे में मार्ग दर्शन निर्धारित करते हुए निर्मा-

ताओं को अनुदेश जारी किये हैं, जिनके अनुसार निर्माताओं को वर्ष 1979 के दौरान अपने सभी भूतपूर्व औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम उनकी 1977 की खपत के बराबर सोडा ऐश की सप्लाई सुनिश्चित करनी है। वास्तविक उपभोक्ताओं को ओ. जी. एल. के अन्तर्गत सोडा ऐश के आयात की भी अनुमति दी गई है। सरकार नैफथालीन का आयात कर रही है ताकि उसके स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति की जा सके। ओ. जी. एल के अन्तर्गत नैफथालीन के आयात की भी अनुमति दी गई है।

विज्ञापनों का हिन्दी में मजमून सप्लाई करने का निर्णय

*** 1121 श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापनों का हिन्दी मजमून भेजने का निर्णय किया था और यदि हां, तो कब;

(ख) उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या काम के परिणाम देखते हुए उपरोक्त व्यवस्था पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, जो क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) हिन्दी समाचार पत्रों को प्रेस विज्ञापनों का हिन्दी संस्करण देने का निर्णय 30 जून, 1979 में लिया गया था।

(ख), (ग) तथा (घ) : विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय में इस कार्य के लिये बने हिन्दी सेल अनुवाद के कार्य को पूरी तरह निपटाने पर समर्थ नहीं हो सका क्योंकि विज्ञापन देने वाले अधिकांश विभाग बार-बार करने पर भी हिन्दी रूपान्तर नहीं देते थे। इन दिक्कतों के होते हुए भी नियम के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सजावटी तथा संघ लोक सेवा आयोग के सभी वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों को हिन्दी में ही रिलीज किये जाएं। यदि विज्ञापन देने वाले विभाग नियमित रूप से हिन्दी रूपान्तर दें तो नीति की अपेक्षायें पूरी करना सम्भव हो सकेगा।

पानीपत और भटिंडा उर्वरक संयंत्रों का चालू किया जाना

***1124 श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पानीपत संयंत्र पूरी तरह से चालू किया गया था, यदि हां, तो अमोनिया और नाइट्रोजन के बारे में इस संयंत्र की पूरी क्षमता क्या है,

(ख) भटिंडा स्थित एक संयंत्र सहित ऐसे अन्य संयंत्रों के नाम और उनकी क्षमता क्या है और उनकी वर्तमान प्रगति क्या है और प्रत्येक मामले में इन संयंत्रों के चालू होने की सम्भावित तारीखें क्या हैं, और

(ग) इनके पूरा होने पर कितनी अतिरिक्त मांग पूरी होने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पानीपत खाद

कारखाने ने परीक्षण आधार पर अमोनिया और यूरिया का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। ईंधन तेल पर आधारित पानीपत कारखाने की क्षमता 900 टन प्रति दिन अमोनिया और 1550 टन प्रतिदिन यूरिया की है जो प्रतिवर्ष 2,36000 टन नाइट्रोजन के बराबर है।

(ख) ईंधन तेल पर आधारित अन्य खाद कारखानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

प्लान्ट	क्षमता	वाणिज्यिक उत्पादन की प्रत्याशित तारीख
i. नंगल विस्तार	900 मी. टन प्रतिदिन अमोनिया 1000 मी. टन प्रतिदिन यूरिया	1.11.1978 से चालू है
ii. भटिंडा	900 मी. टन प्रतिदिन अमोनिया 1550 मी. टन प्रतिदिन यूरिया	1.10.1979
iii. सिंदरी आधुनिकीकरण	900 मी. टन अमोनिया 1000 मी. टन यूरिया	1.7.1979
iv. हल्दिया	600 मी. टन अमोनिया 500 मी. टन यूरिया	1.4.1980

इसके अलावा प्रतिदिन 1280 मी. टन एन. पी. अथवा प्रतिदिन 1660 मी. टन एन. पी. के. का उत्पादन, प्रतिदिन 200 मी. टन सोडा ऐश और प्रतिदिन 125 मी. टन मैथानोल का उत्पादन शामिल है।

v. बरौच	1350 मी. टन अमोनिया 1800 मी. टन यूरिया	1.4.1980
vi. काकीनाडा	900 मी. टन अमोनिया 1500 मी. टन यूरिया	1981-82

(ग) इन कारखानों के पूरा होने और पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त करने पर प्रति वर्ष लगभग 1.4 मिलियन नाइट्रोजन का शुद्ध अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

"देवलाली, महाराष्ट्र में आर्टिलरी द्वारा चांदमारी" के अभ्यास के लिए भूमि प्राप्त किया जाना

***1125. श्री लहानू सिड़वा कोम** : क्या **उपप्रधान मंत्री रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में देवलाली में आर्टिलरी द्वारा चांदमारी के अभ्यास के लिए केन्द्र स्थापित करेगी ;

(ख) यदि हां तो इस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि प्राप्त की जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप कितने गांव खाली कराये जा रहे हैं और कितने लोगों को हटाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनको बसाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) देवलाली में स्थाई तौर पर अधिग्रहीत चांदमारी क्षेत्र पहले से ही मौजूद है। इस चांदमारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जा रही है ताकि उसमें दूरी तक मार कर सकने वाले आधुनिक हथियारों का अभ्यास किया सके।

(ख) अब 30922 एकड़ भूमि और अधिग्रहीत की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप 18 गांवों के 9104 व्यक्तियों को बसाना होगा।

(ग) अधिग्रहीत की जा रही भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों के लिए सरकार मुआवजा देती है। विस्थापित व्यक्तियों को इस मुआवजे में बसाने से संबंधित अगली कार्रवाई पर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अधिक अच्छी तरह विचार किया जा सकता है।

पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिए अध्ययन प्रौद्योगिकी

***1126. श्री एस. आर. दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड दो महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक औषधियों, पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन में भारत एवं विदेशों में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार तथ्यों की जांच करने एवं उत्तरदायित्व नियत करने के लिए एक समिति का गठन करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० अपने आपको इस क्षेत्र के अद्यतन विकास से अवगत कर रहे थे और इस समय उनके पास पैंसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के निर्माण के लिए स्ट्रेन/प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो कि अन्तराष्ट्रीय स्तर की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के शिमला केन्द्र में कुछ भाषाओं के एनांउसरों के लिए पद

***1127. श्री गंगा सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के शिमला केन्द्र में हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित प्रमुख बोलियों के कोई एनाउंसर नहीं हैं ;

(एक) मन्ड्याली

(दो) लाहुली

(तीन) पंगवाली

(ख) यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त हैं; और

(ग) कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : शुरू में, कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा निर्धारित मानदंड को क्रियान्वित करने से पहले, प्रत्येक बोली के लिए एनाउंसणों (कम्पीयर) के पद बनाए गए थे। तथापि, आकाशवाणी, शिमला मन्डयाली और पंगवाली बोलियों के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सका। इन पदों को इनकी सृजन की तारीख 22-8-1970 से नहीं भरा गया है। लाहुल बोली के लिए पद, जहां एक कम्पीयर कार्य कर रहा था, 20-7-1972 से उसके त्यागपत्र से रिक्त हुआ था। अतः इस समय आकाशवाणी, शिमला में मन्डयाली, लाहुली और पंगवाली बोलियों के कोई नियमित एनाउंसर (कम्पीयर) नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय के कार्य अध्ययन एकक द्वारा निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार एक आकाशवाणी केन्द्र किसी भाषा/बोली में प्रति मास कम से कम 15 घन्टे के कार्यक्रम के लिए एक एनाउंसर (कम्पीयर) रख सकता है। इन मानदंडों के अनुसार, आकाशवाणी का शिमला केन्द्र मन्डयाली लाहुली और पंगवाली बोलियों के लिए नियमित एनाउंसर रखने का पात्र नहीं है। इसलिए, इन पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता।

तेल का उत्पादन

***1128. श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तेल का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ख) आगामी तीन वर्षों में तेल का कितनी मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है ;

(ग) क्या बम्बई हाई में तेल के निक्षेपों का कोई प्राधिकृत अनुमान है ; और

(घ) क्या यह सच है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये गये हैं और यदि हां, तो वह भिन्न-भिन्न अनुमान क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान बम्बई हाई से कुल 3,3105 मि० मी० टन तेल का उत्पादन हुआ।

(ख) विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बम्बई हाई के अशोधित तेल के उत्पादन के कार्यक्रम में संशोधन किया गया। आगामी चार वर्षों के दौरान संशोधित कार्यक्रम में निम्नलिखित रूप में उत्पादन की परिकल्पना है :—

वर्ष	अशोधित तेल (मि० मी० टन०)
1979-80	4.40
1980-81	5.90
1981-82	8.20
1982-83	9.00

(ग) बम्बई हाई में स्थानों में तेल के भण्डार के अनुमान ओ० एन० जी० सी० तथा फ्रांस के मैसर्स सी० एफ० पी० द्वारा लगाये गये हैं। मैसर्स डेगोलियर एण्ड मैकनाटन ने क्षेत्र के आंशिक भाग का अनुमान लगाया है।

(घ) इन सभी अनुमानों पर जो कि भिन्न-भिन्न हैं, तेल भण्डारों की संभावित मात्रा को निश्चित करने के लिए ओ० एन० जी० सी० की भण्डार अनुमान समिति द्वारा विचार किया गया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा निकाले गये आंकड़ों को बताना जनहित में नहीं होगा। परन्तु दिनांक 1-1-1978 की यथास्थिति के अनुसार ओ० एन० जी० सी० के अशोधित तेल के शेष प्राप्त भण्डारों के अस्थायी अनुमान 312.53 मि० मी० टन है, जिसमें से 91.49 मि मी० टन तटवर्ती क्षेत्र में और शेष अपतटीय क्षेत्र में है।

तीस्ता नदी के पानी का बिजली पैदा करने के लिये उपयोग किया जाना

1129. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीस्ता नदी के पानी के प्रवाह का प्रयोग कर पैदा कर की जानेवाली बिजली की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकेगी ,

(ग) इसमें से कितनी बिजली का प्रयोग सिक्किम में किया जायेगा और पश्चिम बंगाल को कितनी बिजली दी जा सकेगी ; और

(घ) बंगला देश ने इस क्षमता का कितना भाग मांगा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी, हां। भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा छठे दशक में किए गए जल-विद्युत् सर्वेक्षण के अनुसार, तीस्ता जल-बेसिन को जल-विद्युत् क्षमता का मूल्यांकन 60% भार अनुपात पर 940 मेगावाट किया गया था। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने हाल ही में देश में जल-विद्युत् शक्यता के पुनर्मूल्यांकन का कार्य हाथ में लिया है। इस अध्ययन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त शक्यता के विकसित हो जाने के पश्चात् सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में इसका इस्तेमाल करने का प्रश्न, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों राज्यों की विद्युत् की आवश्यकता तथा विद्युत् की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

नाइट्रोजनीय उर्वरक संयंत्रों को घाटा

***1130. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नाइट्रोजनीय उर्वरक संयंत्रों को विभिन्न समस्याओं के कारण औसतन

प्रति वर्ष अपनी क्षमता का 35 प्रतिशत घाटा होता है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या अन्य बातें कही गई हैं ;

(घ) सरकार उन उर्वरक संयंत्रों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिनको अपनी क्षमता का 35 प्रतिशत घाटा होता है, और

(ङ) क्या इस मामले में कोई विदेशी सहायता मांगी जा रही है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : कुछ चुने हुए उर्वरक एककों का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्लांटों में क्षमता की औसत हानि प्रति वर्ष 35% बताई गई है।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अध्ययन में बिजली की समस्या, कच्चे माल की कमी, अनुरक्षण आदि जैसे पहलुओं को हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है । अनुरक्षण के कारण हुई हानि को 20-25% बताया गया है और अनुरक्षण पहलुओं तथा वस्तुसूची नियंत्रण और प्रबन्ध पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है ।

(घ) उर्वरक एककों को उत्पादन बढ़ाने में हो रही कठिनाई से सरकार भली भांति परिचित है । अनेक प्लांटों में नवीकरण, कठिनाई दूर करने, परिवर्तन करने, फीड स्टाक में परिवर्तन करने, कैप्टिव पावर उत्पन्न करने की सुविधा आदि जैसे परिवर्धनात्मक/सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वियन पहले ही किया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के खाद कारखानों में यांत्रिक गड़बड़ी/खराबी का विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति भी नियुक्त की गई थी ताकि वह इन खराबियों का पता लगा सके और अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुधारात्मक उपायों का सुझाव देते हुए जहां आवश्यक हो, प्लांटों के अनुरक्षण कार्यक्रमों के उपयुक्त परिवर्तन के भी सुझाव दे । इस समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों को अपेक्षित कार्यवाही के लिये सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक एककों को भेजा गया है ।

(ङ) योजना और परिवर्धन/सुधारात्मक कार्यक्रमों के निष्पादन के लिये स्थायी विदेशी सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिये जहां आवश्यक हो, प्रवासी विशेषज्ञों की सहायता का प्रयोग किया जायेगा ।

कतिपय फार्मूलेशनों के लिये आई० डी० पी० एल० की लाइसेंस क्षमताएँ

***1131. श्री आर० के० अमीन :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की एम्पीसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन,

मिथाइल डोपा, ट्रीमेथोप्रिम/सल्फेट थोक्साजोल तथा क्लोरमफेनिकोल पर आधारित विभिन्न फार्मूलेशनों की लाइसेंस क्षमताएँ कितनी हैं और वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान इन मदों का वितरण वर्ष 1976-77 के वितरण से अधिक कैसे हुआ ; और

(ख) औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के एककों के साथ भी ऐसा व्यवहार न करने के क्या कारण हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऐम्पीसिलीन, एरिथ्रोमाइसीन, मेथाइल डोपा, ट्राइमेथोप्रिम/सल्फामेथोक्साजोल और क्लोरमफेनीकल पर आधारित विभिन्न फार्मूलेशनों के लिये मैसर्स आई० डी० पी० एल० की लाइसेंससुदा क्षमता निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	फार्मूलेशन का नाम	लाइसेंससुदा क्षमता
1.	ऐम्पीसिलीन कैपसूल्स	24 मिलियन संख्या
2.	एरिथ्रोमाइसीन गोलियां	24 —वही—
3.	मेथाइल डोपा गोलियां	20 —वही—
4.	ट्राइमेथोप्रिम/सल्फामेथोक्साजोल	6 —वही—
5.	क्लोरमफेनीकाल कैपसूल्स	65 —वही—
6.	क्लोरमफेनी काल स्ट्रेप्टोमाइसीन कैपसूल्स	35 —वही—

वर्ष 1977-78 के दौरान डी० जी० टी० डी० एककों (आई० डी० पी० एल० सहित) को उनकी गत दो वर्षों की अधिकतम खपत अथवा राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा सुझाई गई मात्रा, जो भी कम हो, के आधार पर सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई की गई थी ।

वर्ष 1978-79 के दौरान डी० जी० टी० डी० एकक जिनके औद्योगिक लाइसेंसों में फार्मूलेशनों की क्षमता निर्धारित की हुई थी, वे अपने लाइसेंससुदा क्षमता के अनुसार सरणीबद्ध कच्चा माल प्राप्त करने के लिये हकदार थे । यह सम्भव है कि लाइसेंससुदा क्षमता के अनुसार हकदारी के आधार पर की गई सप्लाई 1976-77 के दौरान ऐसे औषधों की सप्लाई से अधिक हो ।

कोट्रीमोक्सोल के मामले को छोड़कर, जब कि मैसर्स बुरोज वैलकम को सल्फामेथोक्साजोल के कम आवंटन के परिणामस्वरूप ऐसे फार्मूलेशनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आई० डी० पी० एल० को 5 टन सल्फामेथोक्साजोल और 1 टन ट्राइमेथोप्रिम का तदर्थ आवंटन करने की अनुमति दी थी, वर्ष 1978-79 के दौरान आई० डी० पी० एल० को लाइसेंससुदा क्षमता के अनुसार उनकी हकदारी के आधार पर सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई की गई थी ।

(ख) जहां कहीं लाइसेंससुदा क्षमता के अनुसार हकदारी के आधार पर अधिक आवंटन अपेक्षित था वहां किसी भी डी० जी० टी० डी० एकक को 1976-77 की सप्लाई से अधिक सरणीबद्ध बल्क औषधों के अधिक आवंटन को नामंजूर नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में ट्रांस्मिशन लाइनों के लिये एल्यूमिनियम का आयात

*1132. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
श्री गोविन्द राम गिरी } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश ने ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ट्रांस्मिशन लाइनें बिछाने के कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु एल्यूमिनियम का आयात करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एल्यूमीनियम का आयात कब तक प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए एल्यूमीनियम के आयात के बारे में सरकार की नीति क्या है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) एल्यूमिनियम का आयात उसकी मांग और देशी उत्पादन में अन्तर को पूरा करने के लिए सितंबर, 1977 से किया जा रहा है । वर्तमान स्थापित क्षमता 321,170 टन वार्षिक है जिसका यदि पूरी तरह उपयोग हो जाए तो वह चालू वर्ष की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी । परन्तु एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई बिजली कटौतियों के कारण स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसलिए देशी उत्पादन से मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 100,000 टन स्थापित क्षमता में से केवल 30% क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आश्वासन के बावजूद तथा मंत्रालय द्वारा बिजली प्राप्ति हेतु किए गए निरन्तर प्रयासों के बावजूद पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं कर रहा है । यदि अपेक्षित मात्रा में पूरी बिजली मिल जाए तो बालको अकेले ही चालू वर्ष में मांग की पूर्ति में समूची कमी को पूरा करने में समर्थ है ।

बालकों द्वारा विदेशी पूर्तिकर्त्ताओं को पहले दिए गए आर्डरों पर लगभग 12000 टन धातु मार्ग में है । चालू वर्ष में 75000 टन एल्यूमिनियम के आयात का प्रस्ताव है । एल्यूमिनियम का आवंटन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नहीं किया जाता अपितु यह आवंटन सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कन्डक्टर केबुल आदि निर्माता यूनिटों को किया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का वितरण

*1133. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की सप्लाई और वितरण के संबंध में कुछ

परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वितरण केन्द्र कार्यरत हैं; और

(घ) नये केन्द्र खोलने के बारे में क्या प्रस्ताव हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण वितरण केन्द्रों की मार्फत इस्पात के वितरण के लिये अभी हाल में एक योजना बनाई गई है।

(ख) ग्रामीण वितरण केन्द्र वितरण सम्बन्धी कार्य करने वाली राज्य की वर्तमान शीर्षस्थ सहकारी विपणन समितियों/संगठनों/राज्य कृषि-उद्योग निगमों के डिपुओं द्वारा खोले जाएंगे/चलाए जाएंगे। जिन ब्लाकों में ग्रामीण वितरण केन्द्र चलाए जाएंगे उनका चयन उर्वरक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए चलाए गए अभियान के आधार पर भारत सरकार द्वारा निश्चित किए गए जिलों की सूची में से किया गया है। फिर भी, ग्रामीण वितरण केन्द्रों के लिये वास्तविक स्थल उपयुक्त निकायों से सलाह करके चुने जाएंगे। ग्रामीण वितरण केन्द्र सेल के सक्रिय सहयोग तथा सहायता से चलाए जाएंगे। जैसी कि परिकल्पना की गई है इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रत्येक केन्द्र को प्रति मास कुछ श्रेणियों का लगभग 50 टन इस्पात दिया जाएगा।

(ग) अभी ग्रामीण विपणन केन्द्रों ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

(घ) ऐसा विचार है कि सितम्बर, 1979 तक लगभग 80 ग्रामीण वितरण केन्द्र काम करना शुरू कर देंगे। आशा है कि इस वित्त वर्ष के अन्त अर्थात् मार्च, 1980 तक इस प्रकार के 40 और केन्द्र खोले जाएंगे। आशा है कि अगले कुछ वर्षों में देश में लगभग सभी ब्लाकों में यह व्यवस्था कर दी जाएगी।

मंत्री के निजी सहायक द्वारा एक कम्पनी से ली गई घूस

10695. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के एक निजी सहायक ने एक कम्पनी से 10,000 रुपये की घूस ली थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : श्री प्रमोद कुमार आर्य नामक एक व्यक्ति से एक शिकायत 14 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हुई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के एक निजी सहायक को श्री बी० एन० उपाध्याय की मार्फत 8000 रु० की रिश्वत दी गई है। यह मामला अन्वेषण के

लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और षड्यंत्र के लिए अभियुक्त बी० एन० उपाध्याय के विरुद्ध एक आरोप पत्र दाखिल करने का विनिश्चय किया गया है। समझा जाता है कि उक्त निजी सहायक के विरुद्ध इस बात का कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि उसने रिश्वत मांगी या ली थी और इसलिए उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा रहा है। यह संभावना है कि आरोप-पत्र लगभग एक सप्ताह में न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा।

दूरदर्शन के लिये सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति

10696. श्री एम० ए० हनान अलहाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में केवल इन्जीनियरों को ही सुरक्षा अधिकारी का पद क्यों दिया जाता है।

(ख) क्या सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये प्रोड्यूसरों, डिजाइनरों अथवा कैमरामैन पद पर विचार नहीं किया जाता है जबकि वे स्टूडियो में फ्लोर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं;

(ग) आकाशवाणी में गैर-इन्जीनियर अधिकारी सुरक्षा कार्य के इंचार्ज क्यों होते हैं;

(घ) जबकि फिल्मोद्योग में एक कैमरामैन स्टूडियो का इंचार्ज हो जाता है, फिर ऐसा दूरदर्शन स्टूडियो में क्यों नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ग) : दूरदर्शन में इस प्रकार के सुरक्षा अधिकारी का कोई पद नहीं है तथापि, उपयुक्त राजपत्रित अधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त सुरक्षा सम्बन्धी कार्य सौंपा जाता है। दूरदर्शन केन्द्रों, जो बहुत महंगे और परिष्कृत यन्त्र तथा उपकरण (उदाहरण के लिए, आडियो और वीडियो उपकरण, वीडियो टेप रिकार्डर, टेलीसिने कैमरा मैन, विजन मिक्सिंग और प्रकाश उपकरण, वातानुकूलन यंत्र, ओ० वी० वैन ट्रांसमीटर, माइक्रोवेव उपकरण, इन्जीनियरी और अन्य भंडार, आदि) प्रयोग में लाते हैं, की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए, कुल मिलाकर केन्द्रों में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य एक इन्जीनियरिंग अधिकारी को सौंपा जाता है। इन्जीनियरों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा कार्य का भार भी सौंपा जाता है। इस प्रकार की प्रथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर भी प्रचलित है जहाँ पर सुरक्षा कार्य की देखभाल करने वाले 97 अधिकारियों में से 80 इन्जीनियर हैं। 10 प्रोग्राम अधिकारी हैं और 7 अन्य श्रेणियों के अधिकारी हैं (प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारियों सहित)।

(ख) चूंकि स्टाफ आर्टिस्ट राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, किसी भी स्टाफ आर्टिस्ट को सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया।

(घ) फिल्म उद्योग के अपने मानदंड और प्रक्रियाएं हैं और वे दूरदर्शन केन्द्रों पर लागू नहीं होती।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ठेका मिलना

10697. श्री लखनलाल कपूर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सामान्य दरों की तुलना में अधिक दरों पर सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ठेका लेती है और फिर वह पूरा ठेका गैर-सरकारी क्षेत्र के उप-ठेकेदारों को देती है और इस प्रकार वह उसमें अपना कमीशन लेती है; और

(ख) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने गत आठ वर्षों में सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लिए गए सबसे अधिक मूल्य के ठेकों के निष्पादन में क्या उल्लेखनीय प्रौद्योगिकीय योगदान किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू व्यापारी संघ, कायमगंज की याचिका

†10698. श्री मनोहर लाल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय द्वारा याचिकादाता से सीधे याचिका स्वीकार किये जाने जिसमें कि संबंधित अधिकारी, जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं अथवा जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिवाद के लिए संबंधित पक्ष है, के संबंध में तम्बाकू व्यापारी संघ, कायमगंज को दिनांक 29 नवम्बर, 1978 की याचिका के बारे में क्या कारगर कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि संदर्भाधीन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आम लोगों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु की गयी कारगर कार्यवाही संबंधी एक पूरा विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडेन के रीफिल के वितरकों के विभिन्न स्तर नियत करने की नीति

10699. श्री ए० मुरूनसन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अंचल में रीफिल वितरकों के विभिन्न स्तर नियत करने के बारे में मई, 1978

के दौरान समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए मंत्रालय के वक्तव्य के बाद, इस नीति के बारे में इण्डेन वितरकों ने जो अपनी आशंकाएं एवं संशय व्यक्त किये हैं उसे देखते हुए इण्डेन वितरकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इण्डेन के नियुक्त किये गये अधिकतर वितरक चूंकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के थे और उन्होंने बैंकों से ऋण ले रखे हैं, क्या मंत्रालय ने इस बात को देखने के लिये कोई सावधिक अनुवर्ती कार्रवाई की है कि क्या इन वितरकों ने अपने ऋण वापस कर दिये हैं; और

(ग) यदि उन्होंने अपने बैंक ऋण पूरी तरह से, आंशिक रूप से अदा नहीं किये हैं तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं कि वे ऋण वापस करने में सफल हो सकें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दक्षिणी क्षेत्र के कुछ इण्डेन वितरकों ने एक महीने में किसी वितरक विशेष द्वारा हैंडिल किए जाने वाले भरे हुए सिलेण्डरों की अधिकतम संख्या लागू किए जाने के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रकट किया था। सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य यही था कि ये वितरक इतने बड़े न हो जायं कि अन्य वितरकों को अपना कार्य करने के अवसर से वंचित कर सकें। इस प्रकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय विभिन्न क्षेत्रों में कार्य परिस्थितियों तथा संचालन लागत को ध्यान में रखा गया था जिससे कि इन वितरकों को उचित प्रतिप्राप्ति मिल सके।

(ख) और (ग) : इण्डेन वितरकों एवं बैंकों के बीच ऋण संबंधी लेन देन के सीधे सौदे थे। परन्तु, जो वितरक निर्धारित अधिकतम सीमा से कम पर काम कर रहे हैं उन्हें समय समय पर उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त नए गैस कनेक्शन दिए जाने के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन प्रयत्न कर रहा है।

मंत्रियों तथा विपक्षी नेताओं के भाषणों का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

10700. श्री ए० के० राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान मंत्रियों तथा देश के विपक्षी नेताओं के कामों और भाषणों का आकाशवाणी (दिल्ली) द्वारा कितना प्रतिशत प्रसारण किया गया और तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हरिजनों, आदिवासियों तथा श्रमिक आन्दोलन का कितना प्रतिशत प्रसारण किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) : चूंकि इस प्रकार के आंकड़े रखे नहीं जा रहे हैं। अतः मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है। विभिन्न भाषाओं में

समाचार बुलेटिनों जो कि हजारों पृष्ठों में होंगे, से सूचना का संकलन, एक बहुत भारी कार्य होगा और वह किए गए प्रयास के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, आकाशवाणी सभी समाचारिक महत्व वाली घटनाओं और गतिविधियों को उनके समाचारिक महत्व के आधार पर उपयुक्त और संतुलित रूप से कवर करता है।

आकाशवाणी पर राजनैतिक समस्याओं को प्रस्तुत करना

10701. **डा० रामजी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा राजनैतिक समस्याओं की ओर अधिकतम ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या देश के सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने 30 जनवरी को राजघाट पर अनशन किया था; और यदि हां, तो इस समाचार को उसी दिन प्रसारित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र में यतवमाल में 4-10 दिसम्बर के बीच आयोजित भाषण माला के बारे में प्रसारण न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं के बारे में प्रसारण न करने के बारे में कोई स्थायी निदेश है और यदि नहीं, तो इन कार्यक्रमों के संबंध में प्रसारणों में कितने प्रतिशत स्थान दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन देश में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समाचारिक महत्व के आधार पर कवर करते हैं चाहे वे राजनीतिक हो या अन्यथा।

(ख) चूंकि व्रत के बारे में न्यूज रूम में न तो पूर्व सूचना और नहीं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, समाचार को बुलेटिन में शामिल नहीं किया गया।

(ग) इन भाषणों के बारे में कोई सूचना आकाशवाणी न्यूजरूम में प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) ऐसे कोई निदेश नहीं है। आकाशवाणी के बुलेटिनों के सर्वोदय कार्यक्रमों को दी गई कवरेज की प्रतिशतता के बारे में, एक नमूने का सर्वेक्षण किया जा रहा है और सूचना सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मैसर्स मे एण्ड बेकर, फाईजर के विरुद्ध शिकायतें

10702. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स मे. एण्ड बेकर, फाईजर तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सी. ओ. बी. लाइसेंस दिए जाने के कारण उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बहुराष्ट्रीय औषध एवं रसायनिक कम्पनी को 1977-78 तथा

1978-79 के दौरान दिए गए सी. ओ. बी. लाइसेंसों और उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनको कैसे निपटाया गया;

(ग) इन कम्पनियों को सी. ओ. बी. लाइसेंस देने में किस प्रकार की अनियमितताएं की जाने का आरोप है और मामलों को अन्तिम रूप से किन तिथियों को निपटाया गया; और

(घ) कितने मामलों में बताई गई अनियमितताओं को सच पाया गया और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और कितने मामलों में अभी जाँच की जाती है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान मे एण्ड बेकर, फाइजर आदि विशिष्ट निजी विदेशी औषध कम्पनियों को सी. ओ. बी. लाइसेंस दिये जाने सम्बन्धी शिकायतें जो प्रश्न संख्या के भाग (ख) में उल्लिखित है, प्राप्त की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कैमरामैन की सेवाएं नियमित की जाना

10703. श्री सचीन्द्र लाल सिंधा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-दर्शन और आकाशवाणी नैमितिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिये बनाई गई योजना के अन्तर्गत सब नैमितिक कैमरामैनों को नियमित कर दिया गया है; और

(ख) क्या उन नैमितिक कर्मचारियों को, जिन्हें नियमित होने के लिये (निर्धारित कसौटी अनुसार) आवश्यक पांच दिनों की कमी है, पांच दिन तक की छूट दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दूरदर्शन के सभी पात्र कैजुअल कैमरामैनों को कैमरामैन ग्रेड-2 के नियमित पदों की पेशकश की गई।

(ख) जी, नहीं। इस प्रकार की किसी भी छूट से स्टाफ आर्टिस्टों से ऐसे कैजुअल आर्टिस्टों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूले अर्थात जिन्होंने 1974-75 से 1977-78 तक एक वर्ष में 240 दिन या 1974-75 से 1976-77 या 1975-76 से 1977-78 तक तीन वर्षों में 365 दिन पूरे कर लिए हैं, में छूट देने के लिए इसी प्रकार की मांगों में वृद्धि होगी।

केन्द्रीय औषध संस्थानों की संख्या

10704. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय औषध संस्थानों की कुल संख्या कितनी है, वे कहां स्थित हैं और इन

संस्थानों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों में इनमें कितनी दुर्घटनाएं हुई (घातक तथा अन्य प्रकार की);

(ग) क्या यह सच है कि मुआवजे देने के मामले में इन संस्थानों पर कोई समुचित मुआवजा अधिनियम अथवा श्रमिक उपनियम लागू नहीं होते हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त संदर्भ में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

तापीय बिजली घरों तथा उद्योगों के कारण ताज का संदूषण

10705. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल के निकट दो तापीय बिजली घरों तथा अन्य उद्योगों की स्थापना, विभिन्न प्रकार की गन्दी बस्तियों के कारण वातावरण के दूषण से ताजमहल पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के कारण तथा शांत एवं स्वच्छ वातावरण बनाये रखने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार को परामर्श दिया गया है कि उसके निकट और अधिक उद्योगों की स्थापना के लिये अनुमति न दी जाये ; और

(ग) क्या आगरा स्थित तापीय बिजली घरों की किसी दूर के स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : मथुरा शोधनशाला का आगरा के आसपास ऐतिहासिक स्मारकों विशेषकर ताजमहल पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की विभिन्न वर्गों द्वारा प्रकट की गयी शंका को देखते हुए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी जो उन उपायों का सुझाव देगी जिससे मथुरा शोधन-शाला का वातावरण पर प्रभाव न्यूनतम हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो 14-8-1978 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयी थी, में उपलब्ध किये गये आंकड़ों तथा किए गए अध्ययन एवं निरीक्षण के परिणामों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आगरा क्षेत्र में सल्फर डाई आक्साइड के विविक्त पदार्थ के कारण प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है और इसके संभावित स्रोत कोयले पर काम करने वाले दो विद्युत संयंत्रों, कई एक छोटे उद्योग विशेषतः ढलाईखाने (लगभग 250) और रेलवे शंटिंग यार्ड हैं। प्रदूषण के वर्तमान स्तर में महत्वपूर्ण कमी करने तथा भविष्य में प्रदूषण के किसी नये स्रोत की उत्पत्ति को रोकने के उद्देश्य से कई सिफारिशें की गयी हैं। एक सिफारिश

यह है कि ताजमहल के उत्तर पश्चिम में छोटे उद्योग तथा अन्य यूनिट सहित किसी नए उद्योग की स्थापना न की जाय जिससे कि प्रदूषण बढ़ता हो। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आगरा में दो वर्तमान पावर प्लांटों को बंद करने के संबंध में तुरन्त कदम उठाए जांय। समिति की सिफारिश इस समय सरकार के विचाराधीन है।

प्रोटिनेक्स हुड्रोलाइसेट का उत्पादन

10706. श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोटिनेक्स हुड्रोलाइसेट क्या है, यह औषध है अथवा खाद्य पदार्थ :

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रोटिकनेक्स के उत्पादन, इसकी अनुमोदित कीमत तथा इसके लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा क्या है और क्या यह सच है कि प्रोटिनेक्स का विपणन बाजार-अनुमोदित-दर के बिना ही किया जा सकता है यदि हां, तो किन प्रावधानों के अधीन, और

(ग) क्या प्रोटिनेक्स को दवा अथवा खाद्य पदार्थ समझा जाता है, कब से इसे माना जाता है और कब औषध (कृपया तत्संबंधी ब्यौरा दें)।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स फाइजर की वर्ष 1977 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रोटीन हाइड्रोलीसेट को एक बल्क औषध के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) मैसर्स फाइजर द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1976 और 1977 में प्रोटीनैक्स का उत्पादन निम्नप्रकार था :—

(टनों में)

1976	1977
402.551	397.603

वर्ष 1978 के उत्पादन के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे। मैसर्स फाइजर द्वारा प्रोटीनेक्स को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत कोई मूल्य स्वीकृति प्राप्त किये बिना बेचा जा रहा है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों का कथित उलंघन के लिये उनको 5 अप्रैल 1977 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म के प्राप्त उत्तर पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधान प्रोटीनैक्स पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होते। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोटीनेक्स के बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिये डी० पी० सी० ओ० 1970 को लागू नहीं किया जा सका।

(ग) वर्ष 1972 से 1976 के बीच की अवधि को छोड़कर, फाइजर प्रोटीनैक्स का निर्माण

एक औषध मद के रूप में कर रहे थे, महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन को सलाह दी गई है कि यदि फाइजर प्रोटीनैक्स का निर्माण एक औषध मद के रूप में करने के बजाय उसे एक खाद्य मद के रूप में निर्मित करना चाहें तो उनके आवेदन पत्र को केवल केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ही निपटाया जाना चाहिए।

भारतीय युद्ध पोतों की मलयेशिया को सप्लाई

10707. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि मलयेशिया ने अपनी नौसेना के लिए भारतीय युद्धपोत लेने में इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) निकट भविष्य में उन देशों को युद्धपोत देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : मलेशिया को युद्धपोत देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रक्षा उपकरणों की सप्लाई या उन्हें प्राप्त करने के बारे में मित्र देशों की सरकारों के साथ की गई कोई पूछताछ या उनके साथ किए किसी सलाह-मशिवरे के बारे में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

10708. श्री युवराज : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन बढ़ाने और मूल्य स्थिर रखने के लिए उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 में लगभग 23.22 मिलियन मी० टन के कुल उत्पादन की तुलना में देश की शोधनशालाओं में 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन लगभग 24.19 मिलियन मी० टन था।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मिट्टी का तेल, डीजल आदि जैसे आवश्यक मध्यवर्ती आसुतों के देश में उत्पादन हेतु अतिरिक्त शोधन क्षमताओं की स्थापना का आयोजन किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, सरकारी निर्धारित मूल्यों पर की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि पेट्रोलियम उत्पादों के फुटकर विक्रय मूल्य में अवांछनीय वृद्धि न हो राज्य सरकारों तथा तेल कंपनियों को अनुदेश दिये जा चुके हैं।

हिन्दी अधिकारियों का पैनल

10709. श्री राम विलास पासवान
श्री बालक राम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री 13 दिसम्बर, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3214 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित पेनलों के जिन प्रकारों का उल्लेख किया गया है, क्या वे इससे पूर्व भी कभी तैयार किए गए थे ; यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो इस मामले में ही अपवाद के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त तथाकथित पेनल के बारे में, उनकी अवधि का उल्लेख करते हुए, रक्षा मंत्रालय/अन्य सभी मंत्रालयों/सरकारी विभागों में परिचालित करके उम्मीदवारों को अवगत कराया गया था ;

(ग) क्या उक्त पेनल 15 महीने से भी अधिक पुराना था जबकि सामान्यतः कोई पेनल 12 महीने की अवधि के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाता है ;

(घ) यदि कोई कार्य-प्रभावी पेनल विद्यमान था तो फिर रिक्त स्थानों को भरने में छः महीने से भी अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां। इससे पहले 1976 में भी चयन समिति ने हिन्दी अधिकारी के पद के लिए एक पेनल बनाया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार पेनल एक साल छः महीने की अवधि या नया पेनल बनने तक इसमें जो भी पहले हो, मान्य समझा जाता है।

(घ) नियुक्ति करने से पहले कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई के लिए सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर में कमी करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता

10710. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि प्रयोजनों के लिए सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों को कम करने

के लिए राज्य सरकारों को राज-सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई ठोस योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में योजना कब तैयार की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : कृषि प्रयोजनों के लिए सप्लाई की गई बिजली की दरों को कम करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने की कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार ने नहीं बनाई है ।

राज्य में बिजली की सप्लाई करना राज्य बिजली बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आता है । ये बोर्ड विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित किए गए हैं । उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बोर्डों को अपना प्रचालन इस ढंग से करना होता है कि राजस्व पर प्रभारित सभी खर्चे को पूरा करने के बाद अधिशेष अर्जित हो और इस प्रयोजन के लिए, धारा 49 के अन्तर्गत वे समय-समय पर टैरिफ में संशोधन कर सकते हैं । वास्तविकता यह है कि कृषि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई की औसत दरें अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसी प्रकार की सप्लाई की औसत दरों से सामान्यतया कम हैं ।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 63 के अन्तर्गत राज्य सरकारें बोर्डों को ऐसी शर्तों पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती हैं जो राज्य सरकार निर्धारित करें । तथापि, विश्व बैंक द्वारा दिए जा रहे पारेषण ऋणों के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी अधिकांश राज्य सरकारों ने शुरू कर दिया है ताकि ग्रामीण विद्युत प्रचालनों में होने वाली हानियों को इस हद तक पूर कर दिया जाए कि बोर्ड औसत पूंजी आधार पर 9.5% लाभ कमा सकें । इसके अलावा केन्द्रीय सरकार भी ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों को रियायती शर्तों पर ऋण दे रही है ।

जिनकी भूमि अर्जित की गई किन्हाई (पूना) के ऐसे माहर वेतनदारों से रक्षा सेवाओं में प्राथमिकता के लिए ज्ञापन

10711. श्री आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूना (महाराष्ट्र) जिले के किन्हाई ग्रामवासियों से, जो माहर वेतनदार थे और जिनकी भूमि रक्षा कार्यों के लिये सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई थी, मार्च के अन्त में अथवा अप्रैल, 1979 के प्रथम सप्ताह में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें रक्षा विभागीय सेवाओं में उन्हें प्राथमिकता दिये जाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मांग क्या है; और

(ग) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह):(क) मार्च 1979 के अंतिम सप्ताह या अप्रैल 1979 के प्रथम सप्ताह में ऐसा कोई अभ्यावेदन रक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। तथापि मौजूदा आदेशों के अनुसार जिन लोगों की भूमि रक्षा कार्यों के लिए अधिग्रहीत की जाती है उन्हें इन परियोजनाओं में केवल निर्माण स्तर पर रोजगार देने में कुछ वरीयता दी जा सकती है लेकिन निर्माण स्तर का कार्य पूरा हो जाने पर रोजगार के लिए उन्हें कोई वरीयता नहीं दी जा सकती। यह भूमि 1950-51 में ही अधिग्रहीत की जा चुकी है अतः अब यह छूट न तो उन गांव वालों को दी जा सकती है जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी और न ही उनके आश्रितों को।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

10712. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव
चौ० बलबीर सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से पंजाब उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) मामलों के इतनी लम्बी अवधि तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन लम्बित मामलों को निपटाने के लिये और न्यायाधीश नियुक्त करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तारीख 31-12-1978 को दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या 22941 थी।

(ख) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लम्बित मामलों के लिए यह कारण बताया है कि पूर्व वर्षों में न्यायाधीशों के अनेक पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़े थे और अब भी तीन पद रिक्त हैं।

(ग) उक्त उच्च न्यायालय के लिए 17 स्थायी न्यायाधीशों के और 6 अपर न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। इस समय इनमें से 17 स्थायी न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश पदासीन हैं। बाकी पदों को भरने के प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही विभिन्न प्रक्रमों में है।

विवाह की समाप्ति पर न्यायालय की प्रक्रिया

10713. श्रीमती पार्वती देवी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में न्यायालय विवाह के असाध्य रूप से भंग हो जाने पर भी संबंधित पक्षकारों को कोई राहत देने में असमर्थ है;

(ख) क्या विधि आयोग ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) सरकार का ऐसे क्या उपाय करने का विचार है जिनसे न्यायालय वैवाहिक सम्बन्ध पूरी तरह समाप्त हो जाने पर विवाह की समाप्ति का आदेश दे सके।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हाँ। विवाह के असाध्य रूप से भंग हो जाने की अवस्था में कोई राहत देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) जी हां। विधि आयोग ने अपनी इकहत्तरवीं रिपोर्ट में इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं।

(ग) सरकार इस रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही कर रही है और राज्य सरकारों आदि के विचार/की टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं।

झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में हिंसा/अशांति के कारण उत्पादन में कमी

10714. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों से औद्योगिक हिंसा/अशांति आदि के कारण झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में उत्पादन में हो रही भारी कमी की जानकारी है; यदि हां, तो उत्पादन में कमी के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन कोयला खानों में कितने अधिकारियों पर हमले किये गये थे और इस कार्य में कितनी यूनियनें शामिल थी तथा उनके नाम क्या थे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह सच है कि झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति और उसके कारण हुई हड़तालों आदि से तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण भी उत्पादन में भारी कमी हुई। विगत तीन वर्षों के दौरान हड़तालों आदि की वजह से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० में उत्पादन में हुई कमी निम्नलिखित थी :—

	हड़तालों की संख्या		
कम्पनी	1976	1977	1978
ई० को० लि०	90	121	300
भा० को० को० लि०	23	91	139

	उत्पादन में कमी (टनों में)		
कम्पनी	1976	1977	1978
ई० को० लि०	38,246	68,293	23,641
भा० को० को० लि०	4,201	103,584	2,85,773

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'मृदंग' के बारे में सुझावों पर निर्णय

10715. श्री लक्ष्मण राव मानकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री "मृदंग" के बारे में अभ्यावेदन के बारे में 6 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 2118 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मृदंग' के बारे में श्री शंकरराव मगलेवेधेकर द्वारा दिये गये चार सुझावों के बारे में आकाशवाणी ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या कोई निर्णय किया गया है और उसे शीघ्र क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है; और

(ग) अगर 21 दिसम्बर, 1978 के अभ्यावेदन में की गई मांगों के बारे में अब तक कोई पर्याप्त प्रवृति नहीं हुई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : (1) आकाशवाणी समान्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम दोनों में ही पखावज (मृदंग) का अकेला गायन पहले से ही प्रसारित करता है। ऐसे अकेले गायन के लिए केवल बहुत वरिष्ठ और अनुभवी कलाकारों को ही प्रसारण के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाते हैं और इसलिए आकाशवाणी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(3) अपनी वार्षिक संगीत प्रतियोगिता में पखावज के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान करके, आकाशवाणी युवा कलाकारों को पहले से ही प्रोत्साहन दे रहा है। 1978 में इन्दौर के श्री गोस्वामी देवकीनन्दन जी महाराज को विशेष पुरस्कार दिया गया था। ऊपर (1) पर बताए अनुसार अनुभवी कलाकारों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, आकाशवाणी ने अपने संग्रहालय के लिए पुराने कलाकारों की रिकार्डिंग रखने की एक योजना पहले ही शुरू की है जिसमें पखावज के कलाकारों को भी शामिल किया जाता है।

(4) यात्रा भत्ते के मामले में पखावज के आर्टिस्टों के साथ अन्य उन कलाकारों की तरह समान व्यवहार किया जाता है जो आकाशवाणी में समान ग्रेड में आते हैं जबकि ऊँचे ग्रेड के कलाकारों को रेल की प्रथम श्रेणी का किराया दिया जाता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट की सिफारिशों की क्रियान्विति के कारण दूरदर्शन कर्मचारियों को हानि

10716. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ इंस्पेंक्शन यूनिट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के कारण ठेके पर

कार्य करने वाले दूरदर्शन कर्मचारियों को भारी हानि हुई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ए० एस० डी०, डी० डी० वी०, डिप्टी डाइरैक्टर, एस० डी० आदि जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम अधिकारियों को हुये लाभों के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों (ठेका कर्मचारियों) के कितने पद कम किये गये हैं तथा कार्यक्रम अधिकारियों (प्रोग्राम आफीसर्स) के कितने पद बढ़ाये गये हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सात मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों, अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर अमृतसर, जलंधर और लखनऊ, जहां कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशें लागू की जा रही हैं, स्टाफ आर्टिस्टों (अनुबन्ध कर्मचारी) के मामले में कुछ श्रेणियों में वृद्धि होगी और अन्यों में कमी, किन्तु समूचे आधार पर संख्या में 13 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि दूरदर्शन कार्यक्रम कर्मचारियों (सम्पादकीय सहित) में समूची वृद्धि केवल लगभग 3 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है।

विदेशों से आयात की गई औषधियां

10717. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में कौन कौन सी कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की औषधियां विदेशों से आयात की गई;

(ख) क्या ये औषधियां देश में बनाई जा सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कब तक प्रबन्ध किए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं क्या सरकार इन कारणों को दूर करने के प्रयास करेगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वस्तुवार/देशवार आयात के आंकड़े नियमित रूप से भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़ों के भाग 11 में प्रकाशित किये जाते हैं (व्यापारिक असूचना एवं आंकड़ों के महानिदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मात्रा और मूल्यवार आयात को कृपया देखें।

(ख) और (ग) : नई औषध नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि आयात की मात्रा को कम करने और उद्योग टेक्नालाजी में आत्मनिर्भरता विकासित करने के लिए औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई जाए। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का उल्लेख सभा पटल पर 20 मार्च, 1978 को रखे गये नई औषध नीति पर विवरण पत्र में किया गया है।

सेवा में व्यवधान को माफ करना

10718. श्री पुण्डलीक हरिदानवे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री 13 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3110 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों के मामलों में अन्तिम आदेश जारी किए गए हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं में हुए व्यवधान को माफ करने के लिए कहा है और जुलाई, 1978 में इसके लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या संबंधित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया गया है तथा कब; और

(ग) यदि कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। 9-5-1979 को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं और संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के सिलीगुड़ी और कुरसियांग केन्द्रों में आदिवासी भाषाओं के लिये आवंटित समय

10719. श्री पियूष तिरकी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के सिलीगुड़ी और कुरसियांग केन्द्रों में आदिवासी भाषाओं के लिये प्रति सप्ताह कितना समय आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत नेपालियों सहित ओराओं, मुण्डा और खरिया समुदायों के लोग भारी संख्या में रहते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ओराओं, मुण्डा और खरिया में कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सिलीगुड़ी आदिवासी बोलियों में नियमित आधार पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता। कुर्सियांग केन्द्र तिब्बती, सिक्कमी, भुटानी और लेपचा बोलियों में प्रति सप्ताह क्रमशः 5 घण्टे 15 मिनट, 3 घण्टे 30 मिनट, 1 घण्टा 45 मिनट और 26 मिनटों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) उत्तरी बंगाल में आदिवासी भाषाओं/बोलियों के वक्ताओं की जिलावार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रसारण समय की कमी, छोटे समुदायों के लिए लघु सेवा की निष्प्रभाविता आदि कई बातें हैं जिससे नये कार्यक्रम शुरू करने में रुकावट होती है ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इस्पात आवंटन के मामले में धांधली

10720. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1979 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "बंगलिंग इन स्टील अलाटमेंट डिटेक्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में औषधियों के लिए संयंत्र की स्थापना

10721. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में औषधियों, रसायनों और उर्वरकों के संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं हैं,

(ख) यदि हां, तो कब और कहां, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मोस्यूटिकल्स लि० और राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवैलपमैंण्ट कारपोरेशन द्वारा राजस्थान में संयुक्त क्षेत्रीय फार्मूलेशन यूनिट स्थापित किया जा रहा है । यह यूनिट जयपुर के पास विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है ।

छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा स्थापित उर्वरक कार्यकारी दल ने राजस्थान में उपयुक्त स्थान पर उर्वरक परियोजना की स्थापना के बारे में सिफारिश की है । यह परियोजना झमार-कोटरा में उपलब्ध राक फास्फेट पर आधारित होगी, परियोजना के लिए सम्भाव्य रिपोर्ट के तैयार

होने तथा तकनीकी एवं आर्थिक सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के अध्ययन किये जाने के बाद परि-योजना के बारे में सही स्थान का निर्धारण हो सकेगा।

राजस्थान राज्य के सरकारी क्षेत्र में रसायन प्लांट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के मुख्यालय का कलकत्ता और बम्बई स्थानान्तरण

10722. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के मुख्यालयों को कलकत्ता और बम्बई से राज्य में ही स्थानान्तरित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि खनिजों की खुदाई में संलग्न कंपनियों के मुख्यालयों को महानगरों से उनके अपने-अपने राज्यों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। लेकिन निम्नलिखित कारणों से इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं है :—

(1) भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति के बारे में निर्णय करने का अथवा बाद में उसमें परिवर्तन करने का कंपनी के शेयर-धारियों को कानूनी अधिकार है।

(2) कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के विनियमन के प्रावधान हेतु कंपनी अधिनियम में किसी प्रकार के संशोधन का 'खनिजों के विनियमन या विकास' से कोई तर्कसम्मत संबंध नहीं हो सकता। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करना न्यायोचित नहीं होगा।

(3) कई कंपनियां कई राज्यों में विभिन्न खनिजों का खनन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में समान सिद्धान्त अभिस्वीकृत करने में व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी।

(4) ऐसी भी कोई संभावना नहीं है कि पंजीकृत कार्यालयों के स्थानांतरण से किसी राज्य को कोई खास लाभ होगा; क्योंकि आयकर से प्राप्त राजस्व के राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में सुस्थापित प्रक्रिया है।

अल्कोहल का उत्पादन

10723. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मात्रा में अल्कोहल का उत्पादन किया गया, और

(ख) गत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों को कितनी मात्रा में अल्कोहल का निर्यात किया गया।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

कोककर कोयले का आयात

10724. श्री ओ० वी० अलगेशन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा और आस्ट्रेलिया के साथ कोककर कोयले के आयात के लिए जो समझौता हुआ था उसमें से कितनी मात्रा किन्हीं भारतीय पत्तनों पर पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात संयंत्रों को अविलम्ब उसके परिवहन के लिए कोई द्रुत प्रबन्ध किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) आस्ट्रेलिया तथा कनाड़ा से आयात किये जा रहे कोककर कोयले में से 30-4-1979 तक भारतीय बन्दरगाहों पर 238, 975 टन कोककर कोयला पहुंच चुका था।

(ख) बेहतर पत्तन सुविधाएँ तथा बैगनों की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सैल द्वारा रेलवे तथा बन्दरगाहों के प्राधिकारियों के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है।

बाजार मूल्यों की तुलना में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में मूल्य

10725. श्री यू० एस० पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैलीविजन, फ्रिज, कुकर, जैसी उपभोक्ता वस्तुओं और प्रसाधन सामग्री आदि के मूल्य कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट/आर्मी आफिसर्स शाप में बाजार में उन वस्तुओं के मूल्यों से अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन वस्तुओं पर बिक्री कर तथा अन्य कर पुन: लागू कर दिये गयेहैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वस्तु कितनी मंहगी है तथा इन वस्तुओं के मूल्य में कमी करने तथा करों में कमी करने के लिए जैसे कि बजट से पहले था, सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग) : कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट द्वारा सारे देश में स्थित अपनी कैंटीनों के जरिए उपभोक्ता वस्तुएं मौजूदा बाजार भाव से कुल मिलाकर कम कीमतों पर बेची जाती हैं। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट, जो कि प्रशासन बोर्ड द्वारा वाणिज्य प्रणाली पर चलाया जाता है, मूल्यों की निरन्तर समीक्षा करता है और निर्माताओं से माल की खरीद करते समय भावों के बारे में समुचित कार्रवाई करता है।

(ख) पश्चिम बंगाल, आसाम और केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली की सरकारों ने सी० एस० डी० कैंटीनों को दी गई बिक्री कर की छूट वापस ले ली है। इन राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में इस की दर 6% से 12% तक तथा आसाम में 3% से 12% तक है।

जेल रोड के पास उपरि पुल

10726 : श्री किशोर लाल :

श्री एफ. एच. मोहसिन : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने दिल्ली छावनी रेल स्टेशन के पास जेल रोड पर एक पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर अभी तक अनुमति नहीं दी है;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप लोगों को रेल लाइन पार करने में घंटों लग जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमोदन कब तक किये जाने की संभावना है ?

उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के पास जेल रोड पर रेल की पटरी के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि दिल्ली छावनी के उस पार बहुत सी कालोनियां बन गई हैं। जब रेल का फाटक बंद हो जाता है तो लाईन पार करने के लिए लोगों को देर तक इंतजार करना पड़ता है। इस पुल के निर्माण से छावनी में स्थित कुछ रक्षा संस्थान प्रभावित होंगे इसलिए थल सेना, नौपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों से इस बारे में बात-चीत की गई हैं। सिद्धांत रूप से यह निर्णय कर लिया गया है कि सड़क यातायात को सुचारु बनाने के लिए सड़क को सीधा करने में और इस पुल के निर्माण से जिन रक्षा परिसम्पत्तियों को तोड़ा जाना है उनके संबंध में वित्तीय समायोजनों के अधीन रहते हुए प्रस्तावित पुल का निर्माण उल्लिखित स्थल पर करने की अनुमति दे दी जाए। इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति, जिसमें की जाने वाली वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख होगा, शीघ्र ही दिल्ली नगर निगम को भेज दी जाएगी।

अधिक अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध

10727. : श्री पी. ए. संगमा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री ने नवम्बर, 1978 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। उनके दौरे के परिणामस्वरूप 1975-78 वर्षों के लिये करार की गई अशोधित तेल की सप्लाई एक मिलियन मी. टन की मात्रा प्रतिवर्ष को 1979 के दौरान बढ़ाकर 1.5 मि. मी. टन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सहमत हो गया। पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री की प्रार्थना पर संयुक्त अरब अमीरात के तेल मंत्री अगले वर्ष में अशोधित तेल सप्लाई के स्तर में और अधिक वृद्धि की संभावना पर विचार करने के लिये भी सहमत हो गए हैं।

नई बस्ती बालू गंज, आगरा में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को बेदखली के लिए दिया गया नोटिस

10728. श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाट संख्या 280 एम. आई. ओ. भूमि, नई बस्ती टीला बालूगंज, आगरा में रह रहे अनुसूचित जातियों के लगभग डेढ़ सौ परिवारों को बेदखल करने का विचार है; क्या भूमि खाली करवाने के लिए उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक वैकल्कि आवास या निर्माण के लिए स्थल उन्हें न दिए जाएं तब तक उन्हें न निकाला जाए ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) आगरा छावनी के अलग किए हुए क्षेत्र सर्वेसं० 280 में नई बस्ती टील बालू गंज, आगरा की रक्षा भूमि में 150 व्यक्तियों ने अनिधिकृत कब्जा कर लिया है। सैनिक संपदा अधिकारियों ने सार्वजनिक परिसर (अनिधकृत कब्जाधिकारियों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। इस संबंध में किए गए अभ्यावेदनों पर यह निर्णय किया गया कि इस भूमि पर 1973-74 तक जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था उनमें से 75 व्यक्तियों को कब्जा की हुई भूमि थोड़ी घट-बढ़ करके, जो प्रत्येक मामले में 50 वर्ग गज तक सीमित होगी, चालू बाजार भाव पर और पिछले कब्जे के किराए की रकम अदा कर देने पर यह भूमि अन्तरित कर दी जाए। शेष कब्जेदारों के मामलों पर भी विचार किया जा रहा है।

क्लोरमफेनिकोल का मूल्य

10729 : श्री सईद मर्तजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में सी. पी. सी. एल. बेस की सप्लाई 475 रुपये प्रति किलोग्राम एक्स गोदाम दर पर कर रही थी और इस प्रकार बनाए गए क्लोरोफेनिकोल के मूल्य 460 रुपए प्रति किलोग्राम निश्चित किए गए थे;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में एल. बेस के दाम बढ़ गए हैं और जहाज पर से उतरने के बाद के मूल्य लगभग 600 रुपये प्रति किलोग्राम है; और

(ग) यदि हां, तो क्लोरमफेनिकोल पाउडर के सरकार की उसी पुराने स्तर पर मूल्य घोषित करने की कार्यवाही कहां तक उचित है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) क्लोरमफेनिकोल पाउडर सहित बल्क औषधों के मूल्यों में स्थिरता और एल-बेस के सी. आई. एफ. मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के संदर्भ में (क्लोरमफेनिकोल पाउडर के निर्माण

के लिए एक पैनेल्टीमेट मध्यवर्ती उत्पाद) सरकार ने सी. पी. सी. के साथ व्यवस्था कर ली है जिसके अनुसार जिन एककों के पास पर्याप्त वैधता वाला वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस है, जिसके अन्तर्गत वे एल-बेस का आयात कर सकते हैं और जो सी. पी. सी. को अपेक्षित प्रधिकार पत्र प्रदान करता है, सी. पी. सी. एल-बेस का आयात करेगी और इसे गोदाम के बाहर 475/-रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर सप्लाई करेगी, इस व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ता क्लोरमफैनीकाल पाउडर को 460/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सी. पी. सी. को बेच सकेंगे और उपयुक्त लाभ भी कमायेंगे।

एल-बेस पर राजसहायता

10730 : श्री गोविन्द मुणा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** 24 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8392 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वर्तमान करार के अधीन एल-बेस हेतु राजसहायता के लिए सी. पी. सी. को एक से तीन महीने तक की वैधता वाले लाइसेंस स्वीकार्य होंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार यह सुनिश्चित कैसे करेगी कि इसका आयातकर्ता एककों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं होगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आयात लाइसेंसों की वैध अवधि सामान्य तौर पर तीन मास की होनी चाहिए, जो सी. पी. सी. द्वारा आयात प्रबन्ध करने के लिए लिया गया प्रारम्भिक समय है। यूनिटें जो उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा रही हैं को वित्तीय सहायता न दी जायेगी क्योंकि सप्लाई सी. पी. सी. द्वारा रुपये 475/- की दर से होगी जिसके आधार पर मौजूदा क्लोरम्फेनीकल पाउडर और भूतपूर्व एल-बेस के मूल्य निर्धारित किये गये हैं।

(ख) चूंकि वास्तविक उपभोगकर्ता को सी. पी. सी. से एल-बेस को रुपये 475 प्रति किलोग्राम की दर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है बशर्ते कि वे अपना आयात लाइसेंस वापिस कर देते हैं और सी. पी. सी. को क्लोरम्फेनिकल पाउडर की सप्लाई रुपये 460/- की दर से करेंगे, भेदभाव का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है।

दिल्ली दूरदर्शन के नाटकों में भाग लेने के लिये मान्यता प्राप्त कलाकार

10731 : श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शित नाटकों में भाग लेने के लिए कितने कलाकारों को मान्यता दी गई है;

(ख) उनमें से कितने कलाकारों को अप्रैल, 1978 से ड्रामा यूनिट द्वारा प्रस्तुत किये गये नाटकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया;

(ग) ऐसे कलाकारों की संख्या कितनी है जिन्हें गत एक वर्ष में 15 से अधिक बार आमंत्रित किया गया;

(घ) इस भेदभाव पूर्ण रवैये के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उन सभी कलाकारों के नामों का विवरण, जिसमें उन्हें आमंत्रित करने के मान-दंड दिये गए हों, सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

एल-बेस के आयात के लिए पूल विधि में से सी. पी. सी. को अदा की गई राशि

10732. : श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री 24 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8392 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उस राशि का अनुमानित ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय द्वारा किए गए प्रबन्ध के अधीन एल-बेस के आयात के लिए पूल विधि में से सी. पी. सी. को दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या एल-बेस के स्थान पर क्लोरोफेनिकोल पर अलग अलग एककों को राज सहायता देकर विभिन्न सेवा शीर्षों के अन्तर्गत दी गई राशि बचाई जा सकती थी; और

(ग) यदि हां, तो हाल ही में 15 टन एल-बेस की खरीद पर ही कितनी बचत हो सकती थी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : सी. पी. सी. को कम वसूली की जिस मात्रा की प्रतिपूर्ति औषध मूल्य समीकरण खाते से की जायेगी, वह एल-बेस और उस मात्रा पर निर्भर करेगी जिसका आयात सी. पी. सी. द्वारा मंत्रालय को घोषित व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से किया जाए ।

(ख) चूंकि एल-बेस का आयात-मूल्य समय-समय पर और एक स्त्रोत से दूसरे स्त्रोत पर बदलता रहता है, अत: प्रत्येक निर्माता के लिए क्लोरमफेनिकाल का प्रतिधारणा मूल्य निर्धारित करना कठिन है क्योंकि हर समय एल-बेस पर आधारित क्लोरमफेनिकाल के उत्पादकों का संबंध है, जब तक वे एल-बेस को गोदाम के बाहर प्रतिकिलोग्राम 475/- रुपये की दर से प्राप्त करते रहेंगे तब तक क्लोरमफेनिकाल पाउडर को प्रति किलोग्राम 460/- रु० के मूल्य दर से सप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

(ग) सी. पी. सी. ने रिपोर्ट दी है कि उन्होने 6 मार्च 1979 से सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत डाई-सी-कैम, कलकत्ता की ओर से 15 टन एल-बेस के आयात के लिए आर्डर दे दिया है । इस आयात का प्रति किलोग्राम अवतरित मूल्य 574.59 रुपये प्रति किलो ग्राम होगा, जिस पर सी. पी. सी. गोदाम के बाहर प्रति किलोग्राम 475/- रुपये वसूल करेंगे । उक्त खाते से सी. पी. सी को कम वसूली के लिये प्रतिपूर्ति करने से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि क्लोरफेनिकाल पाउडर 460/- रुपये प्रति किलोग्राम के समान मूल्य पर उपलब्ध होगा और इस आवश्यक औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य भी बनाये रखे जा सकेंगे ।

सी. पी. सी. के अलावा अन्य माध्यम से एल-बेस का आयात करने वाली फर्मों को राजसहायता न दिया जाना

10733. : श्री रामजी लाल सुमन : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** 24 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8392 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऐसे एककों को, जिन्होंने स्वयं एल-बेस प्राप्त कर लिया है, को एल-बेस पर मिलने वाली राजसहायता की उस उस व्यवस्था के कारण घाटा उठाना पड़ा है जो इस वस्तु का आयात केवल सी. पी. सी. के माध्यम से करने के बारे में है;

(ख) ऐसे एककों के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 1978 के बाद एल-बेस के आयात के अधिक मूल्य दिए हैं, उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उक्त एककों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार डी. पी. सी. ओ. 1979 के अन्तर्गत क्लोरोफेनीकोल के लिए घोषित धारणा मूल्य का पुनरीक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो ऐसा करने के ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : सरकार ने बी. आई. सी. पी. की सिफारिश पर एल-बेस से पहले उत्पादित क्लोरमफेनिकल पाउडर के मूल्य 460/- रु० प्रति किलोग्राम पर अधिसूचित किये थे (जो कि एल-बेस के 475/- रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर आधारित थे) और अधिसूचित मूल्य के उचित लाभांश भी शामिल हैं, वर्ष 1978-79 के दौरान एल-बेस के आयात को बन्द करने के बाद भी सी. पी. सी. ने एल-बेस के उपलब्ध स्टाक को 475/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई करना जारी रखा।

क्लोरमफैनिकाल पाउडर सहित बल्क औषधों के मूल्यों में स्थिरता के संदर्भ में और एल-बेस के सी. आई. एफ. मूल्य में 'हाल ही में हुई वृद्धि के संदर्भ में सरकार ने सी. पी. सी. के साथ व्यवस्था कर दी थी जिसके अनुसार जिन एककों के पास पर्याप्त वैधता वाला वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस है, जिसके अन्तर्गत वे एल-बेस का आयात कर सकते हैं जो सी. पी. सी. को अपेक्षित प्राधिकार पत्र प्रदान करता है, सी. पी. सी. एल-बेस का आयात करेगी और उसे 475/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई करेगी। अतः जो वास्तविक उपभोक्ता एल-बेस को क्लोरमफैनिकल पाउडर में बदलना चाहते हैं वे उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) एल-बेस पर आधारित औषध के निर्माताओं को 475/- रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक मूल्य पर एल-बेस का आयात करने का निर्णय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना था कि क्लोरमफैनीकाल पाउडर का मूल्य 21 अगस्त, 1978 से 460/- रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) : भाग (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का निकट भविष्य में एल-बेस पर आधारित क्लोरमफेनिकाल के मूल्य में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

10734. श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में हिंदी अधिकारियों की 1972 से तदर्थ आधार पर नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक मामले में समय-समय पर नियमित रूप से संघ लोक सेवा आयोग की मंजूरी प्राप्त की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(घ) ऐसी चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी. पी. सी. आयातित एल-बेस के पत्तन पर पहुंचने की लागत

10735. श्री उग्रसैन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) वास्तविक उपभोक्ताओं तथा स्वयं सी. पी. सी. द्वारा यदि एल-बेस का आयात किया जा रहा है तो उसके पत्तन पर पहुंचने तक की वर्तमान लागत कितनी है;

(ख) क्या डी. पी. सी. ओ. (1979) के अधीन क्लोरमफेनिकोल के नवनिर्धारित मूल्यों से उन वास्तविक उपभोक्ताओं को उचित लाभांश मिल जाता है जो स्वयं एल–बेस का आयात करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार एल-बेस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि को देखते हुए मूल्यों में संशोधन करने का है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : सी. पी. सी. ने सूचित किया है कि 15 टन एल-बेस के आयात का अवतरित मूल्य प्रतिकिलोग्राम 574.59 रुपये है, जिसके आयात के लिए उनके द्वारा मैसर्स डाई-सी-कैम की ओर से व्यवस्था की गई है। अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं का अवतरित मूल्य और उतनी ही होने की आशा है बशर्ते कि उनके द्वारा 451.55 रुपये प्रति किलोग्राम के सी. आई. एफ. मूल्य पर आयात किया जाये, जिस मूल्य पर सी. पी. सी. ने उक्त आयात की व्यवस्था की है।

(ख) एल-बेस पर आधारित क्लोरमफैनिकाल पावडर के 460/- रुपये प्रति किलो ग्राम के अधिसूचित मूल्य (जो कि एल-बेस के प्रति किलोग्राम 475/-रुपये के मूल्य पर आधारित हैं) से निर्माताओं का उचित लाभ शामिल है। सी. पी. सी. को अनुदेश दिये गये हैं कि वे ऐसे वास्तविक उपभोक्ताओं के एल-बेस की सप्लाई 475/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर करें जो एल-बेस के अपने आयात लाइसेंस को एक प्राधिकार पत्र के साथ सी. पी. सी. को वापस कर दें, बशर्ते कि ऐसे वास्तविक उपभोक्ता सी. पी. सी. को क्लोरमफैनिकाल पाउडर की सप्लाई 460/- प्रति किलोग्राम की दर से करने का वचन दें।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में बताई गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एल-बेस पर आधारित क्लोरमफैनिकोल पावडर के मूल्य में निकट भविष्य में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जे. सी. बी. लैटर प्रेस और फोटो लिथो प्रेस स्टाफ में रीडिंग स्टाफ की ड्यूटी और कार्य का स्वरूप

10736. श्री चतुर्भुज : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** 24 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जे. सी. बी. लैटर प्रेस और फोटो-लिथो प्रेस में रीडिंग स्टाफ की ड्यूटी और कार्य के स्वरूप में क्या वास्तविक अन्तर है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम): संयुक्त बीजांक ब्यूरो के लेटर प्रेस और फोटो लिथो प्रेस द्वारा तैयार दस्तावेज के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है और इन दोनों प्रेसों में नियुक्त रीडिंग स्टाफ के कार्य तथा जिम्मेवारियां अलग-अलग हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि संयुक्त बीजांक ब्यूरो में बहुत गोपनीय स्वरूप का काम होता है इस लिए इस बारे में अधिक जानकारी प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

बारामुरा, त्रिपुरा में तेल/गैस की खोज

10737. श्री किरत विक्रम देब बर्मन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1972 से लगभग सात वर्ष की अवधि तक त्रिपुरा स्थिति बारामुरा में तेल/गैस की खोज पर लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के बाद इस क्षेत्र में आगे खोज कार्य को छोड़ देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक किये गए खोज प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एरीथो का स्टीरेट, इण्डोमीयेसिन आदि उत्पादन करने वाली कम्पनियां

10738. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन विभिन्न कम्पनियों के नाम क्या हैं जो एरीथो स्टीरेट, इंडोमेथासिन, फेथेलिल सल्फाथियाजोल, ग्रिसोफुलविन फेनोबारबीटोन सोडियम का उत्पादन कर रही हैं और प्रत्येक कम्पनी ने इनके क्या-क्या मूल्य तथा किन-किन तारीखों को घोषित किए हैं, तथा क्या सरकार ने उक्त मूल्यों को स्वीकार करते हुए इन कम्पनियों को पत्र जारी किए थे;

(ख) इनमें से कितनी औषध सी. पी. सी. तथा आई. डी. पी. एल. द्वारा वितरित की गई, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक का वर्ष-वार कितना-कितना आयात किया गया, कितना देश में ही उत्पादन हुआ, इनके आयात मूल्य क्या-क्या थे और इन्हें किन-किन मूल्यों पर बेचा गया, और क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इन औषधों के घोषित मूल्य स्वीकार करने के मामले में एक ओर तो कम्पनियों के बीच भेदभाव किया है तथा दूसरी ओर मैसर्स ओरगानोन घोषित मूल्यों के मामले में हस्तक्षेप से इन्कार किया है हांलाकि इस कम्पनी द्वारा घोषित मूल्य बहुत ऊंचे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) प्रश्न में दर्शाये गए बल्क औषधों का उत्पादन करने वाली विभिन्न कम्पनियों के नाम, जिनकी जानकारी इस मंत्रालय को है, निम्न प्रकार हैं:—

क्रम संख्या	औषध का नाम	उत्पादक का नाम
1.	ऐरीथ्रोमाइसीन स्ट्रिएट	1. थेमिस फार्मास्यूटिकल्स लि० 2. ऐलम्बिक केमिकल्स वर्क्स लि० 3. बम्बई पावसवेल 4. केमीफाइन
2.	इण्डोमेथासीन	मरमेड केमिकल्स
3.	मेट्रोनिडाजोल	1. मे एण्ड बेकर 2. यूनिलोइड 3. आई. डी. पी एल. 4. सी. आई. पी. एल. ए. 5. यूनिकेम 6. यूनिक्यू 7. फेअरडीयल कोरपोरेशन आदि
4.	पथालाइल सल्फाथिआजोल	1. आई. डी. पी. एल. 2. मे एण्ड बेकर
5.	ग्रीसोफूलविन	आई. डी. पी. एल.
6.	फेनीबार बिटोन सोडियम	आई. डी. पी. एल.

इण्डोमेथासिन और ग्रिसाफुलविन को छोड़कर जिनकी स्थिति ऊपर बताई गई है, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत मूल्यों की घोषणा के बारे में स्थिति 24 अप्रैल 1979 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8230 के उत्तर में पहले ही बताई गई है।

इण्डोमेथासिन : सी. पी. सी. द्वारा आयातित इण्डोमेथासिन का वर्तमान बिक्री मूल्य 672/- रुपये प्रति किलोग्राम है। मैसर्स मरमेड केमिकल्स लि० जो कि एक लघु उद्योग एकक है और जिनके निदेशक थैमिस ग्रुप के निदेशक भी हैं उन्होंने 13 अक्टूबर 1977 को इस औषध के लिए 1400/- रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य की घोषणा की थी। चूंकि एकक अपने उत्पादन

के घोषित मूल्य पर बेचने में असमर्थ रहा, अतः उसने अपने उत्पादन के वितरण के लिए सरकार से अनुरोध किया। यह निर्णय किया गया है कि सी. पी. सी. इस औषध के लिए उस एकक को आबंटन आर्डर जारी कर सकती है जो ऐसे आर्डरों पर 672/- रुपये प्रति किलोग्राम के अस्थाई मूल्य पर सप्लाई करेगा (जिस दर पर सी. पी. सी. को आयातित इण्डोमेथासिन बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है) बशर्ते कि मरमेड केमिकल्स को बी. आई. सी. पी. द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर निकाले गये मूल्य और सी. पी. सी. द्वारा जारी किये गये सप्लाई आर्डरों पर सप्लाई की गई मात्रा के लिए 672/- रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य के अन्तर का अनुमान किया जाये।

ग्रिसोफुलविन : इस औषध को वर्ष 1977-78 के दौरान सी. पी. सी. के माध्यम से आयात किया गया था और इसका विवरण आई. डी. पी. एल. को सौंपा गया था। पहले वर्ष 1976-77 के दौरान इस औषध को वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा 888.79 रुपये प्रति किलो ग्राम के औसत सी. आई. एफ. मूल्य पर आयात किया जाता था। (अवतरित लागत 1599.82 रुपये प्रति किलो ग्राम थी)। आई. डी. पी. एल. ने इस औषध के लिए 4925/- रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य की घोषणा की थी लेकिन आई. डी. पी. एल. के माध्यम से इसके वितरण के लिए प्रति किलो मूल्य 147/- रुपए का मूल्य निर्धारित किया गया था। अतः यह देखा जा सकता है कि आई. डी. पी. एल. ने जिस मूल्य पर इस औषध का वर्ष 1977-78 के दौरान वितरण किया वह उस अवतरित लागत से कम था जिस पर वास्तविक उपभोक्ता उसका पहले आयात कर रहे थे।

(ख) : भाग (क) के उत्तर में दर्शाये गए 6 औषधों में से केवल दो औषधों अर्थात् एरीथ्रोमाइसीन स्टीरेट और इण्डोमेथासिन को वर्ष 1979-80 की आयात नीति के अन्तर्गत सारणीबद्ध किया गया है। इन दोनों औषधों का वितरण स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा किया जाता है।

उत्पादन, आयात, सी. आई. एफ. मूल्य बिक्री मूल्य आदि के बारे में अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बतायी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	औषध का नाम	1976-77 आयात मात्रा	आयात सी. आई. एफ़ मूल्य रु०/किलो.	मात्रा	1977-78 आयात सी आई एफ मूल्य रु०/किलो	स्वदेशी उत्पादन टनों में 1977-78 अप्रैल से दिसम्बर	1978-79	बिक्री मूल्य रु०/किलो.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ऐरीथ्रोमाइसीन स्टीरेट	(17.12 टन	625.38	16.427	608.00	35.36	× 35.68	रु० 1300/- किलोग्राम
		(आयात और प्रति इकाई मूल्य के औषध के इस्टर और विभिन्न लवणों का आयात शामिल है)				(उत्पादन में ऐरीथोमाइसीन ऐस्टोलेट का उत्पादन शामिल है)		
2.	इण्डोमेथासीन	3.4 टन	358.78	शून्य	शून्य	(मरमेड केमिकल्स ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 11-2-1978 से 25-12 78 के दौरान 158 किलो ग्राम का उत्पादन किया है)		रु० 672/-- किलोग्राम
3.	मेट्रोनिडाजोल	77.91 टन	121.36	40.53 टन	195.55	22.45	45.58	×× रु० 460/- किलोग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	पेथालील सल्फाथिआजोल	7.5 टन	47.50	35.00 टन	38.35	35.48	19.18	× × रु० 129.48/- किलो.
5.	ग्रिसोफुलविन	11.03 टन	888.80	26.97 टन	756.04	एन. ए	एन.ए	रु० 1471/- किलो.
6.	फेनोबारबिटोन सोडियम	0.6 टन	59.00	60 किलो.	93.00	फेनोबार बिटोन सोडियम का अलग उत्पादन जिसको आई. पी. एल द्वारा बारबिटोन की सम्पूर्ण क्षमता के अन्तर्गत किया जाता है, उपलब्ध नहीं है ।		

× 30.3.1979 से रु० 1006/- प्रति किलो ग्राम कम किया गया ।

× × 30.3.1979 से रु० 428/- प्रति किलोग्राम कम किया गया ।

वियतनाम पर चीनी आक्रमण के बारे में समाचार का प्रसारण

10739. श्री के. ए. राजन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 फरवरी, को वियतनाम पर चीनी आक्रमण के बारे में समाचार आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन में उस दिन रात्रि तक प्रसारित नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) वियतनाम के विरुद्ध चीनी सेना के आक्रमण के बारे में समाचार एजेन्सी की पहली प्रमाणित रिपोर्ट 17 फरवरी, 1979 को केवल रात्रि 9.28 बजे प्राप्त हुई थी। तब तक, रात्रि 9 बजे वाला मुख्य अंग्रेजी बुलेटिन और रात्रि 8.45 बजे वाला हिन्दी बुलेटिन पहले ही प्रसारित हो चुके थे। उस दिन रात्रि 9.30 बजे बी. बी. सी. द्वारा प्रसारित रिपोर्ट के साथ-साथ समाचार एजेन्सी के समाचार का उपयोग किया गया और आकाशवाणी ने एक समाचार रात्रि के 11.00 बजे के अगले बुलेटिन में प्रसारित किया था प्रसारित समाचार का प्रयोग इसके बाद के सभी समाचार बुलेटिनों में किया गया था। रात्रि के दौरान विदेशी सेवा के सभी बुलेटिनों में यह समाचार मुख्य समाचार के रूप में था।

दिल्ली दूरदर्शन से केवल दो दैनिक समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट किए जाते हैं, एक रात्रि 8 बजे हिन्दी में और दूसरा अंग्रेजी में रात्रि 9.45 बजे। 17 फरवरी, 1979 को जिस समय ये समाचार बुलेटिन प्रसारित किए गए, वियतनाम पर चीन के हमले के बारे में कोई प्रमाणित और पक्का समाचार दूरदर्शन के पास उपलब्ध नहीं था।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए पैनल

10740. श्री दयाराम शाक्य : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में सभी विषयों के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए पैनल नियमानुसार जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी पात्र व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ ग्रुपों में असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई है और कुछ ग्रुपों में उन्हें छोड़ दिया गया है, यदि हां, तो ऐसे ग्रुपों के नाम क्या हैं तथा तत्संबन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है; और इसमें कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इन असाधारण योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, पिछले पैनल फरवरी 1978 में बनाए गए थे।

(ख) जी हां।
(ग) जी नहीं।
(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मरीचझापी क्षेत्र की नाकाबन्दी को समाप्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश

10741. श्री प्रो. समर गुह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में 24-परगना के सुन्दरबन में मारीचझापी क्षेत्र की पुलिस द्वारा नाकाबन्दी समाप्त करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और न्यायालय ने ऐसे आदेश किन कारणों से दिए;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख), (ग) और (घ) राज्य से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संसद की कार्यवाही का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

10742. श्री हलामुद्दीन अहमद : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र संसद की कार्यवाही और संसद सदस्यों के संबन्ध में प्रसारण करने के बारे में पक्षपात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो किसी विशेष विषय पर कुछ संसद सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को क्यों प्रसारित किया जाता है और अन्यों की उपेक्षा क्यों की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा संसदीय कार्यवाहियों को कवर करने में किसी सदस्य या संसदीय दल के प्रति कोई भेदभाव नहीं है।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन संसद के दोनों सदनों में महत्त्वपूर्ण, सभी समाचारिक महत्त्व वाली घटनाओं और भाषणों को उपयुक्त कवरेज प्रदान करने के भरसक प्रयत्न करते हैं। तथापि, समाचार बुलेटिनों आदि के प्रसारण के लिए उपलब्ध सीमित समय के कारण, संसद को

सभी कार्यवाहियों की रिपोर्ट देना सम्भव नहीं है और केवल बहस परिचर्चाओं के दौरान उभरी मुख्य बातों तथा विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं द्वारा व्यक्त दृष्टिकोणों का ही उल्लेख किया जा सकता है।

कोयला खानों में सेवा निवृत्त श्रमिकों के निकटतम सम्बन्धियों को रोजगार देना

10743. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कोयला खानों में काफी अर्से से काम कर रहे श्रमिकों के सेवा निवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर उनके लड़के/दामाद/भाई को नियुक्त नहीं किया जाता है जबकि ये लोग गत 30-40 वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों के अधिग्रहण से पूर्व व्यक्तिगत स्वामी कोयला खानों के श्रमिकों के सेवा-निवृत्त देहान्त किसी कारणवश अक्षम्य हो जाने पर उनके लड़के/दामाद/भाई को नियुक्त करते थे;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार कोयला खान के श्रमिकों के सेवानिवृत्त, देहान्त,. अक्षम्य हो जाने पर उनके दामाद भाई को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सेवा निवृत्त कामगारों के पुत्रों/दामादों/भाइयों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की कोई नीति नहीं है।

(ख) इस प्रकार की नियुक्तियों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) : सरकार का विचार सेवा निवृत्त कामगारों के पुत्रों/दामादों/भाइयों को वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का नहीं है। परन्तु घातक दुर्घटनाओं और पूर्ण अपांगता हो जाने के मामलों में, कोल इण्डिया लि. और उसकी सहायक कम्पनियां पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी को, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, नौकरी देने पर विचार करती हैं। कुछ ऐसे मामलों में जिनमें अन्य कारणों से मृत्यु होने के कारण सहानुभूति आवश्यक हो जाती है तथा परिवार की दशा बहुत शोचनीय होती है, पुत्र/पत्नी/पुत्री को उपयुक्तता के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव किया जाता है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के विज्ञापनों पर खर्च

10744. श्री मोती भाई आर. चौधरी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार विज्ञापनों पर कितना व्यय किया है, और

(ख) गत तीन वर्षों में इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कितना लाभ हुआ है, तथा आयातित बल्क औषधियों, फार्मूलेशनों के व्यापार कार्य पर आधारित न होकर स्वयं

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों का कितना उत्पादन/बिक्री हुई है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

न्यायिक व्यवस्था में सुधार

10745. श्री मुकुन्द मण्डल
डा. विजय मण्डल
श्री डी. डी. देसाई
चौ. हरीराम मक्कासर गोदारा

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान न्यायिक व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए उसमें सुधार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार समझती है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था, जो उपनिवेशवाद की देन है, स्वतंत्र भारत के लिए सही और उपयुक्त है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में जो विचार व्यक्त किए हैं उनके अनुसार देश में न्याय प्रशासन की प्रणाली बुनियादी तौर पर ठीक और कुल मिलाकर उपयुक्त है। किन्तु जब कभी अन्यथा ठीक प्रणाली में कोई कमी दिखाई देती है, उसको दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं। इस प्रकार न्याय प्रशासन में सुधार का कार्य निरन्तर चलने वाला कार्य है। तदनुसार, सरकार ऐसे परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं है जो समय-समय पर करने आवश्यक हों।

सारणीबद्ध औषधियों के लिए आयात योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना

10746. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरणीबद्ध औषधियों के लिए आयात योजनाओं को अन्तिम रूप इस प्रकार दिया जाता है कि जब तक सी. पी. सी. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सरणीबद्ध मदों की खरीद करता है निर्माताओं द्वारा उन मदों की कीमत बढ़ा दी जाती है,

(ख) क्या यह सच है कि देश में आयात योजनाएं गोपनीय रखी जाती हैं लेकिन वे अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाई कर्त्ताओं को उपलब्ध होती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाई कर्त्ता मूल्य बढ़ाने में समर्थ होते हैं, और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि औषधियों को अनावश्यक सरणीबद्ध न किया जाए।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) आयात योजनाओं को गोपनीय रखा जाता है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि आयात योजनाओं सम्बन्धित जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाईकर्त्ताओं को अनाधिकृत रूप से दी गई है।

(ग) वर्ष प्रतिवर्ष कैन लाइजेशन नीति पर निर्णय लेने के लिए चावड़ा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की थी।

(i) जिन औषधों का स्वदेशी उत्पादन इतना है कि उनको संरक्षण दिया जाए ताकि उनका विकास और उपयोगिता सुनिश्चित हो जिससे कि अन्त में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके।

(ii) ऐसी औषधें जिनके विश्व में निर्माता सीमित हैं और जहां गठ बन्धन की सम्भावना हो सकती है।

(iii) ऐसी औषधें जिनके आयात पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निगरानी रखी जानी चाहिए (अर्थात् निर्माता अथवा आदत डालने वाली औषधें जैसे वारविस्यू रेट आदि।)

चावड़ा समिति की उपरोक्त सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए जाने के समाचार

10747. श्री नाथूसिंह
श्री पी. ए. संगमा

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त इन चिन्ताजनक समाचारों की जानकारी है कि निर्वाचक नामावलियों में बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाहर से लोगों के बड़ी संख्या में आने को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग को यह पता चला है कि बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम निर्वाचक नामावलियों में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्मिलित किए गये हैं। जुलाई, 1975 में यह समाचार मिला था कि बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक पड़ोसी देशों से सीमा पार करके अप्राधिकृत रूप से भारत में आ रहे हैं और यह भी कहा गया था कि उनमें से बहुत से लोग पूर्व में सीमांतवर्ती राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं। बाद में असम और मणिपुर राज्यों से भी इस आशय के अभिकथन प्राप्त हुए कि विदेशी उद्भव के अनेक व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, निर्वाचक नामावलियों में अपने नाम दर्ज करा रहे हैं।

(ग) अगस्त, 1975 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश दिया कि राज्य के अपराध अन्वेषण विभागों को अनुदेश दिया जाए कि वे निर्वाचक नामावलियों की जांच करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें और यदि वे निर्वाचक नामावलियों में किसी विदेशी व्यक्ति का नाम पाएं तो उन निर्वाचक नामावलियों में से ऐसे नामों को निकलवा देने के लिए इस तथ्य की जानकारी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को दें। निर्वाचन आयोग ने भी सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को यह अनुदेश दिया है कि यदि यह पाया जाए कि बड़ी संख्या में विदेशी व्यक्तियों ने अपने नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज करवा लिए हैं तो निर्वाचक नामावलियों में से ऐसे व्यक्तियों के नाम इस आधार पर कटवाने के लिये कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का सहारा लिया जाए।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और हजारीबाग खानों में आदिवासियों की नियुक्ति

10748. श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला रोजगार कार्यालय, शाहडोल, मांडला को बाल्कों खानों, खुरखुरीदादर तथा हजारीबाग खानों में व्यक्तियों की भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो मांडला, शाहडोल जिलों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने आदिवासी जिलों में आदिवासी लोगों को प्राथमिकता देकर आदिवासी जिलों में ही इण्टरव्यू लेने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या खुरखुरीदादर बाल्को और अमरकंटक में ही खुरखुरीदादर बाल्को और हजारीबाग खानों में व्यक्तियों के लिए इण्टरव्यू लेने के लिए व्यवस्था की जायेगी ताकि आदिवासी और हरिजन उम्मीदवार आसानी से इण्टरव्यू के लिये जा सकें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बालकों की हजारी दादर और खुरखुरीदादर खानों में होने वाली सभी रिक्तियों को, अधिकारी पदों को छोड़कर जिनकी भर्ती मुख्यतया कम्पनी के मुख्यालय से की जाती हैं; शाहडोल और मांडला के रोजगार कार्यालयों में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) मांडला और शाहडोल जिलों के उम्मीदवारों को अमरकंटक खानों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को निश्चित अतिरिक्त अंक देकर किया जाता है।

(ग) जी नहीं। परन्तु अमरकंटक खान समूह और अमरकंटक स्थित रोपवे में श्रेणी-3 और श्रेणी-4 पदों के लिए उम्मीदवारों का अमरकंटक क्षेत्र के खुरखुरीदादर में इण्टरव्यू लिया जाता है।

(घ) जिन उम्मीदवारों को इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है उन्हें कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ता दिया जाता है।

श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जसलोक अस्पताल के साथ आकाशवाणी का सीधी आपतिक सम्पर्क व्यवस्था

10749. श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सीधी आपातिक सम्पर्क व्यवस्था अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य प्रबन्ध है;

(ख) क्या जे. पी. की मृत्यु के बारे में लोक सभा में की गई गलत घोषणा के बाद आकाशवाणी के बम्बई संवाददाता ने 13-50 बजे डाक्टरों द्वारा यह कहा गया बताया कि जे. पी. जीवित हैं और तत्काल यह सही जानकारी उर्दू समाचार बुलेटिन में, जो उस समय प्रसारित की जा रही थी, और उसके बाद 14 बजे के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन में, शामिल कर दी गई; और

(ग) सही समाचार देने तथा कुछ ही मिनटों के भीतर समाचार बुलेटिन को संशोधित करने के लिए आकाशवाणी के उत्तरदायी संवाददाताओं को क्या पारितोषिक दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) अच्छे कार्य की पहले ही उपयुक्त सराहना की गई है ।

बोंगाई गांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड में नियुक्ति

10750. श्री अहमद हुसैन : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) बोंगाईगाँव रिफाईनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने संवर्गवार कितने पदों को अब तक भरा है और प्रत्येक संवर्ग को कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता, ड्यूटी भत्ता दिया है । बोंगाईगांव स्थित कार्यालय की स्थापना के बाद से) और प्रत्येक संवर्ग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो भर्ती की गई है, उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भरती किए गए लोगों को (परियोजना स्थल पर भेजे जाने से पूर्व) परियोजना स्थल पर स्थानान्तरित किये जाने पर दिल्ली के अलावा अन्यत्र स्थान में सेवा करने में अनिच्छा प्रकट किए जाने पर उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी भत्ता मिल रहा है !

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी आवेदन पत्र रख लिये हैं कि क्या विभिन्न पदों पर भरती के समय उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध थे या नहीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर क्लर्कों के कुछ पदों को भरने के बजाय प्रतिनियुक्ति आधार पर इनको भरने/भरे जाने के क्या कारण हैं !

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बोंगाईगांव

रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर संवर्गवार अभी तक पदों पर की गई नियुक्तियों की संख्या विवरण में दी गई हैं।

विभिन्न संवर्गों में प्रतिनियुक्तियों, अपेक्षित अनुभव रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता, सीधी भर्ती में सुयोग्य कार्मिकों का उपलब्ध न होने अथवा कुछ श्रेणियों में कार्मिकों की थोड़े समय के लिये आवश्यकता. के कारणों से की जाती है।

प्रतिनियुक्तियों को पिछले पांच वर्षों में दिया गया प्रतिनियुक्ति भत्ता निम्नलिखित है :—

1974-75	रु. 1,761.00	
1975-76	रु. 447.10	
1976-77	रु. 1,782.71	
1977-78	रु. 19,529.37	
1978-79	रु. 39,000.00	(अस्थाई क्योंकि 1978-79 के लेखों का लेखा परीक्षण के बाद पूर्ण नहीं किया गया)

संवर्गवार धनराशि का विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया आयेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लिपिक वर्ग के पदों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती केवल तब की जाती है जब स्थानीय रोजगार कार्यालय से या प्रैस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते।

विवरण

दिनांक 31.3.1979 की यथास्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

वेतन मान	कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की संख्या
रु. 3000-3500/-	1	—
रु. 2500-2750/-	1	1
रु. 2250-2750/-	1	1
रु. 2000-2500/-	5	1
रु. 1600-2250/-	5	—
रु. 1300-1850/-	22	4
रु. 1100-1600/-	25	4
रु. 800-1300/-	81	7
रु. 650-960/-	25	1
रु. 550-800/-	30	11
रु. 425-700/-	39	13
रु. 330-560/-	129+(43) अस्थायी	1
रु. 260-450/-	182+(14) अस्थायी	—
रु. 210-270/-	40	—
योग :	634	44

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को युद्धपोतों को सप्लाई

10751. डा० विजय मंडल

श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री शंकर सिंह जी बाघेला

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 अप्रैल, 1979 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका पाकिस्तान को छः युद्धपोत सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में अमरीकी सरकार से बातचीत की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) हमारी अपनी रक्षा तैयारियों की योजना बनाते समय हमारे पड़ौस में हो रही सभी घटनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी हां।

भिलाई और कुद्रेमुख द्वारा प्राईवेट ठकेदारों को दिये गये ठेके

10752. श्री के० लकप्पा

श्री मल्लिकार्जुन

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र और कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के विभिन्न निर्माण और अन्य कार्यों के लिये प्राइवेट ठेकेदारों/फर्मों को करोड़ों रुपये मूल्य के ठेके दिये गये हैं, यदि हां, तो ठेकेदारों/फर्मों के नाम क्या हैं और सौंपे गये कार्य का स्वरूप और मूल्य क्या हैं,

(ख) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है कि ये प्राइवेट ठेकेदार/फर्में विभिन्न कार्यों के प्रयोजनार्थ धनराशि के दुर्विनियोग, श्रमिकों को वेतन का भुगतान न करने, परियोजनाओं की लागत को बढ़ाने और निर्धारित किये गये निर्माण-कार्यक्रमों का पालन न करने सहित अनियमितताओं में लगी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे कदाचारों के लिये इन ठेकेदारों/फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) आवश्यक जानकारी विवरण (एक) और (दो) में दी गई है।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित अनुलग्नकों में दिखाए गए ठेकेदारों/फर्मों के विरुद्ध अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-एक

उन मुख्य निजी ठेकेदारों/फर्मों का विवरण जो इस समय भिलाई इस्पात कारखाने में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के ठेकों का कार्य निष्पिन्न करने में लगे हुए हैं।

क्रम सं०	ठेकेदारों के नाम	जिस काम का ठेका है	ठेके की राशि (करोड़ रुपये)
1.	मेक नेली भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लि०	रोटरी किल्न	1.60
2.	—तदैव—	आर० एम० पी०-11 के लिए डोलोमाइट रोटरी किल्न	0.39
3.	—तदैव—	धमन भट्टी नम्बर-11 में कोयले के चूरे का प्रयोग	1.68
4.	वलकन इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०	बी० आर० पी० के लिए 2 सुरंगी भट्टे	1.65
5.	वैस्टर वर्क प्रोजेक्ट	2 वर्टीकल शापट लाइम किल्न	2.99
6.	—तदैव—	प्लेट मिल के लिए रोलर हर्थ प्लेट नार्मेलाइजिंग फर्नेस	2.21
7.	हिन्दुस्तान डैवलपमेंट कारपोरेशन	सैन्ट्रल एग्नहास्ट एण्ड वैन्टीलेशन स्टेशन आफ कंटीनुअस कास्टिंग प्लांट के लिए चार सैंट्रीफ्यूगल फैन	1.71
8.	मैसर्स बी० बी० सी लिमिटेड	खुले मुंह की भट्टी से कचरा हटाना तथा उसमें से स्क्रैव निकालना।	2.23

टिप्पणी : क्रम संख्या 1 से 7 के ठेके समूचे काम के लिए दिए गए हैं।

विवरण-दो

कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना के निर्माण-कार्य के लिए सीधे तौर पर रखे गए मुख्य निजी ठेकेदारों तथा कनाडा के मेटकेम कंसल्टेंट्स लि०, जो इस परियोजना के लिए खनन सहयोगी तथा इंजीनियरी निर्माता हैं। के उप-ठेकेदारों का विवरण

क्रम सं०	ठेकेदारों/फर्मों के नाम	जिस काम के लिए ठेका दिया गया है	ठेका कितने मूल्य का है (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	कनेडियन मेटकेम कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लि०	कुद्रेमुख में निर्माण कार्य के लिए खनन सहयोगी/इंजीनियरी-निर्माता परियोजना का इंजीनियरी, रूपांकन, निर्माण-कार्य पर्यविक्षण, उपलब्धि, परियोजना की स्थापना तथा उसे चालू करना।	फीस 14.00 मिलियन डालर जमा प्रतिपूर्ति योग्य लागत। दोनों मिलाकर 25.3 मि० डालर से अधिक नहीं होगी।
2.	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स (प्रा०) लि० (इण्डिया)	लाख्या बांध का निर्माण-कार्य	13.57 करोड़ रुपये
3.	मेसर्स गेमन निर्माण	पनयखुर, मंगलौर में सांद्रण स्टोरेज शेड के लिए पाइलिंग तथा बीम भरने का कार्य	1.62 " "
4.	मैसर्स डाडसेल (प्रा०) लि०)	स्लरी पाइपलाईन का निर्माण कार्य	4.24 " "
5.	मैसर्स गेयन इण्डिया	मंगलौर में सिविल कार्य	3.81 " "
6.	(क) मेसर्स बिनी लि०	सप्लाई, संविरचन	1.55 " "
	(ख) मेसर्स भारत इंडस्ट्रीयल वर्क्स लि०	मंगलौर में संरचनात्मकों का स्थापना कार्य	1.51 " "
7.	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स (प्रा०) लि०	कुद्रेमुख में खान की सड़कों की भराई तथा उनको पक्का करने का काम	2.12 " "
8.	मैसर्स डेवी एशयोर	कुद्रेमुख में यंत्रों की स्थापना का ठेका	2.42 " "
9.	मैसर्स यूनाइटेड प्रीसीजन इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०	कुदेमुख में मुख्य दुकानों तथा भण्डारगारों के लिए सिविल कार्य	1.57 " "
10.	मैसर्स एशियन टेक्नी सियन्स	टेलिंग तथा रिक्लेस पाइपलाईन के लिए सिविल कार्य	1.58 " "
11.	मैसर्स इंजोनियरिंग कारपोरेशन लि०	सांद्रक, शिकनर तथा भद्रा पम्प हाउस के लिए पंपों की स्थापना	2.18 " "

भारतीय तापीय बिजली घर में कुप्रबन्ध के विरुद्ध शिकायत

10753. श्री शंकर सिंह जी बाघेला
श्री जी० एम० बनातवाला
डा० विजय मंडल
श्री मुख्तियार सिंह मलिक

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तापीय बिजली घर के, जो देश में एक बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम है, कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने भी उन्हें तथा प्रधान मंत्री को निगम में कुप्रबन्ध के बारे में लिखा है और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं और यदि हां तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) : जी, हाँ । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कार्यालय के लिए नेहरू प्लेस में स्थान किराए पर लेने में निगम के प्रबन्ध द्वारा अनियमितताएं किए जाने के संबंध में कुछ संसद सदस्यों ने आरोप लगाए हैं ।

(ग) कार्यालय का स्थान नेहरू प्लेस क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने से पूर्व राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कार्यालय बारा खम्भा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग और हेली रोड में तीन विभिन्न बिल्डिगों में था । जो फ्लोर एरिया था वह कुल 19496 वर्ग फुट था । कर्मचारियों की परिकल्पित संख्या में वृद्धि होने पर कम्पनी ने यह महसूस किया कि वर्तमान स्थान अपर्याप्त होगा और अपने सभी कार्यालय एक स्थान पर रखना आवश्यक होगा । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने यह पाया कि नेहरू प्लेस ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपेक्षित क्षेत्रफल का स्थान, निकट और साथ-साथ लगा हुआ उपलब्ध है । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यह भी पाया कि किराए की मौजूदा दरों में नेहरू प्लेस में किराए की दरें सबसे कम हैं ।

जहां तक शर्तों और किराए की दरों का संबंध है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सूचित किया है सरकारी क्षेत्र के अन्य संगठनों और अन्य सरकारी अभिकरणों ने अपने कार्यालयों के लिए जो स्थान नेहरू प्लेस क्षेत्र में किराए पर लिए हैं, किराये की ये दरें उनके तुल्य हैं ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के आदेशों का जे. सी. बी. लैटर प्रेस के कर्मचारियों पर लागू होना

10754. श्री मही लाल क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षामंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के पत्र संख्यांक सी.—17034/55/72 पी. ।

प्रिंटिंग (खण्ड 2) दिनांक 20 दिसम्बर, 1978 के आदेशों को जे. सी. बी. लैटर प्रैस के रीडिंग स्टाफ पर लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार का निर्णय अतारांकित प्रश्न संख्या 9986 दिनांक 10 मई, 1978 के भाग (ग) के दिए गए इस उत्तर के विपरीत नहीं होगा कि "भारत सरकार मुद्रणालय के भर्ती नियम जे. सी. बी. पर लागू नहीं होते" ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेशों के अपनाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) : जे. सी. बी. लैटर प्रैस के रीडिंग स्टाफ का मौजूदा वेतनमान भारत सरकार मुद्रणालय के समकक्ष पदों के वेतनमान के बराबर है। भारत सरकार मुद्रणालय में इस तरह के पदों का वेतनमान संशोधित कर दिया है, और दोनों मुद्रणालयों के रीडिंग स्टाफ का कार्य एक ही किस्म का है, इसलिए यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि क्या जे. सी. बी. लेटर प्रेस के रीडिंग ब्रांच स्टाफ का वेतनमान भी संशोधित किया जाना चाहिए।

2. जहां तक भर्ती नियमों का संबंध है, निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय के वेतनमान संशोधित किए जाने संबंधी आदेश जे. सी. बी. लैटर प्रेस के स्टाफ पर स्वतः ही लागू नहीं होते।

केन्द्रीय सूचना सेवा के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

10755 : श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 1971 से कितनी बार बैठक हुई है;

(ख) किये गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और क्या ये निर्णय क्रियान्वित कर दिए गए हैं अथवा इन्हें कार्यरूप नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाने के लिए छूट प्राप्त करने हेतु मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	ग्रेड जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी	जिन अधिकारियों के बारे में सिफारिश की गई उनकी संख्या	पदोन्नति किए गए अधिकारियों की संख्या	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1.	1971	सेलेक्शन ग्रेड	1	1	
2.	1974	सेलेक्शन ग्रेड	3	1	चूंकि एक ही रिक्ति थी, केवल एक अधिकारी को पदोन्त किया गया।
3.	1971	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	3	2	अगली रिक्ति उत्पन्न होने से पहले एक अधिकारी सेवानिवृत हो गये।
4.	1973	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	2	2	
5.	1974	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	2	2	
6.	1977	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	5	—	पुर्नविलोकन होने तथा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया। जैसाकि संघ लोक सेवा आयोग ने सुझाया था, नई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बाद में 1978 में हुई थी।
7.	1978	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	7	7	
8.	1971	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल)	4	4	
9.	1974	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल)	3	3	

(जारी)

1	2	3	4	5	6
10.	1977	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल)	9	9	
11.	1978	सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल)	—	—	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी परन्तु उसने कोई पैनल नहीं सुझाया क्योंकि अधिकारियों की प्रवरता को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।
12.	1972	जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल)	4	3	रिक्ति न होने के कारण एक अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया गया।
13.	1975	जूनियर प्रशासनिक (ग्रेड सीनियर स्केल)	9	7	रिक्त न होने के कारण दो अधि-कारियों को पदोन्नत नहीं किया गया।
14.	1971 (1972 में संशोधित)	जूनियर प्रशासनिक ग्रेड(जूनियर स्केल)	21	21	
15.	1978	जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	30	26	एक अधिकारी ने पदोन्नति लेने से इंकार कर दिया और तीन अधिकारियों को जूनियर प्रशासनिक में सीधी भर्ती के रूप में पहले नियुक्त कर दिया गया था।
16.	1971 (1971 में संशोधित)	ग्रेड-1	29	29	
17.	1978	ग्रेड-1	80	80	

(जारी)

1	2	3	4	5	6
18.	1972	ग्रेड-2	54	10	रिक्तियों की संख्या का ध्यान किये बिना विभागीय पदोन्नति समिति ने सभी पात्र अधिकारियों को पैनल में रखा था। चूंकि केवल दस रिक्तियां थीं, केवल दस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था।
19.	1978	ग्रेड-2	58	44	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुछ पदों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से अनारक्षित किए जाते हैं जिसके बाद ही बाकी के अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा।
20.	1972 (1972 में संशोधित)	ग्रेड-3	112	40	रिक्तियों की संख्या का ध्यान किए बिना विभागीय पदोन्नति समिति ने सभी पात्र अधिकारियों को पैनल में रखा था। चूँकि केवल चालीस रिक्तियां थी केवल 40 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया था।
21.	1978	ग्रेड-3	323	323	

उच्चतम न्यायालय का अपील के लिये विशेष इजाजत देने के लिए इसकी शक्तियों के बारे में निर्णय

10756. श्री जी. आई. कृष्णन

श्री के० मालन्ना

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी मामले में किसी निर्णय पर अपील के लिए विशेष इजाजत दिये जाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर रोक लगाने के बारे में उच्चतम न्यायालय का अनुरोध स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दलीलों का ब्यौरा क्या है ।'

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा हाल ही में कोचीन में हुये अखिल भारतीय विधि सेमिनार में दिए गए इस सुझाव के बारे में है कि उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत अर्जी केवल उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दिए गए विनिश्चयों के विरुद्ध होनी चाहिए और यह कि इस प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 में समुचित संशोधन किया जाए । यदि यह बात ठीक है तो निवेदन यह है कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गए सुझावों को न्यायालय द्वारा सरकार को किए गए प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है और उसे सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने या स्वीकार न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1977 में किसी समय न्यायालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 136 और 145 में संशोधन किया जाना चाहिये जिससे कि न्यायालय ऐसे नियम बना सके जो विभिन्न प्रकार के मामलों में अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय का असाधारण अधिकारिता के प्रयोग को अभिव्यक्त रूप से सीमित करने या उसे विनियमित करने के लिए हों ।

यह प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयकों पर विचार-विमर्श के दौरान विपक्ष के नेताओं के सामने रखा गया था । किन्तु इसे आमतौर पर स्वीकार नहीं किया गया । इसलिए इस प्रस्ताव के संबंध में और आगे कार्यवाई नहीं की गई ।

उप मुख्य इंजीनियरों के चयन में वरिष्ठ इंजीनियरों का अधिलंघन

10757. श्री राम कृष्ण डान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में उप मुख्य इंजीनियरों के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में एक बहुत ही कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा बड़ी संख्या में (23) वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारियों का अधिलंघन किया गया है ।

(ख) यदि हाँ, तो अधिकारियों के मामले में, जिनको पहले अनेक सिलेक्शन ग्रेड प्राप्त हो चुके हैं इस प्रकार की असाधारण वार्यवाही का आधार क्या है;

(ग) क्या इससे प्रभावित अधिकारियों से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं और क्या उन पर उसी चयन समिति के बजाय किसी निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;

(घ) क्या विभागीय पदोन्नति समिति के नियम प्रतिवर्ष एक से होते हैं अथवा क्या वे प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न होते हैं और गत वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अधिलंघन की कोई सीमा है या कोई सीमा नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) डिप्टी चीफ इंजीनियर (1800-2000 रुपए) के संवर्ग में पदोन्नति के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन में वरिष्ठ इंजीनियरों के संवर्ग (1500—1800 रुपये) में 10 अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अध्यक्ष के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य सहित, संघ लोक सेवा आयोग में 1 मार्च, 1979 को हुई थी। विभागीय पदोन्नति समिति ने सबसे वरिष्ठ 30 पात्र अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से 12 से 18 मास के दौरान उत्पन्न होने वाली अपेक्षित रिक्तियों की बराबर संख्या के लिए 10 अधिकारियों का पैनल तैयार किया था। सीनियर इंजीनियर की प्रवरता सूची में जो अधिकारी क्रम संख्या 26 पर था उसका इस पैनल में 23 अधिकारियों का अधिक्रमण करते हुए क्रम संख्या 3 पर रखा गया।

(2) प्रभावित अधिकारियों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इनकी जांच की गई और यह महसूस किया गया था कि ऐसे अधिक्रमण सरकारी सेवा में असामान्य नहीं हैं और ये पूर्णतया विषय पर बने निर्धारित नियमों के अनुसार है। इसके अलावा, विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य द्वारा की गई थी। इसलिए, प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर पैनल का पुनर्विलोक करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के लिए चयन-सूचियां तैयार करने के लिए विभागीय समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए पैनल सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य के रिकार्ड और आचरण के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। अधिक्रमण की सीमा अधिकारियों की उसी संख्या तक सीमित है जिन पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया जाता है।

खेतड़ी के तांबा प्रद्रावक एवं विशाखापत्तनम की जस्ता प्रद्रावक भट्टी की क्षमता उपयोग

10758. डा. पी. वी. पेरियासामी : क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी स्थित तांबा प्रद्रावक तथा विशाखापत्तनम स्थित जस्ता प्रद्रावक भट्टी की कितनी क्षमता का इस समय उपयोग हो रहा है; और

(ख) इन दोनों स्थानों पर उत्पादन की 100 प्रतिशत क्षमता के उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : खेतड़ी तांम्र प्रद्रावक की क्षमता का उपयोग वर्ष 1978-79 के उत्पादन के आधार पर 33.6% है। विजाग स्थित दोनों जस्ता प्रद्रावकों में से प्रत्येक का वर्तमान प्रद्रावण स्तर पर 75.80 टन जस्ता धातु दैनिक है जबकि उनकी स्थापित क्षमता 103 टन हैं।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि० ने खेतड़ी प्रद्रावक क्षमता उपयोग में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) खेतड़ी प्रद्रावक की क्षमता का उपयोग मुख्यत: संयंत्र में प्रोद्योगिकी और परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों तथा तांबा अयस्क/सान्द्रों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण है। प्रौद्योगिकी और परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की परामर्शी फर्म मैसर्स फुरकावआफ जापान की सेवाएं ली थीं। परामर्शदाताओं की तकनीकी सहायता से संयंत्र के परिचालन में सुधार हुआ है।

(2) तांबा अयस्क की उपलब्धि बढ़ाने के लिए खेतड़ी में खनन कार्यों को तेज किया जा रहा है। चांदमारी खान से तांबा अयस्क का उत्पादन 500 टन दैनिक से बढ़ा कर 1000 टन दैनिक करने के लिए एक विस्तार योजना शुरू की गई है।

(3) हिन्दुस्तान कापर लि० ने मध्य प्रदेश में मालंजखण्ड ताम्र परियोजना का विकास शुरू कर दिया है। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 20 लाख टन ताम्र अयस्क (23000 टन धातु के बराबर) के उत्पादन करने और समान क्षमता का सान्द्रक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। मालंजखंड से सान्द्रों को शोधन हेतु खेतड़ी भेजा जाएगा।

हिन्दुस्तान जिंक लि० ने अपनी भट्टियों की प्रद्रावण क्षमताओं में वृद्धि हेतु अनेक सप्लायरों से उनमें सुधार/परिवर्तन का अनुरोध किया है। सप्लायरों ने मार्च, 1979 ने एक विशेषज्ञ दल भेजा था जिसने गलन भट्टियों में कुछ परिवर्तन किए हैं और इसके फलस्वरूप भट्टियों की प्रद्रावण दर में वृद्धि हुई है लेकिन अभी पूरी दर क्षमता प्राप्त की जानी है।

रायचूर तापीय बिजली घर परियोजना के अन्तर्गत सहायक उद्योग

10759. श्री राजशेखर कोलूर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर तापीय बिजली घर परियोजना के अन्तर्गत सहायक उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : रायचूर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना के अंगरूप सहायक उद्योग स्थापित्व करने की कोई योजना नहीं है।

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा एल्यूमीनियम वितरण किये जाने के लिये मानकों का निर्धारण किया जाना

10760. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न एल्यूमीनियम संयंत्रों द्वारा उत्पादित एल्यूमीनियम के वितरण के लिए कोई मानक निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या वितरण मनमाने तरीके से और मित्रों तथा संबंधियों के बीच और दबाव के अन्दर किया जाता है;

(ग) क्या लघु उद्योगों को सप्लाई न किये जाने और मनमाने तरीके से वितरण करने के बारे में बालकों संयंत्र के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान बालकों द्वारा उत्पादित एल्यूमीनियम का वितरण किस प्रकार किया गया और लघु उद्योगों को कितनी मात्रा में आबंटन किया गया; और

(ङ) क्या सीमेंट वितरण की तरह एल्यूमीनियम के वितरण का कार्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का विचार है जिससे यह कुप्रबन्ध और असन्तोष समाप्त किया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ङ) : ई. सी. ग्रेड एल्यूमीनियम के वितरण पर 1976 की प्रथम तिमाही तक अनौपचारिक नियंत्रण था बाद में नियंत्रण हटा लिया गया क्योंकि देशी उत्पादन से एल्यूमीनियम की उपलब्धि में सुधार हो गया था। लेकिन 1977 के प्रारम्भ से एल्यूमीनियम प्रद्रावकों को अपर्याप्त बिजली मिलने के कारण एल्यूमीनियम का उत्पादन मांग से कम हो गया। मांग में वृद्धि राज्य बिजली बोर्डों के बिजली पारेषण और वितरण कार्यक्रमों में आई तेजी के फलस्वरूप हुई है। धातु के देशी उत्पादन और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए बालकों को 1977 के मध्य में एल्यूमीनियम का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। धातु का वितरण प्रायोजित अधिकरणों यथा, तकनीकी विकास महानिदेशालय और लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा कथित प्राथमिकताओं/आवंटनों के अनुसार किया जाता है। देशी उत्पादित धातु की सप्लाई तो नियमित है लेकिन आयातित धातु की नियमित सप्लाई, आयात के लिए नियमित आर्डर दिये जाने के बावजूद, पूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ति की समय-सूची तथा गोदियों पर माल रख रखाव की सुविधाओं से जुड़ी होती है। ऐसी हालत में, आयतित धातु की अनुपलब्धि के दिनों में घरेलू सप्लाई में कमी होने पर खपतकर्त्ता शिकायत करते हैं। ये शिकायतें केवल बालकों के बारे में ही न हो कर देश के अन्य सभी एल्यूनियम उत्पादकों के बारे में भी होती हैं।

बालकों उन खपत कर्त्ताओं को एल्यूमिनियम का वितरण करता है जो अपने उत्पादन के अनुसार मांगपत्र उसे प्रस्तुत करते हैं। यह सही नहीं है कि बालको मनमाने ढंग से एल्यूमिनियम का वितरण कर रहा है। 1977-78 के दौरान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा सभी यूनिटों के लिए 14,023 टन कन्डक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम की सप्लाई में से 6802 टन ई. सी. ग्रेड एल्यूमिनियम लघु उद्योगों को सप्लाई किया गया था। इस प्रकार लघु उद्योगों को 40.5% एल्यूमिनियम सप्लाई किया गया। 1978-79 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को ई. सी. ग्रेड एल्यूमिनियम की पूर्ति का अनुपात बढ़कर 54.-6% हो गया।

यह सुनिश्चिय करने के उद्देश्य से सभी एल्यूमिनियम खपतकर्त्ता इकाइयों को देसी उत्पादन और आयात से समान मात्रा में धातु की सप्लाई प्राप्त हो, सरकार द्वारा 7-5-1979 को एल्यूमिनियम उत्पादकों को केबुल/कन्डक्टर निर्माता प्रत्येक यूनिट और साथ ही वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम पिंडों की खपत वाले कारखानों के बीच एल्यूमिनियम के वितरण के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गये हैं।

तट रक्षक संगठन

10761. श्री निहार लास्कर
श्री पी. एम. सईद
श्री धर्मवीर वशिष्ठ
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **उप-प्रधानमंत्री तथा रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षक संगठन को, जो 19 अगस्त, 1978 को अस्तित्व में आया था, आपेक्षित पोतों और उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तट रक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ग) उन्हें अन्य कौन-कौन से पोत उपलब्ध किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि हवाई जहाजों को छोड़ कर, जिसे विदेशों से प्राप्त करना पड़ सकता है, अन्य सभी पोत भारतीय शिपयार्डों द्वारा निर्मित किये जायेंगे ; और

(ङ) हवाई जहाज किस देश से प्राप्त किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तट रक्षक संगठन के संबंध में पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए सरकार विचार कर रही है ताकि इस संगठन के कार्यों के लिए आवश्यक साज सामान की व्यवस्था की जा सके। चालू वर्ष में इसके लिए 12.69 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) तट रक्षक संगठन के बर्तमान बेड़े में दो युद्धपोत और पांच गश्ती नौकाएं हैं।

(ग) इस संगठन के लिए 1978-84 योजना अवधि में अनेक समुद्री और तटीय गश्ती जलपोतों तथा बचाव जलयानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां। वर्तमान अनुमान के अनुसार।

(ङ) इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर पेट्रोल की सप्लाई

10762. श्री छीतू भाई गामित : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल की कीमत में कुछ रियायत देने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मोटर चालित गाड़ियों के लिये उनके विकलांग मालिकों द्वारा निम्न लिखित अधिकतम सीमाओं तक पेट्रोल|डीजल की खरीद पर किये गये वास्तविक खर्च के 50 प्रतिशत व्यय की वापसी के लिये समाज कल्याण विभाग की एक योजना दिनांक 2 अक्टूबर, 1977 से पहले ही लागू है।

मोटर चालित गाड़ियां	लिटर प्रतिमास
2 एच. पी. से कम	15
2 तथा 9 एच. पी. के बीच	25
10 एच. पी. और अधिक	50

साराभाई कैमिकल्स को मंजूर की गई लाइसेंस क्षमता

10763. श्री बलबीर सिंह

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सच है कि साराभाई कैमिकल्स को सरकार द्वारा 250 मीटरी टन विटामिन 'सी' के लिए लाइसेंस क्षमता मंजूर की गई है और उन्होंने 440 मीटरी टन विटामिन 'सी' का उत्पादन किया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स साराभाई एम. कैमिकल्स लि. जिसकी लाइसेंस शुदा क्षमता विटामिन सी के लिए 240 मीटरी टन प्रतिवर्ष है, वर्ष 1978 के लिए उत्पादन 423.96 मीटरी टन रहा।

(ख) मैसर्स साराभाई एम. कैमिकल्स द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक विटामिन सी के उत्पादन पर नई औषध नीति विवरण-पत्र के अनुच्छेदों 27-3, 28 और 29 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सरकारी उपक्रमों

10764. श्री गदाधर साहा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान मझगांव डाक लिमिटेड तथा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा मनोरंजन पर कितना खर्च किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. शेर सिंह) : इस संबंध में मझगांव डाक लिमिटेड बम्बई की वर्ष 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या 46) और गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स और इन्जीनियर्स कलकत्ता की इसी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (अनुसूची 17) में दी गई सूचना की ओर ध्यान दिलाया जाता है। ये रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

प्रत्येक राज्य के ग्रामीण

10765. श्री गणनाथ प्रधान क्या : **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1978-79 के दौरान (राज्यवार तथा शीर्षवार) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि मंजूर की ; और

(ख) कौन-कौन से राज्य स्वीकृत धनराशि का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री : (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) 1978-79 को वार्षिक योजना में देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 294.58 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था थी। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपयोग की गई राशि का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1978-79 में ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत योजना आबंटन

(लाख रुपयों में)

राज्य	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य योजना में परिव्यय	ग्राम विद्युतीकरण निगम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	जोड़
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	2125	425	300	2850
2. असम	213	242	255	710
3. बिहार	1050	600	550	2200
4. गुजरात	265	385	—	650
5. हरियाणा	858	192	—	1050
6. हिमाचल प्रदेश	85	255	60	400
7. जम्मू व कश्मीर	100	110	190	400
8. कर्नाटक	680	245	75	1000
9. केरल	409	116	—	525
10. मध्य प्रदेश	1400	970	900	3270
11. महाराष्ट्र	636	530	—	1166
12. मणिपुर	—	10	35	45
13. मेघालय	—	122	109	231
14. नागालैंड	—	—	75	75
15. उड़ीसा	305	245	780	1330
16. पंजाब	1295	425	—	1720
17. राजस्थान	475	605	400	1480
18. सिक्किम	—	—	25	25
19. तमिलनाडु	908	242	—	1150
20. त्रिपुरा	6	100	135	241
21. उत्तर प्रदेश	2404	876	500	3780
22. पश्चिम बंगाल	—	855	545	1400
संयुक्त भागेदारी कार्यक्रम	—	1000	—	1000
उप जोड़ राज्य	13214	8550	4934	26698
उप जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	288	—	212	500
अखिल भारत	13502	8550	5146	27198
उड़ीसा और मेघालय के लिए ई. एच. टी. लाइने		475		475
प्रणाली सुधार		1785		1785
कुल जोड़	13502	10810	5146	29458

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा क्रयादेश देना

10766. डा. बापू कालादाते : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने दिसम्बर, 1977 की अन्तिम तिमाही और 1976 की प्रथम तिमाही में बड़ी संख्या में क्रयादेश दिए ;

(ख) यदि हाँ, तो ये .यादेश किन-किन देशों को दिए गए, और

(ग) प्रत्येक क्रयादेश समझौते के अन्तर्गत कितनी वित्तीय आबद्धता है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

अनुमति भत्तों लाइसेंसों को कार्योत्तर नियमित करना

10767. श्री एस. आर. रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माता फर्मों को अनुमति पत्र जारी किये जाते हैं और लाइसेंस कार्योत्तर नियमित किए जाते हैं जो कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक लाईसेन्सिज जारी किये जाते हैं और इसलिए ऐसे लाइसेन्सों को कार्योत्तर विनियमित करने का प्रश्न नहीं उठता सरकार ने निर्णय किया है कि अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण के अधीन उत्पादन प्राधिकृत हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों पर वृत्त चित्रों का निर्माण

10768. श्री गिरिधर गोमांगे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी निर्माताओं, उनके मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा 1977 के बाद ऐसे कुल कितने वृत्तचित्र बनाये गए जिनमें आदिवासियों के शोषण के रूपों को दर्शाया गया है;

(ख) इन वृत्त चित्रों में किन-किन जन जातियों को लाया गया है और इस वित्तीय वर्ष के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ग) सरकारी एजेन्सी द्वारा आदिवासियों को वृत्त चित्र दिखाने के लिए राज्यों और उनके मंत्रालय ने क्या-क्या कार्यक्रम आरम्भ किए हैं; और

(घ) वर्ष 1979-80 के लिए आदिवासियों पर वृत्तचित्र बनाने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) : ऐसी कोई फिल्में फिल्म प्रभाग द्वारा प्राइवेट निर्माताओं के जरिये या इसके अपने यूनिटों के जरिये नहीं बनाई गई हैं। तथापि, फिल्म प्रभाग के माध्यम से नागरिक आपूर्ति और सहयोग मंत्रालय के लिए एक स्वतन्त्र निर्माता मैसर्स कोणार्क फिल्मस द्वारा बनाई गई "लैम्पस" फिल्म की कम्मेंटरी से आदिवासियों के शोषण का उल्लेख किया गया है। इस फिल्म में कोंधस, जौंग, इय्यूयान और सन्थाल कबीलों का उल्लेख किया गया है।

फिल्म प्रभाग के वर्तमान प्रोडक्शन कार्यक्रम में आदिवासियों से सम्बन्धित निम्नलिखित डाकुमेंट्री फिल्में शामिल हैं :—

1. आदिवासी विकास।
2. जम्मू और काश्मीर के गुजर और बकरवाल लोग।
3. खैरागढ़ का जीवन और संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, संगीत और संस्कृति।
4. उत्तर-पूर्वी परिषद् और इसके विकास कार्यक्रम।
5. विन्ध्याचल में जीवन।
6. पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्याएं।
7. मिजोरम।
8. आदिवासी अर्थव्यवस्था को सहायता के रूप में धन।
9. मेघालय का जीवन और संस्कृति।

(ग) सिनेमाघरों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने के अलावा, फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई फिल्मों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की मोबाइल गाड़ियों, राज्य सरकारों की मोबाइल गाड़ियों और टूरिंग सिनेमाघरों के जरिये आदिवासी इलाकों में भी प्रदर्शित किया जाता है।

(घ) आदिवासियों से सम्बन्धित विषय की फिल्मों के लिए कोई धनराशि विशेषरूप से आबंटित नहीं की जाती तथापि प्रतिवर्ष उनकी व्यापक कवरेज की जाती है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा आई. एफ. एफ. रेडारों की सप्लाई

10769. श्री भगतराम : क्या उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद ने लगभग 26 करोड़ रुपये मूल्य के आई. एफ. एफ. नामक कुछ रेडार (जिसके लिए उसने हाल ही में आयात प्रति-स्थापन आदेश प्राप्त किया है) सप्लाई करने थे;

(ख) क्या यह सही है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड जिसने भारतीय वायुसेना को 16-5-1979 तक कुछ रेडार सप्लाई करने थे, तालाबन्दी जारी रहने के कारण उपकरणों को तैयार नहीं कर पाये;

(ग) क्या यह भी सही है कि भारतीय वायुसेना अब इसे महत्त्वपूर्ण उपकरण का स्विटजर-लैंड जैसे यूरोपीय देशों से आयात करने का विचार कर रही है जिस पर लगभग 24 करोड़ रुपये लागत आयेगी ; और

(घ) प्रबन्धकों ने श्रमिकों के साथ बातचीत क्यों नहीं आरम्भ की जिन्होंने तालाबन्दी तुरन्त उठा लेने और संघ के नेताओं की मुअत्तिली रद्द करने की मांग की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. शेर सिंह) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद को लगभग 10.06 करोड़ रुपये मूल्य के आई. एफ. एफ. उपस्कर सप्लाई करने के आदेश/आशय पत्र प्राप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय वायुसेना ने इस कम्पनी को लगभग 6.46 करोड़ रुपये मूल्य के आई. एफ. एफ. उपस्कर सप्लाई करने के आदेश/आशय पत्र दिए हैं। वायुसेना को कुछ आई. एफ. एफ. रडार पहले ही दिए जा चुके हैं और कुछ और ऐसे रडार उन्हें भेजे जा रहे हैं। यह कम्पनी भारतीय वायुसेना की आई. एफ. एफ. उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में है। ऐसे उपस्करों का आयात करने का वायुसेना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. गाजियाबाद के प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच हुए समझौते के बाद 7 मई 1979 से यहां तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है। इस समझौते में यूनियन के नेताओं की मुअत्तिली से संबन्धित प्रश्न भी शामिल हैं।

निर्यात किया गया इस्पात

10770. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 1977-78 तथा 1078-79 के दौरान हमारे देश से कितने इस्पात का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या वर्ष 1976-77 के बाद से इस्पात के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में हमारे देश में क्रमशः 5,06,200 टन, 14,09,200 टन, 11,08,000 टन तथा 5,22,400 टन (अस्थायी) इस्पात निर्यात किया गया।

(ख) : जी, नहीं।

हालीवुड की फिल्मों का आयात करने का प्रस्ताव

10771. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री चिमन भाई एल. शुक्ल
श्री जी. एम. बनातवाला

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालीवुड की बेहतर फिल्मों का आयात करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम और संख्या क्या है, जिनको भारत में दिखाने के लिए लाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) "द मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ अमरीका" को एक करार के अन्तर्गत 1975 से प्रतिवर्ष 100-150 हालीवुड और अन्य एम. पी. ई. ए. ए. फिल्मों का आयात करने की अनुमति है। आयात किये जाने वाले विशिष्ट शीर्षक भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार होते हैं। अन्तिम करार, जो 31-3-79 को समाप्त हुआ था, अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। विदेशी फीचर फिल्मों के आयात के संबन्ध में भावी करारों की पद्धति विचाराधीन है ;

(ख) देश में आयात की जाने वाली फिल्मों की संख्या अन्य देशों में प्रोडक्शन के कार्यक्रमों ऊपर निर्भर करेगी। इसलिए, आयात की जाने वाली फिल्मों के शीर्षक बताना सम्भव नहीं है।

(ग) फिल्मों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताएं अन्य देशों में प्रोडक्शन कार्यक्रम, एम. पी. ई. ए. ए. के साथ तय की जाने वाली व्यवस्था, आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर करेंगी। एम. पी. ई. ए. ए. द्वारा आयात की गई फिल्मों के मामले में, विदेशी मुद्रा में कोई प्रारम्भिक विनियोग नहीं होता। आयात की गई और भारत में प्रदर्शित की गई फिल्मों से हुई कुल आय में से सीमित भाग ही एम. पी. ई. ए. ए. को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

"सैक्स गॉडेसेस आफ मद्रास" शीर्षक

10772. श्री विपिन भाई एच. शुक्ल
डा. विजय मण्डल
श्री जी. एम. बनातवाला

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आनलुकर" दिनांक 15 अप्रैल, 1979 में "सैक्सगाडेसेस आफ मद्रास" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार देखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों की जांच चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना होता है कि अभद्रता, अशिष्टता और भ्रष्टता द्वारा मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन न हो। अनिर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली फिल्मों को "यू" प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वे फिल्में जो बोर्ड द्वारा अवयस्कों को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, को 'ए' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। फिल्में जो बोर्ड द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, को सेंसर द्वारा प्रमाण-पत्र नामंजूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, फिल्मों के जो भाग आपत्तिजनक पाये जाते हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र देने से पहले हटा दिया जाता है।

लेख में उल्लिखित शीर्षकों में से "अबालूडे रवुकाल" (हरनाइट्स) (मलयालम) और थम्बूराती" (रायल वूमेन) (मलयालम) के सम्बन्ध में प्रमाणपत्रों को बोर्ड ने रद्द कर दिया था क्योंकि जिस रूप में वे प्रमाणीकृत की गई थी इससे अलग रूप में दिखाई गई थी। आवेदकों द्वारा दायर मामले अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

विभिन्न नगरों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गैस्ट हाउस

10773. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने अधिकारियों के लिए विभिन्न नगरों में अनेक गैस्ट हाउस चलाता है;

(ख) यदि हां, तो किसी नगर अथवा महानगरीय क्षेत्र में गैस्ट हाउस स्थापित करने का मानदण्ड क्या है;

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान इन गैस्ट हाउसों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने किराये के रूप में तथा अन्य मदों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्चा की; और

(घ) क्या सरकार इन गैस्ट हाउसों पर किये जा रहे खर्च में कमी करने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।'

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। इस समय देहरादून; बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, मेहसाना, कैम्बे, नाजिरा, सिबसागर, गोहाटी, अगरतल्ला तथा सिल्चर में ओ. एन. जी. सी. के अतिथि गृह हैं।

(ख) ओ. एन. जी. सी. द्वारा विशेष अतिथि गृह के स्थान का निर्णय आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य संचालन की आवश्यकताओं पर निर्भर हैं।

(ग) वर्ष 1977-78 में ओ. एन. जी. सी. द्वारा इसके अतिथि गृहों पर किये गये खर्च निम्नलिखित हैं :—

कर्मचारियों को वेतन और भत्ते............3,82,043 रुपये
भाड़ा, कर एवं रख रखाव............2,58,413 रुपये
6,40,456 रुपये

वर्ष 1978-79 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु, इस वर्ष के लिए अनुमानित लगभग खर्च 7,00,000/- रुपये होने का है।

(घ) जहां आवश्यक होता है अतिथि गृहों का रख रखाव ओ. एन. जी. सी. द्वारा किया जा रहा है। ओ. एन. जी. सी. खर्च पर कड़ा नियंत्रण रख रहा है।

गुजरात में तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

10774 श्री गंगा भक्त सिंह
श्री पी. जी. मावलंकर
श्री एफ. पी. गायकवाड़

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में स्थित तापीय बिजली घरों को कोयले की तत्काल सप्लाई किये जाने के लिये प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है, जिससे तापीय बिजली घरों को बन्द होने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में तत्काल कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान वर्ष 1978 की संगत अवधि के दौरान इसकी सप्लाई की तुलना में कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई ?

उर्जा मंत्री श्री पी. रामचन्द्रन, : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि :—

(1) बिलासपुर और नागपुर दोनों में क्षेत्र स्तर पर कारगर समन्वय किया जाए। ये दो मुख्य केन्द्र हैं जहां से कोयला भेजा जाता है।

(2) अधिकारियों का एक छोटा समूह, जिसमें मंडल अधीक्षक, उस क्षेत्र में स्थित कोयला-क्षेत्रों के अधिकारीगण और बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, प्रतिदिन बैठकें करेगा और रेल तथा सड़क दोनों के जरिए कोयले की लदाई और ढुलाई के बारे में समस्त सूचना का आदान-प्रदान करेगा।

(3) प्रतिदिन मानिटरिंग के प्रयोजन के लिए इन मुख्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के लिए कोयला-खानें रेलवे को संचार प्रणालियों का प्रयोग कर सकेंगी।

(ग) जनवरी से अप्रैल, 1978 और 1979 के दौरान गुजरात के ताप-विद्युत केन्द्रों को सप्लाई दिये गये कोयले की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात के मुख्य-मुख्य ताप विद्युत केन्द्रों को जनवरी, 1979, फरवरी, 1979, मार्च, 1979 और अप्रैल, 1979 महीनों के दौरान कोयले के आवंटन और वास्तविक प्राप्तियां दिखाने वाला और वर्ष 1978 की इसी अवधि के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक प्राप्तियों से उसकी तुलना दिखाने वाला विवरण।

(आंकड़े मीटरी टनों में)

महीना	अहमदाबाद		उकई		गांधीनगर	
	आवंटन	वास्तविक प्राप्ति	आवंटन	वास्तविक प्राप्ति	आवंटन	वास्तविक प्राप्ति
जनवरी, 1979	100000	74359	65000	47370	50000	49732
फरवरी, 1979	110000	74922	65000	27291	65000	61515
मार्च, 1979	110000	79804	65000	50046	65000	45392
अप्रैल, 1979	110000	81764	90000	60394	65000	40680
जोड़ :	430000	310849 (72.3%)	285000	185102 (65%)	245000	197319 (80.5%)
जनवरी, 1978	85000	76023	70000	57470	70000	49379
फरवरी, 1978	85000	67239	70000	55350	70000	46921
मार्च, 1978	85000	80733	70000	66870	70000	45430
अप्रैल, 1978	80000	79495	60000	44831	60000	45383
जोड़ :	335000	303490 (90.6%)	270000	224521 (83.1%)	270000	187113 (69.3%)

गत दो वर्षों के दौरान पता लगाये गये स्वर्ण निक्षेप

10775. श्री ईश्वरी चौधरी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 2 वर्षों में स्वर्ण के कुछ निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो ये निक्षेप किन-किन स्थानों पर पाये गये हैं और उनसे कितना और कितने मूल्य का सोना मिलने की संभावना है;

(ग) सोना निकालने पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इन स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाने का देश में निकट भविष्य में स्वर्ण की कीमत पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : जी हां। कोलार गोल्ड फील्ड्स के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत मालप्पाकोंडा खंड में तथा चित्तूर जिले (आंध्र प्रदेश) में मालप्पाकोंडा से लगभग 2.5 किलोमीटर दक्षिण में चिगारगुंटा क्षेत्र में स्वर्ण निक्षेप होने का पता चला है। मालप्पाकोंडा और चिगारगुंटा क्षेत्र में अब तक 5.00 से 5.60 ग्राम प्रति टन स्वर्ण मात्रा वाले 3 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया जा चुका है तथा 200 मीटर की गहराई पर एक खनिज जोन की पुष्टि हुई है जिसमें औसतन 8.00 ग्राम प्रतिटन की मात्रा में सोना है। निकाले जाने वाले स्वर्ण की मात्रा और कीमत का निर्धारण विस्तृत समन्वेषी विकास कार्य के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ग) चूंकि सोने की खोज अभी जारी है इसलिए सोने के खनन पर होने वाले खर्च के बारे में बताना अभी संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता

10776. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुच्छेद 44, जिसमें राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण निदेशक तत्व समाविष्ट है, के अनुसरण में भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विधेयक कब तक संसद में पेश किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : सम्पूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। समान सिविल संहिता अधिनियमित करने से अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में परिवर्तन करने पड़ेंगे। सरकार की नीति यह रही है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय

विधि में कोई भी परिवर्तन चाहे वह समान सिविल संहिता बना कर हो या किसी विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय को लागू होने वाली विधि अधिनियमित करके हो, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिए पहले स्वयं उस समुदाय द्वारा नहीं की जाती है। अभी तक अल्पसंख्यक समुदायों ने ऐसी कोई पहल नहीं की है।

फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि

10777. श्री कुमारी अनन्तन : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व में वर्ष 1976-77 में फास्फेटिक उर्वरकों की खपत में 2.87 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में वर्ष 1977-78 में देश में इसकी खपत में 37 प्रतिशत तक वृद्धि होने और वर्ष 1979-80 में एमोनिया की मांग में 6 करोड़ टन की प्रत्याशित वृद्धि की पृष्ठ-भूमि में देश में फास्फेटिक उर्वरकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन की स्थापित क्षमता फिलहाल पी$_2$ ओ$_5$ की 10.80 लाख मी. टन है। सिन्दरी सुव्य-वस्थीकरण एवं हल्दिया परियोजनाओं के चालू होने से पी$_2$ ओ$_5$ की क्षमता में लगभग 13 लाख मी. टन की वृद्धि होगी। फास्फेटिक उपरकों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फास्फेटिक क्षमता के सृजन की योजना प्रगति पर है। मैसर्स इण्डिया फॉर्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० का काण्डला में मौजूदा क्षमता के पर्याप्त विस्तार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नई फास्फेटिक उर्वरक परियोजनाओं के लिए स्थिति सम्बन्धी और अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले

10778. श्री के. मालन्ना : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय में इस समय उन लम्बित मामलों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, जो अभी निपटाए जाने हैं, और वे कितने समय से लम्बित हैं; और

(ख) इनमें से कितने मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय में तारीख 1-1-79 को नियमित सुनवाई के 15,256 मामले लम्बित थे। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। तारीख 1-1-1979 को पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या 4,689 थी।

विवरण

विभिन्न कोटियों के उन नियमित सुनवाई के मामलों के वर्ष वार आंकड़े जो उच्चतम न्यायालय में 1-1-1979 को लम्बित थे ।

मामलों का वर्णन	एक वर्ष से कम पुराने	1 से 2 वर्ष तक पुराने	2 से 3 वर्ष तक पुराने	3 से 4 वर्ष तक पुराने	4 से 5 वर्ष तक पुराने	5 से 6 वर्ष तक पुराने	6 से 7 वर्ष तक पुराने	7 से 8 वर्ष तक पुराने	8 से 9 वर्ष तक पुराने	9 से 10 वर्ष तक पुराने	10 वर्ष से अधिक पुराने	कुल	पांच वर्ष से अधिक समय लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सांविधानिक मामले													
कर अपीलें	89	1	10	4	16	30	22	1	2	...	...	175	55
सेवा सम्बन्धी मामले	6	...	...	3	13	3	...	1	...	...	...	26	4
अन्य सिविल अपीलें	164	87	26	28	20	49	24	8	3	...	...	409	84
रिट अर्जियां	203	478	123	18	31	87	69	5	1	...	...	1015	162
संविधानेतर मामले													
कर अपीलें	399	636	349	357	239	186	91	6	...	...	...	2263	283
श्रम अपीलें	75	75	39	32	44	56	46	38	2	...	...	407	142
निर्वाचन अर्जियां	49	3	1	3	...	...	...	...	...	...	...	56	...
अन्य सिविल अपीलें	1469	1762	578	768	708	582	1086	808	710	479	30	8980	3695
दाण्डिक अपीलें	410	362	339	269	281	160	103	1	...	...	...	1925	264
कुल	2864	3404	1465	1482	1352	1153	1441	868	718	479	30	15256	4689

कोयला धोने के सूक्ष्म उपकरणों की स्थापना के द्वारा खनन

10779. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तापीय बिजली घरों के बार बार बन्द होने का कारण उपयोग में लाये जा रहे कोयले में मिलावट के कारण उपकरणों में दोषों का आ जाना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में उपलब्ध अधिकांश कोयला घटिया स्तर का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को समझती है कि जैसा कि पश्चिमी देशों में है उसी प्रकार कोयला धोने के सूक्ष्म उपकरणों की स्थापना के द्वारा खनन गतिविधियों में सुधार लाने की आवश्यकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : देश में उपलब्ध कोयले का अधिकांश भाग निचले ग्रेड और किस्म का है तथा अनेक ताप बिजलीघर उपलब्ध कोयला भण्डारों के अनुसार बनाए गये हैं। फिर भी, कभी-कभी कोयले की किस्म में विभिन्नता आ जाती है जिसके कारण ब्वायलरों को चलाने और उनकी संभाल में तकनीकी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

(ग) कोयले की किस्म को यथावत् बनाए रखने की दृष्टि से उससे शेल और बलुई पत्थर छोटने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं। विद्युत ग्रेड के कोयले का परिष्करण करने का कार्य भी विचाराधीन है किन्तु कोयले के धुलाई योग्य होने की विशेषताएं और धुलाई की लागत यह दो ऐसे कारक हैं जिनका अकोककर कोयले की वाशरी स्थापित करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल के बारे में अनुसंधान

10780. श्री नटवर लाल बी. परमार : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के आसपास हाल में अनुसंधान किया गया था ;

(ख) अनुसंधान के क्या परिणाम निकले; और

(ग) वास्तविक उत्पादन के लिए इस द्वीपसमूह के तेल वाले क्षेत्रों का सरकार का कब तक पता लगाने का विचार है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अण्डमान निकोबार मग्न तट में मूल्यांकन भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य किया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या से कुछ संरचनाओं में हाइड्रोकार्बन के संचय की अनुकूल सम्भावनाओं का पता चला है।

खुदाई कार्य आरम्भ करने से इस समय कुछ सम्भावित अनुकूल संरचनाओं का पूर्ण रूपेण रेखांकन करने के लिए अतिरिक्त विस्तृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में सूचना दे दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेखित अतिरिक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर ओ. एन. जी. सी. का वर्ष 1979 के अन्त । 1980 के आरम्भ में 2 संरचनाओं में खुदाई कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है ।

मैसर्स ड्यूक्स के संतुलन पत्र, लाभ तथा हानियां

10781. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

चौधरी ब्रह्म प्रकाश : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** ड्यूमेक्स का नाम बदल कर फाइजर नाम करने के बारे में 29 अगस्त 1978 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में, इस पूर्व के वर्षों में तथा मैसर्स फाइजर को, भारत में, अपने शेयरों का हस्तान्तरण करने के समय मैसर्स ड्यूमेक्स के सन्तुलन पत्र, लाभ तथा हानियां क्या थीं;

(ख) मैसर्स ड्यूमेक्स लिमिटेड के शेयरों का विक्रय मूल्य 9.9 लाख प्रत्यक्ष मूल्य किसने निर्धारित किये थे ;

(ग) क्या उस समय उक्त प्रत्यक्ष मूल्य के अतिरिक्त भी भारत से बाहर कोई अन्य लेन-देन हुए थे ;

(घ) इन शेयरों की बिक्री के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये थे और उस समय मैसर्स ड्यूमेक्स किन मदों का उत्पादन करता था ; और

(ङ) जब मैसर्स ड्यूमेक्स के नाम तथा प्रकार को मैसर्स फाइजर में परिवर्तित कर दिया गया है तो फिर भी मैसर्स ड्यूमेक्स का नाम तथा प्रकार कैसे जारी रह सकता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मैसर्स फाइजर कारपोरेशन पानामा (जो मैसर्स चास फाइजर इन्क, न्यूयार्क, यू. एस. ए. की सहायक थी) को 25 जुलाई 1958 को मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड में 100 रु० प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त नकद 30,000 इक्यूटी (साधारण) शेयर आवंटित किए गए थे । 30 जून 1960 को कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र पास प्रस्तुत आबंटन की विवरणों के अनुसार, 100 रु. प्रत्येक के अतिरिक्त 25,100 इक्यूटी शेयर मैसर्स फाइजर कारपोरेशन, पनामा को 22-6-1960 को नकदी के लिए आबंटित किए गए थे । मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमटेड के 30 नवंबर 1958, 30 नबंबर 1959 और 30 नवम्बर 1960 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन-पत्र के आंकड़े संलग्न विवरण 1 में विवरण-पत्र में दिए जाते हैं । 30 नवंबर 1959 और 30 नवंबर 1960 को समाप्त होने वाले वर्ष के कर से पूर्व स्वच्छ लाभ क्रमशः 23.12 लाख रु० और 23.03 लाख रु० थे ।

(ख) 29 मई 1961 तक बनाई गई तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को प्रस्तुत मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक विवरणी के अनुसार 100 रु. प्रत्येक के 9900 इक्यूटी शेयर 27 जनवरी 1961 को मैसर्स फाइजर कारपोरेशन पनामा को हस्तांतरित किए गए थे । ये पहिले ईस्ट एशियाटिक कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (4996 शेयर) और शेष कुछ गैर आवासीयों द्वारा धारित थे । मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के 100 रु. प्रत्येक के मुख मूल्य के इन शेयरों को 200 रु. प्रति शेयर का बिक्री मूल्य आर्थिक विभाग द्वारा उस समय के वाणिज्य और उद्योग तथा कम्पनी विधि प्रशासन विभाग के परामर्श से निर्धारित किया गया था ।

(ग) सरकार को अन्य व्यापारावर्त अगर कोई है, की जानकारी नहीं है कि उस समय मुख मूल्य से अधिक तथा ऊपर भारत से बाहर किया गया था।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में संदर्भित मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड के 100 रु. के मुख मूल्य के 200 रु० प्रति शेयर का बिक्री मूल्य कम्पनी के अर्जित लाभ की क्षमता के आधार पर ठीक तथा उचित साथ-साथ कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों में यथा प्रगट की गई वास्तविक राशि पर किया गया था मैसर्स फाइजर ने पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय को सूचित किया है कि इस औद्योगिक लाइसेंस, एक पंजीकरण प्रमाण पत्र और एक अनुमति पत्र थे, जो मैसर्स ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए तथा बाद में उनके नाम में बदल दिए गए थे जबकि कम्पनी का नाम ड्यूमैक्स से फाइजर में बदला गया था। पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत इस प्रकार के औद्योगिक अनुमोदनों के विरुद्ध आच्छादित मदों को प्रदर्शित करता हुआ विवरण संलग्न है।

(ङ) ड्यूमेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम 1-6-1961 को मैसर्स फाइजर प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित हुआ था, जबकि एक स्वच्छ विनिगमन का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। "ड्यूमेक्स" का ट्रेड मार्क मैसर्स फाइजर कारपोरेशन, पनामा के नाम पर पंजीकृत हैं तथा मैसर्स फाइजर लिमिटेड इस ट्रेड मार्क की प्रयोगकर्ता है।

विवरण—एक

मैं० ड्यूमैक्स के तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखाओं की बावत, दिनांक 15-5-79 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 10781 के भाग (क) के उत्तर में

निर्देशित विवरण-पत्र

देयतायें	तक का तुलन-पत्र		(लाख रु० में)
प्रदत्त पूंजी	30-11-58	30-11-59	30-11-60
	69.90	69.90	80.00
आरक्षित	15.67	24.49	34.64
प्रति भूति/प्रति भूति रहित ऋण	...	22.66	82.17
चालू देयतायें तथा प्रावधान	64.81	87.04	87.74
	150.38	204.09	284.55
परिसम्पत्तियां			
निश्चित परिसम्पतियां	31.30	36.63	72.79
नियोजन	0.90	0.12	0.12
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम धन	118.18	167.34	211.64
	150.38	204.09	284.55

विवरण-दो

मैसर्स ड्यूमैक्स के तुलन पत्र, लाभ तथा हानि लेखों के सम्बन्ध में 15.5.79 को उत्तरत : लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 10781 के भाग (घ) में के उत्तर में संदर्भित विवरण-पत्र

मद	इण्ड० लाइसैंस संख्या और तारीख
1. ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. आइसोनिफोटीनिक एसिड हाड्रोजाइन	संख्या आर/22/35 दि. 6-10-52 एल/22/36/55/दिनांक 26.3.1955 अनुमोदित पत्र संख्या 22(13) आई ए (ii) /58 दिनांक 4.7.1959
3. पी. ए. एस और उसके लवण	एल/22/एन-52/58 दिनांक 30-8-1958
4. प्रोटीन हाड्रोलाइस्टेट	एल/22/29/54 दिनांक 16-12-1954 एल/22/एन/28/60 सी. एच. (iii) दिनांक 28.9.1960
5. आपसी टेट्रासाइक्लिम टेट्रासाइक्लिम	एल/22/एन/130/60 दिनांक 28-1-1960
6. डाइबीनीज (क्लोरो प्रोपामाइड गोलियां) टेट्रासाइक्लिम	एल/22/एन—133/60 दिनांक 3,2.1960
7. टेरामाइसीन एण्ड टेट्रासाइक्लिम प्रीपरेशन्स	अनुमति पत्र संख्या 22(375) आई. ए. (ii) /60 दि. 19.4.1960
8. मिल्क आफमैगनेशिया	एल/22/एन—99/59 दिनांक 4.8.1959
9. ड्यूमैक्स बेबीफूड	एल/27(2)/एन--2/58 दिनांक 29.7.1958
10. वीयल फिलिंग आफ इंथूलिन प्रीपरेशन्स	एल/22/एम-41/58 दिनांक 22.5.1958
11. नियामिड गोलियां	एल/22/एन--25/60—सी एच (iii) दिनांक 12.9.1960
12. फोवेन गोलिया	एल/22/एन-23/60 सी एच (iii) दिनांक 12.9.1960

विदेशी भारतीय कम्पनियों को उत्पादन के लिये जारी किये गये लाईसेंस तथा आशय-पत्र

10782. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी स्वामित्व वाली तथा गैर सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को उत्पादन के लिये बहुत अधिक संख्या में लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किए गये थे; और

(ख) उक्त कम्पनियों के नामों का ब्यौरा क्या है, उन्हें लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किए जाने की तारीख क्या है, ये किन औषधियों के उत्पादन हेतु प्राप्त किए गये थे और कितनी क्षमता मंजूर की गई ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान विदेशी औषध कम्पनियों को केवल चार आशय-पत्र जारी किए गये हैं। इस अवधि के दौरान किसी विदेशी औषध कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

1978-79 के दौरान भारतीय प्राईवेट क्षेत्र में 43 आशय-पत्र और 39 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र में अपेक्षित ब्यौरे दिए गये हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4484/79)

मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये वेतनमानों के विषय पर की गई सिफारिशें

10783. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य न्यायाधिपतियों के 1976 में हुये सम्मेलन ने अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए "कुछ वेतनमानों" की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनको कार्यान्वित करने के बारे में कोई आपत्ति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है/कदम उठाये गये हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां। मुख्य न्यायाधिपति सम्मेलन 1976 में राज्य न्यायिक सेवा के लिये निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की गई थी :

(i) मुन्सिफ	750-1200 रु०
(ii) सब जज	1300-1500 रु०
(iii) उच्चतर न्यायिक सेवा	1600-2250 रु० इसमें कुल जिला न्यायाधीशों के 20 प्रतिशत चयन ग्रेड पद 2500-2750 रु० के वेतनमान में होंगे।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवाओं के वेतनमान, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्य बातों के साथ प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में वेतन संरचनाओं को ध्यान में रख कर नियत किये जाते हैं। भारत सरकार ने मुख्य न्यायाधिपति सम्मेलन 1976 की सिफारिशें राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी थी।

जहां तक दिल्ली तथा गोवा, दमण, दीव संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक सेवाओं का संबंध है, उनके वेतनमान भारत सरकार ने सभी सुसंगत बातों को, जिनके अन्तर्गत अन्य सेवाओं के लिये

नियत वेतनमान भी हैं, ध्यान में रखकर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियत किये थे। न्यायिक और अन्य सेवाओं के बीच वर्तमान संतुलन को बिगाड़ने से संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य काडरों तथा देश के बाकी भाग में भिन्न-भिन्न काडरों की वेतन संरचनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, यह समझा गया है कि अन्य सेवाओं से अलग-अलग रखकर संघ राज्य क्षेत्रों की न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों में किसी वृद्धि के प्रश्न पर एकतरफा तौर पर विचार करना संभव नहीं होगा।

मैसर्स प्रभात आयरन फाउन्ड्री एण्ड मैटल इंडस्ट्रीज, राउरकला

10784. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्रभात आयरन फाउण्ड्री एण्ड मैटल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सी-8 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला, उड़ीसा का निर्माण कब हुआ और आरम्भ में कितने भागीदार थे और अब कितने हैं; और

(ख) क्या कम्पनी के भागीदारों द्वारा कम्पनी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा क्या इस सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार को मिली है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मैसर्स प्रभात आयरन फाउण्ड्री एण्ड मैटल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का पांच सदस्यों सहित दिनांक 9 दिसम्बर, 1963 को पंजीकरण किया गया था। इस समय कम्पनी के नौ सदस्य हैं।

(ख) कम्पनी के अंशधारियों के दो समूहों के मध्य विवाद रहा है, जिसका परिणाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398 के अन्तर्गत कम्पनी याचिका, रही है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कम्पनी के कार्यों के देखने के लिये आदाता-मंडल को नियुक्त किया है।

शेयरधारियों से कम्पनी रजिस्ट्रार उड़ीसा को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा कम्पनी रजिस्ट्रार ने आदाता के पास इस मामले को उठाया है।

छठी लोक सभा के लिये चुनावों के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

10785. **डा. बलदेव प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी लोक सभा के लिये मार्च 1977 में हुए चुनावों के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को 12 से 20 घंटे तक काम करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त समय तक काम करने के लिये राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को कोई समयोपरि भत्ता अथवा मानदेय दिया गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि उनको कोई भत्ता दिया गया है तो कितना और यदि कोई धनराशि नहीं दी गई तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : पत्र सूचना कार्यालय का स्टाफ जो मार्च 1977 में लोकसभा के चुनावों के सम्बन्ध में ड्यूटी पर था। 12 घण्टे की पारी के आधार पर काम करता था और उनको निशुल्क पैकेट आदि दिये गये थे, उनको कोई समयोपरि भत्ता या मानदेय नहीं दिया गया।

मैसर्स प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटिड तामिलनाडू द्वारा प्रस्ताव

10786. श्री क. टी. फोसतराम क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पिछले दो वर्ष से बन्द पड़े प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड साहूपुरम पी. ओ. असमुगुनेरी, तमिलनाडु के तकनीकी कर्मचारियों की ओर से कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार ने उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है ताकि कारखाने को तुरन्त पुनः चालू किया जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : आयातित विनायल क्लोराइड पर आधारित यूनिट के पुनः संचालन के लिये मैसर्स प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स ने हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ईरान से धन का आगमन न होने के कारण कुद्रेमुख परियोजना को कठिनाई

10787. श्री बागुन सुम्बरुई : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान से धन का आगमन न होने के कारण और उस देश में तीसरे इस्पात एकक की अनिश्चितता के कारण कुद्रेमुख परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि ईरान तीसरे इस्पात एकक के बारे में अपनी योजनाओं को छोड़ देता है तो दो देशों के बीच करार के अन्तर्गत भारत सरकार के लिए क्या विकल्प है;

(ग) क्या ईरान के संबन्धित प्राधिकारियों को कुद्रेमुख परियोजना का ब्यौरा बता दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) चूंकि कुद्रेमुख परियोजना की धन संबन्धी आवश्यकताएं बजट में की गई व्यवस्था से पूरी की जा रही हैं अतः ईरान से धन प्राप्त न होने से परियोजना के निर्माण-कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी, ईरान में हुई हाल की घटनाएं चिन्ता का विषय हैं। यह चिन्ता विशेषकर इसलिए है क्योंकि

ईरान द्वारा धन-राशि के भुगतान में विलम्ब हो रहा है और यह भी निश्चित नहीं है कि क्या ईरान सांद्रण की समस्त मात्रा, जिसके लिए करार किया गया है, खरीदने के लिए तैयार है। स्थिति का सही जायजा लेने के लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने इन मामलों को तथा अन्य संबन्धित मामलों को सुलझाने के लिए ईरान की कम्पनी से शीघ्र ही बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसका फैसला यह बातचीत होने पर ही किया जाएगा।

(ख) केन्द्रमुख आयरन और कम्पनी लि. तथा नेशनल ईरानियन स्टील-इन्डस्ट्रीज कम्पनी के बीच हुई बिक्री संविदा में यह व्यवस्था है कि यदि क्रेता, ऐसे कारणों को छोड़कर जो बस से बाहर हों, ठेकाशुदा मात्रा को नहीं लेता है तो विक्रेता क्रेता द्वारा न ली गई मात्रा को अधिकतम उपलब्ध मूल्य पर बेच सकता है और इस तरह जो मूल्य वसूल होगा तथा ठेका मूल्य में जो अन्तर रह जाएगा उसे क्रेता द्वारा बहन किया जाएगा। यदि विक्रेता कुछ मात्रा नहीं बेच पाता है तो क्रेता संविदा में निर्धारित दरों के अनुसार जुर्माना देगा।

(ग) और (घ) ईरान के अधिकारियों को कुद्रेमुख परियोजना के विवरण तथा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है।

फिल्म सेंसर बोर्ड की रचना

10788. श्री मोहनलाल पिप्पिल : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई फिल्मों को जनता को दिखाये जाने के लिए रिलीज करने से पूर्व उनकी उपयुक्ता अथवा अनुपयुक्तता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने कोई फिल्म सेंसर बोर्ड गठित किया है ;

(ख) बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं; इसे कब गठित किया गया था और बोर्ड के सदस्यों के चयन/नामांकन के लिए सरकार ने क्या कसौटी अपनाई हैं; और

(ग) क्या बोर्ड में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य धार्मिक संघठनों को कोई प्रतिनिधित्व है, यदि हां, तो बोर्ड में शामिल किये गये ऐसे सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में एक अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य, नौ से अधिक नहीं, शामिल होते हैं बोर्ड का पुनर्गठन पीछे नवम्बर, 1977 में किया गया था। बोर्ड का वर्तमान गठन निम्नवत है—

1. श्री के. एल. खाण्डपुर	अध्यक्ष
2. श्री हृषिकेष मुखर्जी	सदस्य
3. श्री एम. भक्तवत्सल	
4. श्री तपन सिन्हा	
5. श्री वी. वी. जोन	
6. श्री के. वी. जगन्नाथन	
7. श्रीमती माधुरी शाह	
8. श्री बी. नागी रेड्डी	

बोर्ड के सदस्य होने के लिए मानदण्ड यह है कि वे व्यक्तिगत योग्यता और उपयुक्तता वाले व्यक्ति होने चाहिए और, केन्द्रीय सरकार की राय में, लोगों पर फिल्मों के प्रभाव जानने में अहर्क होने चाहिएं।

(ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 में ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सतपुड़ा विद्युत परियोजना

10789. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतपुड़ा विद्युत परियोजना पर निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर काम शुरू हो जाने की आशा है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में कितना समय लगने की संभावना है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए अपेक्षित विस्फोटकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के प्रबन्ध कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए कितनी मात्रा में विस्फोटक उपलब्ध कराए गए हैं; और क्या **ऊर्जा मन्त्री** उपर्युक्त योजना के निर्धारित अवधि तक पूरे हो जाने की पूरी संभावना है ?

(श्री पी. रामचन्द्रन), (क) और (ख) : जी, हां। सतपुड़ा विद्युत परियोजना में 7वें यूनिट के प्रतिष्ठापन का कार्य चल रहा है। आठवें और नौवें विस्तार यूनिट के सिविल कार्य भी शुरू हो गए हैं।

यूनिट छः 1978-79 के दौरान चालू किया जा चुका है। सतपुड़ा विद्युत परियोजना के 7, 8 और 9 वें यूनिटों के चालू होने की निर्धारित तिथियां निम्नानुसार हैं—

यूनिट-7	दिसम्बर, 1979
यूनिट-8	जून, 1981
यूनिट-9	दिसम्बर, 1981

(ग) और (घ) : सतपुड़ा विद्युत परियोजना के लिए विस्फोटकों के आबंटन के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में बातचीत करने के लिए भारतीय दल का ईरान का दौरा

10790 **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय दल ने अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में बातचीत करने के लिए ईरान का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) चालू वर्ष के

दौरान ईरान से अशोधित तेल की सप्लाई पुन: आरम्भ किये जाने के संबन्ध में बातचीत करने के लिए सचिव (पेट्रोलियम) की अध्यक्षता में एक भारतीय पेट्रोलियम शिष्टमण्डल ने 4 से 8 मई, 1979 तक ईरान का दौरा किया।

(ख) नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ ठेके किये गये जिनके अन्तर्गत मई से दिसम्बर, 1979 के दौरान ईरानियम अशोधित तेल की लगभग 2.6 मि मी. टन की कुल मात्रा का आयात किया जाना सम्मिलित है।

आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोकने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रेसीडेंट का वक्तव्य

10791. : श्री अमर राय प्रधान : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोकने के लिए सरकार की वित्तीय, आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों को पुन: नया रूप देने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रेसीडेंट द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : सम्भवत: माननीय सदस्य के मन में "भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल का वित्तीय नीतियों पर भारी प्रहार जीवनदायक बचत की प्रेरणा" शीर्षक के अन्तर्गत 3 अप्रैल 1979 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अंश को संदर्भित करते हुए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष का वक्तव्य है। यह वक्तव्य आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के उपायों के विषय में कोई विशेष हवाला प्रस्तुत नहीं करता है। तथापि, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के उपबन्धों का कार्यान्वयन, अपने उद्देश्यों की उपलब्धि तथा साथ साथ आर्थिक पद्धति का संचालन सार्वजनिक हानि की दिशा में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो, को सुनिश्चित करने को निर्देशित करता है।

सरकार की औद्योगिक नीति 23 दिसम्बर 1977 को मंत्री (उद्योग) द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत "औद्योगिक नीति का विवरण" में वर्णित की गई है। विकास तथा साथ में वित्तीय, आय मूल्य तथा मुद्रा विषयक नीतियों के लिए प्रभावी व्यूह रचना 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में संक्षेप रूप से दी गई है। इन नीतियों के प्रभाव से आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को कम करने के परिणामी होने की आशा की जाती है।

मिट्टी के तेल के डिपो स्थापित करना

10792. श्री आर.कोलन्थाईवेलू : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न भिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल के डिपो स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या तमिलनाडु में डिपो स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में कितने डिपो हैं और कहां-कहां पर हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मिट्टी के तेल के डिपुओं की स्थापना तेल कंपनियों द्वारा विभिन्न तथ्यों जैसे डिपो के उस क्षेत्र विशेष में उत्पाद की मांग, कंपनी के प्रतिष्ठानों/भंडार केन्द्रों से दूरी, रेल/सड़क यातायात सुविधाओं की उपलब्धता तथा संचालन में समग्र रूप से किफायत के आधार पर की जाती है। सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में कुछ चुने गये स्थानों पर मिट्टी के तेल के डिपुओं की स्थापना के लिये तेल कंपनियों द्वारा हाल ही में एक योजना कार्यान्वयन हेतु अपनाई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल की सप्लाई

10793. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई में अधिक कटौती की जा रही है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण लोगों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल के दौरान गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया है?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल की सप्लाई पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुसार विभिन्न राज्यों को की जाती है। राज्य के अन्दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मिट्टी के तेल के वितरण का दायित्व राज्य सरकार का होता है। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की सप्लाई में कटौती की गई हो। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे मिट्टी के तेल के समान वितरण को सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा काला बाजार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मिट्टी के तेल की अधिकतम आवश्यकता होती है।

(ख) जनवरी से मार्च 1979 के दौरान तथा 1978 के इन्हीं महीनों में सारे देश में मिट्टी के तेल का विक्रय निम्न प्रकार था :—

	1978	1979	(आंकड़े हजार मी. टनों में) वर्ष 1979 तथा 1978 के बीच बिक्री में प्रतिशतता में विभिन्नता
जनवरी	340.2	369.8	(+) 8.7
फरवरी	307.1	314.5	(+) 2.4
मार्च	321.3	322.1	(+) 0.2

अप्रैल, 1979 के महीने के लिए मिट्टी के तेल के बिक्री आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

समुद्री विधियों से संबंधित सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

10794. प्रो० पी. जी. मावलंकर : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में समुद्री विधियों के संबंध में जिनेवा में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे और वे इस प्रयोजन के लिये जिनेवा तथा अन्य स्थानों पर कितने दिन तक रहे;

(ग) उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) क्या भारत ने इस संबंध में कुछ उपायों का प्रस्ताव करने में कोई पहल की थी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) उक्त प्रतिनिधिमण्डल के गठन और जिनेवा में तथा अन्यत्र उक्त प्रयोजन के लिए उसके ठहरने की अवधि का ब्यौरा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) उक्त सम्मेलन में जिन बातों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतलक्षेत्र के संसाधनों के दोहन की प्रणाली; (ii) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण और ठेकेदारों के बीच वित्तीय ठहराव; दोहन किए जाने वाले प्रथम खान स्थल का प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषण; (iii) प्राधिकरण के अंगों का गठन और उनकी मतदान प्रक्रिया; (iv) काण्टीनेण्टल शेल्फ की बाहरी सीमाएं; और (v) समुद्री सीमा और उससे संबंधित विवादों का निपटारा।

(घ) पहली तीन बातों के बारे में 77 (विकासशील) देशों के ग्रुप ने प्रस्ताव पेश किए थे। इनमें भारत भी सम्मिलित है। चौथी बात के बारे में, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने अन्य हितबद्ध राष्ट्रों का, अपने विधि सम्मत हितों की रक्षा के प्रश्न के संबंध में सामूहिक रूप से वार्ता करने के विषय में साथ दिया। अंतिम बात के बारे में, समुद्री सीमा का अंतिम रूप से परिसीमन होने तक अंतरिम प्रबंध के एक फार्मूले का प्रस्ताव भारत, ईराक और मोरक्को ने संयुक्त रूप से रखा।

विवरण

प्रतिनिधि

(1) श्री शान्ति भूषण, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री [(प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष) (जिनेवा में 8 दिन)]।

(2) डा. एस. पी. जगोता, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विदेश मंत्रालय (प्रतिनिधिमण्डल के उपाध्यक्ष तथा मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में उसके अध्यक्ष)। (जिनेवा में छह सप्ताह)।

एवजी प्रतिनिधि

(3) श्री के० शिवरामकृष्णन, संयुक्त संचिव, खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय (जिनेवा में छह सप्ताह)।

(4) रियर एडमिरल एफ. एल. फ्रेजर, चीफ हाइड्रोग्राफर, (जिनेवा में तीन सप्ताह)।

(5) कमाडोर ओ. पी. शर्मा, जज एडवोकेट जनरल (नौ सेना) (जिनेवा में तीन सप्ताह)।

(6) श्री के. एस. सोढ़ी, प्रथम सचिव, स्थायी मिशन, जिनेवा (छह सप्ताह)।

(7) डा. पी. श्रीनिवासराव, उप-निदेशक, विधि और संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय (जिनेवा में छह सप्ताह)।

(8) श्री एस. एल. राय (खनिज अर्थशास्त्री) भारतीय खान ब्यूरो (जिनेवा में छह सप्ताह)।

आसनसोल और मिदनापुर में टी.वी. रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

10795 : अनिल कुमार साहा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल और मिदनापुर में टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो क्या इन स्थानों पर टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। आसनसोल में 150 मीटर लम्बे टावर के साथ 10 किलोवाट का एक रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा और 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा जिसमें 5575 लाख ग्रामीण और 11.60 लाख शहरी जनसंख्या आती है। इस परियोजना पर 130 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसके छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुकम्मल होने की उम्मीद है। मिदनापुर में रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय विदेशी औषध निर्माताओं द्वारा औषध नियंत्रण की क्रियान्वित

10796. श्री पी. के. कोडियन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी और भारतीय औषध निर्माताओं ने 30 मार्च, में जारी किये गये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की क्रियान्विति के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की है : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यह सच है कि औषध निर्माताओं के कुछ ऐसोशियेशनों अर्थात् भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्माता संघ, भेषज और संबद्ध निर्माता एवं वितरक संघ तथा अखिल भारतीय निर्माण संस्थान ने संयुक्त रूप से एक तार भेजकर सरकार द्वारा 31 मार्च 1979 को जारी किये गये औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के कार्यान्वयन के बारे में कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों का संबंध विशेष रूप से 30 अप्रैल 1979 से पूर्व मूल्य सूची को प्रकाशित करने और प्रस्तुत करने, लीडर मूल्यों को लागू करने, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के कमीशन आदि से है।

2. सरकार ने एसोशिएशन को बताया है कि कि डी. पी. सी. ओ. 1979 के प्रावधान नई औषध नीति में निहित मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय के अनुरूप हैं जिनको सरकार द्वारा उपभोक्ताओं तथा उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ऐसोशिएशनों को यह बात स्पष्ट की गई थी कि मूल्य सूची देने का प्रावधान इस लिये रखा गया था कि सभी के पास निर्माताओं से प्राप्त प्राधिकृत मूल्य सूची उपलब्ध है जो :

(i) श्रेणी- I और II के फार्मूलेशनों के लीडर मूल्यों के साथ समानता को दर्शायेगी,

(ii) श्रेणी-iv के फार्मूलेशनों के संशोधित मूल्य दर्शायेगी, जहां आदेश में उद्योग को मूल्यों में समाधान करने की स्वतंत्रता दी गई है; और

(iii) श्रेणी-III के फार्मूलेशनों के वर्तमान स्वीकृत मूल्यों को पुनः दर्शायेगी।

3. एसोशिएशनों को यह भी सूचित किया गया था कि डी. पी. सी. ओ. 1970 की भांति थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के कमीशन के प्रावधान को डी. पी. सी. ओ. 1979 में भी दोहराया गया है।

4. सरकार का उत्तर प्राप्त होने के बाद प्रत्येक निर्माता ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वयन करना आरम्भ कर दिया है।

होने वाली सभा की बैठकों के लिए प्रश्न

अशोधित तेल का आयात

10797. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष आयात किये जाने वाले 165 लाख टन अशोधित तेल में से अब तक केवल 120 लाख टन के लिये क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) क्या लीबिया की सरकार ने अधिक अशोधित तेल के लिए सरकार के अनुरोध का पूरी तरह् नकारात्मक उत्तर दिया है;

(म) क्या यह सच है कि सऊदी अरब, यद्यपि हमें अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए तैयार है, प्रति बैरल 14.54 डालर के अधिक मूल्य के अतिरिक्त कम से कम एक डालर के प्रीमियम मूल्य की मांग कर रहा है; और

(घ) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने, जिसने हमें 15 लाख टन अशोधित तेल का आश्वासन दिया है, अशोधित तेल के निर्गम मूल्य को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) 1979 के दौरान हमारी प्रत्याशित आवश्यकता के अनुरूप अशोधित तेल के आयात हेतु पक्के प्रबंध किये जा चुके हैं।

(ख) अप्रैल, 1979 से दिसम्बर, 1979 में एक मि. मी टन तथा जनवरी-मार्च, 1980 में अन्य । मि.मी. टन की लीबिया से भारत को अशोधित तेल की सप्लाई की व्यवस्था हेतु 10 अप्रैल, 1979 को इ डियन आयल कर्पोरेशन तथा लीबिया की राष्ट्रीय तेल कम्पनी ब्रेना पैट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी के बीच एक ठेके पर हस्ताक्षर हुये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

फिल्मोत्सवों के लिए सलाहकार समिति बनाया जाना

10798. श्री समर मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि फिल्मोत्सवों के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को लेकर सलाहकार समितियां गठित करने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवा) : (क) जी, हां।

(ख) समाज के सभी वर्गों के लोगों को लेकर सलाहकार समितियों को गठित करने की पद्धति पहले से ही विद्यमान है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए सरकार, एक प्रबंध समिति, विदेशी और भारतीय फिल्मों के चयन के लिये सलाहकार समितियां, एक थियेटर समिति, एक संगोष्ठी समिति इत्यादि नियुक्त करती आ रही है। विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों को भेजने के लिये चयन के लिये भी सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं।

रत्नगिरि में एल्यूमिनियम परियोजना के लिए बिजली की उपलब्धता

10899. श्री बापू साहेब परुलेकर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि में एल्यूमिनियम परियोजना आरम्भ करने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है ;

(ख) क्या रत्नगिरि जिले में चिप्लन के समीप प्रस्तावित एल्यूमिनियम परियोजना की बिजली सप्लाई करने के लिए कोयाना परियोजना के अनुमोदित प्राक्कलन में अनुमानतः 70.33 लाख रुपयों की लागत की 220 कि. वा. को एक ट्रांसमीशन लाइन की व्यवस्था की गई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि स्थान बदले जाने के पश्चात् परियोजना में 220 कि. वा. ट्रांसमीशन लाइन और टर्मिनल सम्बन्धी मिश्रित सुविधाओं की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के साथ विकास ऋण करार के अन्तर्गत की गई थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) नए विद्युत उत्पादन केन्द्रों के चालू हो जाने और हाल में चालू की गई यूनिटों में स्थायित्व आ जाने से आशा है कि महाराष्ट्र छठी योजना के अन्त तक, प्रस्तावित अल्युमिनियम संयंत्र हेतु अतिरिक्त मांग को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा।

(ख) कोयना से रत्नगिरि तक 220 कि. वा. डबल सर्किट पारेषण लाइन के लिए प्राक्कलन राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए हैं और इस समय विचाराधीन हैं।

(ग) यह पारेषण स्कीम अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।

मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान में सरणीकृत रिलीज बल्क औषधियां रिलीज किया जाना

10800. श्री श्याम सुन्दर दास : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान को गत तीन वर्षों में, वर्षवार, सरणीकृत बल्क औषधियों की कितनी मात्रा दी गई ;

(ख) क्या वे सभी उत्पाद, जिनके लिए सरणीकृत बल्क औषधियां दी जाती हैं कम्पनी को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मात्रा किस आधार पर दी गई और मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि किस नीति के अनुसरण में की गई,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1975-76 से 1977-78 के दौरान मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को कैनेलाइज्ड कच्चे माल के रिलीज संबन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दिसम्बर 1977 तक, मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड सहित डी. जी. टी. डी. एककों को कैनेलाइज्ड कच्चे माल उनके द्वारा गत दो वर्षों की इष्टतम खपत की सीमा तक अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्रा तक, इन दोनों में से जो भी कम हो रिलीज की गई थी। केवल दिसम्बर 1977 के पश्चात ही डी. जी. टी. डी. एककों को जहां क्षमताएं फार्मूलेशन-वार निर्धारित हैं अपनी लाइसेंसशुदा क्षमताओं की पात्रता के अनुसार रिलीज की गई थीं। वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड की कोई फार्मूलेशन-वार निर्धारित क्षमतायें नहीं हैं। परन्तु संवीक्षा करने पर यह देखा गया है कि यह कम्पनी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधि-

नियम, 1951 के अन्तर्गत बिना किसी मान्यता प्राप्त अनुमोदन अथवा सन्देहपूर्ण वैधता वाले अनुमोदन के अन्तर्गत कुछ फार्मूलेशनों का निर्माण कर रही है। मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान को 24.4.79 को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विवरण

(मात्रा किलोग्राम में)

1. वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड

क्रम संख्या	औषधि का नाम	के दौरान रिलीज की गई मात्रा		
		1975-76	1976-77	1977-78
	आई. डी. पी. एल. की मदें			
1.	पिपराजाइन हैक्साहाइड्रेट	1200	2210	2120
2.	फेनोबारबिटोन	1512	1436	1401
3.	विटामिन बी—1 एच.सी.एल.	—	37	—
4.	विटामिन बी—1 मोनो	—	166	450
5.	विटामिन बी—2	50	82	175
6.	फोलिक एसिड	42.9	12.1	24
	सी. पी. सी. की मदें			
7.	कैल्शियम पेन्टोथिनेट	—	—	27
8.	डी-पैन्थेनोल	—	58	63
9.	साइट्रिक एसिड	—	1858	2400
10.	विटामिन बी-6	110	200	145
11.	कैफीन	—	—	400
12	प्रेडनीसोलोन	—	—	1.5
13.	विटामिन सी प्लेन	3105	4000	3375

श्रीराम रैफ्रीजिरेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध का कार्यकाल

10801. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या विधि तथा न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीराम रेफ़ीजिरेटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल पूरा हो चुका है ;

(ख) वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब हुई थी;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम के उक्त उल्लंघन को सरकार ने नोट कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) श्री सिद्धार्थ सी. श्रीराम को 1-10-1975 पांच वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रथम बार प्रबन्ध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर उनको पुनर्नियुक्ति का 1-10-1978 से पांच वर्ष के लिए और अनुमोदन कर दिया गया।

(ग) तथा (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण के आदेश दिए गये हैं, एवं केवल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पता चलेगा कि क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के कोई उल्लंघन किये गये हैं।

प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण

10802. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकाश्मीर, आदि की किन-किन प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं और प्रति सप्ताह ऐसे कार्यक्रम कितने मिनट तक के लिये और कितने केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं और किन-किन प्रादेशिक भाषाओं के लिए अनाउंसर नियुक्त किये गये हैं और ये कितने प्रसारण केन्द्रों पर नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में अनाउंसरों के पद बनाते समय और उन पर नियुक्तियां करते समय सामान्यतया और विशेष रूप से किन बातों पर विचार किया जाता है और नियुक्तियां करने के नियम क्या हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि अच्छे अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को उक्त रिक्त पदों की जानकारी मिले तथा उसके लिये वे आवेदन पत्र दें।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं के उदघोषक के पदों को बनाने के लिए कई बातें यथा कार्यक्रमों का स्वरूप, कार्यक्रमों की अवधि, ट्रांसमिशनों की संख्या जिन पर कार्यक्रम दिये जाते हैं, उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखी जाती हैं। वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आकाशवाणी केन्द्र एक भाषा/बोली के लिये एक उद्घोषक के पद का अधिकारी हो जाता है यदि केन्द्र उस विशेष भाषा/बोली में एक मास में न्यूनतम 15 घण्टे का कार्यक्रम तैयार करता है।

उद्घोषकों (जूनियर ग्रेड) के पदों की भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। रिक्तियों का, विज्ञापन समाचारपत्रों, एंप्लायमेंट न्यूज, रोजगार समाचार आकाशवाणी कार्यक्रम पत्रिकाओं आदि में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रिक्तियां आकाशवाणी केन्द्रों की स्थानीय उद्घोषणाओं में उद्घोषित की जाती हैं।

नागपुर में टेलीविजन केन्द्र खोला जाना

10803. श्री राज विश्वेश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 में नागपुर में टेलीविजन केन्द्र खोला जायेगा जब अन्तरिक्ष केन्द्र को अन्तरिक्ष में स्थापित कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या इसको निर्धारित समय से पूर्व खोलने की कोई संभावना है ; और

(ग) नागपुर में, जो देश के मध्य में स्थित है ; टेलीविजन केन्द्र खोलने में विलंब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) : (ख) और (ग) : दूरदर्शन की छठी योजना के स्वीकृत प्रारूप में वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार के लिये दी गई निम्न प्राथमिकता के कारण नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इंडियन नेशनल सैटेलाइट के सम्बन्ध में दूरदर्शन के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिये इसको उपयोग करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों लिए की के गई नौकरियों की संख्या

10804. डा. वसन्त कुमार पन्डित : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-1977 और 1978 में कितने भूतपूर्व-सैनिक सेवानिवृत्त हुए ;

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों में इनमें से कितने सैनिकों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण भूतपूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षित बड़ी संख्या में रिक्त स्थान नहीं भरे जा सके ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) वर्ष 1976, 1977 और 1978 में सेवा-निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :—

1976	—	24,334
1977	—	33,946
1978	—	58,400

(ख) हमारी सूचना के अनुसार इन तीन वर्षों में जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार में लगाया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1976	—	19,785
1977	—	26,842
1978	—	18,488

रोजगार के लिए जिन भूतपूर्व सैनिकों का नाम रजिस्टर किया जाता है उनके बारे में आंकड़े उनके सेवा-मुक्त होने के वर्ष के अनुसार नहीं रखे जाते इसलिए यह सूचना इन तीन वर्षों में रोजगार पाने वाले कुल भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है।

(ग) जी, हां।

धारवाड़, गुलबर्गा और भद्रावती केन्द्रों से उर्दू कार्यक्रमों का प्रसारित किया जाना

10805 : श्री एफ. एच. मोहसिन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विशाल उर्दू भाषी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार धारवाड़, गुलबर्गा, भद्रावती और बंगलौर केन्द्रों से अधिक मात्रा में उर्दू कार्यक्रमों को प्रसारित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(ख) इस समय उर्दू कार्यक्रम के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : एक रेडियो स्टेशन के सेवा क्षेत्र में बोली जाने वाली विशेष भाषा में कार्यक्रम करने का निर्णय करने के लिए कई बातों में से भाषाई आबादी का भी विचार किया जाता है। कर्नाटक में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित उर्दू कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

(1) धाड़वाड़	—	40 मिनट साप्ताहिक
(2) गुलबर्गा	—	70 मिनट साप्ताहिक
(3) बंगलौर	—	60 मिनट साप्ताहिक
(4) भद्रावती	—	60 मिनट साप्ताहिक

(कभी-कभी आकाशवाणी बंगलौर से कुछ समारोहों के मुशायरों और उर्दू वार्ताओं के उद्धरण भी प्रसारित किए जाते हैं।)

इन केन्द्रों से उर्दू के कार्यक्रमों की वर्तमान मात्रा के बारे में पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

कोल्हापुर-महाराष्ट्र में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

10806. श्री आर. एस. माले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर को वहां एक दूरदर्शन केन्द्र तथा उपग्रह दूरदर्शन का एक रिले केन्द्र स्थापित करने हेतु छठी योजना में शामिल कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों को दूरदर्शन का लाभ कब से मिलने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) : दूरदर्शनकी छठी योजना के स्वीकृत प्रारूप में दूरदर्शन कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए इंडियन नेशनल

सैटेलाइट का उपयोग करने के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की तथापि, इस प्रकार के उपयोग की संभावना की जांच की जा रही है ।

मसर्स फाईजर द्वारा मैसर्स ड्यूमैक्स की शेयर पूंजी खरीदना

10807. चौधरी ब्रह्म प्रकाश : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ड्यूमैक्स से फाइजर नाम बदलने के बारे में 29 अगस्त 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 4765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर ने 30 लाख की अधिमान पूंजी (प्रीफरेंस कैपीटल) जारी करने के लिए मई 1978 में मैसर्स ड्यूमैक्स को आवेदन पत्र दिया था; क्या यह धनराशि देश में लाई गई थी, तथा ये शेयर विदेशी मुद्रा से खरीदे गए थे अथवा वे भारत में फाईजर की धनराशि से खरीदे गये थे ; और

(ख) उन दिनों विदेशी मुद्रा विनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत ये शेयर खरीदने की अनुमति दी गई थी और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) मैसर्स फाईजर कारपोरेशन पनामा ने मैसर्स ड्यूमैक्स प्राईवेट लिमिटेट में 30 लाख अधिमान राशि को जारी करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है किन्तु कथित कम्पनी में इक्यूटी शेयरों को 30 लाख राशि के जारी करने के लिए आवेदन पत्र दिया था । कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई को प्रस्तुत तारीख 4-8-58 के आबंटन को विवरणी के अनुसार 30,000 इक्यूटी (साधारण) शेयर, 100/- रुपये प्रत्येक के नकद पूर्ण प्रदत्त 25-7-58 को मैसर्स फाईजर कारपोरेशन, पनामा (जो मैसर्स फाईजर एण्ड कम्पनी इन्क, न्यूयार्क, अमेरिका की सहायक थी) को आबंटन किये गए थे । इसको जारी करने की सहमति पूंजी निवेश के नियंत्रक द्वारा दी गई थी, जो इस शर्त पर थी कि फाईजर द्वारा निवेश को प्रस्तावित 30,00,000 रु० की राशि का कम से कम 5 वर्षों के लिए प्रत्यवासन नहीं होना चाहिए । इन शेयरों को खरीदने की राशि विदेशी मुद्रा में लाई गई थी । फाईजर ने भी भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रक विभाग, बम्बई की विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित शेयरों के आबंटन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करली थी ।

नासिक में एक बिजली घर स्थापित किया जाना

10808. श्री बी० जी० हांडे : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नासिक जिले में एक बिजली घर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे समूचे बम्बई को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के किसी अन्य भाग के लिए भी इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) महाराष्ट्र में अब तक स्थापित बड़े बिजली घरों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) 210 मेगावाट की तीन विद्युत उत्पादन यूनिटें जोड़ कर नासिक ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार करना 1978-83 के विद्युत कार्यक्रम में शामिल है

और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से होने वाला विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र ग्रिड को दिया जाएगा। इस परियोजना का पहला यूनिट चालू कर दिया गया है। नासिक जिले में गिरना बांध पर एक छोटा जल विद्युत केन्द्र (2×3.5 मेगावाट) स्थापित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड/महाराष्ट्र सरकार ने अपने विद्युत कार्यक्रम में निम्नलिखित परियोजनाओं को शामिल करने के लिए परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ भेजी है :—

(1) उज्जनी ताप विद्युत केन्द्र	2×500 मेगावाट
(2) पार्ली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-4	1×210 मेगावाट
(3) पवना जल विद्युत केन्द्र	1×10 मेगावाट

(ग) महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित नहीं किया है और न स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुरा चरण-3 के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। तथापि, इस परियोजना के बारे में कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान में उन गांवों और जिलों के नाम जिनमें बिजली लगाई गई

10809. श्री लालजी भाई : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में उन गांवों और जिलों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों में केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से बिजली लगाई गई ; और

(ख) इस बारे में कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा क्या है ?

(ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान (31.12.1978 तक) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत राजस्थान में 3046 गांव विद्युतीकृत किये गये थे। विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विद्युतीकृत गांवों के नामों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) निगम द्वारा अनुमोदित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए व्यवस्था है जिसमें पम्पसेटों का ऊर्जन और कृषि/निम्न वोल्टता उद्योगों, घरेलू/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन दिया जाना और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था किया जाना शामिल है। गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत इन मदों के संबन्ध में जो उपलब्धि हुई है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1976-77	**1977-78**	**1978-79 (31.12.78 तक)**
सिंचाई पम्पसेट/नलकूप	9011	9702	7569
कृषि/निम्न वोल्टता उद्योग	905	911	865
घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता	13622	13060	15761
स्ट्रीट लाइट	593	3407	2042

विवरण

1976-77, 1977-78 और 197-79 (31 दिसम्बर, 1976 तक) के दौरान राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकरण गांवों की जिला वार संख्या।

क्र० सं०	जिले का नाम	विद्युतीकृत गांवों को संख्या 1976-77 के दौरान	1977-78 के दौरान	1978-79 के दौरान (31.12.78 तक)
1.	अजमेर	86	47	30
2.	अलवर	59	68	48
3.	बांसवाड़ा	59	62	10
4.	भरतपुर	121	64	28
5,	भीलवाड़ा	53	98	11
6.	बीकानेर	—	—	3
7.	बूंदी	15	21	—
8.	चित्तौरगढ़	93	54	37
9.	चुरु	—	—	3
10.	डूंगरपुर	20	30	60
11.	जयपुर	73	162	6
12.	जालौर	15	31	12
13.	झुनझुनू	34	71	26
14.	झालावाड़	58	7	4
15.	जोधपुर	16	11	4
16.	कोटा	56	69	29
17.	नागौर	29	22	37
18.	पाली	99	114	31
19.	सवाई-माधोपुर	34	72	76
20.	सीकर	59	67	7
21.	सिरोही	58	92	12
22.	टोंक	24	22	—
23.	उदयपुर	113	139	75
	जोड़	1174	1323	549

जवानों की विधवाओं को दी गई पेंशन

10810. श्री केशवराव घोडगे : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय जवानों की कितनी विधवाओं को पेंशन दी जाती है ;

(ख) पेंशन के रूप में उन्हें प्रतिमास कितनी राशि दी जाती है ; और

(ग) क्या उक्त राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) जवानों की पेंशन पाने वाली विधवाओं की संख्या और उन्हें दी गई राशि के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ग) जी नहीं । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1-1-1973 से परिवार पेंशन की दरों में संशोधन किया गया था । तब से ही जीवन निर्वाह के बढ़ते हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें समय-समय पर सावधिक राहतें दी गई हैं ।

इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत

10811. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत कितनी है और क्या भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए कोई योजना और कार्यक्रम है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुन्डा) इस समय भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 14 कि. ग्रा. प्रति वर्ष है । वर्ष 1988-89 में देश की इस्पात की मांग के 165 लाख टन पहुंच जाने की संभावना है । इस मांग को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं । आशा है देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ जायेगी ।

फौज में शारीरिक स्वस्थता का स्तर

10812. श्री दौलतराम सारन : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फौज में भर्ती के लिए अधिकारियों तथा जवानों के संबन्ध में निर्धारित शारीरिक स्वस्थता स्तर क्या है ;

(ख) क्या जवानों की अपेक्षा अधिकारियों के लिए निर्धारित स्तर निम्न हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जवानों के संबन्ध में शारीरिक स्वस्थता स्तर उनकी जातियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अफसरों और थल सेना में अन्य रैंकों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंडों का ब्योरा संलग्न विवरणऔर 2 में है।

2. अफसरों और जवानों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंडों में अन्तर है। अफसरों के लिए, जिन्हें किसी विशेष जाति समूह से संबन्धित किए बिना अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किया जाता है, निर्धारित शारीरिक मापदंड उनकी आयु और कद से संबंधित होते हैं। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड उनकी अपनी जाति-विशेषताओं, जो मानव जातीय अध्ययन पर आधारित होती हैं, से संबन्धित होते हैं।

विवरण-एक

थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक मापदन्ड—अन्य रैंक

जाति समूह/क्षेत्र	शारीरिक मापदन्ड		
	कद से. मी.	छाती से. मी.	वजन कि. ग्राम
(क) अहीर, गुजर, जाट, राजपूत, सिख (मजहबी और रामदासी से भिन्न)	170	79	53
(ख) बंगाली और उड़िया	166	78	51
(ग) बिहारी	166	78	50
(घ) दक्षिण भारतीय वर्ग			
(i) तमिल नाडु और केरल	164	78	54
(ii) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	162	77	50
(ङ) मराठा/महार, गुजराती, डोगरा, भारतीय नागरिकों से भिन्न	164	78	50
(च) सिख (मजहबी और रामदासी)	167	78	50
(छ) कुमाउनी	163	78	49
(ज) आदिवासी	160	77	48
(झ) भील, गोंड, संथाल	159	78	48
(ञ) गढ़वाली	160	79	50
(ट) मीणा, बुन्देल, लद्दाखी	155	78	50
(ठ) आसामी	157	78	50
(ड) गोरखा आधिवासी	157	77	48
(ढ) गोरखा नेपाली, भूटानी भोटिया, सिक्किमी नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और मेघालय के स्थानीय लोग	154	78	50
(ण) अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह			
(i) बसे हुए लोग	162	78	50
(ii) स्थानीय	152	78	50

विवरण-दो

शारीरिक माप दंड-अफसर

ऊंचाई	वजन	छाती
न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 157.5 से. मी. है	आयु, ऊंचाई और वजन के बीच संबन्ध स्थापित करने वाली सारणी इस प्रकार है—	छाती सुगठित और उसका विकास कम से कम 5 से. मी. तक होना चाहिए।

ऊंचाई	आयु के अनुसार औसत वजन (कि. ग्राम)				
	15-16	16-17	17-18	18-19	19 और अधिक
157.5.165	45.5	47.5	49	50	51
165.172	49	52.5	54	55	56
172.178	54	56	58	59	60
178.183	58	60	63	64	65

टिप्पणी—ऊंचाई और आयु के संबन्ध में वजन का सही-सही मान निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए यह सह-संबद्ध करने वाली सारणी केवल एक मार्ग-दर्शक तालिका है और इसे सर्वत्र लागू नहीं किया जा सकता।

निरीक्षण नियन्त्रक (वाहन), अहमदनगर के विरुद्ध अभ्यावेदन

10813. श्री दुर्गाचन्द : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण नियन्त्रण (वाहन) अहमद नगर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सी. आई. बी. कर्मचारी यूनियन, अहमदनगर के अध्यक्ष से 12 दिसम्बर, 1978 का एक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. शेर सिंह) (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों का ब्यौरा इस प्रकार है—

(1) सी. आई. बी. के अधिकारियों/कर्मचारियों को नारी कल्याण समाज के लिए धन एकत्रित करने के काम पर लगाया गया था। चन्दे तथा उस उद्देश्य के लिए आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम के आधार पर एकत्रित धन का हिसाब नहीं मिलता।

(2) नियंत्रक ने कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स से एक अम्बेस्डर कार खरीदने में अपनी पदीय स्थिति का प्रयोग किया और उस कार को हिन्दुस्तान मोटर्स के खर्चे पर पंजीकृत करके अहमद नगर लाया गया।

(3) नियंत्रक ने अपने कार्यालय के कमरे को प्लाइवुड और सनमाइके से दिलहेदार बनवाया और स्थानीय खरीद अनुदान के पैसे से मौजूदा शौच कक्ष के अलावा एक और शौच कक्ष बनवाया ।

(4) सी. आई. बी. की दो यात्री कारें जो परीक्षण पर चलाई जा रही थीं नियंत्रक द्वारा निजी प्रयोग के लिए खासतौर पर तब इस्तेमाल की गई जब वे पुणे के एक अस्पताल में थे ।

(ग) अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है ।

कच्छ में तापीय विद्युत एककों के लिए प्रस्ताव

10814. **श्री एफ. पी. गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात बिजली बोर्ड ने गुजरात में कच्छ के स्थान पर 55-55 मेगावाट शक्ति के दो तापीय विद्युत प्रजनन एककों की स्थापना के लिए एक योजना का प्रस्ताव पेश किया था;

(ख) क्या तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर गुजरात बिजली बोर्ड को प्रस्तावित विद्युत केन्द्रों को कच्छ की बजाय काण्डला में स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने की सलाह दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने कोई पुनरीक्षित प्रस्ताव पेश किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. रामचन्द्रन), (क) और (ख) : जी हां,

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"ग्रेट गैम्बलर" फिल्म को रिलीज किया जाना

10815. **श्री कवरूलाल हेमराज जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई फिल्म उद्योग के एक फिल्म निर्माता श्री सी. बी. के. शास्त्री द्वारा निर्मित "दि ग्रेट गैम्बलर" फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कराने के बाद सिनेमाघरों में दिखायी जाने वाली है;

(ख) क्या इस फिल्म का न केवल नाम ही अशिष्ट है अपितु वास्तव में यह अश्लील है और भावी पीढ़ी को गुमराह करने वाली है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या मंत्रालय एक संसदीय समिति नियुक्त करके इस फिल्म को प्रदर्शन के लिए वितरित करने से पूर्व उससे इसकी जांच कराने को तैयार है तथा यह समिति कब तक नियुक्त की जायगी; और

(घ) क्या इस समय देश में गुण्डागर्दी/डकैती, असामाजिक तत्वों, महिलाओं से छेड़खानी को देखते हुए इस फिल्म की गम्भीरता से जांच कराना आवश्यक है और यदि हां तो क्या क्या इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) "ग्रेट गैम्बलर" नामक फिल्म के कुछ दृश्यों को काटने के बाद 15-3-1979 को 'ए' प्रमाण पत्र दिया गया था। फिल्म पहले ही रिलीज की जा चुकी थी।

(ख), (ग) और (घ) फिल्म सेंसर बोर्ड को चलचित्र अधिनियम के उपबन्धों और उनको जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यह सुनिश्चित करना होता है कि अश्लीलता, अभद्रता और अशिष्टता से मानवीय संवेदनशीलताओं को आघात न पहुंचे। बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणीकृत करने से पहले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आपत्तिजनक समझे जाने वाले दृश्यों को निकाल दिया गया था।

होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्न

उड़ीसा सरकार द्वारा ज्ञापन दिया जाना

10816. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में उड़ीसा की यात्रा की थी;

(ख) क्या उड़ीसा के लाभ के लिये उड़ीसा सरकार ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा रसायन उद्योगों की स्थापना तथा अन्य समस्याओं पर एक ज्ञापन दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

डेसू के कर्मचारियों द्वारा शंकर रोड स्थित कार्यालय से जीप तथा अन्य सम्पत्ति का चुराया जाना

10817. श्री मोहसिना किदवई : क्या **उर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ कर्मचारियों को राजधानी में शंकर रोड स्थित कार्यालय के परिसर से एक जीप तथा अन्य सम्पत्ति चुराने के लिये मुअत्तिल कर दिया गया है;

(ख) क्या इस मामले में पूरी जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समय पहले जनेरेटर चुराये थे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) (क) से (ग) : जी हां। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्रारंभिक जांच की गई है; राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है।

(घ) मुअत्तिल कर्मचारियों का संबंध केवल चुराई गई जीप के मामले से ही है।

बिहार में कटिहार में तापीय बिजली घर

10818. श्री युवराज : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में देश के अन्य भागों की तुलना में बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता सबसे कम है;

(ख) क्या बिहार विधान सभा ने 7 या 8 वर्ष पहले सर्वसम्पत्ति से एक संकल्प पारित करके सिफारिश की थी कि कटिहार में तापीय बिजली घर स्थापित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो बिहार विधान सभा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में कटिहार में तापीय बिजली घर कब तक स्थापित किया जाएगा और यदि इसे स्थगित नहीं किया जाएगा तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) (क) से (ग) : उत्तरी बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 16 यूनिट है जो कि देश की न्यूनतम खपतों में से एक है ।

उत्तरी बिहार तथा उत्तरी बंगाल की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये कटिहार में 2×110/120 मेगावाट के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिये बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने मई, 1971 में भूतपूर्व केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध) की एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । कटिहार में नये ताप विद्युत केन्द्र लगाने के बजाय एक अधिक मितव्ययी प्रस्ताव के रूप में, बरौनी ताप विद्युत केन्द्र में 110 मेगावाट के एक अतिरिक्त यूनिट को प्रतिष्ठापना करने की स्वीकृति अगस्त, 1972 में दी गई थी। उसके बाद, कटिहार ताप विद्युत स्कीम के प्रस्ताव के बारे में बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

कटिहार में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के बारे में कोई नया प्रस्ताव बोर्ड से प्राप्त् नहीं हुआ है ।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में वितरण कार्य करने के लिये हरिजनों के आवेदन-पत्र

10819. श्री ए. मुरुगेसन : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेको, यूरिया के वितरण का कारोबार करने के लिये नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हरिजनों से मिले आवेदन-पत्रों पर उनके हित में विचार नहीं किया गया है; यदि हां, तो क्यों और कितने हरिजनों ने आवेदन किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय वितरण कार्य में कितने हरिजन लगे हुए हैं; और

(ख) क्या हरिजनों को ठेके देने में कुछ रियायत दिखाने की सरकार की नीति है और यदि हां, तो क्या इसे नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में क्रियान्वित किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विद्यमान नीति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लेको और यूरिया का वितरण करने के लिए स्टाकिस्टों की नियुक्ति हेतु हरिजन आवेदकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्टाकिस्टों की नियुक्ति वाणिज्यिक आधार पर की जाती है, जैसे—वित्तीय स्थिति, व्यापारिक अनुभव, आवेदक

के पास विपणन की सुविधाएं होना, आदि। वितरण कार्य आदि में लगे हरिजनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सूचना उस आवेदन पत्र में शामिल नहीं है जो, नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा वितरण के ठेके देते समय भरने के लिए निर्धारित किया गया है।

जामनगर में भेंसाण-सोरठ में 66 किलोवाट क्षमता वाले बिजली केन्द्र की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

10820. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ जिले में भेंसाण-सोरठ में 66 किलोवाट क्षमता वाले बिजली के एक सब-स्टेशन की स्थापना करने के लिये गुजारत विद्युत बोर्ड और गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है; और उसका मजमून क्या है;

(ग) भेंसाण-सोरठ में 66 किलोवाट क्षमता वाले सब-स्टेशन की स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। जूनागढ़ जिले में भेंसाण में 66 के. वी. क्षमता वाले उपकेन्द्र की स्थापना के लिये गुजरात बिजली बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मार्च, 1979 में प्राप्त हुई थी। भेंसाण में 66 के. वी. क्षमता के उपकेन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में 1×5 एम. वी. ए., 66/11 के. वी. ट्रांसफार्मर और सबम्द्ध टर्मिनल बे की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है।

(ग) 1983-84 तक।

(घ) लागू नहीं होता।

कीटनाशी औषधियों के मूल्य

10821. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में कीटनाशी औषधियों अर्थात कार्बोफाइल 50 प्रतिशत पोटेबल, कार्बोनिल उस्ट 10 प्रतिशत, इंडोसल्फन 35 ई. सी. एक लीटर, इंडोसल्फन 4 प्रतिशत डस्ट के मूल्य क्या हैं और वर्ष 1977 और 1978 में इसके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और वर्ष 1979 में इस समय इसके मूल्य क्या हैं;

(ख) क्या इनके मूल्यों में वृद्धि की गई है अथवा की जा रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वृद्धि किये गए मूल्यों को कब और किस प्रकार कम किया जायेगा और किस सीमा तक।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

पंजाब में कुकिंग गैस के विक्रेता

10822. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :
चौधरी बलबीर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में जिला मुख्यालय में भी कुकिंग गैस के लिये कोई विक्रेता नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में ऐसे कितने जिले हैं और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इन जिलों में कुकिंग गैस की डीलरशिप देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय पंजाब राज्य में कुछ जिला मुख्यालयों में खाना पकाने की गैस का विपणन नहीं हो रहा है।

(ख) खाना पकाने की गैस का इस समय निम्नलिखित आठ जिला मुख्यालयों में विपणन नहीं किया जा रहा :—भटिण्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, रोपड़ और संगरूर।

(ग) वर्ष 1980 के आसपास देश में खाना पकाने की गैस की बड़ी मात्रा में प्रत्याशित उपलब्धता के साथ निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हुए खाना पकाने की गैस का वितरण उस समय उन क्षेत्रों में भी करना संभव हो जायेगा जहां इस समय उसका वितरण नहीं किया जाता :—

(1) प्रत्याशित उपभोक्ता संख्या
(2) सप्लाई स्थान से बाजार की निकटता
(3) सुरक्षित/सुविधाजनक यातायात संसाधन की उपलब्धता
(4) वितरण उपस्कर का अधिकतम प्रयोग
(5) संचालन कार्य की व्यवहार्यता।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए रूसी सहायता

10823. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाना रूसी सहायता और सहयोग से तैयार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए करार पर हस्ताक्षर कब किये गये थे;

(एक) अन्तिम करार पर हस्ताक्षर कब किये गये थे ;

(दो) किस रूसी फर्म के साथ अन्तिम करार किया गया था ;

(तीन) रूसी फर्म ने उपकरणों तथा ड्राइंगों की सप्लाई कब की और कितनी की; और

(ग) क्या रूसी फर्म ने मशीनों तथा ड्राईंगों की सप्लाई में कोई बिलम्ब किया?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पारदीप में फास्फोरिक उर्वरक कारखाने की स्थापना

10824. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित पारादीप में 120 करोड़ रुपये की लागत के फास्फोरिक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) यह प्रस्ताव कब लागू किया जायेगा और (दो) इस प्रयोजन के लिये कच्चा माल कब आयेगा,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पारादीप में कम्पलेक्स उर्वरकों के रूप में पी$_2$ ओ$_5$ के 3,00,000 मी. टन उत्पादन करने वाले एक फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ कच्चे माल के स्रोत, सप्लाई आदि होंगे, तैयार की जा रही है।

कोकिंग कोल की अनियमित सप्लाई के कारण पिण्ड लौह तथा इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ना

19825. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकिंग कोल और बिजली की कमी अथवा अनियमित सप्लाई के कारण पिण्ड लौह और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 और 1978-79 में कम हुए उत्पादन की मात्रा और इसका मूल्य क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : वर्ष 1977-78 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड तथा विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन टन तथा 68 94 लाख टन था। यह उत्पादन वर्ष 1976-77 के उत्पादन से क्रमशः 4,000 टन क्रमशः 84.24 लाख और 28,000 टन कम था।

वर्ष 1978-79 में इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन 81.53 लाख टन और विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन 65.92 लाख टन हुआ। यह उत्पादन वर्ष 1976-78 के इस्पात पिण्ड के उत्पादन से 2,71,000 टन तथा विक्रय इस्पात के उत्पादन से 3,02,000 टन कम था।

वर्ष 1977-78 और 1978-79 में कई कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मुख्य कारण इस प्रकार थे :—

मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले की आपूर्ति की समस्याएं, बिजली की आपूर्ति में कमी तथा प्रायः रुकावटें/घट-बढ़, कुछ कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, सितम्बर, 1978 में पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व वर्षा हुई तथा बाढ़ आई, परिणाम-स्वरूप कोयले के क्षेत्रों तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बाढ़ आ गई तथा रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा और यातायात की कठिनाइयों के कारण वर्ष 1978 में कुछ कारखानों में कुछ कच्चे माल की स्थिति चिन्ताजनक रही।

एल्यूमीनियम का आयात

10826. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगनी मात्रा में एल्यूमीनियम का आयात करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितनी मात्रा में एल्यूमीनियम का आयात किया गया तथा इस वर्ष कितनी में मात्रा आयात किया जायेगा तथा कितने मूल्य का ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1978-79 में लगभग 38,000 टन एल्यूमीनियम धातु का आयात किया गया और वर्ष 1979-80 में 75,000 टन एल्यूमीनियम मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है। आयात का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा। अनुमान है यह लगभग 90 करोड़ रुपये के आसपास होगा।

त्रिपुरा में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की योजना

10827. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में (स्टूडियो और मूल स्टेशन) दूरदर्शन केन्द्र खोलने की कोई योजना बना रही है, जैसा कि फिरोजाबाद और बेपर तथा इलाहाबाद और इटावा के बीच है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) यह योजना कब तक बनायी जायेगी ;

(ग) जल्दी जल्दी नये दूरदर्शन केन्द्र खोलने में क्या कठिनाइयां हैं; और विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(घ) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं। तथापि, छठी योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में वाराणसी और राजस्थान में अजमेर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख), (ग) और (घ) : वित्तीय संसाधनों की कमी और देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी गई निम्न प्राथमिकता के कारण देश में नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने में कठिनाइयां हैं।

कार्यक्रमों के लिए प्रोडक्शन स्टाफ का पर्याप्त संख्या में न होना

10828. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोडक्शन स्टाफ (जैसे केमरामैन, प्रोड्यूसर और ट्रालीमैन) के पर्याप्त संख्या में न होने के परिणामस्वरूप कार्यक्रमों की किस्म और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके विचारार्थ प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या प्रोडक्शन स्टाफ में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ट्रांसमिशन की अवधि में कमी की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) प्रोडक्शन स्टाफ की कमी से दूरदर्शन कार्यक्रमों की किस्म और मात्रा पर प्रभाव पड़ता है किन्तु इस कठिनाई के बावजूद स्तरों को बनाए रखने का निरन्तर प्रयास किया जाता है ।

(ख) केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्टाफ दिया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर प्रोडक्शन स्टाफ की संख्या में वृद्धि होगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के पैट्रोलियम विभाग के मंत्री तथा संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री के बीच बातचीत

10829. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके तथा संयुक्त अरब अमीरात के पैट्रोलियम विभाग के मंत्री के बीच विभिन्न क्षत्रों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए पारस्परिक सहयोग के बारे में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां तो किस प्रकार की बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के पैट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री के साथ चर्चा के दौरान आर्थिक सहयोग, जिसमें उर्वरक और औषध तथा भेषज विषय सम्मिलित हैं, के लिए अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया । तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों, जो कि इस समय जारी हैं, के पूरा होने पर इन मामलों पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा ।

दूरदर्शन के नैमितिक कैमरामैनों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियां दिया जाना

10830. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशालय द्वारा 1977 में आयोजित साक्षात्कारों और चयन के आधार पर दूरदर्शन में मार्च, 1979 में नियुक्त किए गए नैमितिक कैमरामैनों को उनको नियुक्ति देने में विलम्ब के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में तथा इस तथ्य को देखते हुए कि 1977 में हुए इस साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गई सूची में सम्मिलित कैमरामैनों को 1988 में नियुक्त कर लिया गया था, एक अथवा दो अतिरिक्त वार्षिक वृद्धियां देने का है ; और

(ख) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की सेवा (और कुछ मामलों में दो वर्ष) पूरी करने के बाद निर्धारित वेतनमान में अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करता है । नियुक्ति में देरी की पूर्ति के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने का प्रश्न नहीं उठता ।

डी० डी० टी० की मांग

10831. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डी० डी० टी० का कितनी मांग है और डी० डी० टी० का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) यदि कोई कमी है तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ और कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं,

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1979-80 के दौरान कृषि और स्वास्थ्य कार्यक्रमों दोनों के लिए डी. डी. टी. की कुल मांग 10,4000 मी टन होगी । इस अवधि में इस मद के देशीय उत्पादन ने 4,200 मी० टन होने की आशा है ।

(ख) हिन्दुस्तान इन्सैक्टी साइड्स लि० (एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम) प्रति वर्ष 5000 मी० टन डी. डी. टी. के निर्माण के लिए एक और संयंत्र लगा रहा है । इस संयंत्र के 1980 में चालू होने की आशा है ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की क्रियान्विति के पीछे रहने वाले राज्यों के नाम

10832. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की क्रियान्विति में वर्ष 1978 से पीछे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) फरवरी, 1979 तक की अवधि के लिए राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि 1978-79 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कुछ राज्यों में विशेषतया आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रहा है। सभी राज्यों से मार्च, 1979 तक की प्रगति की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति होने के मुख्य कारण हैं— निर्माण सामग्रियों जैसे संवाहकों, लाइन सपोर्टों, इत्यादि की कमी और भयानक बाढ़ें आने से देश के बहुत से भागों में सड़क/रेल परिवहन का अस्त-व्यस्त हो जाना।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा अनुसूचित जातियों के लोगों से एल. पी. जी. एजेन्सियों के लिए आवेदन पत्र

10833. श्री एस.एस. लाल : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल. पी. जी. एजेन्सियों के लिए युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के और अनुसूचित जातियों के लोगों से बहुत से आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए काफी लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें एजेन्सी कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्तमान मार्गदर्शी नीति के अनुसार सभी प्रकार की 25% डीलरशिप/एजेन्सियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को, 2% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तथा शेष 73% वाणिज्यिक आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं सहकारी सोसायटियों और एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को दी जाती हैं।

डीलरशिपों/एजेंसियों की नियुक्ति तेल कंपनियों द्वारा प्रेस विज्ञापन जारी करके प्रार्थना पत्र मांग कर की जाती है। केवल इन विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है। डीलरों का चयन कार्य समाप्त हो जाने के बाद शेष बचे हुए प्रार्थना पत्रों को निपटाने के लिए लम्बित नहीं माना जाता क्योंकि वे रद्द किये गये समझे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले केन्द्र

10834. श्री पीयूष तिरकी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां से आदिवासी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं ;

(ख) आदिवासी भाषाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक भाषा को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है;

(घ) देश के आदिवासी क्षेत्रों में कोई आकाशवाणी केन्द्र है जहां से समस्त कार्यक्रम आदिवासी भाषाओं में प्रसारित होते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

जबकि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों के अधिकांश कार्यक्रम आदिवासी भाषाओं में होते हैं, अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषा के समाचार बुलेटिनों, अखिल भारतीय कार्यक्रमों को रिले करने तथा गैर-आदिवासी भाषा के मनोरंजन कार्यक्रमों को प्रसारित करने की आवश्यकता के कारण ये पूर्णतया ऐसे नहीं होते ।

विवरण

केन्द्र का नाम	आदिवासी भाषा का नाम	प्रति सप्ताह औसत अवधि घं. मि.
1. अगरतला	त्रिपुरी (कोक-बोरोक)	5-15
2. एजवाल	मिजो	6-5
	ह्मार	9-45
	चकमा	1-35
3. अम्बिकापुर	सुगीजिहा	6-25
	ओरांव	2-10
4. भोपाल	गोंडी	
	भिली	
	ओरांव	0-5 प्रत्येक
	कुरकी	
5. कलकत्ता	संथाली	3-30

6. कालीकट	महल	3-30
7. डिब्रूगढ़	आदी	3-30
	आप्टानी	2-20
	इदु-मिश्मी	2-20
	निशि	2-20
	नौकटे	2-20
	टांग्सा	2-20
	वांचु	2-20
	भिरि	1-10
	देवरी	0-5
8. गौहाटी	बोढ़ो	3-30
	कर्वी	3-30
	मिचिंग	0-15
	राभा	0-15
	गारो	5-15
	खासी	5-50
	जयन्तिया	2-55
	मिजो	8-45
9. इम्फाल	थाडो	3-30
	तंगखुल	3-30
	कबुई	2-20
	माओ	2-20
	पैंटे	2-20
	ह्मार	1-30
	वायफेई	1- 0
	मारिंग	1- 0
	अनल	0-45
	कच्चा-नागा	0-15
	जोऊ	0-15
	कोम	0-15
	ऐमोल	0-7.5
	मिजो	0-7.5
	गंगटे	—वही—
	मरम	—वही—
	सिम्टे	—वही—
	चिरु	—वही—

		छोठे	—वही—
		लमकंग	—वही—
		मेंयों	—वही—
		कौसंग	—वही—
		कौइरेंग	—वही—
10.	जगदल पुर	हालवी	6-45
		गोंडवी	0-21
		ओरांव	0-21
11.	इंदौर	भिली	0-7
		मालवी	1-45
12.	जैपोर	मत्रा	0-7.5
		गोडबा	0-7.5
		कंघा	0-7.5
		वमा	0-4
		मुंडा	0-7.5
		गोंड	0-7.5
		साबरा	0-4
		जुआंगो	0-4
		कोचा	0-15
		सौरा	0-15
		पराजा	0-15
		करामा	0-4
		गुनिरू	0-7.5
		भूमिया	0-4
		हलवा	0-4
		कोया	0-15
		बोंडा	0-4
13.	कुरसियोग	तिब्बतियन	5-15
		सिक्किमीज	3-30
		भूटानीज	1-45
		लैप्वा	0-26
14.	नागपुर	गोंडी	0.19
15.	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार)	निकोबारी	3-30
16.	पासीघाट	आदी	0-25

17.	राँची	ओरांव	0-5
		हो	0-5
		संथाली	0-5
		मुंडरी	0-5
		खैरिया	0-5
18.	रींवा	गोंडी	0-15
19.	शिमला	लाहौली	0-45
		स्निथि	0-45
		किन्नरी	1-00
		पंगवाली	0-30
20.	सिलचर	डिमसा	3-30
21.	शिलांग	खासी	1-10
		गारो	1-10
		जयन्तिया	0-40
		मिजो	0-10
22.	सम्बलपुर	किसान ओरम सादरी मुंडा धाब करभा गुदारी परजा	0-30 प्रत्येक
23.	सिल्लीगुड़ी	टोटो मेंच रवा भूटिया मुंडा	0-10 बहुधा
24.	तेजू	खम्पति	3-30
		मिशिमी	3-30
25.	उदयपुर	बगाडी	3-30

26.	त्वांग	शेदुंकपैन	
		खवा	
		भंगनी	
		मिजी	
		निशि	अप्राप्त
		खम्पा	
		आदी	
		आपतानी	
		खम्पति	
		तागिन	
		बोडो	
		नागा	
		पैमाकोआ	
		खासी	
		गारो	
		सिम्फे	
		पद्‌म	
		मिजा	
		दिगारू मिश्मी	उपलब्ध नहीं
		लेप्चा	
		मोन्पा	
		तिब्बतियन	
		कुक्की	
		इन्दु मिश्मी	
27.	कोहिमा	संगतम	1-45
		कोन्याक	—वही—
		फोम	—वही—
		चांग	—वही—
		जेल्यांग	—वही—
		यिमचुंगुर	—वही—
		कुकी	—वही—
		आओ	2-48
		सेमा	—वही—
		लोठा	—वही—
		रंगमा	—वही—
		चाखेसंग	—वही—
		हंगामी	2-55
		क्षणभुंगन	0-20
		कोचुरी	0-10
		काचरी	0-10

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

10835. श्री पीयूष तिरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) पिछले कितने रिक्त पद अभी विद्यमान हैं ; और

(घ) उन रिक्त पदो को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान इस्पात संयंत्रों में खराबियां आना और श्रमिक समस्याएं उत्पन्न होना

10836. श्री विजय कुमार एम. पाटिल :
श्री भान कुमार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कितनी बार खराबियों के कारण काम बन्द हुआ और कितनी बार श्रमिक समस्यायें उपस्थित हुई,

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने उत्पादन की हानि हुई, और

(ग) संयंत्र में खराबियां आने के क्या कारण हैं और भविष्य में श्रमिक समस्याओं और संयंत्र में खराबियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक गृहों के विरुद्ध मामले

10837. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों के उन एककों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत मामले हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में उनमें से कितने एककों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और उनके विरुद्ध दिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) : एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत बड़े अद्योगिक घरानों की एककों जिनके विरुद्ध एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामले आयोग के पास जांच के लिए अनिर्णीत हैं, को प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 की अवधि में एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों के लिए अधिनियम के अध्याय VIII के अन्तर्गत अवश्यंभावी कार्यवाहियों के लिए किसी भी उपक्रम को दोषी नहीं पाया गया था। तथापि, एकाधिकार एवं निबंन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत दो मामले अधिनियम की धारा 26(1) के अन्तर्गत उपक्रमों को पंजीबद्ध करने में असफल होने पर मैट्रोपोलिटन, मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

विवरण

एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनिमय की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत औद्योगिक घारानों के वे एकक, प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र जिनके मामले, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष अनिर्णीत है।

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	प्रारम्भ जांच करने/ निर्देश प्राप्ति की तारीख	धारा, जिसके अन्तर्गत जांच संस्थापित की	टिप्पणी
1.	मै० जियाजीराव काटन मिल्स लि०	22 मई, 1974	27	आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत रोक दी गई।
2.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	30-11-1973	10(क) (4)	उत्तर वादी सं. 2 द्वारा बम्बई उच्चन्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका के कारण कार्यवाहियां रोक दी गई। आयोग ने उत्तर वादी सं. 1 की रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले केविरुद्ध एक अपील दायर कर दी है। रिट याचिका समाप्त कर दी है एवं अपील की अनुमति दे दी गई।

3. मै. निलेनि सिन्थेटिक्स लि०	30-11-1973	10(क) (4)	उत्तरवादी सं. 2 द्वारा बम्बई उच्चन्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका के कारण, कार्यवाहियां रोक दी गई। आयोग ने उत्तरवादी सं. 1 की रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी है एवं अपील की अनुमति दे दी गई है।
4. मै. रेमन्ड वूलन मिलस लि.	6-12-1974	,,	बम्बई उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है तब तक कि कम्पनी द्वारा प्रस्ताव अपील की सुनवाई न हो।
5. मै. इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्यूफैक्चर्स (इण्डिया) लि.	`2-2-1975	10(क) (3)	बम्बई उच्च-न्यायालय ने कार्यवाहियों पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक कि एक उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का निपटारा हो।
6. मै. फिलिप्स इण्डिया लि.	,,	,,	,,
7. मै. जनरल इलैक्ट्रिक लैम्प इण्डिया लि.	,,	,,	,,
8. मै. क्राम्टन ग्रीव्स लि.	22-2-1975	10(क) (3)	बम्बई उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों पर जब तक रोक लगा दी है, तब तक कि एक उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का निपटारा न हो।
9. मै. जनरल इलैक्ट्रिक लि. कम्पनी आफ इण्डिया लि.	,,	,,	,,
10. मै. फिलिप्स इण्डिया लि.	,,	,,	,,

11. मै. बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि.	22-2-1979	10(क) (3)	बम्बई उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों पर जब तक रोक लगा दी है, तब तक कि एक उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का निपटारा न हो।
12. मै. जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लि.	,,	,,	,,
13. मै. औरियन्टल पावर कैबिल्स लि.	22-4-1975 / 3-5-1975	10(क) (4)	एक उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के कारण कार्यवाहियां रोक दी गई हैं।
14. मै. कैबिल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	,,	,,	,,
15. मै. सीमेन्स इण्डिया लि.	,,	,,	,,
16. मै. इण्डियन आक्सीजन लि.	10-2-1976	,,	कार्यवाहियां अन्तिम प्रक्रम पर है।
17. मै. जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि.	19-10-1976	10(क) (3)	,,
18. मै ऊषा सेल्स (प्रा.) लि.	,,	,,	,,
19. मै. इण्डियन एलिमिनियम क. लि.	24-11-1976	10(क) (4)	कार्यवाही बहस के स्तर पर है।
20. मै. ग्वालियर रैयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग	31-12-1976	10(क) (1)	,,
21. मै. साऊथ इण्डिया वैस्कोस लि.	,,	,,	,,
22. मै. यूनियन कारबाइड इण्डिया लि.	2-2-1977	10(क) (4)	,,
23. मै. न्यू इण्डिया इन्डस्ट्रीस लि.	9-2-1977	,,	,,
24. मै. कैलोराइड इण्डिया लि.	26-2-1977	10(क) (4)	,,
25. मै. लोक्स इण्डिया सर्विसस (प्रा.) लि.	,,	,,	,,
26. मै. हैदराबाद एसबसटोस सिमेन्ट प्रोडेक्टस लि.	4-4-1977	,,	,,

27. मै. अशोक ले लेन्ड लि. एण्ड एववैस्टान	30-4-1977	10 (क)(4)	कार्यवाही बहस के स्तर पर हैं।
28. मै. सिमेंट लि.	17-6-1977	,,	,,
29. मै. हैदराबाद एसबसटोस सिमेंट प्रोडक्स	,,	,,	,,
30. मै. रोहतास इन्डिसट्रीज लि.	,,	,,	,,
31. मै. साऊथरन एसबंस-टोस सिमेंट लि.	,,		,,
32. मै. कैलोराइड इंडिया लि.	29-6-1977	,,	,,
33. मै. डनलप इण्डिया लि.	11-11-1977	,,	,,
34. मै. कैलोराइड इण्डिया लि.	23-11-1977	,,	,,
35. मै. डी. सी. एम. कैमिकल्स वर्क्स	28-12-1977	,,	,,
36. मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	17-5-1978	,,	,,
37. मै. टाटा आयल मिल्स लि.	,,	,,	,,
38. मै. फिलिप्स इन्डिया लि.	20-5-1978	,,	,,
39. मै. मद्रास रबर फैक्टरी	5-6-1978	,,	,,
40. मै. गुड ईयर इण्डिया लि.	,,	,,	,,
41. मै. डनलप इन्डिया लि.	,,	,,	,,
42. मै. फायर स्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया (प्रा) लि.	,,	,,	,,
43. मै. हिन्दुस्तान फैरोड लि.	14-6-1978	,,	,,
44. मै. फायर स्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया (प्रा) लि.	24-6-1978	,,	,,

45. मै. गुड ईयर इण्डिया लि.	,,	10(क) (4)	कार्यवाही बहस के स्तर पर है।
46. मै. मद्रास रबर फैक्टरी लि.	24-6-1978	,,	,,
47. मै. धरंगादरा कैमिकल्स लि.	6-7-1978	,,	,,
48. मै. फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया (प्रा) लि.	,,	10(क) (2)	,,
49. मै. डनलप इण्डिया लि.	6-7-1978	,,	,,
50. मै. सिट टायरस आफ इण्डिया लि.	,,	,,	,,
51. मै गुड ईयर इण्डिया लि.	,,	,,	,,
52. मै. मद्रास रबर फैक्ट्री लि.	,,	,,	,,
53. मै. मोदी रबर लि.	,,	,,	,,
54. मै. ट्रैक्टर फार्मस इक्यूपमेंट लि.	17-7-1978	10(क) (3)	,,
55. मै. अल्टा लोबोटरीस लि,	19-7-1978	,,	,,
56. मै. मैसूर सिमेंटस लि.	22-7-1978	,,	,,
57. मै. फिलिप्स इण्डिया लि.	28-7-1978	,,	,,
58. मै. गैस्ट कीन विलियम्स लि.	17-8-1978	,,	,,
59. मै. बिम्टल बियरिंगस लि.	15-10-1978	,,	,,
60. मै बिम्टल बियरिंगस लि.	19-10-1978	,,	,,
61. मै. हाइचैस्ट डाईस एण्ड कैमीकल्स लि.	21-12-1978	10(क) (1)	,,
62. मै. यान्द्र प्रभा लि.	24-4-1978	10(क) (3)	कार्यवाहियां प्रारम्भिक स्तर पर है।

63. मै. मोदीपोन लि.	22-5-1974	21	जांच दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई।
64. मै. स्वदेशी पोलिटेक्स लि.	31-1-1979	21	अनिर्पित । आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 31-5-1979 तक बढ़ा दी है।

औषधियों सम्बन्ध निवेश तथा उत्पादन कमी

10838. श्री हरिराम मक्कासर गोदारा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में देश में औषधियों के सम्बन्ध में निवेश तथा उत्पादन में काफी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

10839. श्री यूवराज : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या भारतीय उर्वरकों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या उर्वरक उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरक उद्योगों के लिये एक पृथक बिजली स्टेशन की स्थापना करने सम्बन्धी योजना क्या है ताकि उर्वरकों की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सके और कीमतों को कम किया जा सके।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। दूसरी ओर कुछ वर्षों से सभी उर्वरकों के मूल्यों में काफी कमी की गई है।

(ख) जी, हां। प्रचलित यूनिटों में इस्टतम उत्पादन करके तथा नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने सम्बन्धी उपाय जारी हैं।

(ब) जबकि देश में उर्वरक संयन्त्रों के लिए अलग से बिजली स्टेशन की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है, कुछ यूनिटों में जहां बिजली की कमी, वाल्टेज बारम्बार घटने एवं बढ़ने सम्बन्धी समस्यायें हैं। अपने प्रोगाम के लिए विद्युत पैदा करने की सुविधाएं स्थापित की जा रही है ताकि नाजुक संयन्त्रों एवं उपकरणों की संकट कालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

जहां तक मूल्यों में कमी करने का सम्बन्ध है, स्थिति भाग (क) के उत्तर में पहले ही बताई गई है ।

मैसर्स रेनबेक्सी लेबोरेटरीज द्वारा डाक्सी साइक्लीन का उत्पादन

10840. श्री एस. एस. सोमानी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रेन-बक्सी लेबोरेटरीज ने एक नई जीवन रक्षक औषध डाक्सी साइक्लीन के उत्पादन हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा लक्षित खापत-दर की तुलना में उक्त फर्म का प्रति एकक उत्पादन में आक्सीटेटरासाइक्लीन की खपत दर क्या है ; और

(ग) क्या मैसर्स रेनबक्सी लेबोरेटरीज द्वारा उत्पादित बल्क ड्रग की लागत मैसर्स आई. डी. पी. एल. की लागत से कम होगी ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) मैसर्स रेन-बक्सी ने बताया है कि डाक्सीसाइक्लीन की प्रौद्योगिकी लगभग तैयार है और पाइलाट प्लांट उत्पादन अगस्त 1979 तक शुरू हो जायेगा ।

(ख) क्योंकि फर्म ने उत्पादन शुरू नहीं किया है, प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डिस्मिस्ड सर्विसमैन एसोसिएशन, केरल का अभ्यावेदन

10841. श्री सी. के. चन्द्राप्पन : **उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कई सौ लोगों के भाग्य के बारे में अन्तिम निर्णय लिया है जिनकी वर्ष 1976-78 के दौर सरकारी जांच रिपोर्टों के आधार पर रक्षा सेवाओं के विभिन्न विभागों से बर्खास्त कर दिया गया था तथा डिसमिस्ड सर्विस मैन एसोसिएशन, केरल स्टेट कमेटी, चोल, कन्नानूर जिनके मामलों के बारे में उनके मन्त्रालय को बार-बार अभ्यावेदन देता रहा था ;

(ख) उक्त एशोसिएशन ने अपने ज्ञापन में क्या मांगें की है ; और

(ग) सरकार उन मांगों को कहां तक पूरा करने की स्थिति में है ?

उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : एसोसिएशन ने यह मांग की थी कि केन्द्र और राज्यों द्वारा जांच किए जाने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जाए और 1960-77 के बीच इस जांच के आधार पर बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को बहाल किया जाए ।

इन मामलों की जांच की गई थी और एक विस्तृत समीक्षा के बाद यह देखा गया कि इन्हें दंडित किए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले । ये मामले जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर जिसे गृहमंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था, निर्णीत किए गए थे न कि रक्षा मन्त्रालय

द्वारा निर्धारित किसी विशेष प्रकिया के आधार पर। ऐसे मामलों की संख्या भी उतनी अधिक नहीं है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है, वस्तुत; यह संख्या बहुत ही कम है।

बल्क औषधियों के सारणीबद्ध वितरण के बारे म चावड़ा समिति की सिफारिशें

10842. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या चावड़ा समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि बल्क औषधियों के सारणीबद्ध वितरण से मूल्यों में वृद्धि होती है ; इस सम्बध में चावड़ा समिति द्वारा जिन बल्क औषधियों का अध्ययन किया गया उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में उसका निष्कर्ष क्या है ;

(ख) क्या एथाम्बुतोल और उनके अन्य औषधियों की कीमत में भारी गिरावट आई है जिनके बारे में ओ. जी. एल. के अन्तर्गत आयात के लिए खुली अनुमति थी और यदि हां, तो गत दो वर्षों में ओ. जी. एल. की कुछ चुनोंदा मदों के मूल्यों में कितनी तथा कितने प्रतिशत कमी हुई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सारणीबद्ध बल्क औषधियों की कीमतों के बारे में ब्यौरा उनकी मात्रा तथा कटौती प्रतिशतता क्या है और प्रत्येक वर्ष के अधिकतम तथा न्यूनतम आयात मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) संसद सदस्य श्री के. एस. चावड़ा की अध्यक्षता में पैंट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ख) यह सच है कि इथाम्बुटोल एच. सी. एल. के मूल्यों में गत तीस वर्षों से कमी हुई है। कमी की यह प्रवृत्ति वर्ष 1978-79 में इथाम्बुटोल को ओ. जी. एल. की सूची में शामिल करने से पहले स्पष्ट हो गई थी। अतः मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति और इस तथ्य में कोई सम्बन्ध नहीं है कि कुछ बल्क औषधियों को 1978-79 की आयात नीति में ओ. जी. एल. सूची में दर्शाया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरणीबद्ध बल्क औषधों के अधिकतम और कम से कम सी. आई. एफ. मूल्यों में अन्तर की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

औषध का नाम	1976-77 अधिक और कम सी. आई. एफ. मूल्यों में%अन्तर	1977-78 अधिक और कम सी. आई. एफ. मूल्यों में%अन्तर	1978-79 में अधिक और कम सी. आई. एफ. मूल्यों में%अन्तर
1	2	3	4
1. एमिडोपाइरिन	17.05	शून्य	3.52
2. एम्पीसिलीन एबहाइड	7.84	6.38	0.62
3 एम्पीसिलीन सोडियम	17.82	3.21	10.58
4. एम्पीसिलीन ट्राईहाईड्रेट	2.94	4.86	5.70
5. क्लोरनफेनिकोल पावडर	25.00	शून्य	शून्य
6. क्लोरमफेनिकोल पाल्मीटेट	अनुपलब्ध	31.58	15.27
7. क्लोरमफेनिकोल सोडियम सक्सीवेट	5.66	शून्य	17.65
8. क्लोरमफेनिकोल स्टीएरेट	3.91	शून्य	शून्य
9. क्लोरोक्वील फास्फेट	39.32	अनुपलब्ध	16.97
10. क्लोरक्वीन सल्फेट	34.80	अनुपलब्ध	शून्य
11. एरिथ्रोमाइसीन इथाइल सक्सीवेट	शून्य	कोई खरीद नहीं की गई	10.09
12. जेन्टामाइसीन	सरणीबद्ध नहीं है	—	14.07
13. इन्डोमेथासिन	2.50	कोई खरीद नहीं की गई	शून्य
14. मिथाइल डोपा	अनुपलब्ध	5.77	30.77
15. विटामिट बी-2	33.65	5.88	17.78
16. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	6.06	40.35	22.21
17. सल्फामेथाक्साजोल	सरणीबद्ध नहीं है	10.71	3.20
18. टेट्रासाइक्लीन एच. सी. एल.	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5.20
19. विटामिन बी-1 एच. सी. एल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25.49
20. विटामिन बी-2 (मोनो)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11.05
21. ट्राइमेथोप्रिम	सरणीबद्ध नहीं है	3.17	शून्य
22. एरिथ्रोमाइसीन स्टीएरेट	0.78	कोई खरीद नहीं की गई	कोई खरीद नहीं की गई
23. एनल्जिन	1.80		डी-कैनेलाइज्ड
24. कैल्शियम पैन्थोथिवेट	अनुपलब्ध	7.69	,,
25. सल्फामेथोक्सीपारिडाजाइन	अनुपलब्ध	29.63	,,
26. फुरसेमाइड	16.95	3.50	,,
27. डी. पैन्थोनोल	2.04	3.33	,,

1	2	3	4
28. पेन्थोलिल सल्फेथाजोल	6.06	अनुपलब्ध	डी. कैनेलाइज्ड
29. फेनोबारबिटोन	37.33	शून्य	"
30. सोडियम पेन्थोथिबेट	0.63	अनुपलब्ध	"
31. मेट्रोनिडाजोल	9.38	2.23	"
32. प्रेडनीसोलोन	अनुपलब्ध	2.04	"
33. कैफीन	31.54	16.57	"
34. प्रीनिलामाइन, लैक्टेट	अनुपलब्ध	शून्य	"
35. विटामिन बी-6	23.45	5.26	"
36. डाक्सीसाइक्लीन	सारणीबद्ध नहीं है	14.46	कोइ खरीद नहीं की गई
37. ग्रीसोफेलविन	सारणीबद्ध नहीं है	अनुपलब्ध	डी-कैनेलाइज्ड

"इस्को लुक्स एनेमिक" शीर्षक समाचार

10843. श्री बाला सहिाब विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 फरवरी, 1979 के "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" (बम्बई संस्करण) में आई. आई. एस. सी. ओ. लुक्स एनेमिक" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि आई. आई. एस. सी. ओ. पुराने और अप्रचलित उपकरणों तथा इसके संचालन-कार्य में कुप्रबन्ध के कारण संकटग्रस्त हो गया है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण कल पुर्जों के सप्लायरों को 3 करोड़ रुपये की राशि का अभी तक भुगतान किया जाना है और बिलों के भुगतान में विलम्ब होने से कल-पुर्जों के सप्लायरों ने सप्लाई को बन्द कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) जिस समय सरकार ने जुलाई, 1972 में इस्को का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था, उस समय पुरानी प्रोद्योगिकी, पुराने उपस्करों, रख-रखाव की कड़ी तथा सामान्य कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन का स्तर बहुत कम था। तत्पश्चात् तकनीकी तौर पर कारखाने को ठीक तौर पर चलाने के लिये संयंत्र पुनःस्थापन कार्यक्रम बनाया गया था, जो अब पूरा होने वाला है।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण स्टोर तथा फालतू पुर्जों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी था और संभारकों ने माल देने पर रोक लगा दी। अब स्थिति में सुधार हो गया है और कम्पनी द्वारा बिलों के भुगतान में विलम्ब में कमी करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों से ज्ञापन

10844. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों से कम्पनी के प्रबंधकों की कुछ गंभीर समस्याओं और अन्य संबंधित समस्याओं के बारे में दिनांक 30 अक्टूबर 1977 का एक ज्ञापन और व्याख्या पत्र तथा दिनांक 25 नवम्बर, 1977 का एक अनुवर्ती पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उठाई गई समस्याओं पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित प्रमुख मांग संस्था के कार्यों में अपनाए गये अनियमित ढंग के विरुद्ध उच्च स्तर पर जांच कराये जाने से संबंधित हैं।

(ग) कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और मामले पर सरकार सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

(घ) ऊपर (ग) में दिये गये अनुसार।

धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ई. सी. एल. के निरसा मुगेसा जोन के अधिकारियों में अनुशासनहीनता

10845. श्री ए. के. राय : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ई. सी. एल. के निरसा मुगेसा जोन के अधिकारियों के बीच व्यापक अनुशासनहीनता है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानांतरण के आदेशों का पालन नहीं किया गया है, बंगले खाली नहीं किये गये हैं और मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर कोयले के उत्पादन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, यदि हां, तो वर्ष 1978 के लिये तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : यह सही नहीं है कि स्थानांतरण आदेशों का पालन नहीं किया जाता। यह भी सही नहीं है कि उत्पादन से सम्बन्धित सूचना मंत्रालय द्वारा मांगी जाने पर नहीं दी जाती है। जहां तक बंगले खाली करने की बात है, बंगले आमतौर से कर्मचारियों के स्थानांतरण पर खाली कर दिए जाते हैं। किन्तु कुछ मामलों में प्रबंधमण्डल द्वारा अस्थायी अवधि के लिये कर्मचारियों को कार्य अपने पास बनाए रखने की अनुमति दे दी जाती है जो कि मामले के औचित्य पर निर्भर करती है। क्वार्टर रखने के आदेशों का उल्लंघन करके क्वार्टर रखने के एक मामले में दण्ड किराया वसूल किया जा रहा है।

केन्द्र निदेशकों के पदों के बारे में जांच

10846. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों के पदों के औचित्य के बारे में तत्काल जांच करने और समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को लगातार अस्थगित करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : गत वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि आकाशवाणी के वाणिज्य प्रसारण केन्द्रों में केन्द्र निदेशकों की तैनाती के औचित्य के सम्बन्ध में नये सिरे से विचार किया जाए। मंत्रालय के आंतरिक कार्य अध्ययन एकक को कहा गया था कि वह वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन करे। एकक ने गत वर्ष अध्ययन किया और पाया कि मौजूदा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। तथापि यह महसूस किया गया कि चूंकि वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों के कार्य अधिकतर व्यापारिक किस्म के हैं; प्रबन्धीय पहलू के अध्ययन के लिये कार्य प्रबन्ध परामर्शदाता के विशेषज्ञ को सौंप दिये जाएं. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनसे यह सलाह मांगी गई है कि इस प्रकार का अध्ययन किसे सौंपा जाए। इस प्रकार के अध्ययन होने तक यथास्थिति रखी जा रही है।

क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिये पाकिस्तान भेजा गया आकाशवाणी का एक स्टेशन डायरेक्टर

10847. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गये क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिये आकाशवाणी के एक स्टेशन डायरेक्टर को पाकिस्तान भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है और क्या उन्होंने पाकिस्तान में कुछ लोगों से किये गये साक्षात्कार रिकार्ड किये और यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके साक्षात्कार रिकार्ड किये गये;

(ग) क्या उन रिकार्डों को आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है, यदि हां, तो किस की अनुमति से और साक्षात्कार को रिकार्ड करने की अनुमति किसने दी थी;

(घ) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सांस्कृतिक समझौता विद्यमान है;

(ङ) क्या साक्षात्कार रिकार्ड करने के लिये भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार से अनुमति ली गई थी; और

(च) क्या साक्षात्कार के लिये कोई पारिश्रमिक दिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों की शृखंला को कवर करने के लिये कमेन्टेटरों की टीम के मैनेजरों के रूप में तथा आकाशवाणी के निर्देशन/सुपरवायजर स्टाफ को ऐसे देशों जहां कुछ विशिष्ट सेवायें निदेशित होती हैं, में यात्रा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए दो केन्द्र निदेशकों सर्व श्री के. के. नायर तथा एस. एन. कोल को भेजा गया था। श्री नायर सुविख्यात लेखकों, फिल्म आर्टिस्टों, गायकों, कवियों आदि के साथ भेंट वार्ताओं के कुछ रिकार्डिंग लाए; विवरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

(ग) जी, आकाशवाणी यह निदेशक की अनुमति से जिन्होंने इन कलाकारों की रिकार्डिंग करने की अनुमति दी।

(घ) जी, नहीं। तथापि, आकाशवाणी से पाकिस्तान को हाल के महीनों में भारत-पाक संबंधों को सामान्य बनाने के दृष्टिकोण कुछ रिकार्डिंगें सप्लाई की थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं। भेंट वार्ताएं बाहरी प्रसारण के रूप में रिकार्ड की गई थीं जिसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया गया था।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	
1-	मलिकी तरनुम-नूर जहान	(गायिका)
2-	फरीदा खनूम	(तथैव)
3-	गुलाम अली	(गजल गायक)
4-	मेहनाज	(पार्शव गायक)
5-	मो० अली	(पाकिस्तान का सर्वोत्तम फिल्म अभिनेता)
6-	नादीम	(फिल्म अभिनेता)
7-	सबीहा खनम	(प्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री)
8-	आगा तालिश	(प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता)
9-	निसार बजमी	(फिल्म संगीत निर्देशक)
10-	सैयद सुलेमान	(प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक)
11-	डा० अनवर सज्जाद	(प्रसिद्ध लघु-कथा लेखक)
12-	मुनीर नियाजी	(प्रसिद्ध उर्दू और पंजाबी कवि)
13-	किश्वर नाहीद	(कवयित्री, आलोचक और प्रधान सम्पादक 'माह-इ-नाऊ')
14-	कातिल शिफाई	(प्रसिद्ध उर्दू कवि और फिल्म गीतकार)

नई औषध नीति के अधीन अनधिकृत उत्पादन को नियमित करना

10848. श्री राघवजी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** 27 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औषध नीति के अधीन अनधिकृत उत्पादन को नियमित न करने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो अनधिकृत उत्पादन की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) बल्क औषधों तथा फार्मूलेशनों के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रकट किए गए उस अनधिकृत उत्पादन का ब्यौरा क्या है जिसकी सूचना सरकार को मिली है ;

(ग) क्या विधि मंत्रालय ने भी यह सूचना दी थी कि अनुमति पत्रों का कोई वैधानिक आधार नहीं है और ऐसे पत्रों का जारी किया जाना क्योंकि सरकार द्वारा वचन दिया जाना होता है, अतः यदि उनके वापस लिये जाने को अदालत में चुनौती दी गई तो सरकार को अपनी प्रतिरक्षा करना सम्भव न हो सकेगा ;

(घ) क्या सरकार ने इस दृष्टि से कि उक्त पत्रों का कोई वैधानिक आधार नहीं है, रद्द करने का निर्णय किया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी हां। जैसे कि 27 फरवरी 1979 के लोक सभा अता० प्रश्न संख्या 1180 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया था उत्पादन जो औद्योगिक लाइसेंस सी. ओ. बी. लाइसेन्स अनुज्ञापत्र डी. जी. टी. डी. पंजीकरण पत्रों आदि द्वारा प्राधिकृत नहीं होता है को अनाधिकृत उत्पादन माना जायेगा।

(ख) मैसर्स फार्म प्राइवेट लि० की औद्योगिक उपक्रम के अधिग्रहण करने के पश्चात् मैसर्स इंडिया शेयरिंग ऐसी मदों का निर्माण करते हुए पाये गये जो पहले मैसर्स फार्मड प्राइवेट लि० द्वारा ऋण लाइसेन्स के आधार पर निर्मित की जा रही थी उन्होंने दावा किया कि वे मैसर्स फार्मड प्राइवेट लि० के पंजीकरण प्रमाण पत्रों के प्राधिकरण के अन्तर्गत ऐसा कर रहे थे।

मैसर्स इण्डियन शेयरिंग भी वैध औद्योगिक लाइसेन्स के बिना निम्नलिखित चार नए फार्मूलेशन निर्माण करते हुए पाए गए थे।

1. जेटामाइसीन आंख/कान की बूंदें
2. जेटामाइसीन एच. सी. आंख/कान की बूंदें
3. जेटामाइसीन टीके
4. माइक्रोपेटिव

(ग) विधि मंत्रालय ने विचार व्यक्त किया है कि अनुज्ञा पत्रों का उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के खण्ड 11-क की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं माना जाएगा और नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए वे प्राधिकरण नहीं माने जायेंगे। उन्होंने यह भी राय दी है कि पार्टी जिन्हें अनुज्ञा पत्र दिये गए हैं जिन्होंने इनका अनुपालन किया है सरकार इसका समर्थन करने में

स्वतंत्र नहीं होगी कि उत्पादन अनाधिकृत है और वचन बद्धता निबन्धन के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उत्पादन को बन्द नहीं करवाया जाएगा ।

(घ) जी नहीं ।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटीकल्स लि० में पदोन्नति नियम

10849. श्री रामविलास पासवान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रबन्धकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अब तक कोई भी पदोन्नति नियम नहीं बनाए गए हैं और 16 वर्षों की नौकरी के बाद भी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति नहीं बनाई गई है;

(ख) यदि कुछ नियम बनाए गये हैं तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि कोई नियम नहीं बनाये गए हैं तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के संयन्त्र लगातार हड़ताली कर्मचारियों में असन्तोष और औद्योगिक असन्तोष से प्रभावित रहे हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अधिकारी वर्ग के लिए पदोन्नत्ति के नियम 1967 में सुनिश्चित किए गये थे और कम्पनी इनका अनुपालन करती है । जहां तक दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के ब्यूरो द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शक सिद्धांतों का कम्पनी अनुसरण करती है । इस सम्बन्ध में पदोन्नति की नीति का एक मसौदा यूनियनों को दिया गया है । जैसे ही नीति सुनिश्चित हो जाती है नियम बनाये जायेंगे । अन्तिम नीति पर निर्णय के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करके दी जायेगी।

(ख) किसी एक कम्पनी द्वारा अनुसरण किये जाने वाले पदोन्नति नियमों को सभा पटल पर रखे जाने की परम्परा नहीं है ।

(ग) जी नहीं।

इण्डियन ड्रग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए अधिकारियों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग

10850 श्री राम विलास पासवान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के केन्द्रीय कार्यालय के विपणन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा भर्ती नियमों का उल्लंघन करके वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता का अतिलंघन करके और अपने रिश्तेदारों की भर्ती करके शक्तियों का दुरुपयोग करने पर सरकार का ध्यान गया है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करेगी;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में जांच करने के बारे में अनेक संसद सदस्यों ने उनका ध्यान आकर्षित किया है और इस बारे में पत्र भी लिखे हैं और यदि हां तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई जांच की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनवरी, 1976 से जनवरी, 1979 की अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने और विज्ञापन जारी करके कितने कर्मचारी नियुक्त किये गए ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह सच है कि सरकार द्वारा श्री पी. डी. बहुगुणा जो आई. डी. पी. एल के मुख्यालय के विपणन प्रभाग में काम कर रहे हैं के कथित अधिक्रमण से सम्बन्धित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। अभ्यावेदन आई. डी. पी. एल. की परामर्श से जांचाधीन है।

(ख) यह भी सच है कि एक संसद सदस्य ने पैंट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री जी को उपरोक्त (क) में उल्लिखित मामले के संबंध में लिखा है, जो आई. डी. पी. एल. के परामर्श से जांचाधीन है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विकल्प

10851. श्री पी. एन. एम. सईद : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों के विकल्प, जिन्होंने विकल्प देने की निर्धारित तिथि के बाद अन्य मान्यता प्राप्त कम्पनियों के लिये विकल्प दिये थे स्वीकार कर लिये गये हैं जबकि बहुत से अन्य कर्मचारियों के विकल्प अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में एक समान नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) अन्य कर्मचारियों के विकल्प कब तक स्वीकार किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों से अन्य नई गठित कम्पनियों में स्थानान्तरण के लिए विकल्प जो निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किये गये थे को स्वीकार नहीं किया गया था। परन्तु कुछ व्यक्तियों को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन/फर्टिलाइजर (पी एंड डी) इण्डिया लि० में सामान्य तौर पर स्थानान्तरण होने की निर्धारित तिथि के बाद भी लिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक जानकारी प्राप्त व्यक्तियों के प्रबन्धाधीन प्रमुख कम्पनियों के उच्च अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र

10852. श्री जनार्दन पुजारी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावसायिक जानकारी प्राप्त व्यक्तियों के प्रबन्धाधीन प्रमुख कम्पनियों के उच्च अधिकारियों ने प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में कमी करने संबन्धी सरकार के अंतिम निदेश के कारण त्यागपत्र दे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिये हैं उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा को कम करने वाले संशोधित प्रशासनिक मार्गदर्शक नियम, पब्लिक लि. कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट लि. कम्पनियों जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों अथवा प्रबन्धकों पर लागू होते हैं। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केवल इस अधिनियम की धारा 204क तथा 314 (1-ख) के सीमान्तर्गत आने वाले कार्यकारियों को छोड़कर शेष के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता।

मैसर्स टाटा फिनले लिमिटेड, जहां, श्री एस. के. मेहरा के प्रबन्ध निदेशक के पद की पुनर्नियुक्ति तथा सर्वश्री आर. एन. देवगुण तथा एस. पुरी के कम्पनी के पूर्ण कालिक निदेशकों के पदों पर नियुक्त विभाग द्वारा, 5,000 रुपये प्रतिमास के वेतन तथा कमीशन और परिलब्धियों जो कम्पनी द्वारा मांगे गये अथवा पहले से अदा किये जा रहे, की बजाय कम थीं, पर पांच वर्षों के लिये, संशोधित मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत अनुमोदित की गई थीं, के मामले में ऊपर वर्णित तीनों व्यक्तियों ने सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों पर नियुक्ति को स्वीकार करने की अनिच्छा से कंपनी को अवगत कराया एवं कंपनी में कार्यकारियों के उन पदों पर प्रत्यावर्तित हो गये, जिन्हें कि वे कंपनी के निदेशक बनने के पहले धारण कर रहे थे। कंपनी से प्राप्त यह सूचना नोट करली गई कि ये व्यक्ति अब कंपनी के निदेशक नहीं हैं। अभी तक केवल यही एक उदाहरण है, जो सरकार की सूचना में आया है। संशोधित मार्गदर्शक नियमों के पुर.स्थापन के पश्चात् प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों के त्यागपत्रों के कुछ अन्य उदाहरण भी होंगे, परन्तु उनकी बाबत सूचना अभी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

कंपनी के कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को, प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों के बारे में सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत लाने के लिये, कंपनी अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का प्रश्न, सक्रिय विचाराधीन है।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० उद्योग मण्डल में पुरानी मशीन

10853. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. की मशीनें बहुत पुरानी हैं और दुर्घटनाओं की सम्भावनायें बहुत बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों के लिए यह खतरनाक हो गया है।

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. में हाल ही में एक दुर्घटना हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर को वर्तमान संकट से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने और केरल के सरकारी क्षेत्र के इस पुराने सन्यंत्र को स्वस्थ बनाने का विचार है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फैक्ट की उद्योग मण्डल यूनिट के कुछ संयंत्रों द्वारा पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के प्रयोग करते रहने के कारण संचालन कार्य किफायती न हो सका। परन्तु इन संयंत्रों की संचालन प्रक्रियायें श्रमिकों के लिए खतरनाक नहीं है।

(ख) जी, हां,। 18-3-1979 को उद्योगमण्डल के कम्पोजिट अमोनिया प्लांट में आग लगने की दुर्घटना हुई थी।

(ग) 18-3-79 को जब अमोनिया प्लांट में नैफ्था फार्म में से है टैंक नैफ्था निकाला जा रहा था तो नाप के लिए काम में लाये जाने वाले स्पाउट में आग लग गई। जब कुछ कर्मचारी टैंक में नैफ्था भरने वाले वाल्व को बंद करने गये ताकि टैंक से नैफ्था बाहर न निकले तो वे आग से घिर गये और उनमें चार की घातक चोट के कारण मृत्यु हो गई। कम्पनी ने अन्य बातों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए औपचारिक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है।

(घ) समिति जो फैक्ट की उद्योगमण्डल यूनिट की गतिविधियों में विविधिकरण लाने के लिए सभी सम्भव विकल्प सोचने तथा व्यवहार्य समापन की सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी द्वारा उद्योगमण्डल में केप्रोलेक्टम के निर्माण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी सुझाव दिया गया है। परियोजना के लिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट का अवलोकन हाथ में लिया गया है।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में बिजली की लाइनें

10854. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री भानुकुमार शास्त्री :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 19 पुनर्वास कालोनियों में बिजली की लाइनों पर तार डालने का ठेका केवल एक ही ठेकेदार को दिया गया है ;

(ख) ठेके के अनुसार कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और यदि निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं होता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) क्या सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनी में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए बिजली शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी, नहीं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अभी तक 8 पुनर्वास कालोनियों के संबंध में विद्युतीकरण स्कीमें चालू की हैं। इन सभी कालोनियों में अधिकतर कार्य विभाग द्वारा ही किया जा रहा हैं। तथापि 5 कालोनियों के

संबंध में कार्य का एक छोटा भाग तीन अलग-अलग ठेकेदारों को अलग-अलग तीन ठेकों में सौंपा गया है। दो ठेकों से संबंधित कार्य ठेकों में निर्दिष्ट समय के अनुसार ही पूरा हो चुका है। तीसरे ठेके के संबंध में कार्य पूरा करने का समय 10 मई, 1979 से दो महीने का है। यदि कार्य में देरी होती है तो ठेकेदार की ओर से चूक के लिए ठेके के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ग) सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनी में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के लिए विद्युतीकरण की एक आवश्यक स्कीम तैयार की जा रही है।

सीरे और रसायनों का उपयोग

10855. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न 21 चीनी मिलों और खांडसारी मिलों से प्राप्त अधिकांश सीरे का उपयोग सामान्यतः अल्कोहल तैयार करने में किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उससे अन्य रसायन तैयार करने का है जिससे कि इस कच्ची सामग्री का अधिकतम उपयोग हो सके और उसके मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी मिलों को भी लाभ हो; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। सामान्यतः शीरे को अल्कोहल में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) शीरे को सीमित परिसीमा तक जानवरों का चारा तथा रसायन तैयार करने और तम्बाकू चिकित्सा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। शीरे के मूल्यों को बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस जारी जिये जाने के बारे में लिखा गया लेख

10856. डा० राम जी सिंह : क्या **विधि. न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स तथा अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रो० राज कृष्ण द्वारा लिखित लेख की ओर दिलाया गया है जिससे उन्होंने यह सुझाव दिया है कि बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस जारी नहीं किये जाने चाहिये;

(ख) क्या सरकार सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये वास्तव में कटिबद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जनता सरकार ने गत दो वर्षों में बड़े औद्योगिक गृहों को कोई लाइसेंस जारी किये हैं, यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) संभवतः माननीय सदस्य, जनता पार्टी द्वारा स्थापित वृहद् घरानों पर 9 सदस्य तालिका के लिए प्रोफेसर राज कृष्ण द्वारा

प्रस्तुत नोट से सम्बन्धित दिनांक 10 अप्रैल 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार को निर्दिष्ट कर रहे हैं। यह समाचार सरकार के 'नोटिस' में आया है।

(ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के उपबन्धों का कार्यान्वयन, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निर्दिष्ट करता है, जिसमें साथ साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन, जनहित के विरुद्ध, आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणाम नहीं।

(ग) 1977 तथा 1978 के मध्य, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों को प्रेषित औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे दिखाते हुए विवरण-पत्र, अनुलग्नक 1 व 2 के रूप में संलग्न है।

ऊपर वर्णित विवरण-पत्रों में सम्मिलित मामलों के लाइसेंस, सरकार द्वारा प्रस्तावों की वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों की दृष्टि से रोगी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात प्रेषित किये गये थे।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 4485/79]

पन्डुब्बियों की खरीद में विदेशी कम्पनियों के निहित स्वार्थ

10857. **डॉ० रामजी सिंह** : क्या उप-प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1979 के "ब्लिट्स" में पनडुब्बियों की खरीद में विदेशी कम्पनियों के निहित स्वार्थ के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पनडुब्बियों के निर्माण में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा : और

(घ) एस. एस. के परियोजना की क्या प्रगति है ?

उपप्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : ब्लिटज में छपे इस समाचार के बारे में सरकार को जानकारी है।

इस बारे में तथ्य ये हैं कि एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय दल, जिसमें रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा; मझगांव डाक लिमिटेड का एक प्रतिनिधि है, इस समय यूरोप के देशों से प्राप्त पेश-कश का मूल्यांकन करने और संबंधित सरकारों तथा शिपयार्डों के साथ विचार विमर्श करने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है।

इस दल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कर रहे हैं और इस दल में अन्य व्यक्तियों के अलावा वित्त मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार भी है जो वित्त (रक्षा) संगठन के अध्यक्ष हैं।

इस संबंध में सरकार संबंधित मंत्रिमंडल के स्तर पर कोई फैसला करेगी।

इस विषय के स्वरूप और जिस स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए इस बारे में अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

एक या दूसरे देश के प्रति पक्षपात करने का आरोप निराधार है। इस दल का गठन परियोजना के हित में किया गया है और इस पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव पड़ने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

फर्टिलाइजर (प्लेनिंग एण्ड डेवेलपमेंट) इंडिया लि. में मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति

10858. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ० पी० डी० एल० सिन्द्री में एक साल के बाद भी अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है जबकि उसी समय बने अन्य चार कारपोरेशनों में उनके सृजन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टरों की नियुक्ति कर दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि भारत का यह प्रतिष्ठान खाद डिजाइन और इंजीनियरिंग में अग्रणी रहा है और इसके बावजूद इसे काम न देकर तथा इसके मेन मैनेजिंग डायरेक्टर की बहाली न कर इसे अकर्मण्य बनाया जा रहा है जिससे यह देश विदेशी तकनीकी का सदा गुलाम बना रहे; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है, तो सरकार इस प्रतिष्ठान के मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कब तक करेगी ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : उर्वरक के क्षेत्र में एफ० पी० डी० आई० एल० एक प्रमुख परामर्श देने वाला एक संगठन है। इस संगठन के नेतृत्व करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए व्यक्ति का चयन सावधानीपूर्वक किया जाय। सरकार की ओर से भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी, अभी तक उपयुक्त व्यक्ति न मिल सका। परन्तु चयन के लिए कोशिश जारी है और चयन के शीघ्र हो जाने की आशा है।

(ख) एफ. पी. डी. आई. एल. में उपलब्ध सेवाओं को देश में स्थापित किये जा रहे नये उर्वरक संयंत्रों के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रयोग में लाया जा रहा है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून के कर्मचारियों को पीड़ित किया जाना

10859. **श्री के. ए. राजन** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैट्रोलियम, देहरादून के कुछ अधिकारियों और श्रमिकों को अपनी वैध मांगों के लिए आंदोलन करने पर पीड़ित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे अधिकारियों और श्रमिकों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है;

(ग) कर्मचारियों द्वारा की गई मांगें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सर्वश्री एस. एन. शर्मा, एन. राय, ओ. एन. आनन्द (समस्त वैज्ञानिक), आर. के. शर्मा (कैटलागर), के. डी. शर्मा (वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) (खरीद), तुलसी राम (इलेक्ट्रि-

शियन) तथा एम. एन. शर्मा नाम के संस्थान के तीन अधिकारियों तथा 4 कर्मचारियों को दुराचरण तथा कर्मचारियों को भड़काने के आरोप में दिनांक 16-3-79 से निलंबित कर दिया गया था। तीन वैज्ञानिकों के संबंध में निलम्बन आदेश उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि इस तरह का आन्दोलन भविष्य में नहीं दोहराया जायेगा दिनांक 20-3-79 को वापस ले लिये गये थे। कर्मचारी सदस्यों के संबंध में निलम्बन आदेश दिनांक 10-4-79 को जिस दिन उन्होंने आन्दोलन समाप्त किया, वापस ले लिये गये थे।

(ग) आई. आई. पी. वर्कर्स एसोसियेशन ने जो पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त नहीं है, आई. आई. पी. देहरादून में कार्य संचालन कर रहा है, निर्धारित नियमों के अनुसार खुली प्रतियोगिता परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट के अन्तर्गत मेकेनिक ग्रेड-III के पद पर नहीं चुने गए दैनिक मजदूरी पर चार व्यक्तियों को नियमित पदों में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर, दिनांक 24-2-79 से दिनांक 10-4-79 तक आन्दोलन किया। उसके बाद निम्नलिखित मांग और जोड़ ली गयी थी

i. दैनिक मजदूरों को तत्काल नियमित करना

ii. दैनिक मजदूरों सहित सभी कर्मचारियों को रायल्टी का सामान वितरण

iii. सभी कर्मचारियों के लिए समान पदोन्नति नीति

iv. 186 रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल स्वीकृति

(घ) आई. आई. पी. से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार समझौता करने के लिए परकार द्वारा सभी प्रयत्न किये गये थे और उपर्युक्त मांगें संस्थान के प्रबंध निकाय के साथ विचारार्थ प्रस्तुत की जानी है।

बैनेट कोल मैन एण्ड कम्पनी

10860. **श्री चतुर्भुज** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैनेट कोल मैन एण्ड कम्पनी भारत से बाहर पंजीकृत है और यदि हां, तो इस कम्पनी का कार्य संचालन करने वाले पूंजीपतियों के नाम क्या हैं;

(ख) इस कम्पनी द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा पत्रपत्रिकाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) कम्पनी के निदेशक साहू जैन ने बहुत सी अन्य कम्पनियों का इस कम्पनी के साथ विलय कर लिया है, यदि हां, तो विलय के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) मै. बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भारत में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, एवं इसका पंजीकृत कार्यालय, टाइम्स आफ इंडिया भवन, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-400001, में है। कम्पनी कार्य विभाग के पास यह जानकारी नहीं है कि क्या मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, ने स्वयं को भारत के बाहर भी पंजीकृत कराया है; क्योंकि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस

प्रकार की सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। कम्पनी की 22-9-1978 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, इसके वर्तमान निदेशक ये हैं :—

1- श्री अशोक कुमार जैन, अध्यक्ष
2- श्री नरेन्द्र कुमार
3- श्री नीहार रंजन रे
4- श्री तम्मान्ना कुबेरप्पा तुकोल

(ख) मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इसके द्वारा भारत में प्रकाशित पत्र तथा पत्रिकायें निम्न प्रकार हैं :—

1- टाइम्स आफ इंडिया
2- दि इकोनोमिक टाइम्स
3- नवभारत टाइम्स
4- महाराष्ट्र टाइम्स
5- ईवनिंग न्यूज आफ इंडिया
6- दि इलूस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया
7- धर्म युग
8- दिनमान
9- फिल्मफेअर
10- फेमीना
11- यूथ टाइम्स
12- इन्द्रजाल कामिक्स
14- साइन्स टूडे
15- सारिका
16- पराग
17- टाइम्स आफ इंडिया डायरेक्टरी

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ अभी तक किसी कम्पनी का संविलियन नहीं हुआ है। कम्पनी कार्य विभाग को अभी तक किसी भी प्रादेशिक निदेशक से कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें साहू जैन, समूह के किसी औद्योगिक एकक के साथ मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० के संविलियन की बाबत किसी प्रस्ताव के लिए अनुदेश मांगे गये हों। विभाग को कोई ऐसा आवेदन-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें मै. बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के किसी अन्य कम्पनी के साथ एकीकरण के लिए; एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन मांगा गया हो। तथापि, बम्बई की कम्पनी विधि खंडपीठ ने मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड से एक आवेदन-पत्र प्राप्त किया है, जिसमें कम्पनी कार्यकलापों में अनेकरूपता लाने के लिए, इसके द्वारा पारित विशेष संकल्प के अनुसरण में इसके पार्षद नियमों में परिवर्तन की मांग की गई है। कम्पनी विधि बोर्ड, उसी तरीके से, जैसा

कि अन्य कम्पनियों की इसी प्रकार के आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करता है इस आवेदन-पत्र को भी गुणावगुण के आधार पर निपटायेगा।

साराभाई कैमिकल्स द्वारा उत्पादित विटामिन सी की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में अन्तर

10861. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी साराभाई कैमिकल्स द्वारा इस समय उत्पादन किये जा रहे विटामिन सी की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में भारी अन्तर है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी सरकार के निदेशों का निरन्तर उल्लंघन कर रही है और अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार उत्पादन करने वाले छोटे निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनकी उत्पादन लागत कुछ अधिक है क्योंकि वे छोटे एकक हैं; और

(घ) यदि हां, तो साराभाई कैमिकल्स जयन्त विटामिन्स और आई. डी. पी. एल. की प्रति किलो उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य कितना है और विदेशों से विटामिन सी का आयात प्रति किलो किस कीमत पर किया जाता है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (जी, नहीं। बी. आई. सी. पी. द्वारा किये गए लागत अध्ययन के आधार पर तथा उत्पादन लागत के अतिरिक्त शुद्ध मूल्य पर 12% प्रतिप्राप्ति को विचार में रखते हुए मैसर्स साराभाई एम कैमीकल्स द्वारा उत्पादित विटामिन सी का विक्रय मूल्य मई, 76 में 104 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था।

(ख) वार्षिक लाइसेंसीकृत 240 मी टन की क्षमता की अपेक्षा मैसर्स साराभाई एम कैमीकल्स ने वर्ष 1978 के दौरान 423.96 मी. टन का उत्पादन किया था।

(ग) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि छोटे पैमाने का कोई यूनिट देश में विटामिन सी का उत्पादन कर रहा है। संगठित क्षेत्र में इस समय जो तीन यूनिट विटामिन सी का उत्पादन कर रहे हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(i) साराभाई एम कैमीकल्स
(ii) जयन्त विटामिन्स लि०
(iii) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि०

(घ) आई. डी. पी. एल. विटामिन सी का उत्पादन नहीं करता है। उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर में दिये गए तीन यूनिटों के लिये मैसर्स साराभाई एम कैमीकल्स और जयन्त विटामिन्स में किये गए लागत अध्ययन के आधार पर विटामिन सी के निर्धारित किये गए विक्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

104 रुपये प्रति किलोग्राम साराभाई एम कैमीकल्स के लिए।

128 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरों के लिए।

जहां तक आयातित विटामिन सी के मूल्य का सम्बन्ध है, स्टेट कैमीकल्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स कैमीकल्स ने जून 1978 में हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि० और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट के लिए

10 मी टन विटामिन सी के आयात का ठेका किया था, तब भाड़े सहित लागत मूल्य 8.70 अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम था । सी सी आई एण्ड ई के फार्मूले के आधार पर यह मूल्य लगभग 140 रुपये प्रति किलोग्राम बैठता है ।

बिना बारी पदोन्नति देने की प्रक्रिया

10862. **श्री राजकृष्ण डान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ व्यक्तियों को केवल बिना बारी पदोन्नतियां देने हेतु उन्हें असाधारण दर्जा देने की वर्तमान प्रक्रिया पर विचार किया है;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन में उप मुख्य इंजीनियरों के वचन के लिए बहुत कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा 23 वरिष्ठ इंजीनियरों का अउल्लंघन किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अतिलंघित सभी अधिकारियों को पहले ही अनेक सिलक्शन ग्रेड मिल चुके हैं;

(ग) क्या सरकार इसको आसाधारण घटना समझती है या नहीं तथा क्या उसे इस बात की भी जानकारी है कि कोई भी प्रभावित अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक स्वतन्त्र समिति द्वारा प्रभावित अधिकारियों के मामलों पर अलग-अलग पुनर्विचार करने के लिए जांच करने का है ताकि बड़ी संख्या में असंतुष्ट अधिकारियों में विश्वास पुन: स्थापित किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) : डिप्टी चीफ इंजीनियर (1800-2000 रुपए) के रूप में पदोन्नति के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन में वरिष्ठ इंजीनियरों के सवर्ग (1500-1800 रुपए) में 10 अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समित की बैठक बुलाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था ।

2- डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति चयन द्वारा है यह चयन वरिष्ठ इंजीनियरों ग्रेड में उन अधिकारियों में से किया जाता है जिनकी उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के बाद कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो गई हो ।

3- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के, 1 मार्च, 1979 को हुई । विभागीय पदोन्नति समिति ने सबसे सीनियर अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से 1 से 1½ वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अपेक्षित रिक्तियों के बराबर संख्या के लिये 10 अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया । सीनियर इंजीनियर की प्रवरता सूची में जो अधिकारी क्रम संख्या 26 पर था उसका इस पैनल में 23 अधिकारियों का अधिक्रमण करते हुए क्रम संख्या 3 पर रखा गया ।

4- प्रभावित अधिकारियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। इन अभ्यावेदन पर विचार किया गया था और यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के अधिक्रमण सरकारी सेवा में कोई असामान्य बात नहीं है और विषय पर नियमों के अन्तर्गत है ।

5- विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य द्वारा की गई। अतः पैनल संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश से बना। विभागीय पदोन्नति समिति के गठन या कार्य करने में कोई अनियमितता नहीं है। सरकार का मामले में कोई जांच करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कर्मचारियों का मुअत्तल किया जाना

10863. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ऐसे कर्मचारी हैं विशेष रूप से ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें लगभग नौ वर्ष पूर्व ड्यूटी से मुअत्तल किया गया था और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ श्रमिकों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबंधकों द्वारा अब भी बिना वजह परेशान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि लगभग 9 वर्ष पहले 29 कर्मचारी मुअत्तिल किये गए थे। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उनके मामलों पर कार्यवाही की गई थी और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया था। दो कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए थे और 27 कर्मचारी बहाल कर दिये गये थे। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि मुअत्तिली वाले मामले से सम्बन्धित किसी भी कर्मचारी की ओर से उसे परेशान किये जाने के बारे में कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

आकाशवाणी राजकोट के बारे में शिकायतें

10864. श्री धर्मवीर वशिष्ठ :

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

डा. विजय मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी राजकोट के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और सरकार ने उस बारे में यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि गत अक्तूबर से दिसम्बर तक दो महीने की अवधि में एक व्यक्ति को छः बार वार्ता का अवसर दिया गया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। श्री एन. पी. ठक्कर ने राजकोट केन्द्र में अपनी पत्नी श्रीमती सरला ठक्कर की श्रेणी को बढ़ाने और कार्यक्रम दिए जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत की थी। उसकी जांच की गई थी और उनको एक विस्तृत उत्तर भेज दिया गया था। तथापि, उन्होंने 2-3-1979 को एक और शिकायत भेजी है जिसकी जाँच की जा रही है।

(ख) जी, हां। उल्लिखित अवधि के दौरान महिलाओं के कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ द्वारा तेरह छोटी वार्तायें जिनमें स्वास्थ्य और सौन्दर्य की रक्षा पर सकेत दिए गये थे, प्रसारित की गई थीं।

"गुजरात के साथ अन्याय" शीर्षक समाचार

10865. **श्री विजय कुमार एन. पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रैस" अहमदाबाद संस्करण दिनांक 5 अप्रैल, 1979, में "इनजस्टिस टू गुजरात" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भरती नीति में संशोधन करने और अन्य बातें एक समान होने की स्थिति में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने को कहेगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) 800/—रुपये प्रतिमाह की अधिकतम राशि से कम राशि के वेतनमान वाले गैर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में सरकारी अनुदेश के अनुसार (जो बाद में 500/— रुपये से 800/—रुपये प्रतिमाह तक संशोधित किया गया था), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सभी पदों को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों से संबंधित सभी पदों को जिसका अधिकतम वेतनमान 800/—रुपये प्रतिमाह से कम है (जो बाद में 500/—रुपये से 800/—रुपये प्रति माह तक संशोधित किया गया था) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सभी रिक्तियों को रोजगार कार्यालय तथा केन्द्रीय रोजगार दफ्तर दोनों को अधिसूचित करता है लेकिन प्राथमिकता स्थानीय उम्मीदवारों को दी जाती है।

अधिक वेतनमानों वाले पदों के लिये जब सीधी भर्ती आवश्यक होती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन जारी करता है तदनुसार भर्ती की जाती है।

डोलोमाइट का परिवहन

10866. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी परिवहन व्यय खर्च करके डोलोमाइट जयन्ती जलपाईगुड़ी जिला, उत्तर बंगाल से दुर्गापुर से ले जाया जाता है;

(ख) क्या जयन्ती में ही या अलीपुर द्वार में किसी स्थान पर डोलोमाइट फोल्डर का चूर्ण बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर बनाये जा सकें;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) : सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को स्टील मेल्टिंग शापों में ऊष्मसह सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए कम सिलिका वाले उच्च ग्रेड के डोलोमाइट की आवश्यकता होती है । दुर्गापुर इस्पात कारखाना इस प्रकार के डोलोमाइट की अपनी आवश्यकताओं की कुछ मात्रा उत्तरी बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के जयन्ती क्षेत्र से प्राप्त करता है । चूंकि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को इस ग्रेड के डोलोमाइट की प्राप्ति केवल जयन्ती क्षेत्र से ही हो सकती है अतः परिवहन की वास्तविक लागत भी उसी को वहन करनी पड़ेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. का पश्चिम बंगाल खनिल विकास और व्यापार निगम के सहयोग से इस क्षेत्र में केवल डोलोमाइट की एक खान का प्रस्ताव है जिसके अनुसार डोलोमाइट का खनन, दलन तथा छानने का कार्य खान पर किया जायेगा ।

देश में विद्युत एककों की लागत में वृद्धि

10867. एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश विद्युत एककों की लागत कई गुना बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विद्युत एकक की कितनी परियोजना लागत अनुमोदित की गई है और इस समय उसकी पुनरोक्षित लागत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) और (ख): ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में लागत सम्बन्धी वृद्धि मोटे तौर पर नीचे लिखे अनुसार भिन्न-भिन्न है :—

	मूल स्वीकृति के समय लागत	संशोधित स्वीकृति के समय लागत
	(रुपये प्रति किलोवाट)	
चौथी योजना	1600	4000
पांचवी योजना	1700	5400

चूंकि जल विद्युत परियोजनाओं की लागत प्रत्येक परियोजना के स्थल और अन्य भूवैज्ञानिक कारणों से भिन्न-भिन्न होती है अतः कोई युक्ति संगत तुलना संभव नहीं है । तथापि लागत में बढ़ोत्तरी हुई है।

एल्यूमिनियम का उत्पादन और एल्यूमिनियम उत्पादनों का निर्यात

10868. डा. वसन्त कुमार पण्डित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एल्यूमीनियम का गत तीन वर्षों के दौरान कितना आयात किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में एल्यूमीनियम का कुल कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम उत्पादों की निर्यात मांग है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना निर्यात किया गया और किन देशों को किया गया ; और

(घ) भारत में और अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन करने और आगामी तीन वर्षों में एक एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार द्वारा भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान, की मार्फत सितम्बर, 1977 से एल्यूमीनियम धातु का आयात शुरू किया गया है। 1977-78 और 1978-79 में क्रमश: 9,000 टन और 33,000 टन एल्यूमीनियम का आयात किया गया।

(ख) गत तीन वर्षों में एल्यूमीनियम का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1976-77	2,08,687 टन
1977-78	1,78,538 टन
1978-79	2,13,729 टन

(ग) जी हां। निर्यात के बारे में सांख्यिकीय जानकारी, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय। काउंसिल हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इन्डिया में दी जाती है।

(घ) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना हेतु साध्यता अध्ययन शुरू किए हैं। रत्नगिरि में भी एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स लगाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उसके पूर्वी घाट बाक्साइट भंडारों की खुदाई के बारे में उपर्युक्त साध्यता अध्ययनों के पूरा होने के बाद ही पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

धनबाद में दामोदर घाटी निगम के मैथीन और पंचेट जलाशयों की क्षमता में कमी होना

10869. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाद जम जाने के कारण दामोदद घाटी निबम के अधीन धनबाद जिले में मैथोन और पंचेट बांध के लिए जलाशयों को जल निहित करने की क्षमता में कितने प्रतिशत की कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप ये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए अप्रभावी हो गए हैं;

(ख) क्या क्षमता में कमी मूल रूप से प्रत्याशित कमी की तुलना में अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक गाद जमने की सकस्या का समाधान किए विना ही दामोदर घाटी निगम द्वारा जलाशय के विस्तार में वृद्धि करने हेतु अधिक भूमिशाय अधिग्रहीत करने संबंधी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गये एकाधिकार कम्पनियों के विस्तार का प्रस्ताव

10870. श्री पी० एस० सईद :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि प्रभुत्व प्राप्त तथा एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों के विस्तार सम्बन्धी अथवा नये एककों की स्थापना सम्बन्धी सभी प्रस्ताव मंजूरी देने से पूर्व विशेषज्ञ राय जानने के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेजे जायें ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नये प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या है ;

(ग) ऐसे कितने मामले इस समय आयोग के विचाराधीन पड़े हैं जो सरकार द्वारा भेजे गये हैं ;

(घ) ऐसे मामलों को निपटाने में आयोग को कितना समय लगता है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने स्वदेशी पौलीटेक्स के अपनी क्षमता को दुगुना करने के प्रस्ताव को आयोग के पास भेजा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21/22/23 के विद्यमान उपबन्धों में से किसी के भी अन्तर्गत, किसी भी आवेदन-पत्र को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिये उक्त दशा में निदेशित कर सकती है; जबकि उसकी यह राय हो कि उक्त आवेदन-पत्र पर आदेश धारित करने से पूर्व इस प्रकार की जांच आवश्यक है। किसी उपक्रम की प्रमुख स्थिति भी सरकार के द्वारा उसके आवेदन-पत्र को एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोगों को निदेशित करने के निर्णय के लिये ध्यान में रखी जाती है।

अन्य बातों समेत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के पर्यावलोकन के लिये नियुक्त न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में नियुक्त उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि धारा 21,22, और 23 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आवेदन पत्रों को कतिपय अपवादों के साथ केन्द्रीय सरकार को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को अनिवार्य रूप से जांच और अन्तिम निर्णय के लिये भेजना चाहिए।

धारा 21 और 22

(i) किसी भी प्रभवद् उपक्रम द्वारा विस्तार या नये उपक्रम की स्थापना के लिए आया

आवेदन-पत्र जो उस उत्पाद के निर्माण के लिए हो, या उस सेवा को देने के बारे में हो, जिसमें वह पहले ही से प्रभवद् है।

(ii) उस उपक्रम द्वारा, जिसे अध्याय III का भाग 'क' लागू होता है, विस्तार या नये उद्योग की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित पूंजी लगने वाली हो।

(iii) वह कोई भी मामला जिसमें से अधिक उपक्रम आवेदक हों, या वह मामला जिसमें प्रस्ताव का विरोध करते हुए आपत्तियां उठाई गई हों।

धारा 23 (4)

(i) क्रय, अधिग्रहण या किसी अन्य प्रकार से एक उपक्रम के अधिग्रहण का प्रस्ताव जो, उन शेयरों समेत यदि कोई हो, जिनका हस्तांतरिती पहले ही से लाभ उठाने का अधिकारी हो, या जिनमें हस्तांतरिती का पहले ही से लाभ मय स्वत्व हो। (एक पब्लिक लि० कम्पनी के बारे में) अधिग्रहीत की जाने वाली कम्पनी की साधारण सभा में $33\frac{1}{3}\%$ मतशक्ति या नियंत्रण हस्तांतरित को दे सके।

(ii) क्रय या अधिग्रहण की लागत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हो।

(iii) जहां क्रय, अधिग्रहण या अन्य प्रकार से अधिग्रहण, अधिनियम की धारा 20 (ख) के अर्थों के अन्तर्गत एक प्रभवद् उपक्रम को जन्म देने वाला हो।

सच्चर समिति की रिपोर्ट की कापी सदन के पटल पर 30-8-1978 को रखी गई थी। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और उचित विधायी उपाय कालान्तर में लिये जायेंगे।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्तमान में आयोग के समक्ष, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत केवल दो प्रस्ताव अनिर्णीत हैं।

(घ) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के अनुसरण में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को, इसको निर्देशित मामले पर अपनी रिपोर्ट, निर्देश के इसके द्वारा प्राप्त तारीख से नब्बे दिन के अन्दर देनी होती है। तथापि, जिन मामलों पर आयोग की, लिखित रूप में दिये गये कारणों से यह राय हो कि उसके द्वारा कथित नब्बे दिन की अवधि के अन्दर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती, तो वह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुये अपनी रिपोर्ट की अवधि को बढ़ा सकता है।

(ङ) हां, श्रीमान् जी। एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत, मै० स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड का, पोलिस्टर स्टैपिल फाइबर के 6,100 टन से 12,200 टन प्रति वर्ष के निर्माण में सारवान विस्तार करने के लिये, प्रस्ताव 31-1-1979 को जांच

एवं रिपोर्ट के लिये, एकाधिकार एवं निबंन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के भेजा गया था। आयोग को केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 1-5-79 को अथवा इससे पहले प्रस्तुत करनी थी। आयोग ने एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 30 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 31-5-1979 तक समय बढ़ा दिया है।

औषध उद्योग से सस्ती दवायें बनाने का अनुरोध

10871. श्री पी० एस० सईद :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औषध उद्योग से और अनुरोध किया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों के लिये सस्ती दवायें उपलब्ध करायें,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये औषध उद्योग को हर सुविधा तथा सहायता देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या औषध उद्योग ने ऐसे कोई प्रस्ताव भेजे हैं जिनके द्वारा ग्रामीण निर्धनों को सस्ती दरों पर औषधें उपलब्ध कराई जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं, तथापि नई औषध नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि जनता की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में औषध उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

नई औषध नीति के एक भाग के रूप में मूल्य निर्धारणक नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 79 को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 के स्थान पर औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 79 जारी किया है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के पैराग्राफ 12 के अनुसरण में सरकार ने 2 अप्रैल 1979 से श्रेणी —I और II के फार्मूलेशनों के विभिन्न शक्ति पैक के लिए लीडर मूल्य अधि सूचित किए हैं जो ऐसे फार्मूलेशनों के सभी निर्माताओं के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य होंगे। तथापि जहां आदेश की घोषणा की तारीख को प्रचलित मूल्य लीडर मूल्य से कम थे वेउसी स्तर पर बने रहेंगे।

सरकार ने पहले भी (i) सरकार द्वारा बल्क औषधों के स्वीकृत मूल्यों में कटौती (ii) बल्क औषधों पर शुल्क और उपकरों में कमी (iii) आयातित बल्क औषधों के सी. आई. एफ. मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप 500 पैक से अधिक फार्मूलेशनों के मूल्यों में कटौती कर दी थी।

वर्ष 1979-80 के बजट के एक भाग के रूप में सरकार ने पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली

दवाईयों को विशेष शुल्क और उत्पाद शुल्क से छट दे दी है शुल्क की मूल दर का 5 प्रतिशत । इस कटौती को कुछ हद तक लागू कर दिया गया है ।

ऊपर बताई गई कटौती को लाभ ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी होगा

(ख) औषध उद्योग को नई औषध नीति का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को नई औषध नीति के बारे में 29 मार्च 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरणपत्र में दर्शाया गया है ।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में प्रकाशित पुस्तकें तथा अन्य साहित्य

10872 : श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में शाह आयोग के प्रतिवेदनों और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये श्वेत-पत्र सहित आपात स्थिति में की गई ज्यादतियों के बारे में प्रकाशित पुस्तकों, पर्चों तथा अन्य साहित्य की संख्या कितनी है ;

(ख) सरकार ने जनता सरकार द्वारा किये गये कार्य के बारे में कितनी पुस्तकें तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) पर कितनी धनरशि खर्च की गई थी ;

(घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कितना साहित्य विदेशों में भेजा गया और कितना देश में वितरित किया गया ;

(ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कितनी पुस्तकें आदि सरकार के पास पड़ी हैं ; और

(च) सरकार द्वारा उपरोक्त साहित्य बड़ी संख्या में प्रकाशित न किये जाने और उसे देश के भीतर तथा विदेशों में वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गत दो वर्षों में इस मन्त्रालय द्वारा आपातस्थिति की ज्यादतियों के सम्बन्ध में कुल 7 पुस्तकें/पेम्फलेट आदि प्रकाशित किये गए हैं ।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जनता सरकार की सफलता के बारे में कुल 29 पुस्तकें/पेम्फलेट प्रकाशित किये हैं ।

(ग) अभी कुछ भाषाओं में कुछ पुस्तकें/पेम्पलेट प्रकाशनाधीन हैं अत: कुल खर्च का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) : इन प्रकाशनों का विदेशों में वितरण का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसका बहुत कम प्रतिशत विदेशों में गया है, अधिकांश देश में वितरित किया गया है। थोड़ी सी संख्या में प्रतियां रखी गई हैं वे रिकार्ड के लिये तथा तदर्थ व्यक्तिगत मांगों की पूर्ति के लिये हैं।

(च) उपलब्ध धन का ध्यान रखते हुए, विभिन्न प्रकाशनों का प्रिन्ट आर्डर पर्याप्त है।

अधिकारियों द्वारा घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त जवान

10873. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, जो अपने घरेलू कार्यों के लिए जवानों का प्रयोग करते हैं ; सरकार का विचार क्या विशेष कदम उठाने का है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत दो वर्षों में इस के लिए दंड दिया गया है ?

उपप्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस बारे में अनुदेश मौजूद हैं और उन्हें प्रायः दोहराया भी जाता है कि अर्दलियों से घर का काम न लिया जाए। यह भी बताया जाता है कि इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले अफसरों अथवा जूनियर कमीशन अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(ख) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी औषध कम्पनियों के नए लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

10874. श्री सरत कार : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध कम्पनियों को इस बात के लिये अभी काफी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि सरकार द्वारा उनके नए लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों पर विचार आरम्भ किया जाये।

(ख) क्या इससे पहले भी सरकार द्वारा हाथी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लिये जाने तक उन के प्रस्ताव तीन वर्ष तक आस्थगित रखे गये थे, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी की परिधि के निर्धारण एवं व्याख्या के लिये कोई नई समिति गठित की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उच्च प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार विदेशी औषध कम्पनियों के औद्योगिक लाइसेंस प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगी, यह रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ख) विदेशी औषध कम्पनियों के छः औद्योगिक लाइसेंस प्रार्थना पत्र तीन वर्षों से अधिक विलम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) जी, हां।

भारतीय प्रशासन सेवा और रक्षा सेवाओं में नियुक्ति लिए उम्मीदवार

10875. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं और भारतीय प्रशासन सेवा और सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एक ही है अर्थात् विश्वविद्यालय की डिग्री ;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवाओं आदि परीक्षाओं के आधार पर अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से ही पूरा वेतन एवं भत्ते मिलने लगते हैं और अग्रेतर पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण की अवधि को भी विचार में लिया जाता है ;

(ग) क्या रक्षा सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कोई वेतन अथवा भत्ते नहीं दिये जाते और इसके विपरीत उनको जेब खर्च अदा करने को कहा जाता है ;

(घ) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं के लिए अपने आपको पेश करने वाले उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) : यह सच है कि सम्मिलित रक्षा सेवा-परीक्षा और भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री है। फिर भी इन दोनों सेवाओं की सेवा शर्तें कई तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं और अपनी-अपनी सेवा की अपेक्षाओं के मुताबिक विशिष्टता रखती हैं।

2. भारतीय प्रशासन सेवा और अन्य प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने वाले अभ्यार्थियों को सम्बन्धित सेवाओं में परिवीक्षा पर उस तारीख से नियुक्त कर दिया जाता है जिस तारीख को वे प्रशिक्षण के वास्ते रिपोर्ट करते हैं। यह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान परिवीक्षार्थियों को अपना खर्च स्वयं करना होता है।

3. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के आधार पर चुने जाने वाले परिवीक्षार्थियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात ही भारतीय सेना में कमीशन देने के लिए अन्तिम रूप से चुना जाता है। रक्षा सेवाओं के परिवीक्षार्थियों को कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता लेकिन उन्हें निशुल्क आवास भोजन, किताबें, वर्दियां और डाक्टरी इलाज सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराया जाता है जबकि दूसरी सेवाओं में ऐसा नहीं है। रक्षा सेवाओं में केडेटों को केवल अपना जेब खर्च स्वयं करना होता है। जिन मामलों में केडेटों के माता-पिता/अभिभावक उनका पूरा या आंशिक जेब-खर्च देने में असमर्थ होते हैं उन में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. इसलिए कोई भेद भाव बरते जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ; प्रत्येक सेवा उसकी अपनी शर्तों के अनुसार शासित होती है।

बेसिक ह्यूमन ओरिओनिक गोनाडोट्रोपिन

10876. डा० वसंतकुमार पण्डित : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुर्वरता के इलाज के लिए बेसिक ह्यूमन ओरिओनिक गोनाडोट्रोपिन (एच.-सी. जी) औषधी भारत में आयात की जा रही है यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एच. सी.-जी. की कितनी मात्रा निर्यात की गई थी ;

(ख) क्या भारत में एच. सी. जी. के उत्पादन के लिये आन्ध्र प्रदेश की यूनीसांक्यों ने जापान की साक्यों कम्पनी लि० के साथ किसी सहयोग समझौते को अन्तिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो एच. सी. जी. कब बेची जायेगी, इस सन्यन्त्र की क्षमता और सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

आकाशवाणी पर धार्मिक पुस्तकों के पाठ

10877. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी पर धार्मिक पुस्तकों से तथा अन्य धार्मिक प्रवचन प्रसारित किये जाते हैं जबकि हिन्दुओं के मूल धार्मिक ग्रंथ "वेदों" का पाठ तथा उन पर प्रवचनों की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार वेदों के पाठ एवं उन पर प्रवचनों को प्रसारित करने के प्रबन्ध करने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों से वेदपाठ श्री प्रसारित किये जाते हैं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

छोटे समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी प्रस्ताव

10878. श्री एस० एस० सोमानी :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार-पत्रों को कार्यकारी सूची के रूप में, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रेसों की स्थापना के लिए, वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने और किन-किन समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और निपटान हेतु राज्यवार कितने आवेदन-पत्र अभी तक अनिर्णित पड़े हुए हैं और उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हुए हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बल्क औषधि के उत्पादन को नियमित करने तथा उसका विस्तार करने के लिए आवेदन-पत्रों को निपटाया जाना

10879. श्री एस. एस. सोमानी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 मार्च, 1978 को नई औषधि नीति की घोषणा के बाद सरकार ने बल्क औषधि उत्पादन को मियमित करने और उसका विस्तार करने के लिए कितने आवेदन पत्र निपटाये हैं ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान सरकार ने जिन आवेदन पत्रों को निपटाया उसके अनुसार प्रत्येक बल्क औषधि में कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है तथा बलक औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1978-79 से 1982-83 की योजनावधि में बल्क औषधियों के उत्पादन में कुल कितनी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) (i) सभी सम्बन्धित औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों से औषध मदों के उत्पादन के बारे में अन्य मदों के साथ साथ विनियन के लिए अपेक्षित ब्यौरे मंगाये गये हैं।

(ii) नई औषध नीति की घोषणा के बाद औषध कम्पनियों से बल्क औषधों, जो उनके वर्तमान उत्पादन की श्रेणी के अन्तर्गत हैं, के निर्माण में पर्याप्त विस्तार के लिए प्राप्त पांच प्रार्थना पत्रों पर सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।

(ख) उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रस्तावों के अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दर्शाये गये हैं।

(ग) औषध और फार्मास्यूटिकल्स के लिए गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि देश में बल्क औषधों के निर्माण के लिए 1982-83 के अन्त तक 370 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी।

विवरण

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	निर्माण की मद	विस्तार के बाद वार्षिक क्षमता	स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रस्तावित निवेश (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स रेन-बेक्सी	ऐम्पीसीलीन ट्रीहाईड्रेट	24 मी. टन (एक नई औषध अर्थात् ग्लाक्सीसिलीन सहित)	* 64.0
2.	मैसर्स सुनीता	ऐमीडियाक्विन हाईड्रोक्लोराइड	30 मी. टन	10.5
3.	मैसर्स जर्मन रेमेडीज	सल्फामेक्पोल	120 मी. टन	शून्य
4.	मैसर्स बूटस	थप्रोफेन	15 मी. टन	उपलब्ध नहीं
		1. ऐसप्रिन 2. सेलीसाइली ऐसिड 3. फेथाइल सेनीसीलेट	2,000 मी. टन 700 मी. टन 360 मी.	** 229.0

* इनमें से केवल मद संख्या (1) तथा (2) के लिए 24 मीटरी टन. की कुल क्षमता के लिए अनुमति दी गई थी। निम्नलिखित वार्षिक क्षमताओं के साथ कई नई बल्क औषधियों और एम्पीसीलीन टीहाइडेट के निर्माण में पर्याप्त विस्तार के लिए मैसर्स रेनबेक्सी द्वारा यह निवेश स्थाई परिसम्पत्तियों पर दिखाया गया है :—

1. एम्पीसिलीन ट्रीहाइड्रेट = 24 मी. टन (विस्तार के बाद)
2. ग्लोक्सेबी लीन = 3 मी. टन
3. पुलो क्लासीलीन = 3 मी. टन
4. 6 एपीए = 30 मी. टन

** निम्नलिखित मदों के लिए वार्षिक क्षमताओं सहित सी साइक्लिक ऐसिड आदि के निर्माण में पर्याप्त विस्तार के बारे में मैसर्स एल्टा द्वारा यह निवेश स्थाई परिसम्पत्तियों पर दिखाया गया है। इनमें से मदसंख्या (4) के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

1. सालीसाइक्लीन ऐसिड 1200 मी. टन
2. ऐसपाइरीन 2000 मी. टन
3. मेथाइल सेलीसाइलेट 500 मी. टन
4. सोडियम सेलीसिलेट 840 मी. टन

डाक्सीसाइक्लीन के लिए मैसर्स रैनबक्सी को आशय-पत्र जारी करना

10880. श्री एस. एस. सोमानी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्सीसाइक्लीन के उत्पादन के लिये मैसर्स रैनबक्सी लैबोरेटरीज को जारी किया गया आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेन्स में बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदलने से पूर्व कार्यान्वियन हेतु कारगर कदम उठाये थे ;

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी द्वारा इस अनिवार्य जीवन संरक्षक औषधि का उत्पादन अभी तक शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कम्पनी द्वारा कारगर कदम नहीं उठाये गये थे तो आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में किस प्रकार बदल दिया गया था ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आशय-पत्र का औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि कम्पनी ने आशय-पत्र में दी गई शर्तों को स्वीकार किया है का अनुपालन किया है। इस मामले में पार्टी को ना तो पूंजीगत माल की आवश्यकता थी और नाहि विदेशी सहयोग की उन्होंने आशय-पत्र में दी गई शर्तें भी स्वीकर कर ली थी। तदनुसार आशब-पत्र का औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है।

विदेशी कम्पनियों का भारतीय प्रबन्धक

10881. श्री के० रामर्मूति : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत, उनसे संबद्ध कम्पनियों में लगी 40 प्रतिशत, से कम ईक्विटी पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों को जिनके भारत के साथ केवल द्विपक्षीय सहयोग करार हैं और जिनका प्रबंध सम्पूर्णतया भारतीय हाथों में है बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ घोषित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कम्पनियां कितनी हैं तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) कम से कम ऐसी कम्पनियों के प्रबंधों का भारतीयकरण करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) "बहुराष्ट्रीय शब्द" (बहुराष्ट्रीय निगम) कम्पनी अधिनियम, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम या इस देश में लागू किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अनुसार भारत में काम कर रही ऐसी कम्पनियां जिनमें 40% विदेशी स्वामित्व हो विदेशी कम्पनियां मानी जाती हैं। 23 सितम्बर 1977 का औद्योगिक नीति वक्तव्य और 29 मार्च 1978 का औषधि नीति वक्तव्य भी, जो सदन के पटल पर रखे गये हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि 40% से कम की विदेशी अंशधारिता वाली कम्पनियाँ भारतीय कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी कार्य विभाग बहुराष्ट्रीय निगमों से भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और विदेशी कम्पनियों को भारतीय सहायक कम्पनियों का अर्थ लगाता है। विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनियों की परिभाषा यों है कि ये कम्पनियां हैं जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित हैं और जिनको 50% से अधिक पूंजी एक अकेली विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित है। भारत की ऐसी कम्पनियां, जिनमें विदेशी हिस्सेधारियों द्वारा धारित साम्य पूंजी 40 प्रतिशत से कम है, परन्तु उनके विदेशी कम्पनियों से द्विपक्षीय तकनीकी करार है, को बहुराष्ट्रीय नहीं, वरन भारतीय कम्पनियां समझा जाता है। इन कम्पनियों के निदेशक मंडल में विदेशी होते हुए भी इन्हें भारतीय कम्पनियाँ समझा जाता है।

(ख) अनुमानतः सन्दर्भ भारतीय कम्पनियों से है जिनमें 40% से कम साधारण पूंजी की विदेशी अंशधारिता है और वे द्विपक्षीय तकनीकी करार उनके साथ रख रही हैं। 1947 और 1978 के बीच कुल 5805 विदेशी सहयोगों के लिए मंजूरियां दी गई हैं। जबकि बहुत सारे पुराने सहयोग समाप्त हो गये होंगे, जो पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच किए गये हैं, साधारणतः अभी चालू होंगे। सहकार की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, यह निवेदन है कि समस्त चल रहे सहयोगों के बारे में सूचना एकत्रित करने में लगाया जाने वाला प्रयास परिणाम के अनुसार न हो सकेगा।

(ग) कम्पनियों का नियन्त्रण और प्रबन्ध प्रमुख रूप से कम्पनी को साधारण पूंजी की अंशधारिता से उत्पन्न मत शक्ति से तय होता है। उन मामलों में जहाँ अंशधारिता को 50% के स्तर से नीचे ला दिया जाता है, कम्पनी का नियन्त्रण शेष अंशधारिता के भारतीयों के हाथ में विवरण पर निर्भर करेगा। यदि भारतीय अंशधारिता दूर-दूर तक अंशधारियों में विभाजित है जो इकट्ठे नहीं हो सकते तो प्रभावी नियन्त्रण ऐसे मामलों में विदेशी अंशधारी के हाथ में रहेगा जो अंशों का एक विशाल भाग रखते हैं।

कम्पनी अधिनियम की धारा 269 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक हो, के प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति को स्वीकृत करने का अधिकार है, कम्पनियों की अंशधारिता का ढाँचा कुछ भी हो इस सम्बन्ध में यह भी संकेत हो सकता है कि कुछ भारतीय कम्पनियों के मामले में जिनमें निगमन के समय विशेष अंशधारिता है, नियमावली में प्रावधान हो सकता है या पहले ही से प्रावधान किया गया हो कि कुछ अपरिवर्तनीय।

निदेशक (प्रबन्ध निदेशक समेत) अंशधारियों द्वारा नियुक्त हो सकते हैं, ऐसे मामलों में अब सरकार के पास अधिकार है कि वह सम्बन्धित कम्पनियों की नियमावली बदल दें। तथापि यदि पहले से नियमावली में ऐसे प्रावधान न हों और विदेशी अंशधारियों द्वारा अपरिवर्तनीय निदेशक नियुक्त करने के लिए (प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक समेत) नियमावली में परिवर्तन के लिए यदि धारा 268 के अन्तर्गत प्रस्ताव आता है तो सरकार बतौर नीति के ऐसे प्रस्ताव को प्रोत्साहन नहीं देगी।

मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बीच 220 किलोवाट की अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन

10882. श्री सुभाष आहूजा :

श्री छविराम अर्गल :

श्री हुकम चंद कछवाय :

श्री गोविन्द राय मिरी :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बीच 220 किलोवाट अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन को चालू करने संबंधी एक परियोजना प्रतिवेदन लगभग दो वर्ष पूर्व उनके मंत्रालय को भेजा गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार की अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन से पनबिजली और तापीय बिजली के उत्पादन में सहायक मिलेगी क्योंकि तापीय बिजली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और पनबिजली आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित की जाती है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक अनुमोदित कर दिया जायेगा ;

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन (क) जी, हाँ।

(ख) बरसूर (मध्य प्रदेश में) और लोअर सिलेरू (आन्ध्र प्रदेश में) के बीच 220 के० वी० की अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन से मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के सिलेरु कोठागुडम काम्प्लैक्स में व्यस्ततम समय में उपलब्ध अधिशेष विद्युत के एक भाग का इस्तेमाल कर सकेगा। बारसूर क्षेत्र में इस समय कम वोल्टता की जो स्थितियाँ हैं उनमें सुधार लाने में भी यह लाइन सहायक होगी।

(ग) पारेषण लाइन का निर्माण कार्य अभी हाथ में नहीं लिया गया है। तकनीकी तथा आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस स्कीम की जाँच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है। स्कीम शीघ्र ही अनुमोदित कर दिए जाने की आशा है।

तहसील अकोला, अहमदनगर (महाराष्ट्र) में मिट्टी के तेल के डीलर की नियुक्ति

10883. श्री बालासाहेब विखे पाटलि : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में अकोला तहसील की आदिवासी जनसंख्या को मिट्टी का तेल प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है चूंकि उस क्षेत्र में मिट्टी के तेल का कोई प्राधिकृत एजेंट अथवा डीलर नहीं है ;

(ख) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक प्राधिकृत डीलर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उक्त नियुक्ति किस आधार पर की जायगी। क्या नियमित व्यापारियों से आवेदन पत्र मांग कर अथवा किसी अन्य तरीके से तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अभी तक किसी प्राकृतिक डीलर की नियुक्ति नहीं की गई है अथवा की जानी हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : आपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

नीले पाउडर को पैलेटाइज्ड लौह अयस्क में परिवर्तित करने के लिये जानकारी का आयात

10884. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मार्च में इन्डोनेशिया के साथ लिए गए करार के अन्तर्गत सप्लाई करने के लिए बैलाडिला नीले पाउडर को पैलेटाइज्ड लौह अयस्क में परिवर्तित करने के लिए जानकारी के आयात हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने विश्वव्यापी टैण्डर आमंत्रित किये हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ प्रशासनिक अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण जानकारी का आयात करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका और यदि हां, तो वे कठिनाईयाँ क्या हैं और स्थिति का समाधान करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बेलाडिला की खान संख्या 14 से निकलने वाले लौह अयस्क चूरे के तथा ब्लून्डस्ट से पैलेट बनाने के लिए तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिसम्बर, 1976 में विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित की थीं। टेंडर आमन्त्रित करने के नोटिस के उत्तर में पाँच पार्टियों ने टेंडर भेजे थे, जिनमें से केवल तीन के पास अपनी तकनीकी प्रक्रियाएं थीं। इन तीनों पार्टियों की तकनीकी प्रक्रियाओं के साथ शर्त यह थी कि इनके लिए उनके रूपांकन

के अनुसार उपस्कर सप्लाई किए जाएं। परिणामस्वरूप जून, 1977 में संशोधित निविदाएं आमंत्रित की गईं।

उपर्युक्त तीनों पार्टियों से निविदाए अक्टूबर, 1977 में प्राप्त हुई थीं। मेकन द्वारा इन निविदाओं का मूल्यांकन किया गया तथा अप्रैल, 1978 में टेंडरकर्ताओं के साथ तकनीकी विषयों पर बातचीत की गई थी। केवल दो निविदाएं तकनीकी तौर पर पूर्ण तथा आगे विचारार्थ उचित समझी गई। इन पार्टियों से इस सम्बन्ध में आगे विचार-विमर्श नहीं किया जा सका क्योंकि यह तय किया गया था कि पैलेट संयंत्र के लिए पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय तभी लिया जायगा जबकि इसके उत्पादन के कम से कम 50% के लिए बिक्री के पक्के करार हो जाएं।

7 मार्च, 1979 को भारत तथा इन्डोनेशिया के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था जिस में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि भारत इन्डोनेशिया को दीर्घावधि-आधार पर प्रतिवर्ष 17.5 लाख टन पैलेट सप्लाई करेगा बशर्ते कि तकनीकी तथा वाणिज्यिक शर्तें तय कर ली जाएं। तदनुसार अप्रैल, 1979 में टेंडरकर्ताओं से बातचीत पुनः शुरू की गई थी। इस बातचीत से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चला कि दोनों निविदाओं की तुलना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि देशीय उपस्करों की प्राप्ति के सम्बन्ध में टेंडर में दिए गए अनुमानों की पुष्टि हो जाए। तदनुसार दोनों टेंडरकर्ताओं से कहा गया है कि वे 15-6-1979 तक संशोधित तथा अन्तिम टेंडर दे दें।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बदरपुर संयन्त्र को दोषपूर्ण मशीनें सप्लाई किया जाना

10885. श्री बालासाहेब विखे पाटिल :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और बदरपुर संयंत्र (दिल्ली) को सप्लाई की गई टरबाइन और अन्य बिजली की मशीनें दोषपूर्ण पाई गई हैं और इस कारण संयंत्र यदा-कदा खराब होता रहता है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख): बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए उत्पादन उपस्कर में कोई बड़ी खराबी नहीं थी। तथापि बायलरों के कुछ पुर्जों में संशोधनों की आवश्यकता थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, परियोजना प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप में तैयार किए गए। एक परियोजना नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इन संशोधनों का कार्य हाथ में ले लिया गया है। परियोजना नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में लिए गए कुछ कार्य पिछले दो वर्षों के दौरान पूरे किए जा चुके हैं। जब कभी उत्पादन यूनिट बंद किए जा सकते हों तभी शेष कार्य किए जाएंगे।

फार्मूलेशन्स और बल्क औषधियों का उत्पादन

10886. श्री धर्मवीर वशिष्ठ: क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान शासन के दो वर्षों में, वर्षवार, फार्मूलेशन्स और बल्क औषधियों का सही-सही कितना उत्पादन हुआ है, इतनी अधिक वृद्धि का कारण क्या हैं; और

(ख) छठी योजना के आगामी चार वर्षों में औषधियों के उत्पादन की क्या विशेष योजनाएँ हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) योजना आयोग द्वारा औषधों और भेषजों के बारे में स्थापित कार्य-दल में वर्ष 1977-78 के दौरान बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिये क्रमशः 164 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये के उत्पादन का अनुमान लगाया है। चूँकि वर्ष 1978-79 हाल ही में समाप्त हुआ है अतः सम्पूर्ण औषध उद्योग के लिए उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) औषधों और भेषजों पर कार्य-दल ने वर्ष 1978-79 और 1982-83 के बीच बल्क औषधों के लिए 250 करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं का अनुमान लगाया है। सरकारी क्षेत्र के अनुमान को योजना आवंटन से पूरा करने का प्रस्ताव है। यह आशा है कि नई औषध नीति से निहित विस्तृत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जो अन्य बातों के साथ-साथ भावी लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण ही स्पष्ट नीतियों का भी प्रावधान रखते हैं, अपेक्षित निवेश गैर-सरकारी क्षेत्र से होगा।

तीन नई कोयला खान परियोजनाओं का वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य

10887. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन तीन नई कोयला खान परियोजनाओं का कारण सहित वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य क्या है जिन्हें हाल ही में सरकार ने स्वीकृति दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

सरकार ने अभी हाल ही में निम्नलिखित तीन कोयला खनन परियोजनाएँ मंजूर की हैं :—

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता (मिलियन टनों में वार्षिक)	पूंजी लागत (लाख रुपयों में)	उत्पादन की अपेक्षाएँ
1—सेन्ट्रल कोलफील्ड्स की बीना विस्तार परियोजना	4.50	5691.00	उत्तरी भारत में ओबरा, पनकी तथा अन्य ताप बिजलीघर
2—ईस्टर्न कोलफील्डस लि० की सतग्राम कोलियरी (पुनर्निर्माण)	1.20	2637.38	आम उद्योगों के लिए स्टीम कोयला तथा ताप बिजलीघरों के लिए ब्लैक कोयला
3—ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की पारबेलिया (पुनर्निर्माण)	0.80	1251.00	इस्पात कारखाने और ताप बिजली घर

मैसर्स जिन्दल एल्यूमोनियम लिमिटेड के खिलाफ शिकायतें

10888. श्री मल्लिकार्जुन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम एलायन्स के निर्माता मैसर्स जिन्दल एल्यूमीनियम लिमिटेड के खिलाफ कदाचार की कोई शियकातें हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म द्वारा किए गए कदाचार आदि कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जांच-पड़ताल किये गए हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस जांच-पड़ताल के क्या परिणाम रहे ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) तथा (ग) : शिकायतों में संदर्भित आरोपों की कम्पनी रजिस्ट्रार, बंगलौर और प्रादेशिक निदेशक, मद्रास से परामर्श करके परीक्षा की गई थी तथा यह पाया गया था कि शिकायत किये गये मामले कम्पनी रजिस्ट्रार, बंगलौर के पास, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्य प्रमाणित नहीं होते, इसलिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (क) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा वाहियों' के निरीक्षण के आदेश देने का निर्णय किया गया था तथा आवश्यक आदेश इस सम्बन्ध में जारी कर दिये गये हैं ।

इस्पात उत्पादन में कटौती

10889. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के उत्पादन में 8 प्रतिशत तक कटौती करने के विशेष कारण क्या थे और इस कटौती के लिए कब से आदेश दिये गये;

(ख) इस्पात के उत्पादन में 8 प्रतिशत कटौती से क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) कोककर कोयले का पर्याप्त स्टाक न रखने के क्या कारण हैं और इस अवधि में वैगनों की सप्लाई के लिए रेल मंत्रालय को कितने पत्र भेजे गये ;

(घ) रेल मंत्रालय ने क्या उत्तर दिया ;

(ङ) कटौती करने के लिए प्रस्ताव किसका था और अन्त में निर्णय किसने किया; और

(च) मात्रा एवं मूल्य के रूप में इस कटौती के कारण कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सम्भवतः संकेत । 1 अप्रैल, 1979 से सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोक ओवत पुसिंग की दर में की गई 8 प्रतिशत कटौती की ओर है । मार्च 1979 के अन्त में इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक काफी कम रह जाने और कोककर कोयले के इतने कम स्टाक से इस्पात कारखाने चलाने के खतरे तथा वर्षा ऋतु

आरम्भ होने से पूर्व सुरक्षित स्तर तक स्टाक बनाने के लिए यह कटौती करनी आवश्यक हो गई थी।

(ख) तथा (च) : अप्रैल, 1979 के दौरान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का वास्तविक उत्पादन निर्धारित किए गए लक्ष्य से 26, 300 टन कम था, जिनका मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये बैठता है।

(ग) और (घ) : कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का पर्याप्त स्टाक नहीं किया जा सका। सीमित खपत के बावजूद 1.4.1978 को कोककर कोयले का स्टाक 4, 49, 200 टन से घटकर 1.4.1979 को मात्र 1,37,500 टन रह गया था जो बहुत ही कम था। वर्ष 1978-79 में कोयले की उपलब्धि निर्धारित कार्यक्रम के मुकाबले में 30 लाख टन और वर्ष 1977-78 की वास्तविक सप्लाई से 10 लाख टन कम थी।

ऊर्जा मंत्रालय, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे से निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि इस्पात कारखानों के लिए कोयले की अधिकाधिक सप्लाई प्राप्त की जा सके। इस बारे में रेल मंत्रालय को बहुत से पत्र भी लिखे गए हैं और विभिन्न स्तरों पर बहुत सी अन्तः मंत्रालय तथा अन्य बैठकें भी बुलाई गई हैं। रेल और ऊर्जा मंत्रालय ने भरसक सहयोग दिया है और वे वर्तमान कठिनाइयों का सामना करने के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि स्थिति में शीघ्र ही सुधार हो जाएगा और इस्पात कारखाने सामान्य उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे।

(ङ) कोक ओवन पुशिंग की दर में कटौती करने का प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा रखा गया था और सरकार द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में समाचार

10890. प्रो. पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों तथा अन्य भाषायी प्रसारणों में गुरुवार, 22 मार्च, 1978 को मध्याह्न पश्चात् लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की स्थिति और उनके निधन हो जाने के बारे में समाचार प्रकाशित किया गया था जो बाद में गलत साबित हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या उक्त दिवस को कुछ समय के लिए आकाशवाणी के अनेक स्टेशनों पर विशेष संगीत धुनें प्रसारित की गयी थीं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में उक्त दिवस को सामान्य रेडियो सेवा कार्यक्रम रोक दिए गए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या इस सम्पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण मामले के बारे में जांच का आदेश दिया गया और जाँच की गई; और

(च) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और भविष्य में सावधानी बरतने तथा मार्गदर्शन के लिए यदि कोई समुचित कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) तक : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्बन्ध में गलत समाचार जिसकी 2. मार्च को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई थी, प्रेस गैलरी में आकाशवाणी के संवाददाता से 1.25 अपरान्ह को आकाशवाणी, नई दिल्ली में प्राप्त हुआ था । यह सूचना भी मिली थी कि प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलों के नेता भी श्री नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके सम्मान में सदन की बैठक स्थगित की जा रही है ।

2. समाचार तत्काल उस समय आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले उड़िया, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू के बुलेटिनों में शामिल कर लिया गया था । सामान्य विधि-अनुसार दिल्ली से आकाशवाणी के नियमित कार्यक्रम भी रोक कर अंग्रेजी और हिन्दी में 1.33 अपरान्ह और फिर 1.38 अपरान्ह को विशेष घोषणायें की गई थीं ।

3. श्री जयप्रकाश नारायण के निधन की घोषणा के बाद दिल्ली 'ख' पर एक मिनट के लिए सारंगी पर शोक संगीत की धुन बजाई गई । 1.40 अपरान्ह पर फिर से सारंगी वादन प्रसारित किया गया जो 2.00 अपरान्ह तक जारी रहा ।

4. श्रोताओं की पसन्द पर आधारित फिल्मी संगीत में "आपकी पसन्द" कार्यक्रम में दोपहर 1.30 बजे गीतों के स्थान पर साधारण वाद्य संगीत प्रसारित किया गया । मूलरूप से "आपकी पसन्द" कार्यक्रम 1.10 से 1.40 अपरान्ह तक था । जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की घोषणा के बाद पाश्चात्य संगीत जो दिल्ली 'ख' से 1.05 से 2.00 बजे अपरान्ह तक दिया जाता है, को 1.40 अपरान्ह पर रोक कर सारंगी वादन प्रसारित किया गया । सारंगी वादन 20 मिनट तक चला ।

5. लगभग दोपहर 1.53 बजे यह पता चला कि घोषणा गलत थी और जे. पी. जीवित हैं, यद्यपि वे सख्त बीमार हैं । तत्काल उर्दू बुलेटिन में, जो उस समय आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा था मृत्यु के समाचार का खण्डन किया गया । सही समाचार का पूरा विवरण 2.00 बजे के अंग्रेजी व 2.10 के हिन्दी के बुलेटिन में दिया गया । सही समाचार कई बार आकाशवाणी दिल्ली के "क" और "ख" दोनों चैनलों से दिया गया ।

6. श्री जयप्रकाश नारायण के निधन की गलत घोषणा के मामले की सावधानीपूर्वक जांच

की गई है। आकाशवाणी ने दुर्भाग्यपूर्ण समाचार की घोषणा की जो पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में आकाशवाणी के संवाददाता से 1.25 अपरान्ह आकाशवाणी के केन्द्रीय समाचार कक्ष में प्राप्त हुआ था। प्रधानमन्त्री और अन्य पार्टी के नेता श्री नारायण को श्रद्धांजलियां अर्पित कर रहे थे और लोकसभा के अध्यक्ष के श्री जयप्रकाश नारायण के निधन के वक्तव्य के बाद सदन उनके सम्मान में उठ गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में घोषणा के बाद आकाशवाणी को स्वभावतः यह समाचार प्रसारित करना पड़ा।

7. एक संभ्रान्त जन के निधन के मामले में प्रयुक्त की जाने वाली एक फूल-प्रूफ पद्धति पहले से उपलब्ध है जो पर्याप्त समझी जाती है।

आकाशवाणी के एक केन्द्र में वरिष्ठतम व्यक्ति के केन्द्र प्रभारी के रूप में नियुक्त करना

10891. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व महानिदेशक ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस निर्णय का उल्लंघन किया था कि आकाशवाणी के एक केन्द्र में वरिष्ठतम व्यक्ति को केन्द्र का भार सम्भालना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आकाशवाणी के इंजीनियरों, स्टाफ आर्टिस्टों, समाचार कर्मचारियों ने आकाशवाणी के कार्यक्रम के विरुद्ध रोष प्रकट किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने 'व्यवसायिक' कलाकारों के बारे में क्या नीति अपनायी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी इन्जीनियरों, स्टाफ आर्टिस्टों, समाचार स्टाफ से आकाशवाणी कार्यक्रमों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) व्यावसायिक आर्टिस्ट नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होते। अतः वे "कार्यालय प्रमुख" के रूप में घोषित किए जाने के लिए पात्रता नहीं रखते।

स्वदेशी पोलीटैक्स के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा

10892. श्री शरद यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्वदेशी पोलीटैक्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक अतिरिक्त सिविल जज इलाहाबाद के पास निलम्बित न्यायालय के अपमान सम्बन्धी अभियोग में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी निधि के दुर्विनियोग तथा गबन सम्बन्धी अपराध के लिए कम्पनी के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक और अन्य लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश में कम्पनियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विश्वनाथ चानना नामक एक सज्जन ने कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट एक्ट की धारा 15 (2) और सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के अन्तर्गत श्री सीताराम जयपुरिया और अन्य लोगों के खिलाफ अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश इलाहाबाद की अदालत में याचिका दायर की है। जैसाकि कम्पनी ने रिपोर्ट दी है, मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है।

(ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (क) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बहियों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रबन्ध के कुछ अनियमिततायें/कुप्रबन्ध प्रकाश में आए हैं। बड़ी अनियमिततायें जो निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आयी हैं। वे अतारांकित प्रश्न संख्या 3030 के उत्तर में दिनांक 13 मार्च, 1979 को बताई जा चुकी हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कम्पनी का उत्तर आ गया है और यह मामला अब कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा निर्णीत होगा जिसके लिए व्यक्तिगत सुनवाई तय कर दी गई है।

संसदीय कार्यवाहियों का प्रसारण

10893. श्री वसन्त साठे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन और रेडियो में संसदीय कार्यवाही के प्रसारण में 3/4 समय संसद सदस्यों, विशेषकर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण बातों की अपेक्षा सरकार द्वारा व्यक्त विचारों को दिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार केवल कुछ सदस्यों तथा मंत्रियों के विचारों को प्रसारण करने की अपेक्षा जन-प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण सुझावों अथवा अनेक जनहित के मामलों में उनके द्वारा उठाई गई बातों का उचित प्रसारण करके आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से संसदीय कार्यवाहियों के प्रसारण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना चाहेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इन माध्यमों द्वारा संसद के दोनों सदनों की सभी महत्वपूर्ण और समाचार योग्य घटनाओं और भाषणों को उनके दैनिक समाचार बुलेटिनों और संसद की दैनिक/साप्ताहिक समीक्षाओं में पर्याप्त और सन्तुलित कवरेज देने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाता है। विरोधी पक्षों के सम्बन्धित सदस्यों सहित संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझाव कवर करने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी सरकार के सदस्यों द्वारा कही गई बातें अन्यों की अपेक्षा अधिक कवर की जा सकती है क्योंकि प्राय: ये बातें महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों से सम्बन्धित होती है।

राज्य विधान सभा की कार्यवाहियों को टेलीविजन पर दिखाया जाना

10894. श्री चतुर्भुज :

श्री नटवरलाल पो० परमार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों तथा विशेषकर तमिलनाडु सरकार ने राज विधान सभा की कार्यवाहियों को टेलिविजन पर दिखाए जाने का प्रश्न केन्द्र के पास उठाया ताकि टेलिविजन सेट्स वाले लोग अपने घरों पर उसको देख सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न से 4966 दिनाँक 27.3.79 में शुद्धि करने वाला विवरण

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)

उड़ीसा में छठवीं योजना अवधि के दौरान् सयंत्रों और कारखानों की स्थापना के बारे में लोक सभा के 27-3-79 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 4966 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में पैरा 4 के अन्तर्गत भूल से यह कहा गया था कि रैरनपुर में में फैरो-वेनेडियम प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत लगभग 46.70 करोड़ रुपये होगी। मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी लि० द्वारा तैयार साध्यता रिपोर्ट के अनुसार लागत लगभग 25.20 करोड़ रुपए होगी। अतः ये आंकड़े 46.70 करोड़ रुपये की बजाय 25.20 करोड़ रुपए पढ़े जाएं। यह स्पष्टीकरण उड़ीसा सरकार से दिए गए गलत उत्तर में संशोधन करने के लिए निर्धारित एक सप्ताह के समय के बाद प्राप्त हुआ था। असुविधा के लिए खेद है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—अध्यक्ष महोदय, आज मैंने यह ध्यानाकर्षक प्रस्ताव किया है और वह बड़े महत्त्व का है। राष्ट्र में विध्वंसक कार्यवाहियां बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। 18 अप्रैल के "करैंट" में छपा हुआ है। दो लाइनें आप सुन लें।

"आर० एस० एस० के मुरली मनोहर जोशी ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने प्रस्ताव दिया है तो मैं मामले की परीक्षा करूंगा। ऐसे प्रस्ताव बहुत संख्या में हैं। आप दो भाषण नहीं दे सकते हैं। ··· (व्यवधान) अगर आपने नोटिस दिया है तो मैं उसका परीक्षा करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक भाषण दें और मेरे चुन लेने के बाद फिर भाषण दें।

(व्यवधान)

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैंने दो मामले बठाये थे— आंध्र प्रदेश में तूफान का प्रकोप और दूसरा कोयलाखान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल······

अध्यक्ष महोदय : ये व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं।

श्री राममूर्ति (बरेली) : यह गम्भीर मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह।

श्री राममूर्ति : आंध्र प्रदेश पर तूफान का बहुत बुरा असर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का अवसर दे रहा हूं।

श्री पूर्णनारायण सिंह : मैंने आपको एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके आधे दर्जन पत्र मिले हैं। मैं उनके बारे में क्या कर सकता हूं?

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : कानपुर के जो पेपर्स थे, हमने लैटर भी लिखा है सीज करने के लिये। आपको 18 अप्रैल को नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह मैंने बहुत से सदस्यों से पत्र पर हस्ताक्षर लिये। मैंने टिप्पणियां माँगी हैं।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैं यहाँ प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। अब पत्र सभापटल पर रखे जायें। पत्र रखे जायें।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने जिस प्रश्न पर विचार करने को अभी कहा है, उसके लिये हम बहुत आभारी है, मगर इस प्रश्न में (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो भाषणों की अनुमति नहीं, दे सकता ··(व्यवधान) नहीं, नहीं इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मैं ऐसा कर सकता ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति देने से पहले मुझे इस पर विचार करना होगा।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिन्हा अगर अपको किसी विषय के बारे में चर्चा करनी है तो आप मुझ से आकर चर्चा कर सकते हैं मगर सभा में आप ऐसा नहीं कर सकते।

सभापटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1979-80 के बजट प्राक्कलन और उसके हिन्दी संस्करण न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण :

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1979-80 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति।

(2) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1979-80 बजट प्राक्कलनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ उनका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4464 / 79)

भारतीय विद्युत (प्रथम संशोधन) नियम, 1979 ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम. 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत (पहला संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाङ्क 3 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 170 में प्रकाशित हुये थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो दिनांङ्क 3 मार्च, 1979 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 335 में प्रकाशित हुआ था, सभापटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए सं० 4465/79)

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स मद्रास के वर्ष 1976-77 और 1977-78 और बोंगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाई गाँव के वर्ष 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण :

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास, का वर्ष 1977-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4466/79)

(ख) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड, मद्रास टूल्स, का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4467/79)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगाँव के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाई गांव का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4468/79]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरसिंह यादव) : 5. श्री जुल्फिकारुल्ला की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 287 (ङ०) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो कि 8 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। ···(व्याख्यान)

(ग्रंथालय में रखा गया है। देखिये सं० एल० टी० 4269/79)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जायें। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री यादव, हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए।

**कार्यवाही वृताँत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राज्य में पुलिस आन्दोलन के परिणामस्वरूप राज्य के दो जिलों में सेना द्वारा पुलिस शस्त्रागारों को अपने अधिकार में लेने का समाचार

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें—

"पंजाब में पुलिस आन्दोलन के परिणामस्वरूप राज्य के दो जिलों में सेना का पुलिस से शस्त्रागारों को अपने अधिकार में लेने का समामार तथा आन्दोलन के अन्य राज्यों में फैलने का खतरा।"

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बयान दिया गया है यह सिर्फ अंग्रेजी में बांटा गया है। हिन्दी में भी इसकी कापी मुझे मिलनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, सरकार अपने कर्त्तव्य में असफल हो गई है क्योंकि उसने हिन्दी संस्करण नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय—श्री पटेल, हिन्दी संस्करण क्यों नहीं दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैंने सोचा कि वह परिचालित कर दिया होगा।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह रोज का झंझट हो जाता है और मालूम ऐसा होता है कि रोजाना ये लोग इस बात की छेड़ करवाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि जब हिन्दी का नहीं होता है तो झगड़ा होता है, अंग्रेजी का नहीं होता है तो झगड़ा होता है।... (व्यवधान)...

श्री एच० एम० पटेल : मैं भूल के लिये क्षमा चाहता हूं।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, चूंकि अभी समय नहीं है, आप चलने दीजिये। भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

महोदय,

पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब में पुलिस कर्मचारियों के छोटे-छोटे दल लगभग 7 मई से राज्य के कुछ भागों में प्रदर्शन और रैलियों में लगे हुए हैं। प्रतीत होता है कि मामला 6 मई को मंडी गोविन्दगढ़ में हुई एक घटना के कारण तूल पर पहुंचा जिसमें संबंधित पुलिस स्टेशन के एक सहायक उप-निरीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसमैन की, एक विधायक के यह आरोप लगाने पर कि वह नशे की दशा में था, डाक्टरी जांच की गई। डाक्टरी जांच से यह पता चला कि कांस्टेबल शराब नहीं पीये हुए था, परन्तु इस घटना पर पटियाला के पुलिस कर्मचारियों ने इसे अनावश्यक हस्तक्षेप कहकर रोष प्रकट किया। कुछ व्यक्ति पिछले कुछ समय से पंजाब में एक पुलिस एसोसिएशन संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे पुलिस कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों की अपर्याप्तता, अर्दलियों के प्रयोग, छुट्टी के दिनों में ड्यूटी के लिये अति-

रिक्त वेतन और सेवा की शर्तों के कई अन्य पहलुओं के बारे में पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों को महत्व दे रहे हैं। अनुशासनहीनता ने पंजाब के कुछ केन्द्रों में पुलिस कर्मचारियों के छोटे-छोटे दलों द्वारा मुख्यतः विरोध, रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों का रूप धारण किया। परन्तु, आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण रहा। किन्तु ऐसी गतिविधियों में भाग लेना भी इस विषय में संसद द्वारा बनाए गए कानून के उपबन्धों के अनुसार गैर-कानूनी और अनुचित है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब वेतन आयोग ने पुलिस कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित अनेक मामलों पर पहले ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही कर रही है। पंजाब सरकार भी आवास जैसे अन्य मामलों पर विचार कर रही है। उनका यह मत ठीक है कि यद्यपि पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरंत और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए किन्तु अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस अनुशासनहीनता को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार से सीमा सुरक्षा बल को पर्याप्त रूप में विभिन्न स्थानों पर तैनात करने के उपचारी उपाय करने के लिए सहायता मांगी है। यह सहायता उनको दे दी गई है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, सेना ने 13 मई, 1979 को (क) पटियाला (बहादुर किला) और (ख) जालन्धर छावनी में पंजाब सशस्त्र पुलिस शस्त्रागारों का संरक्षण अपने हाथ में ले लिया है। शस्त्रागारों की सुरक्षा इस समय राज्य सरकार की ओर से काफी संख्या में सैनिकों द्वारा की जा रही है। संरक्षण को अपने हाथ में लेने के कार्य में बल की आवश्यकता नहीं थी।

हम इन मामलों में पंजाब सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम इस बात के इच्छुक हैं कि यद्यपि अनुशासनहीनता को क्षमा नहीं किया जा सकता है, फिर भी पुलिस कर्मचारियों को अनुशासन फिर से अपनाने का आग्रह करने के हरेक प्रयत्न किए जाएं। मैं इस बात का इच्छुक हूं कि उनकी विभिन्न शिकायतों पर, जो लगभग सभी राज्यों में विद्यमान हैं, सहानुभूतिपूर्वक तथा शीघ्रता से विचार किया जाए। इन मामलों में से कुछ का अध्ययन राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा किया जा चुका है जिससे अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अन्तिम रिपोर्ट कुछ महीनों में प्राप्त होने की आशा है। आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है और इस रिपोर्ट में उठाए गए मामलों पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ उचित रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा। मैं इस बात के लिए भी उत्सुक हूं कि पुलिस के कार्य करने की दशाओं और दक्षता तथा मनोबल उन्नत करने हेतु मान्य उपायों के कार्यान्वियन के लिये राज्यों को एक उपयुक्त निश्चित समय के लिए सहमत होना चाहिए। हालांकि हम इन दिशाओं में प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र निर्णय लिए जायें और लागू किए जायें, फिर भी यह महसूस किया जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता। अत: मैं पुलिस कर्मचारियों से हार्दिक अपील करता हूं कि मैं जो आश्वासन दे रहा हूँ उन्हें मान लें और आन्दोलनात्मक तरीकों का त्याग करें और अनुशासनात्मक बल के रूप में कार्य करते रहें।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो बयान दिया है उनका सारा जिस्ट है डिसिप्लिन का मामला। मैं आपके द्वारा पंजाब के होम कमिश्नर, श्री आर० सी० कपिला का जो बयान अखबारों में आया है, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"इन्होंने दावा किया है कि समग्र रूप में स्थिति में सुधार हुआ है। अब तक पुलिस ने कहीं भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा है।"

अगर वह प्रदर्शन में भाग लेने के लिये बाहर गये भी थे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन की रक्षा हेतु एक कांस्टेबल और हैडकांस्टेबल को पीछे छोड़ दिया था।

इसके अतिरिक्त उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये गये हैं और उन्होंने गश्त की ड्यूटी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने इस आंदोलन को "अनुशासित आन्दोलन" कहा।

होम कमिश्नर ने यह बात कही है और मंत्री जी ने जो बयान पढ़ा है उसमें उन्होंने डिसिप्लिन की दुहाई दी है, कहा है कि इनडिसिप्लिन बरदाश्त नहीं की जायेगी, उसको रोकने के लिए सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। पंजाब का होम-कमिश्नर कहता है कि इतना मोस्ट डिसिप्लिड एजिटेशन आज तक पुलिस ने देश में नहीं किया है। मुझे पता नहीं कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह किसके कहने पर दिया है क्योंकि वहां का होम कमिश्नर एक बात कहता है और मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं।

मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में जो पुलिस रिवोल्ड हुआ है वह किस स्थिति में हुआ है। इस सदन और देश के सभी लोग समझते हैं कि पुलिस संगठन देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी संगठन है, बगैर उसके न समाज चल सकता है, न देश चल सकता है और न डिसिप्लिन रह सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो पुलिस संगठन है वह कब का बना हुआ है ? जब अंग्रेज इस देश में आए तब उन्होंने पुलिस संगठन बनाया था। पुलिस संगठन बनाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद इस देश में अपराध रोकना नहीं था, अपराधियों को पकड़ना नहीं था, कमजोर लोगों की रक्षा करना नहीं था—पुलिस संगठन बनाने के पीछे उनका असली उद्देश्य अंग्रेजी राज को कायम रखना था। लार्ड एलनबरा जो कि इस देश के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमिश्नर को 31 मार्च, 18[illegible]8 को लिखा था कि ऐसे हालात पैदा करो कि पुलिस का सिपाही अपने दुश्मन से भी ज्यादा अपने अफसरों से डरे। लार्ड एलनबरा ने जो लिखा था वह अंग्रेजी में है :

"उसे अपने शत्रु से अधिक अपने अफसर से डरना चाहिये।"

यह अंग्रेजों के पुलिस संगठन के ढांचे का मकसद था, लेकिन आज भी वही मकसद चल रहा है। आज पुलिस संगठन ऐसा बन गया है—जिसमें मंत्री तो बन गये हैं—भगवान, कांस्टेबिल जंगली जानवर, भेड़िया और शेर बन गया है और साधारण जनता बन गई है—हिन्दुस्तान की बकरी।

इसी का यह नतीजा है कि जो "फूड-फार-वर्क" का प्रोग्राम गांवों में चल रहा है—उसमें एक मजदूर को कितना मिलता है—2 किलो गेहूं, लेकिन सिपाही को कितना राशन मिलता है—

10 किलो, हथियारबन्द सिपाही को मिलता है—14 किलो और हमारे होम मिनिस्टर, पुलिस मंत्री और आई० जी० जितना गेहूं लेना चाहें—उतना मिलता है, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है—यह आज हिन्दुस्तान के पुलिस संगठन की स्थिति है।

आज एक साधारण कांस्टेबिल और पुलिस मंत्री या आई० जी० की तनख्वाहों में 40 से 50 गुना का अन्तर है और यदि होम मिनिस्टर साहब को तनख्वाह के अलावा जो सुविधा मिलती है—उसको शामिल कर लें तो 50-55 गुना का अन्तर है। हम इंग्लैंड और अमरीका की दुहाई देते हैं, जिन के लिये कहा जाता है कि वे कैपिटलिस्ट देश हैं—वहां भी एक पुलिस कांस्टेबिल और होम मिनिस्टर की तनख्वाह में मुश्किल से 3 या 4 गुणा का अन्तर है।

अब आवास की स्थिति को देखिये—आप किसी मंत्री जी के यहां चले जाइये तो उनकी कोठी में एक दर्जन सर्वेन्ट क्वार्टर्ज होते हैं। लेकिन कांस्टेबिल की क्या हालत है—दिल्ली में हम लोग देखते हैं—वह बेचारा हमारे घर के आगे जो ताड़ का वृक्ष है, उसके नीचे अपना तौलिया बिछा कर रात को सोता है। इस समय हमारे यहां जितनी पुलिस है, उनमें 100 में से 90 के लिये कोई आवास व्यवस्था नहीं है, मुश्किल से 10 फीसदी के लिये आवास का इन्तजाम है। इन 10 फीसदी के लिये जो आवास व्यवस्था है, वह भी ऐसी है जिसमें न उसकी बीवी रह सकती है और न उसका बच्चा रह सकता है और यही कारण है कि उस बेचारे को अपनी बीवी के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। यदि यही स्थिति पुलिस के वेतन, भत्ते, आवास तथा अन्य सेवा सुविधाओं की रही तो पंजाब में ही नहीं, समूचे देश में पुलिस बगावत हो सकती है।

अब मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं—

1. किस स्थिति में और किस नियम के तेहत पुलिस को आर्मी के द्वारा अन-आर्म्ड करवाया जाता है और क्या वह स्थिति आर्मी और बी० एस० एफ० को बुलाने के पहले पंजाब में थी?

2. एक पुलिस कांस्टेबिल, आई० जी० और पुलिस मिनिस्टर या गृह मंत्री पर एक महीने में वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं पर कितना रुपया खर्च किया जाता है?

3. एक कांस्टेबिल और एक पुलिस घोड़े पर कितना खर्च किया जाता है।

4. पंजाब पुलिस आन्दोलन के सिलसिले में जेल भेजे गये पुलिस कांस्टेबिल्ज को किस क्लास में -मेरा मतलब है ए, बी या सी किस क्लास में रखा गया है?

5. सस्पेंण्डेड कांस्टेबिल्ज को सस्पेन्शन-एलाउन्स देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

6. क्या सरकार इंग्लैंड और अमरीका की तरह "ब्रिटिश टाइप आफ पुलिस कान्सिल" या "सिनेट आर्म्ड फोर्सेज कमेटी" जैसी कोई पार्लियामेन्ट्री पुलिस कमेटी बनाना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : आप लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते। नियम में केवल एक का उपबंध है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मेरा लास्ट सवाल यह है कि पुलिस रिवोल्ट अन्य प्रान्तों में भी न फैले, इस के लिए पंजाब सरकार ने जो सुविधाएं देने के बारे में सवाल किया है, क्या सरकार का अन्य सूबों में भी इन को लागू करने का विचार है?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं जिनमें से बहुत का मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि मंत्रियों, पुलिस महा निरीक्षक और कांस्टेबल के वेतन में कितना फर्क है। उनका विचार है कि यह अन्तर 50 गुना है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह 50 गुना नहीं है। परन्तु यह फर्क काफी होते हुये भी 50 गुना नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : 100 गुने का फर्क है, और 100 का फर्क है।

श्री एच० एम० पटेल : 100 गुने का फर्क नहीं हो सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : कोठी, कार सब सुविधायें मिला कर 100 गुने का फर्क है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा है कि सेवा की शर्तें और कार्य करने की परिस्थितियां संतोषजनक नहीं हैं; और इसलिये उन पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में इस बारे में पहले ही सिफारिशें की जा चुकी हैं; और उन पर विचार किया जा रहा है। पंजाब का एक अलग वेतन आयोग था जिसे उन्होंने अपने वेतन और सेवा की शर्तों और आवास जैसे अन्य मामलों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया था। सरकार उसे स्वीकार कर चुकी है...... **(व्यवधान)** आज के पत्रों से ऐसा लगता है कि उन्होंने वेतन संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। **(व्यवधान)**

अनुशासन का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : और राजनीतिज्ञों का अनुशासन ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है आप अपने को भी शामिल कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : पंजाब के गृह आयुक्त ने कहा है कि पुलिस आंदोलन बहुत अनुशासित रहा; और इसलिये...... **(व्यवधान)** उन्हें इस बात में अंतर्विरोध दिखाई देता है जब मैं कहता हूं कि अनुशासन सहन नहीं किया जाना चाहिये, मेरे विचार में इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। निस्संदेह, अब तक पुलिस ने अपना आंदोलन अनुशासित ढंग से चलाया है परन्तु आंदोलन करना ही अनुशासनहीनता का कृत्य है। जैसा कि मैंने कहा, नियमों के अधीन...... **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : मजिस्ट्रेट जुलूस निकालें तो ?

श्री एच० एम० पटेल : मजिस्ट्रेट देश में अनुशासन संबंधी दल नहीं है। यह मुख्य प्रश्न है......

श्री राजनारायण : मैं कुछ जानकारी चाहता हूं। ...... **(व्यवधान)**...आप समझते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप वैसा नहीं कर सकते। श्री राजनारायण, आप अनुभवी व्यक्ति हैं। आपका नाम सूची में नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि और सदस्य भी इस सुविधा की मांग करेंगे। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राजनारायण : पुलिस कान्स्टेबिल और पुलिस कमिश्नर की तन्खाहों में कितना फर्क है ?

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : वे सवाल क्या कर रहे हैं और वे जवाब क्या दे रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराय) महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। आखिरकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंत्री और उस सदस्य के बीच बातचीत तो नहीं है जिसने प्रस्ताव रखा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पूरी सभा सम्मिलित है। यदि माननीय मंत्री से कोई ऐसा सवाल पूछा गया है जिसका जवाब नहीं दिया गया तो पूरी सभा को उसको जानने का अधिकार है।.........

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव वही पूछ रहे हैं। कोई और नहीं पूछ सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे कहना पड़ेगा कि यह मंत्री और महोदय के बीच प्रश्नोत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : केवल वही सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री श्यामसुन्दर मिश्र : कि सभी सदस्यों से कह दिया जाये कि वे बाहर चले जायें और फिर मंत्री और सदस्य अपना प्रश्नोत्तर करते रहें ? **(व्यवधान)** । हम सब इसमें सम्मिलित हैं। यह लोक महत्व का मामला है और इसीलिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गई है। **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : इन्होंने कुछ पूछा है, मंत्री जी ने कुछ जवाब दिया है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने 6 सवाल किये थे। मंत्री महोदय ने जो जवाब टेबल पर रखा उसमें भी उनका उत्तर नहीं आया, अब जो जवाब दिया उसमें भी कुछ का जवाब छोड़ दिया है।

मैंने एक सवाल यह पूछा था कि पुलिस को जो अनआर्मंड आर्मी के द्वारा किया जाता है वह किस नियम के मुताबिक किया जाता है ? एक सवाल मैंने यह किया था कि एक मंत्री पर और, कांस्टेबलं को आप छोड़ दीजिए, पुलिस के एक घोड़े पर सरकार कितना कितना खर्च करती है ? एक सवाल मैंने यह किया था कि जिन सिपाहियों को जेल में डाला गया है, उनको किस क्लास में रखा गया है ? क्या उनको ए क्लास या बी क्लास में रखा गया है ? यदि नहीं तो क्या उनको सी क्लास में रखा गया है ? हम समझते हैं कि गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी प्राप्त करके आनी चाहिए थी। उन्हें काल अटेंशन में सवालों के जवाब पूरी जानकारी के साथ देने चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : मैं कह चुका हूं कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि मुझे यह जानकारी होनी चाहिये कि गिरफ्तार किये गये लोगों को किस क्लास में रखा गया है। जहां तक मेरा सवाल है उन्हें सी क्लास में रखा गया है, मगर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही शर्म की बात है......

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव से यह प्रश्न संबंधित नहीं है कि उन्हें किस क्लास में रखा गया है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह सदन के लिये बड़ी इंसल्ट की बात है कि सारे सवालों के जवाब मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं। यह सदन के लिये भी शोभा की बात नहीं है और मंत्री जी के लिये भी शोभा की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह नहीं मालूम कि वह क्लास ए है, बी या है या कुछ और है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब सरकार ने तंख्वाहों के बारे में और कुछ सुविधाओं के बारे में एलान किया है। मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समूचे देश में ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे कि यह पुलिस आन्दोलन दूसरे सूबों में न फैले ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : अब उन्होंने इस विषय में प्रश्न पूछा है कि वे लोग अन्य राज्य में अपने आंदोलन का विस्तार न कर सके इस के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा इसीलिए कठोर अनुशासनिक कार्यवाई की है, कठोरता का अर्थ है कि जो रिंग लीडर थे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है·····**(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : रिंग लीडर अपमानजनक शब्द है।

श्री एच० एम० पटेल : ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो मैं उन्हें "लीडर" कहूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक वेतन में अंतर का प्रश्न है, मैं यही कह सकता हूं कि अंतर समुचित होगा, किंतु यह अन्तर 50 गुणा तो नहीं हो सकता है। अधिकाधिक यह 20 गुणा तो हो सकता है।

ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य पढ़ा है, मैं मान लेता हूं कि इसका प्रारूप श्री पटेल ने तैयार किया है। वे एक अच्छे प्रारूपकार हैं, क्योंकि मुझे उनकी क्षमता की निकट से जानकारी है। किन्तु मैंने देखा है कि उन्होंने "ऐसे कार्यकलाप में शामिल होना" "अनुशासनहीनता" "अर्दलियों का उपयोग" जैसे शब्दों का उपयोग किया है। ये बातें यदि इस सभा में आज से 50 वर्ष पूर्व कही जातीं, तो उचित लगतीं। किंतु इसमें श्री पटेल का कोई दोष नहीं है। क्योंकि उनकी आयु और पृष्ठभूमि को देखते हुए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे प्रगतिशील विचारों का साथ नहीं दे सकते अथवा समय के साथ नहीं चल सकते। वे अपने समय से 50 वर्ष पीछे हैं।·······**(व्यवधान)** मैं टीक ही कह रहा हूं।

यह समझ में नहीं आता, कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां, जैसे पुलिस और रक्षा कर्मचारियों को एसोशिएशन बनाने और शांति पूर्ण ढंग से सामूहिक समझौते करने जैसे मूल अधिकारों से क्यों वंचित किया गया है। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाये।

हाल ही में राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि और आतंक फैलाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को दमन और अत्याचार का साधन बनाया गया। इसके लिए आप उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। भूले को झुलाते हैं वाले हाथ ही विश्व पर शासन करते हैं। जो लोग इसके पीछे

हैं वही उन कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें पुलिस ने मजबूर हो कर किया । आज ईमानदार से ईमानदार पुलिस अधिकारी के लिए भी राजनीतिक हस्ताक्षेप के कारण अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा है । व्यक्ति, समूह और पार्टियों के बीच राजनैतिक स्वार्थों के लिए होने वाले संघर्ष के कारण ईमानदार अधिकारियों का काम करना असंभव हो गया है । यह एक वास्तविकता है और संसद् को इसे समझना चाहिये ।

पंजाब में पुलिस के उपद्रवों की चर्चा करते हुए मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व क्या हुआ था । मैं श्री चव्हान को देख रहा हूं, क्योंकि वे उस समय गृह मंत्री थे । मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें दिल्ली में हुआ पुलिस आंदोलन याद होगा । उसके मूल कारण क्या थे ? यह बहुत बदतर आर्थिक स्थिति और कार्य की दशा है ।

1968 में मुझे किन्हीं कारणों से दिल्ली में कहीं गिरफ्तार कर लिया गया था । चूंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट कोर्ट के पुलिस लॉक-अप में जगह नहीं थी, इसलिए हम में से 56 को पुलिस बैरक में ले जाया गया । तभी मैंने देखा कि पुलिस कर्मचारी कैसे रहते हैं ? मैंने देखा कि एक बिस्तरे पर दो सिपाही सोते हैं, क्योंकि दोनों की ड्यूटी एक साथ ही खत्म होती है । ऐसी स्थिति वहां व्याप्त है ।

दिनांक 8 मई, 1979 को पुलिस कांस्टेबल यूनियन, पंजाब ने अपने ज्ञापन में बताया :

"हम सदियों से नौकरशाही के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की किंतु हमें अब तक आजादी नहीं मिली है । हमें दिन में 24 घंटे ही काम करना होता है, और हमारी वही पुरानी ड्यूटियां हैं, जो भूतपूर्व ब्रिटिश शासकों के शासन में थीं ।"

ज्ञापन में दी गई मांगों के अनुसार : वेतनमानों का संशोधन, उच्चतर वार्षिक वेतन वृद्धि, बल के 75 प्रतिशत के लिए आवास यह बहुत समुचित मांग है, क्योंकि खोसला आयोग की रिपोर्ट, जो कि मेरे पास है, उसमें पुलिस कांस्टेबलों के लिए शत प्रतिशत आवास की सिफारिश की गई थी । ड्यूटी के कम घंटे, आवेदन करने पर छुट्टी की स्वीकृति, रविवार को काम करने के लिए वेतन, समुचित वर्दियों की पूर्ति तथा अधिकारियों के घर पर घरेलू काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को वहां तैनात न करना आदि ज्ञापन में शामिल है ।

यूरोप में पश्चिम जर्मनी जैसे पूंजीवादी देशों में भी ऐसे कानून बनाए गए हैं, जो जिनके अनुसार सशस्त्र सेनाओं, बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वही अधिकार दिये गये हैं जो कि असैनिक कर्मचारियों को दिये गये हैं । सशस्त्र बलों के कर्मचारियों पर एसोसिएशन बनाने, राजनैतिक संगठनों और पार्टियों का सदस्य बनाने पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है । उनके स्वतंत्र भाषण के अधिकार में राजनैतिक विचार प्रकट करने भी स्वतंत्रता भी शामिल है । यदि किसी बात की शिकायत हो तो व्यक्ति उसके बारे में भी कह सकता है । ये कानून पूंजीवादी देश में भी बनाए गए हैं, जबकि हम यहां ढोलक और तबला बजा-बजा कर समाजवाद लाने की घोषणा करते हैं, किन्तु हम वह भी नहीं कर पाये हैं जो कि पूंजीवादी देश कर चुके हैं ।

स्वीडन की संसद् में सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अंबुडसमान का चुनाव किया जाता है। सैनिक कार्मिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वहां एक सशस्त्र सेना एसोसिएशन भी है। यह सब कुछ वहां हो रहा है।

यह कितने दु:ख की बात है कि शासक वर्ग केवल बलि का बकरा ही ढूंढते रहते हैं। वे जब भी किसी शिक्षित पुलिस कर्मचारी को देखते हैं या रक्षा सेना में स्थल सेना में किसी शिक्षित व्यक्ति को देखते हैं, उस पर कड़ी नजर रखते हैं, और यही मान कर चलते हैं कि यही सब मुसीबतों की जड़ है। यह दृष्टिकोण है, उनका। और श्री पटेल उस मंत्रालय के मुखिया हैं, जो ऐसी बातों के लिए कुख्यात हैं। उनकी मानवीय गुणों में कोई आस्था नहीं है, उन्हें यही विश्वास है कि हर व्यक्ति अपराधी होता है। गृह मंत्रालय का यही विचार रहा है और अब भी यही है।

सन् 1947 से 30 वर्ष तक सत्ता में रहने वाली सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के लिए जरा भी परवाह न की किंतु अब राजनैतिक स्वार्थों के लिए वे घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं। हम दरबारा सिंह जी को इधर उधर भाग दौड़ कर आम जनता को यह बताने की कोशिश करते देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारियों की मांगें सही और वैध हैं और उनको पूरा किया जाना चाहिए। 30 वर्ष से आप क्या कर रहे थे ?

इस बात को बहुत दिन तो नहीं हुए जब दिल्ली में ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया था, उससे भी आपकी आंखे नहीं खुली थीं, कांग्रेस सरकार ने तब कठोर कार्यवाही की थी और अधिकांश को कैद कर लिया गया था, वर्षों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, फिर भूखों मरने के लिए गलियों में फेंक दिया गया। उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के परिवारों से थे, और आज ये लोग उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ?

सबसे बड़ा व्यंग्य तो यह है कि जयप्रकाश जी के समर्थक जिन्होंने सैनिकों और पुलिस कर्मचारियों का आह्वान किया था कि वे गैर कानूनी आदेशों को न मानें वही आंदोलन करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, और इस आह्वान का विरोध करने वाली (इन्दिरा) कांग्रेस अब पुलिस कर्मचारियों का समर्थन कर रही है। यह बड़ी विचित्र बात है।

गृह मंत्री पंजाब की स्थिति को भली भांति जानते हैं, किंतु आसूचना ब्यूरो के निदेशक को भेजने तथा सामान्य पत्र लिखने के अलावा उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। आपने निदेशक को कब भेजा ? आपने इतनी देर क्यों की ? क्या ऐसा आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कारण किया ?

न्यायमूर्ति श्री खोसला की अध्यक्षता में सन् 1966-68 में पुलिस आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दो खंडों में थी। उसमें आसूचना ब्यूरो के प्रमुख श्री मल्लिक को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था आयोग ने क्या कहा था ? उसने कहा कि पुलिस बल को शत-प्रतिशत सदस्यों के परिवारों को आवास दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उनके बच्चों के लिए शिक्षा, कल्याण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। उसमें बहुत बड़े-बड़े अध्याय हैं, मैं उनमें से उद्धरण दे-दे कर सभा के कार्य-बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। गृह मंत्री थोड़ा सा कष्ट करें, और पार्टी घटकों के संघर्ष से थोड़ा

सा समय बचाएं मेरे विचार से वे एक सौम्य व्यक्ति हैं और इस रिपोर्ट को पढ़ें। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि खोसला आयोग की सिफारिशों को संघ शासित क्षेत्रों में कितना लागू किया गया है। यदि आपने लागू नहीं किया है, तो कारण बताएं, और खोसला आयोग की सिफारिशों को लागू न कर पाने के कारण सभा के सम्मुख श्वेत पत्र के रूप में प्रस्तुत करें, और यह बताएं कि क्या आपने राज्यों को भी वही नियम तथा प्रक्रिया स्वीकार करने की सलाह दी है, जैसे कि संघ शासित क्षेत्र में दिखावे के लिए कुछ न कुछ तो किया ही गया है।

गठित किये गये राष्ट्रीय पुलिस आयोग के बारे में मैं "पुराण पंथी" शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये पुराने कट्टर पंथी, नौकर शाह हैं, इन्हें अपनी नाक के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, बंगला, बाग, मेमसाहब से आगे वे कुछ नहीं समझ सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग पुलिस कांस्टेबलों की भलाई कर सकता है? श्री रामानंद तिवारी का क्या हुआ? उन्होंने श्री रामानंद तिवारी जैसे व्यक्ति को आयोग में क्यों नहीं लिया जो पुलिस के सिपाही सम्वर्ग से ही इस उच्चतर पद पर पहुंचे हैं वह उनकी समस्या को समझ सकता है —वह स्वयं भी एक कांस्टेबल था और जो सामान्य पुलिस कर्मचारियों के जीवन को अच्छी तरह जानता है। कुछ भी तो नहीं हो पाया है।

मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वे अशांति के मूल कारणों को ढूंढें। राजनीतिज्ञों और पुलिस कर्मचारियों पर दोषारोपण करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को तुरन्त रिहा किया जाए; सभी मामले वापिस लिये जाएं और बिना किसी दांडिक कार्यवाही के बर्खास्त व्यक्तियों को पुनः बहाल किया जाए। किसी भी व्यक्ति पर कोई दांडिक कार्यवाही न की जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने भले ही देर से ही सही, परन्तु पुलिस कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ा दिए हैं, जिनका मूल्य लगभग 100/-रुपये प्रतिमाह बैठता है, और यह एक अच्छा कदम है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और बिहार में पुलिस कर्मचारियों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है। फिर अन्य राज्यों के पुलिस कर्मचारियों से यह भेद-भाव क्यों बढ़ता जा रहा है? इसी प्रकार यह अधिकार रक्षा सेना के कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए, उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक क्यों माना जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि माननीय श्री पटेल यह बताएं कि क्या वे क्षोभ के समुचित कारणों पर नए सिरे से विचार करेंगे, यदि करेंगे तो कितनी जल्दी कार्यवाही करेंगे, और खोसला आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है, उसमें दी गई सिफारिशों पर पूरी तरह से कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। उन्हें तीन महीने के भीतर ही श्वेतपत्र प्रकाशित कर सदन के पटल पर रखना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझ नहीं पा रहा कि अब जबकि राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित कर दिया गया है, तो माननीय सदस्य खोसला आयोग की रिपोर्ट के बारे में इतने उत्सुक हैं? क्यों हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि इसमें राजकोष की बड़ी धनराशि खर्च हुई है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे मालूम है पर आपको याद होगा कि यह अतीत की बात है,

और मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कितना कार्य हुआ था ....

श्री ज्योतिर्मय बसु : रिपोर्ट कहां है ?

श्री एच० एम० पटेल : उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है......

श्री ज्योतिर्मय बसु : अंतरिम रिपोर्ट क्या है ? अंतरिम रिपोर्ट कहां है ? क्या उसे उन्होंने सदन के पटल पर रखा है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह अभी सभा के पटल पर नहीं रखी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे मालूम हुआ है कि आप उसमें कुछ पैरा और सिफारिशें बदल देने की बात कह रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : आपको शक हो सकता है। किंतु हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुलिस कर्मचारियों की कार्य की परिस्थितियां संतोषजनक नहीं हैं, उनका वेतनमान आदि असंतोषजनक है ? मैंने अपने वक्तव्य में बहुत सी शिकायतों के बारे में बताया था, जिन पर पुलिस कर्मचारियों ने खास तौर से बल दिया था, अर्थात् आवासों की अपर्याप्तता, अर्दली का नौकर के रूप में उपयोग, छुट्टी के दिन के लिए अतिरिक्त वेतन आदि......

अध्यक्ष महोदय : अत्यावश्यक बात यह है कि : क्या आप इन सब को लागू कर रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम भारत सरकार के सम्मुख इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम यही प्रयास करेंगे कि आदेश शीघ्र ही पारित किए जाएं। जहां तक एसोसिएशन का प्रश्न है। श्री ज्योतिर्मय बसु के कहने के बावजूद भी पुलिस, सशस्त्र सेनाओं और अन्य ऐसे बलों के बीच निःसन्देह कुछ भेद तो होना ही चाहिये ....

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्यों ?

श्री एच० एम० पटेल : संभवतः उनके लिए यह समझना कठिन है। किंतु सामान्यतः ऐसा ही है। एसोसिएशन बनाने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानूनी स्थिति यह है कि पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम के उपबंध के अनुसार सही शब्द है अधिकारों का निबंधन 1966, पुलिस कर्मचारी केवल मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के सदस्य ही बन सकते हैं।

अब, जहां तक मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों का सम्बंध है उनके लिए कुछ मार्ग दर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं। उदाहरण के लिए केवल सेवारत पुलिस कर्मचारी ही इनके सदस्य हो सकते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी पुलिस एसोसिएशन का न तो सदस्य बन सकता है और न ही पदाधिकारी। ये कुछ नियम हैं जिनकी जांच की जा रही है। आशा है कि शीघ्र......

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितना शीघ्र ?

श्री एच० एम० पटेल : बहुत शीघ्र।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितना बहुत शीघ्र कितना ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत शीघ्र। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय का वक्तव्य हजारों साधारण कांस्टेबलों के जीवन और कार्य की परिस्थितियों के प्रति और उपेक्षापूर्ण, आपराधिक और निंदनीय उदासीनता का परिचायक है।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : इस सम्बंध में शब्द "आपराधिक" संसदीय नहीं है। वह दूसरे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं........

अध्यक्ष महोदय : "आपर धिक लापरवाही" असंसदीय नहीं है।

प्रो० समर गुह : इस संदर्भ में।

श्री चित्त बसु : मैंने कहा "आपराधिक उदासीनता"। वह "आपराधिक उदासीनता" का अर्थ जानते हैं। मैंने उन्हें अपराधी नहीं कहा है किंतु उनका कार्य कुछ इस प्रकार का हो सकता है।

मेरा विचार है कि उनके वक्तव्य का सारांश यह है कि उन्होंने देश को संविधान में प्रदत्त अधिकारों द्वारा एसोसियेशन बनाने और शांतिपूर्वक अपनी शिकायतों को बताने का मूलभूत अधिकार देने से इन्कार किया है। उनके वक्तव्य में न केवल पंजाब के बल्कि देश भर के पुलिस कर्मचारियों को एक अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई है। यह प्रजातंत्र को अप्रत्यक्ष धमकी है, ऐसे लोगों को धमकी है जो प्रजातान्त्रिक ढंग से अपने को संगठित करना चाहते हैं और प्रजातंत्र को हमारे जीवन में बनाये रखना चाहते हैं। मैं उनके वक्तव्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदन मुझसे सहमत होगा कि वक्तव्य का सारांश प्रजातंत्र-विरोधी है, समय के अनुकूल नहीं है और जनता पार्टी द्वारा प्रजातंत्र को बहाल करने और उसका और अधिक विस्तार करने के लिए जनता को दिये गए वचन के अनुरूप नहीं है। प्रजातंत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उनका वक्तव्य अधिक से अधिक खतरनाक तरीके से प्रजातांत्रिक अधिकारों को कम करने की छिपी धमकी है।

जहाँ तक पंजाब पुलिस के विद्रोह का सम्बन्ध है यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ सामान्य शिकायतें हैं जैसे कि उनके काम के घण्टे सामान्य नहीं हैं, उनके काम में राजनीतिक हस्तक्षेप होता और दबाव पड़ता है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले उनके वेतन कम हैं, उनके लिए तथा उनके परिवारों के लिए विकास स्थान की कमी है, अपने को संगठित करके अपनी न्यायोचित तथा वैधानिक शिकायतों को दूर करने के लिए मजदूर संघ अधिकारों की कमी है। माननीय मंत्री ने हार्दिक अपील की है कि आन्दोलनात्मक रवैया न अपनायें किन्तु अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि आन्दोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। वह मानते हैं कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। किन्तु पंजाब सरकार ने क्या किया है ? उसने पुलिस कर्मचारियों से शस्त्र वापस ले लिए हैं, काफी अधिक संख्या में उन्हें पकड़ लिया है, काफी अधिक संख्या में उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और वह भी कोई नोटिस दिये बिना, सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना जबकि यह उनका मूलभूत अधिकार है। पंजाब सरकार ने गैर-प्रजातांत्रिक ढंग से उन्हें बर्खास्त कर दिया है और काफी अधिक संख्या में नौकरी से निकाल

दिया है, उसने उन्हें जेल में डाल दिया है, उनसे शस्त्र ले लिए हैं, उनके साथ अभद्रता से व्यवहार किया है।

समस्या केवल अभी उत्पन्न नहीं हुई है। 1949-50 में भी न्यायाधीश महाजन की अध्यक्षता में पंजाब में 1949-50 में एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी किन्तु उसकी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश पर पंजाब में एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है किन्तु कोई नहीं जानता कि अध्ययन दल के निष्कर्ष कब प्राप्त होंगे।

एक अन्य समिति अश्विनी कुमार पुलिस कल्याण संगोष्ठी समिति की भी स्थापना की गई थी जिसने 1977 में अनेक कल्याणकारी उपायों की सिफारिश की थी, जिनमें (1) शिकायत परिषद की स्थापना और (2) प्रत्येक राज्य में पूर्णकालिक आधार पर केन्द्रीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल थे। पंजाब सरकार ने अब तक किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों को मजदूर संघ बनाने के सभी प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं और वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए शान्तिपूर्ण तरीके अपनायें। इसके लिए उपयुक्त तरीका यह होगा कि एक शिकायत परिषद की स्थापना की जाए। किसी प्रजातांत्रिक सरकार से कम से कम यह आशा तो की जा सकती है। अब तक पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और बिहार राज्य सरकारों ने उन्हें एसोसियेशन बनाने का अधिकार दे दिया है। महोदय, पुलिस कर्मचारी भी आदमी हैं। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं। उन्हें भी उतने ही अधिकार हैं जितने मुझे। जैसे मुझे बोलने की स्वतन्त्रता है। जैसे मुझे एसोसियेशन बनाने का अधिकार है, जैसे मुझे नेतृत्व करने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, वैसे ही पुलिस कर्मचारियों को भी वही अधिकार होने चाहिएं। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे पुलिस कर्मचारियों को कोई अधिकार न देने की जो नीति अपनायी जा रही उसमें परिवर्तन करेंगे और क्या इस विशिष्ट मामले में सरकार इस विशिष्ट निकृष्ट तथा गैर-प्रजातांत्रिक नियम को, जिसके अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों को एसोसियेशन बनाने का मूलभूत अधिकार देने से इन्कार किया गया है, समाप्त करेगी।

मेरा दूसरा और अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार पंजाब सरकार को उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहेगी और आंदोलनकारियों को तंग न किया जाएगा और सभी पकड़े गए पुलिस कर्मचारियों को छोड़ा जाएगा और जिन्हें बिना कोई कारण बताये नौकरी से निकाला गया है उन्हें वापस लिया जायेगा।

क्या सरकार पंजाब सरकार को सलाह देगी कि पंजाब के गृह मंत्री और पुलिस कर्मचारियों के मजदूर संघों के बीच वार्तालाप आरम्भ किया जाए ?

मेरे विचार से मेरे प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हैं तथा संगत हैं और आशा है आप मंत्री महोदय से इनके उत्तर दिलाने में मेरी मदद करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य किसी कारण से यह सोचते हैं कि मैंने जो वक्तव्य पढ़ा है वह घोर उपेक्षापूर्ण आपराधिक और निन्दनीय उदासीनता का परिचायक है। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरे वक्तव्य में निन्दनीय उदासीनता कहां दिखायी देती है......

श्री चित्त बसु : इसका प्रत्येक शब्द निन्दनीय है। श्री एच० एम० पटेल वस्तुतः हमसे अधिक यथार्थपरक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है।

जहाँ तक इसके आपराधिक होने का प्रश्न है, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी अन्य लोगों की तरह इसके लिए उत्सुक हूं कि पुलिस को उचित, न्यायपूर्ण और यथासम्भव अच्छा व्यवहार मिले।

इन्होंने उपेक्षापूर्ण कहा है। आप उपेक्षापूर्ण कैसे कह सकते हैं जब मैं इसके लिए उत्सुक हूं कि ये सब चीजें होनी चाहिएं। मैं ये आरोप स्वीकार नहीं करता...(व्यवधान) मैं भी उतना उत्सुक हूं और इसीलिए मैंने यह कहा है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों तथा अन्य सिफारिशों को, जिन पर विचार हो रहा है, यथासम्भव शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए।

श्री ज्योतिमय बसु के प्रश्न 'कब और कितनी जल्दी' के उत्तर में मैंने कहा था 'बहुत शीघ्र' और जब इस पर विशेष बल देने के लिये कहा गया तब मैंने कहा था" शीघ्रातिशीघ्र", अब पुलिस कर्मचारियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण के निर्मम अथवा क्रूर होने के संबंध में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये। इस पर भी यदि मेरे माननीय मित्र यह नहीं समझते कि संगठन के अधिकार के संबंध में आन्दोलन को कुछ सुनिश्चित आधारों पर ही मान्यता दी जानी चाहियें, क्योंकि संगठन का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है और प्रदान किया जाना चाहिये किन्तु एक परिसीमित रूप में ही। हमारा यह भी दृष्टिकोण है यह नहीं कि इसे किसी ने छीन लिया है। यह अधिकार संसद् ने ही उनसे वापिस लिया था। जिन्हें आप मूलभूत अधिकार कहते हैं। (व्यवधान) संसद् एक संस्था है।

श्री सोमनाथ चैटर्जी (जादवपुर) :—संसद् ने ४२वां (संविधान) संशोधन अधिनियम भी पास किया था।

श्री एच. एम पटेल :—इसीलिये मैं यह कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :—उन्होंने आपसे तीन सवाल पूछे हैं। क्या आप पुलिस कर्मचारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह परिवर्तन करेंगे ?

श्री एच. एम. पटेल :—मेरे दृष्टिकोण में पहले ही परिवर्तन आ रहा है मगर पूर्णतः उनके संतोष के अनुकूल नहीं किंतु मेरे विचार में यह पुलिस कर्मचारियों के सन्तो। के अनुकूल अवश्य है।

अध्यक्ष महोदय :—उनका दूसरा प्रश्न अधिनियम के निर्मन के संबंध में है।

श्री एच. एम. पटेल :—यह संभव नहीं हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ इन अधिकारों का कुछ सीमा तक प्रतिबन्ध अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय :—उनका अंतिम प्रश्न यह है कि क्या आप पंजाब सरकार से उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिये कहेंगे ?

श्री एच. एम. पटेल :—हमने पंजाब सरकार से उदार रूख बरतने के लिये कह दिया है। मैं पंजाब सरकार को यह परामर्श देकर हर्षित हूंगा कि वे जहां तक संभव हो उदार दृष्टिकोण ही अपनायें किंतु यह अनुशासन को बनाये रखने के अनुकूल ही होना चाहिये।

श्री सोमनाथ चैटर्जी :—क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे और कोई कार्यवाही तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वह अपरिहार्य न हो जाये ? इस संबंध में कोई जांच नहीं चल रही है और न ही कोई अभियोग पत्र है ?

अध्यक्ष महोदय :—अब, श्री रामधारी शास्त्री !

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : मान्यवर, यह समस्या जितनी गम्भीर है उसके मुकाबले माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान है उससे ऐसा लगता है कि इस समस्या को वे कोई समस्या नहीं मानते हैं। वे समझते हैं कोई साधारण सी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि वे बड़े ऐंगशस हैं, वे बड़े इच्छुक हैं कि यह विभिन्न शिकायतें जो कि लगभग सभी राज्यों में विद्यमान हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक शीघ्रता से विचार किया जाए और इन मामलों में से कुछ का अध्ययन राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा किया जा चुका है। आखिर में वे कहते हैं कि मैं पुलिस कर्मचारियों से हार्दिक अपील करता हूं कि मैं जो आश्वासन दे रहा हूं उन्हें मान लें और आन्दोलनात्मक तरीकों का त्याग करें। मैं चाहूंगा मंत्री जी एक, दो, तीन करके बतायें कि कौन से एश्योरेंस उन्होंने दिए हैं। हर चीज का एक निगेटिव पहलू होता है और दूसरा पाजिटिव होना है। इसका निगेटिव पहलू तो मैंने समझ लिया कि केन्द्रीय सरकार से जो फोर्स मांगी गई थी वह दे दी गई लेकिन पुलिसमैन की कठिनाइयों के बारे में क्या एश्योरेंस हैं ? मंत्री जी का स्वयं का बयान है कि 13 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों को भी एलर्ट किया था कि वे सावधान रहें कहीं पंजाब की यह बीमारी वहां भी न फैल जाए। इसके बाद यह कहना कि हमारी इच्छा है कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए तो फिर आपकी इच्छा का मूर्तरूप क्या है ? केवल यह कह देना कि यह स्टेट सब्जक्ट है इससे कोई सरकार बरी नहीं हो सकती है। भारत सरकार को बहुत पहले नोटिस देनी चाहिए थी। इस मामले में 15 अप्रैल को सबसे पहले पटियाला में पुलिसमेन का डिमांस्ट्रेशन हुआ लेकिन उस पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन्स दी हों ऐसा भी नहीं मालूम होता। उसके बाद उनके तमाम प्रदर्शन हुए, एक दो जगह नहीं बल्कि लुधियाना, भटिण्डा सभी जगहों पर। उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि हथियार—घरों पर सेना भेज कर कब्जा करना पड़ा।

उसके बाद उसके निबटारे के लिये कोई काम नहीं हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं —एटीचूड के बारे में जैसा मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है—अभी तक कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। आज पंजाब सरकार की तरफ से जो बयान आया है—मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं—लेकिन यह घोषणा उन को पहले ही कर देनी चाहिये थी, 7 या 8 मई को ही

उन्हें इसका नोटिस ले लेना चाहिये था । पुलिसवालों को तो मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं—उन का आंदोलन बहुत शान्तिपूर्ण था । पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने बयान में कहा है—

"श्री बादल ने पत्रकारों को बताया कि वे पुलिस कर्मचारियों को अपना आन्दोलन वापिस लेने की अपील नहीं करेंगे । उन्होंने कहा कि पुलिस को बढ़े हुए वेतनमानों की मंजूरी का अर्थ सरकारों की कमजोरी नहीं समझना चाहिये ।"

मैं यह कहना चाहता हूं—वह आप के एम्पलाइज हैं, यह अंग्रेजों का जमाना नहीं है, अगर 1946 के पहले की बात होती तो उन से कह दिया जाता कि तुम वापस इंग्लैण्ड चले जाओ, इनको तो इसी देश में रहना है—जब यह बात आप के सामने आई तो आप को तुरन्त अपील करनी चाहिये थी कि आओ, हम एक राउण्ड-टेबिल कान्फरेंस में बैठ जायं, हम सारे मामलों का निपटारा करने के लिये तैयार हैं ।

हमारे गृह मंत्री जी को भी इस का बहुत सीरियस नोटिस लेना चाहिये था, भले ही पुलिस का विद्रोह या इस तरह की घटना होना एक अपवाद है, लेकिन यह भी सही है कि पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के चपरासी से भी कम है, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, यहां तक कि यदि वह दौरे पर जाता है तो उस को एडवांस का पैसा भी नहीं मिलता है । उस के लिये रहने का कोई इन्तजाम नहीं है । उसकी जिंदगी एक जलालत की जिंदगी बनकर रह गई है—ऐसी हालत में भी पुलिस के लोग संतोष से रहते आये – जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं—कृपा कर के इस तरह से हल्के-फुलके बयान न दें और एक एशोरेंस दें कि कितने दिनों में आप इस काम को करेंगे । "वेरी सून" या 'वेरी-वेरीसून' कह देने से कुछ नहीं होगा । "वेरी सून" का मतलब है—2 वर्ष और "वेरी-वेरीसून" का मतलब है—4 वर्ष । आप साफ बतलाइये कि आप कितने दिनों में करेंगे ।

मेरा पहला प्रश्न यह है—क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि जितने प्रदेशों में इसके फैलने की आशंका है—जैसा आप ने स्वयं जाहिर किया है—वहां के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्ज को बुला कर जल्द से जल्द कोई कान्फरेंस करके किसी निश्चय पर पहुंचेंगे कि सारे देश के पुलिस के लोगों के पेस्केल्ज क्या हों, उनकी सुविधायें क्या हों और उनके साथ क्या व्यवहार किया जाय ?

2. आज आई० ए० एस० अफसरों को जो शासन की सब से बड़ी चोटी पर बैठे हैं, एसोसियेशन बनाने का अधिकार है, पी० सी० एस० अफसर एसोसियेशन बना सकते हैं—तो क्या वजह है कि आप पुलिस के लोगों को अपना संगठन बनाने का अवसर देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

3. अन्तिम प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं—कितने और राज्यों में विद्रोह हो जायगा, तब आप ये सारे कदम उठायेंगे—इस के बारे में भी बतला दीजिए ?

श्री एच० एम० पटेल :—श्रीमान्, मेरे मान्य मित्र के अन्तिम प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे पीछे जाना पड़ेगा उन्होंने कहा था कि इससे पूर्व कि हम कोई कार्यवाही करें, यह आन्दोलन और कितने राज्यों में फैलने दिया जायेगा ? वो श्रीमान्, यहां हममें से कोई भी यह नहीं चाहेगा कि

यह पुलिस आंदोलन पंजाब की सीमाओं के बाहर और कहीं भी फैलें, हम आशा करते हैं कि हम उनको शीघ्र ही कुछ अनुशासनात्मक सीमाओं में रखने में सफल हो सकेंगे।

जहां तक उनको आश्वासन देने की इच्छा का संबंध है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं इस विषय पर राज्य सरकारों से परामर्श करूं इन मामलों पर शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जा सके। कुछ माननीय सदस्यों को मेरे "अत्याधिक शीघ्र" शब्द के प्रयोग पर आपत्ति हो तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि हमारी इच्छा यह है कि इन बड़े तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही निश्चित निर्णय किये जायें।

हिन्दू महिलाओं के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार विधि में परिवर्तनों के बारे में याचिका

श्री शरद यादव (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दू महिलाओं के लिये विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन कर बारे में नारी रक्षा समिति, दिल्ली की उपाध्यक्षा, श्रीमती सरला मुद्गल द्वारा हस्ताक्षर की हुई याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

बाबूदिह स्लैग डम्प आफ टिस्को के सम्बन्ध में

दिनांक 6-3-1979 के अतारांकिन प्रश्न संख्या 20.3 के उत्तर के सम्बन्ध में सदस्य का वक्तव्य

श्री ए० के० राय (धनबाद) मैं निर्देश 115 के अधीन अपने 6 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 2023 के उत्तर में इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कड़िया मुण्डा द्वारा दिये गये वक्तव्य की अपरिशुद्धियों और असंगतियों के बारे में बताना चाहता हूं।

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था "जी नहीं। टिस्को ने इस बात से इन्कार किया है कि किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से कोई ठेका दिया गया था।"

बाबूदिह स्लैग डम्म आफ टिस्को में फर्जी ठेकेदारों का मामला इस सदन में 23 अगस्त, 1978 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में उठाया गया था। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस ठेकेदारों के गुण्डों द्वारा स्वर्णरेखा नदी में 6 आदिवासियों और बच्चों को डूबाने के बारे में था।

यदि हम कुछ माह पूर्व गृह राज्य मंत्री का वह वक्तव्य पढ़ें जो उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिया था और इस वक्तव्य को देखें तो दोनों में परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। 23-8-78 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था "कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि क्या वह वास्तविक ठेकेदार था अथवा वह ठेकेदार कौन था जिसके नाम से ठेका दिया गया था ? इस विशिष्ट मामले में श्री सच्चिदानन्द मिश्र फर्जी ठेकेदार प्रतीत होते हैं क्योंकि असली ठेकेदार श्री शियोजी सिंह हैं जो जमशेदपुर के एक अमीर आदमी हैं ! उन्होंने 5.25 लाख रुपए का ठेका लिया था और यह ठेका 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होना था।"

देखने की बात यह है कि किसी भी सदस्य ने श्री सच्चिदानन्द मिश्र का नाम नहीं लिया था। मंत्री महोदय ने यह नाम स्वयं बताया था जिसका अर्थ यह है कि उनको यह नाम उस समय

पता चला अब वह इस मामले की प्रारम्भिक जांच कर रहे थे और जिस मामले पर इस देश में तथा सदन में रोष व्यापत था।

अब इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न के दिये गये उस उत्तर से "टिस्को ने भी इस बात से इन्कार किया है" साफ पता चलता है कि उनके अनुसार कोई फर्जी ठेकेदार नहीं था।

यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि संसद् सदस्य, तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के चेयरमैन श्री भोलापासवान शास्त्री ने बाबूदिह स्लैग डम्प के ठेकेदार द्वारा आदिवासियों की हत्या के मामले में जमशेदपुर का दौरा किया था और उस समय उन्हें छोटानगर डिवीजन के आयुक्त से इस फर्जी ठेकेदार के बारे में पता चला था। यह सब बात सभी समाचार पत्रों में छपी थी। इस सब बातों के होते हुए मंत्री महोदय द्वारा इन्कार करना और टिस्को के गलत वक्तव्य पर भरोसा करना इस बात का संकेत देता है कि वह संसद में अलग वक्तव्य देकर गैर-सरकारी कम्पनी के गैर-कानूनी कार्यों पर पर्दा डाल रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : 23 अगस्त, 1978 को गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, में कहा गया है कि "इस विशेष मामले में श्री सच्चिदानन्द मिश्र फर्जी ठेकेदार प्रतीत होते हैं क्योंकि असली ठेकेदार श्री शियोजी सिंह जी हैं......"

इस वक्तव्य में प्रयोग किये गये शब्द "प्रतीन होता है" से पता चलता है कि यह पक्की तरह नहीं कहा जा सकता कि यह ऐसा ही है। यह समझा गया था कि 6.3.1979 को माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न इसी सन्दर्भ में इस्पात और खान मंत्री से दो बातों के बारे में और जानकारी तथा आश्वासन प्राप्त करने के लिए पूछा गया है। (1) क्या मंत्री महोदय को अब निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है कि श्री सच्चिदानन्द मिश्र एक बेनामी ठेकेदार था, और (2) क्या सच्चिदानन्द एक काल्पनिक व्यक्ति है। प्रथमतः यह महसूस किया गया कि 23 अगस्त, 1978 को गृह राज्यमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से और अधिक निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी पता नहीं था कि क्या सच्चिदानन्द मिश्र एक काल्पनिक व्यक्ति हैं अथवा असली व्यक्ति हैं, जिसके नाम में यह बेनामी ठेका चल रहा है। अतः दोनों तरह से प्रश्न के भाग (क) का उत्तर "ना" में था। शेष उत्तर, कि टिस्को ने भी इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने किसी फर्जी व्यक्ति को कोई ठेका दिया है, केवल उत्तर के समर्थन में और जानकारी देने के लिये जोड़ा गया था।

2. यह कहना ठीक न होगा कि मैंने गलत विवरण दिया था। एक निजी कम्पनी के गैर-कानूनी कार्यों पर पर्दा डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री सूरजभान (अम्बाला)—मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में कतिपय

जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र, 1980 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन)—मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव में' बजट सत्र, 1980 के अन्तिम दिन तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अगले सत्र के अन्तिम दिन तक' प्रतिस्थापित किया जाये।"

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आदेश (संशोधन) विधेयक लोक सभा में 1967 में प्रस्तुत हुआ था। तब इसे दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था। संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन 1969 में प्रस्तुत किया गया तथा उस पर नवम्बर 1978 में छः दिन तक वाद-विवाद और विचार किया गया था। मगर तभी लोक सभा भंग हो गई और विधेयक व्यपगत हो गया। उसके पश्चात यह विधेयक सभा में 1978 में पेश किया गया और संयुक्त समिति में भेजा गया। हमने इसमें काफी समय तो लिया है तथा यदि इसे और विलम्बित किया जाता है तो यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों के प्रतिकूल सिद्ध होगा। इसीलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि प्रतिवेदन इस सभा को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये तथा मैं आशा करता हूँ, कि सभा मेरे संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) – मैं प्रस्ताव रखता हूँ :

"कि प्रस्ताव में 'बजट सत्र, 1980 के अन्तिम दिन तक' शब्दों और अंकों के स्थान पर 'शरदकालीन सत्र, 1979 के अंतिम दिन तक' प्रतिस्थापित किया जाये।

महोदय, प्रस्ताव समय के बजट सत्र, 1980 के अंतिम दिन तक बढ़ाये जाने का है अर्थात् एक वर्ष के समय का बढाया जाना। मैंने प्रस्ताव रखा है कि समय शरदकालीन सत्र, 1979 के अंतिम दिन तक बढ़ाया जाये। अब क्या यह मात्र संयोग है कि इसी प्रकार के इस दूसरे अवसर पर आप पीठासीन हैं, पन्द्रह दिन पहले ही मुझे इसी प्रकार के प्रस्ताव जिसमें ऐसा ही संशोधन पेश किया गया था, प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा आपने मेरे संशोधन को सहमति प्रदान कर अपनी कृपा और विवेक का परिचय दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय—मुझे पुनः उस विवेक के लिये क्या आप आग्रह कर रहे हैं.. ?

श्री हरि विष्णु कामत—महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री चावड़ा से थोड़ा अधिक उदार हूं, वे अगले सत्र के अन्तिम दिन तक समय को बढ़ाना चाहते हैं मैं उसका मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव देता हूं। समिति इसे 1980 के अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढाना चाहती है अर्थात् मई, 1980 के अन्त तक, पूरे एक वर्ष। श्री चावड़ा इसे अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढाना चाहते हैं। इस अवधि के बीच दो सत्र हैं—मौनसून सत्र तथा शरदकालीन सत्र। यदि आप समय के बढ़ाये जाने के कारणों के सम्बन्ध में दिए गए मेरे ज्ञापन पर विचार करें, जो कि 4 पृष्ठ का ज्ञापन है आप समझ जायेंगे कि इसके कुछ पहलू ऐसे हैं, जो स्वतः स्पष्ट हैं। आप कृपया यह देखेंगे

और इस सभा को भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि संयुक्त समिति अगस्त, 1978 में नियुक्त हुई थी। तथा अब तक उसने केवल 8 बैठकें की। पिछली बार अपना संशोधन पेश करते हुए जब मैंने पूछा था तो आपने इस बात पर रोशनी डाली थी कि बैठकों का अर्थ केवल एक बैठक प्रतिदिन ही नहीं होता। एक दिन में दो बैठकें भी हो सकती हैं, कभी कभी प्रतिदिन दो बैठकें भी की जाती हैं, एक सुबह की बैठक और एक दोपहर बाद। किंतु उन्होंने अब तक 8 ही बैठकें की हैं। मैं नहीं समझ पाता कि वे और बैठकें क्यों नहीं कर सकें। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि वे केवल 4 या 5 दिन ही बैठे। कभी कभी एक समिति दोपहर बाद ही बैठती है, यह पहली बैठक हुई और फिर अगले रोज सुबह और शाम को, अर्थात् 2 बैठकें। यदि संगठन का यह तरीका अपनाया जाये तो इसका अर्थ यही होगा कि उन्होंने अभी तक 4 अथवा 5 दिनों में ही बैठकें की। किन्तु कृपया ज्ञापन के पैरा 3 में जो कहा गया है उसे नोट करें —

"समिति ने अब तक 8 बैठकें की हैं इनमें से समिति ने पाँच बैठकें 22 नवम्बर, 1978 को समय बढाये जाने की मंजूरी के बाद में की हैं।"

22 नवम्बर को एक बार पहले ही समय बढाया जा चुका है और उसके बाद उन्होंने 5 बैठकें की। इसलिए, 8 में से 5 घटा दीजिये—अब तक की गई 8 बैठकें और पाँच समय बढाये जाने के बाद अर्थात् इतने दीर्घ अन्तराल में—अन्तर्समावधि,— सितम्बर से नवम्बर तक, लगभग ढाई महीने के समय में उन्होंने केवल 3 बैठकें की। मैं नहीं समझ पाता कि समिति समय के संबंध में इतनी अधिक मजबूर क्यों थी कि वह सितम्बर से नवम्बर के बीच और अधिक बैठकें कर पातीं। आगे देखिये इससे भी खराब स्थिति क्या है ? वे इस एक वर्ष की दीर्घ अवधि में करना क्या चाहते हैं ? उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है कृपया ज्ञापन पत्र के पृष्ठ 3 का पैरा 6 देखें। यह एक लम्बा पैरा है, किंतु यह काफी रोचक है और मैं इसे इसलिये पढ़ रहा हूं कि अन्य सभी सदस्यों ने शायद उसे नहीं पढ़ा है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) :— आपने पढ़ा होगा, किंतु सभी सदस्य आप जैसे नहीं हैं।

श्री के०एस० चावड़ा :— मैंने भी इसे पढ़ा है।

श्री हरि विष्णु कामत :— आपने तो उसे पढ़ा ही होगा क्योंकि आपने संशोधन प्रस्तुत किया है।

पैरा 6 इस प्रकार है :—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक वर्गीकरण के संबंध में प्रथम दृष्टा जानकारी प्राप्त करने तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध संघों तथा संस्थाओं एवं सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से औपचारिक वार्ता उद्देश्य को लेकर...',

कृपया देखें कि कितना बड़ा घरौंदा बनाया गया है, आगे कहा गया है :

"16 सितम्बर को हुई बैठक में समिति ने मौके पर जाकर अध्ययन करने का निर्णय लिया था ।"

यह 'मौके पर जाकर अध्ययन' करने की उक्ति अनेक समितियों के साथ लोकप्रिय होती जा रही है और मुझे नहीं मालूम कि हर समिति क्यों मौके पर जाकर अध्ययन करना आवश्यक समझती हैं । मौके पर जाकर अध्ययन करने के बहाने वे काफी भ्रमण का मौका प्राप्त कर लेते हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन :— आप याचिका समिति के सभापति हैं, आप भी तो मौके पर अध्ययन करने के लिये जाते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत :— नहीं, हम वह अध्ययन यहीं बैठकर करते हैं । मेरी समिति ने दो वर्षों में केवल एक या दो दिन ही दौरा किया था । मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में तो मौके पर जाकर अध्ययन करने को उचित समझ सकता हूं ।

मगर इसमें आगे कहा गया है :

"राज्यों में उन विभिन्न स्थानों का जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जमाव है ।"

चलिए यह भी सही, किंतु आगे क्या है :—

"इस उद्देश्य को लेकर अब तक जनवरी 1979 में समिति के सदस्य केवल चार राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडू का ही दौरा कर पाये हैं ।"

मगर सितम्बर और नवम्बर के बीच वे बिल्कुल भी बाहर नहीं गये, उन्होंने दिल्ली में बैठकर ही अध्ययन किया । इस ज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य इस प्रकार है :—

"समिति को अभी शेष राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जाकर मौके पर अध्ययन करना है......।"

बात का असली मुद्दा यही है । उनका अभिप्राय है कि वे बाकी बचे सभी राज्यों का भ्रमण कर सकें—कुल मिलाकर देश में 22 राज्य हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर):— इसका अर्थ यह है कि आप भी चावड़ा के संशोधन से सहमत हैं ।

श्री हरिविष्णु कामतः - फिर पैरा 7 में यह कहा गया है कि समिति को अभी स्वयं दिल्ली से काफी संख्या में प्राप्त हुए ज्ञापनों और अभ्यावेदनों पर विचार करना है । मगर यह कार्य वे दिल्ली में बैठकर ही आसानी से कर सकते हैं । यहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले संघों, संगठनों और व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य लिये जा सकते हैं । मैं केवल यही और कहना चाहता हूं कि इन संयुक्त समितियों के गठन के बारे में ही कभी-कभी विवाद खड़ा हो जाता है । मैं इसके लिए पार्श्व प्रभाव का प्रयोग करूंगा । यह निदेश 82 के

अन्तंगत है। मेरी समिति—याचिका समिति ने इस आधार पर हानि उठाई है। मैं उन सदस्यों के लिये, जो इसमें रुचि रखते हों, उसे पढ़ना चाहूंगा—

"सभी याचिकायें, जो लोकसभा सचिवालय में प्राप्त होती हैं और नियमों के अधीन ग्राह्य मानी जाती हैं, उस विधेयक, संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति को, यदि वैसी कोई समिति बनाई गई है, निर्दिष्ट समझी जायेंगी। समिति द्वारा उन याचिकाओं की जाँच की जायेगी, जो उन याचिकाओं की, जिनको वह आवश्यक समझें, सुनवाई भी कर सकेगी।"

उस समिति के सामने बड़ी संख्या में याचिकाएं आई भी, जिसका मैं सभापति हूं, और मैं अब भी जबरदस्ती बना हुआ हूँ। इस निदेश के अधीन, याचिकाएं स्वतः ही संयुक्त समिति को भेज दी गई। और हो यह रहा है कि वे याचक मुझे, मेरे कार्यालय तथा मेरी समिति के पास आकर तगाजा करते रहते हैं, तगादा इस रूप में कि "मेरी याचिका का क्या हुआ - इत्यादि"। मैं उनको यही कहता हूं कि वह उचित स्थान पर, जहाँ कि नियमों के अधीन उसे जाना चाहिये, पहुंचाई जा चुकी है। इसलिए वे प्राय संयुक्त समितियों के पास अनिर्णीत पड़ी हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री चावड़ा ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर इससे काफी अन्याय हो सकता है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वे याचिकाएं जो समिति को भेजी जा चुकी हैं, उनको निपटाने में काफी समय लग जायेगा (**व्यवधान**) और वे याचक लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है, इस बात की शिकायत करेंगे यदि उसमें काफी विलम्ब होता है। एक दिष्शोक्ति है जिसे मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता—"न्याय में विलम्ब होना, न्याय देने से मना कर देने के बराबर है।" इस संदर्भ में भी जब याचिकाएं काफी देर तक स्थगित रखी जाती हैं, तो वे याचिका का अपना स्वरूप ही खो देती हैं, और अन्तिम निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता, यदि आप अत्यन्त दीर्घकाल तक उन्हें निलम्बित रखेंगे। इसलिये मैं उस संशोधन को स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं यदि सभा उससे सहमत हो अर्थात् यदि सभा कुछ और समय तो दे किन्तु इतना अधिक नहीं। मैं सहमत इसलिये हूंगा कि प्रस्तुत समय तथा अगले मौनसून सत्र के बीच संभवतः केवल 7 सप्ताह ही होंगे। (व्यवधान)

मुझे खेद है कि गृहमंत्री महोदय भी इस मामले में अर्न्तग्रस्त हैं, गृहमंत्री महोदय ने ज्ञापन के अनुसार अध्ययन करने का वचन दिया है, कृपया पृष्ठ 2 का अवलोकन करें।

अधिक समय मांगने का दूसरा कारण यह है कि प्रथमतः अर्थात् जब समिति गठित की गई, केवल दो राष्ट्रपति आदेशों को ही उनको भेजा गया था। बाद में 15 राष्ट्रपति आदेश उन्हें और प्राप्त हुए। इसका पैरा 5 में उल्लेख है जो कहता है कि :

"यद्यपि इरादा 1950 से लेकर अब तक पारित किये गये सभी 15 राष्ट्रपति आदेशों की जाँच को पूरा कर लेना था ....।

किंतु इस कमी को समिति की पहली बैठक में ही जान लिया गया। नहीं, नहीं, पिछले वर्ष नहीं, इसी वर्ष उन्होंने इस कमी को पहचाना, उस समय से अब तक 7 अथवा 8 महीने बीत गये हैं। 21 मार्च को हुई उनकी बैठक में उस कमी को पहचाना गया, तत्परता कहूं या विलम्ब, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं ? (**व्यवधान**)

अन्त में 15 राष्ट्रपति आदेश प्रकाश में आये और उनको समिति को भेजा जा रहा है (व्यवधान) अभी नहीं। यह इसी कारण है । यहाँ आकर इसमें कहा गया है—मैं उद्धरित करता हूं।

"..... सभी 15 राष्ट्रपति आदेशों की जांच करने का निर्देश देने वाला आवश्यक प्रस्ताव तदनुसार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा"—मेरे विचार में श्री पटेल द्वारा।

एक माननीय सदस्य :— श्री धनिकलाल मंडल (व्यवधान)।

श्री हरिविष्णु कामत :— मेरे विचार में यहाँ युग्म है। यह एक स्नेहपूर्ण शब्द है । युग्म शब्द दो से एक बेहतर शब्द है—यह अधिक स्नेहपूर्ण शब्द है, तदनुसार इस सत्र में, वर्तमान सत्र में गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किया जायेगा। मगर अभी तक तो पेश किया नहीं गया। मुझे मालूम कि वह कब प्रस्तुत होगा ? यह कल हो सकता, परसों अथवा 18 तारीख से पहले पहले।

श्री सोमनाथ चैटर्जी :— यह श्री रवीन्द्र वर्मा की कार्य सूची में दर्ज नहीं है।

श्री हरिविष्णु कामत :— समिति को इसका वचन दिया गया था। इसका आडर किया जायेगा। वचन यह दिया गया था कि यह प्रस्ताव इसी सत्र के दौरान किया जाना चाहिये। तब, इस प्रस्ताव के पेश किये जाने के बाद, 15 आदेश सामने आयेंगे। इसलिये, यदि श्री चावड़ा समिति के प्रति कुछ और अनुग्राही हों, मैं नम्र अथवा उदार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मगर जब दो आदेश उनके विचारार्थ भेजे गये तो उन्होंने इतना अधिक समय लिया, नियमों के अधीन जब 15 आदेश उनको भेजे जायेंगे तो पता नहीं वे कितना समय लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :— आनुपाती आधार पर।

श्री हरिविष्णु कामत :— मुझे नहीं मालूम वे अनुपातत: कितना समय लेंगे ? मुझे आशा है कि वे कुछ अधिक शीघ्रगामी होंगे और प्रथम कार्यविधि में कुछ सुधार करेंगे। संसद ने सदा, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था—सरकार की कार्यकारिणी से अधिक कार्यक्षमता के लिये प्रतिष्ठा पाई है। और संसदीय समिति वस्तुत: एक प्रकार की लघु-सभा है, एक लघु-संसद है। इसलिए उन्हें एक उदाहरण पेश करना चाहिये, अधिक कार्यक्षमता का एक नमूना, जनता के कार्यों के लिये एक शीघ्रत्तमकर्त्ता तथा वास्तविक उत्साह का एक प्रतिमान सामने रखना चाहिये। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम ससदीय लोकतंत्र वाले देश में एक प्रभावी आदर्श पेश करते हैं। यह देश संसदीय प्रजातंत्र पर आधारित है, कार्यकारिणी पर आधारित नहीं है न ही यहां सरकारी लोकतंत्र की व्यवस्था है। संसद को इसलिये एक उदाहरण पेश करना चाहिए तथा सभी समितियों को इस विषय में एक उदाहरण जनता के सामने रखना चाहिये।

इसलिये सभा यदि अब भी इस बात पर बल देती है तथा मैं खुश हूं यदि वे इस पर बल दें कि उन्हें समय केवल अगले सत्र, मौनसून सत्र तक ही दिया जाना चाहिये। मैं प्रथम संशोधन उनके पक्ष में वापिस लेने के लिये तैयार हूं। किन्तु यदि सभा कुछ और समय—कुछ और रियायत

उनके लिए कुछ और समय की सुविधा देने के लिये प्रस्तुत है (व्यवधान)। मेरे लिये नहीं (व्यवधान)। यह सभा के समक्ष मतदान के लिये पेश किया जायेगा और यदि सभा इसे स्वीकार कर ले तो मैं हर्षित हूंगा। (व्यवधान) मैं इसे इस समय वापिस नहीं लेता। यदि सभा इसे स्वीकार नहीं करती तो, मेरा संशोधन अगले सत्र में प्रस्तुत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :—यदि सभा श्री चावड़ा के संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो आपका संशोधन तो स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत :—मेरा संशोधन है शरद्कालीन सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए उनका संशोधन है अगले सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह प्रथम दिन है अथवा अन्तिम दिन क्योंकि सितम्बर और नवम्बर के बीच 2 महीने का अन्तराल होगा। उस गति से, जिससे कि वे कार्य कर रहे हैं। तब तो वे पुनः अगली बार भी फिर समय बढ़ाने के लिए कहेंगे। हमने पिछली समिति, सहकारिता समिति के बारे में यह देखा ही है। वे एक बार समय बढ़ाने के लिए आये, फिर दूसरी बार उन्होंने समय बढ़ाने के लिये कहा, और अन्त में तीसरी बार उन्होंने समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव रखा। (व्यवधान) मैं उन्हें उस स्थिति का सामना करने के लिए प्रतिकूल नहीं हूं कि वे तीसरी बार समय बढ़ाने के लिए कहें। यदि दूसरी बार ही समय बढ़ाते समय कुछ अधिक उदारता से काम लिया जाये, तो मैं आशा करता हूं कि वे तीसरी बार समय बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप पहले मतदान के लिए सभा में श्री चावड़ा के प्रस्ताव को रखें। यदि यह स्वीकृत हो जाता है, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री सूरजभान (अम्बाला) :—उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय चावड़ा जी और सम्मानीय कामत साहब का मैं बहुत आदर करता हूं और आभारी भी हूं कि उन्होंने कुछ चीजें कहकर मुझे कुछ ऐसी चीजें हाउस को बताने का मौका दिया है जिससे हाउस को पता लगे कि हम क्यों एक्सटैंशन का टाईम माँग रहे हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि 1968 में ज्वायन्ट कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और वह हाउस में डिस्कस भी हुई। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि वह इसलिए रोकी गई कि उस समय हाउस डिजाल्व हो गया था। बात यह थी कि वह रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल थी इसलिए उस वक्त उस पर डिस्कशन रोक दिया गया। बाद में हाउस डिजाल्व हो गया इसलिए वह फर्दर डिस्कशन के लिए नहीं आ सकी। अगर यह हाउस चाहे कि पहली कमेटी की रिपोर्ट पर ही यह कमेटी भी अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दे, तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस पहली कमेटी के पास सिर्फ 262 रिप्रेजेन्टेशन्ज आये थे, जबकि इस कमेटी के पास 1200 रिप्रेजेन्टेशन्ज आ चुके हैं, और रोजाना और आ रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जितनी देरी करेंगे, उतने ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन्ज आयेंगे।

श्री सूरजभान : जैसा कि मैंने अभी कहा है, पहली कमेटी की रिपोर्ट केवल इसलिए नहीं रोकी गई कि हाउस डिजाल्व हो गया था, या हाउस डिजाल्व होने की वजह से उस पर डिसक्शन रुक गया था, बल्कि वह रिपोर्ट कांट्रोवर्शल थी, **इट वाज फुल आफ डिसेंटिंग नोट्स,** और हाउस किसी फैसले या नतीजे पर नहीं पहुंच सका ।

माननीय सदस्य, श्री कामत, ने कहा है कि अगर दो प्रैजिडेंशल आर्डर्ज को शामिल करने में इतनी देर लग गई है, तो पन्द्रह प्रैजिडेंशल आर्डर्ज को शामिल करने में कितनी देर लग जायेगी । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पन्द्रह प्रैजिडेंशल आर्डर्ज को शामिल करना जरूरी है । ये पन्द्रह प्रैजिडेंशल आर्डर्ज यूनियन टेरिटरीज के बारे में हैं । मैं केवल दो यूनियन टेरिटरीज का जिक्र करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कितनी धांधली चल रही है । अंडमान की आबादी एक लाख और 20 या 25 हजार है । उस आबादी में से 90 हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ट ट्राइब्ज़ हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 हजार को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ माना गया है और बाकी 83 हजार को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ नहीं माना गया है । जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि अगर उन सबको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ मान लिया जाता, तो वहाँ की अकेली पार्लियामेंटरी सीट रिजर्व हो जाती, वह सीट जेनरेल न रहती । केवल एक सीट के लिए उन लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ नहीं माना गया है ।

मैं केवल एक उदाहरण और देना चाहता हूँ । दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे, कितनी गड़बड़ हो रही है । चिराग तले अन्धेरा वाली बात है । पिछली गवर्नमेंट के आर्डर्ज थे—जो अभी भी फालो हो रहे हैं—कि अगर 1952 के बाद हिन्दुस्तान के किसी हिस्से से शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कोई आदमी आकर दिल्ली में बसा है, तो वह दिल्ली में शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ नहीं माना जायेगा । इसका नतीजा यह है कि फर्ज कीजिए कि 1960 में कोई आदमी महाराष्ट्र से आकर दिल्ली में बसा है, तो दिल्ली में उसे शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का नहीं माना जायेगा, क्योंकि वह 1952 के बाद दिल्ली में आये हैं, और महाराष्ट्र में उसे इसलिए शिडयूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का नहीं माना जायेगा कि वह 1960 के बाद वहाँ से आ गया है । इस तरह वह दोनों जगह महरूम रह जायेगा । इसके पीछे एक पोलीटिकल रीजन है कि अगर बाहर से आकर दिल्ली में बसने वालों को भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ मान लिया जाये, तो यहाँ एक की जगह दो पार्लियामेन्ट्री सीट्स रिजर्व हो जाती हैं ।

मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जल्दी पेश हो जाये, लेकिन इसके दो ही तरीके हैं । या तो हाउस कह दे हालांकि वह ठीक नहीं होगा कि हम पुरानी जायंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी फाइंडिंग्ज दे दें । वह गलत होगा । पिछली कमेटी के पास 262 रिप्रेजेन्टेशन्ज आये थे, जबकि इस कमेटी के पास 1200 रिप्रेजेन्टेशन्ज आये हैं । गुजरात की सिचुएशन तो मेरी समझ में आती है, जिसके कारण माननीय सदस्य ने अभी कहा है । लेकिन अगले साल इलेक्शन सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सिक्किम में भी होंगे । और जगह भी गड़बड़ है । अगर कोई ऐसा

प्रोसीजर हो, तो हाउस यह डायरेक्शन दे दे कि कमेटी एक इन्टेरिम रिपोर्ट दे दे। हम चार स्टेट्स को एग्जामिन कर चुके हैं—हम गुजरात को भी एग्जामिन कर चुके हैं। इसलिए हम गुजरात के बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जायंट सिलेक्ट कमेटी एक इनटेरिम रिपोर्ट दे दे। **लेट दि हाउस डायरेक्ट दि कमेटी।** लेकिन वह गलत होगा।

श्री हरि विष्णु कामत :—जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, दिसम्बर चरम सीमा है।

श्री सूरजभान : माननीय सदस्य ने कहा है कि कमेटी **आन दि स्पाट** जाने के बजाये दिल्ली में बैठकर ही अपना फैसला दे दे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के जो आदमी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वे यहाँ आकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : जहाँ जाना जरूरी है, वहाँ जाइये।

श्री सूरजभान : सब जगह जाना पड़ेगा। हम **पिक एंड चूज** कैसे करेंगे ? यह कैसे हो सकता है कि हम अंडमान में जायें और लक्षद्वीप में न जायें, हिमाचल प्रदेश में जायें और पंजाब में न जायें ? हम कोशिश करेंगे कि हम विन्टर सेशन के आखिर में अपनी रिपोर्ट दे दें।

मैं अपनी पूर्ण कोशिश करूँगा। मैंने इसलिए बजट सेशन तक का समय माँगा है कि एक ही बार माँग लें, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिसम्बर तक रिपोर्ट दे दूं। आगे हाउस की मर्जी है जैसा चाहें वह करें।

उपाध्यक्ष महोदय :—हमारे सामने दो संशोधन हैं।

श्री हरि विष्णु कामत :—अब और शरद्कालीन सत्र के बीच 4 महीने का अन्तराल होगा। यह समय दौरों इत्यादि के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : —संशोधनों के सम्बन्ध में क्या कोई सहमति हो गई है ?

श्री के० एस० चावड़ा : —यदि मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाए तो मैं हर्षित हूंगा मगर यदि शरद्कालीन सत्र के आगे समय को नहीं बढ़ाया जाता तो मैं श्री कामत के संशोधन से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :—क्या आप श्री कामत के संशोधन के पक्ष में अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री के० एस० चावड़ा :—जी हाँ, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :—क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान करती है।

माननीय सदस्य : - जी हाँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय :—अब मैं श्री कामत का संशोधन प्रस्तुत करूँगा।

श्री हरि विष्णु कामत :—मैं इसे पढ़ूंगा।

श्री सूरजभान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में चाहूंगा कि "बजट सत्र, 1980 के अंतिम दिन "**शब्दों और अंकों के स्थान पर**" शरद्कालीन सत्र, 1979 के अन्तिम दिन" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :—अब मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करूँगा।

प्रश्न है :

श्री सूरजभान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में,

"बजट सत्र, 1980 के अंतिम दिन, शब्दों और **अंकों के स्थान पर**" शरद्कालीन सत्र, 1979 के अंतिम दिन" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :—अब मैं श्री सूरजभान के प्रस्ताव को उस रूप में, जैसा कि श्री कामत ने उसमें संशोधन किया है, सभापटल पर रखूंगा !

प्रश्न है :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शरद्कालीन सत्र, 1979 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

दादरी स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा यात्रियों के बीच मुठभेड़

एक श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

पिछले सप्ताह दादरी स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो झगड़ा हुआ था वह साम्प्रदायिक नहीं था। यह झगड़ा छात्रों और यात्रियों के बीच हुआ था, विशेषतः दूध वाले, दफ्तर जाने वाले और अन्य छात्र जो उसी गाड़ी में जाना चाहते थे, किन्तु उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया था। यह झगड़ा अलीगढ़ से ही शुरू हो गया था, जहाँ गाड़ी में विलम्ब हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने 45 मिनट तक गाड़ी को चलने नहीं दिया और दादरी में आकर झगड़े ने गम्भीर रूप धारण कर लिया जो निन्दनीय हैं। सरकार को रेल विभाग, गुप्तचर विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने चाहियें ? उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस पर बधाई देनी चाहिये कि किस प्रकार उन्होंने स्थिति का सामना किया। उस झगड़े के बाद की धारणाओं की भी निन्दा की जानी चाहिये।

क्या मैं मन्त्री महोदय से इस पर कुछ शब्द कहने का अनुरोध कर सकता हूं ?

गृह मंत्री (श्री एच. एम. पटेल) : उनका कथन उस सीमा तक ही सही है कि जैसे ही गाड़ी अलीगढ़ से चली यह झगड़ा आरम्भ हो गया किंतु यह झगड़ा छात्रों ने अपनी उत्तेजित भयस्थिति में किया। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, जब यात्रियों ने गाड़ी में घुसने की कोशिश की तो छात्रों के साथ वास्तविक झगड़ा शुरू हुआ क्योंकि गाड़ी में भीड़ बहुत थी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह कहना कठिन है कि सही स्थिति क्या है।

(दो) दक्षिण भारत में कतिपय इस्पात संयंत्रों की योजनाओं को रद्द करना

श्री आर० कोलनथाइवेलु (तिरुचेंगोड)—श्रीमान, सेलम इस्पात परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट दो बार तैयार की गई। दूसरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली थी और प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया था। परन्तु अब इस रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया गया है और यह कारखाना केवल फैब्रीकेशन कारखाना बन कर रह गया है। जब कि सलेम इस्पात परियोजना का तो यह दुर्भाग्य रहा ही, मंगलौर इस्पात कारखाने का निर्माण भी रोक दिया गया है। गत वर्ष के चिकमंगलुर चुनाव के समय इसकी घोषणा की गई थी। शासक दल की बुरी पराजय के बाद, मंगलौर इस्पात कारखाने को स्थगित कर दिया गया। विजय नगरम कारखाने का कार्य भी रुक गया है। यदि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए औद्योगित वातावरण अनुकूल नहीं है, तो कोई भी सरकार के शिथिल दृष्टिकोण को समझ सकता है। 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी के पदारूढ़ होने पर प्रदीय इस्पात कारखाने का विचार पेश किया गया था। दो वर्ष के भीतर यह कारखाना लगभग आधा-पूरा हो गया। अब जबकि एक ओर इस्पात का आयात किया जा रहा है, दूसरी ओर सेलम इस्पात कारखाने विजयानगरम इस्पात कारखाने और मंगलौर इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य को समाप्त कर दिया गया है। इस्पात मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या इस मामले में दक्षिण भारत की अपेक्षा नहीं की जा रही है।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज भण्डारण की समुचित व्यवस्था न की जाने पर खाद्यान्नों का नुकसान

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) :—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय खाद्य निगम के कुप्रबन्ध के फलस्वरूप जहां आज हजारों कृषकों को अपना गेहूं समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचना पड़ रहा है वहां भण्डारण की दोषपूर्ण व्यवस्था से करोड़ों रुपयों का अनाज नष्ट होता जा रहा है। विगत दिनों विभिन्न समाचार-पत्रों में अनाज की बर्बादी के जो आंकड़े आये हैं, वे वास्तव में चौंका देने वाले हैं। एक ही वर्ष में करोड़ों की हानि वास्तव में विचारणीय है। हम अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग अव्यवस्था के फलस्वरूप नष्ट कर देते हैं। भारतीय खाद्य निगम की खरीदी, भण्डारण, रख-रखाव आदि के बारे में यद्यपि कई बार चर्चायें की जाती रही हैं किन्तु परिणाम शून्य है और आज स्थिति सुधार के बजाय खराबी की ओर है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी इसी दोषपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि हम रूस को निश्चित मात्रा में समय पर गेहूं नहीं दे सके हैं और न वियतनाम को दिए गए आश्वासन

की ही पूर्ति कर सके हैं। आज यद्यपि खरीदी कहीं-कहीं बढ़ रही है किन्तु उसकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। खरीदा गया गेहूं बाहर खुले मैदानों में पड़ा है। उसे भरने के लिए गनीबैग्ज भी उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि निगम को इस बात का ज्ञान था कि उसे खरीदी करनी है और उस दृष्टि से कहां क्रय केन्द्र होंगे, कितनी खरीदी प्रत्येक केन्द्र पर संभावित है, भण्डारण की क्या व्यवस्था होगी तथा यातायात का क्या प्रवंध है आदि, किन्तु ऐसा लगता है इन सभी बातों की ओर दुर्लक्ष्य किया गया है जिससे किसान भी परेशान हैं और गेहूं बर्बाद होने की पूरी-पूरी सम्भावनायें हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए जिससे कि किसान परेशान न हों, अनाज बर्बाद होने से बचे व करोड़ों की आर्थिक हानि को रोका जा सके। इसी प्रकार वर्तमान में भण्डारों में रखे गए गेहूं व चावल की पूरी हिफाजत की जाए अन्यथा अनाज खराब होकर अनुपयोगी होने की सम्भावना है जिससे कि आज हो रही करोड़ों की हानि और बढ़ सकती है। खाद्य निगम की कई दुर्व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज सांसदों को धरना भी देना पड़ रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण स्थिति को गम्भीरता से लें व तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करें जिससे किसानों को समर्थन मूल्य मिले, अनाज बर्बादी से बचे व करोड़ों की आर्थिक हानि रोकी जा सके।

(चार) नेपाल में राजनैनिक अशांति

श्री मणिराम बागड़ी (मथुरा) :—उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के बारे में आपने नियम 377 के अन्तर्गत मुझे अनुमति दी है, मैं सबसे पहले महामानव डा० लोहिया को सलाम करूंगा जिन्होंने नेपाल दिवस मना कर के..................

उपाध्यक्ष महोदय :—आपने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसको पढ़िये।

श्री मणिराम बागड़ी :—उसके बाद श्री बी० पी० कोयराला, बूढ़ा शेर जो जेल काटते-काटते थक गया है, आज भी जेल काट रहा है..................

उपाध्यक्ष महोदय :—आपने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसी को पढ़ें।

श्री मणिराम बागड़ी :—मैं उसी को पढ़ रहा हूं।

नेपाल की जनता ने हमेशा ही श्री जयप्रकाश नारायण व डा० राम मनोहर लोहिया की रहनुमाई में अंग्रेजी राजशाही के खिलाफ भारतीय जनता की मदद की थी। जब हम लोग जेलों में थे तो आशा करते थे कि दुनियाँ भर के देश जनतन्त्र के वास्ते हमारे देश में हमारी मदद करें। यदि हम इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते तो इसका मतलब होगा कि भारत नेपाल को किसी और मुल्क की गोद में डाल रहा है। आज नेपाली भागकर भारत में आ रहे हैं और शरण ले रहे हैं। बड़े दुःख की बात है कि नेपाल की जनता जब रोष प्रकट करने को दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में जा रही थी तो उन पर लाठी और अश्रुगैस छोड़ी गई।

मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठायेगी। श्री जयप्रकाश नारायण खुद काम नहीं कर सकते हैं, परन्तु उनके सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। आप

देश की जनता की भावनाओं को समझें और यह सदन नेपाल की जनता के साथ सहानुभूति दिखाये।

एक शब्द मैं और कहना चाहता हूँ—आप भी डा० लोहिया के साथ रहे हैं..............

उपाध्यक्ष महोदय :—जो स्टेटमेन्ट आपने दिया है, वही पढ़ सकते हैं।

श्री मणिराम बागड़ी :— मैं उनको सलाम जरूर देता हूं—जो शहीद हुए हैं और मैं इस सदन से चाहूंगा कि आप लोग खड़े हो कर उन के लिए जरूर श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, एक मिनट के लिए मौन धारण कीजिए......(व्यवधान)......

(पांच) बिलिंगडन अस्पताल में हुए डा० राम मनोहर लोहिया के इलाज के बारे में प्रतिवेदन

श्री राजनारायण (रायबरेली) :—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुकम्पा से एक बहुत ही आवश्यक विषय सदन के सम्मुख पेश कर रहा हूं और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप जरा इसको ध्यान से सुनें। यह सदन एक प्रतिबिम्ब है, जो बाहर की घटनाओं को प्रतिबिम्बित करता है...... .....

उपाध्यक्ष महोदय :—आपका जो स्टेटमेन्ट है—उसको पढ़िए।

श्री राजनारायण—श्री स्वास्थ्य मंत्री ने डा०राम मनोहर लोहिया से सम्बन्धित रपट सदन में रखी। यह रपट अधूरी है और सत्य पर पर्दा डालती है। सदन में रपट रखते समय ही मैंने अपने भावों को व्यक्त कर दिया था और आपको निवेदन किया था कि इस पर एक दिन बहस के लिए रखा जाय। मैं बहस के लिए कुछ खास-खास मुद्दों को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. यह विचित्र बात है कि बिग्रेडियर लाल, सीनियर फिजीशियन ने डा० लोहिया के यूरीनरी सिस्टम की जाँच के कार्य को किसी खास सर्जन के जिम्मे नहीं किया। उस वक्त डा० पाठक सीनियर सर्जन थे और डा० दरबारी उनसे दो स्तर नीचे थे।

यह पहला सवाल है—आपसे मेरा निवेदन है कि इस पहले सवाल का जबाव आप स्वास्थ्य मंत्री से इस सदन को दिलवायें।

2. डा० फकीर चंद ने डा० लोहिया के हाईपरटेंशन की बाबत डा० करोली से विचार-विमर्श किया और कहा कि इस समय हाईपरटेंशन का आपरेशन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन डा० करौली ने डा० फकीरचन्द से कहा कि अब वह यानी डा० लोहिया अपनी सबसे अच्छी हालत में हैं और अनस्थीसिया दिया जा सकता है और उसके बाद की हालत की जिम्मेदारी हमारी होगी।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि डा० करोली से पूछा जाय कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाही ?

उसके लिए आप को चिन्ता करने की जरूरत नहीं। मेरे विचार से यही बात डा० लोहिया को हम से जुदा करने का कारण बनी।

यहां पर इस बात को साफ-साफ कहता हूं—अगर उस समय आपरेशन न हुआ होता तो डा० लोहिया हमसे अलग न होते।

3. आपरेशन की तारीख को एडवांस करने के कारणों के बारे में कमेटी चुप है, क्योंकि रिकार्ड से इस सम्बन्ध में कोई मदद नहीं मिली। असल में तो रिकार्ड का न मिलना भी इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सच्चाई को जानबूझ कर छिपाया जा रहा है।

4. वास्तविक बात तो यह है कि डा० लोहिया की भर्ती नर्सिंग होम में 26 सितम्बर को होने वाली थी और आपरेशन की तिथि थी 5 अक्तूबर। जब दाखिल किया गया था तो डा० लोहिया स्वयं को असाधारण कहसूस नहीं कर रहे थे और जो कुछ भी उनकी हालत खराब हुई, वह आपरेशन के कारण ही हुई।

5. यह रहस्य इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं खोला कि जब डा० लोहिया 26 सितम्बर को भर्ती होने वाले थे और 5 अक्तूबर को आपरेशन होने वाला था, तो डा० लोहिया 28 सितम्बर को भर्ती क्यों किए गए? और जब 26 को भर्त्ती होने वाले थे तो आपरेशन 5 अक्तूबर को होना था परन्तु जब 28 को भर्त्ती किए गए तो आपरेशन 30 सितम्बर को ही क्यों कर दिया गया?

इसमें लिखा है कि 26 सितम्बर को भर्ती होते तो 5 अक्तूबर को आपरेशन होता। इतने दिनों तक उनके बोडी की सारी कंडिशन को ठीक किया जाता, मगर भर्त्ती 28 सितम्बर को किया और आपरेशन 28 सितम्बर को क्यों किया, इसका कोई कारण कहीं नहीं बताया गया है।

6. मुझे नर्सों से पता चला था और स्वास्थ्य मंत्री के बयान में भी है..............

(व्यवधान **)

उपाध्यक्ष महोदय :— सभी सदस्य कृपया यह नोट करें कि यदि कोई सदस्य नियम 377 के अधीन कुछ पढ़ रहा है, तो कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे वहीं पढ़ने की अनुमति प्राप्त हैं जो कि वक्तव्य में अर्न्तविष्ट हैं। इसलिए कोई भी विशेषतर कथन कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। इस पर भी यदि आप व्यवधान पहुंचाते हैं तो वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

अब आप आगे पढ़िये।

श्री राजनारायण :—श्रीमान्, मैं छटी बात कह रहा हूं।

मुझे नर्सों से पता चला था और स्वास्थ्य मंत्री के बयान में भी है कि डा० लोहिया के बदन से आपरेशन टेबल पर ही चार बोतल से अधिक खून बह गया और यह भी कि जब डा० लोहिया आपरेशन के बाद ले जाए जा रहे थे तो बराबर रास्ते भर खून गिरता रहा और जब वे सुलाह गए तो भी खून बराबर गिरता रहा। नर्सों ने मुझे यह बताया कि अंतिम टांका डा० लोहिया के आपरेशन का नहीं लगाया गया जिससे पाखाना और पेशाब लगातार गिरता रहा। और विशेषज्ञ डाक्टरों का भी यही कहना है कि डा० लोहिया की मृत्यु पाखाने के कीड़े से हुई। इस सदन के सदस्य जानें कि पाखाने का कीड़ा वहाँ आया कहाँ से? वहाँ पाखाना कहाँ से पहुंचा

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

इसके बारे में भी रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। हम लोगों की माँग पर विलिंगडन अस्पताल के कार्य की संपूर्ण जाँच के लिए एक कमेटी शाँति पटेल की अध्यक्षता में बनी थी जिसने पूरी जाँच की। उस कमेटी की रपट को भी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए क्योंकि उसमें हमारी गवाही हुई है।

(7) जांच आयोग के पास दो हाईली रेपुटेशन के अधिकारी, जो कि करीब करीब हर वक्त डा० लोहिया के पास रहते थे। डा० एल०पी० अग्रवाल (डाइरेक्टर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली) का भी एक पत्र उस आयोग की फाइल में है। उस पत्र को भी सम्भवत: सदन के पटल पर नहीं रखा गया। डा० आर० के० मिश्रा जो डा० लोहिया के खास मित्र थे और जिनके लिए डा० लोहिया ने यह कहा था कि जब तक तुम चौबीस ंटे मेरे पास नहीं रहोगे मैं आपरेशन नहीं कराऊंगा, उनकी भी रपट है। लेकिन उनकी रपट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा क्यों ?

(8) सबसे प्रमुख बात तो यह है कि डा० लोहिया आपरेशन के पक्ष में कतई नहीं थे। बल्कि वे आपरेशन के यथासंभव विरुद्ध थे क्योंकि वे आपरेशन को हिंसा कहते थे। इसलिए कहते थे कि मैं आपरेशन नहीं कराऊंगा। मगर विलिंग्डन अस्पताल के सुपरिन्टेण्डेण्ट ब्रिगेडियर लाल लगातार कई दिन तक जोर देते रहे और डा० लोहिया से आपरेशन कराने की स्वीकृति ले ली।

(9) डा० लोहिया जैसे राष्ट्र नायक व्यक्तित्व के आपरेशन को एक जूनियर डाक्टर को सुपुर्द किया जाए और बाद में रिकार्ड से यह तक पता नहीं चले कि आपरेशन किस ने किया है।

(10) मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में यह एक अजीब ढंग का आयोग था जो कि जिस बात की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था उसकी तह तक वह नहीं पहुंच सका और यह तक पता नहीं लगा सका कि डा० लोहिया का आपरेशन किसने किया ?

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि इस मामले पर सदन में पूरी बहस के लिए समय निश्चित किया जाए।

(छ:) गंगाराम अस्पताल के कुछ हरिजन कर्मचारियों द्वारा कथित आमरण अनशन

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : गंगाराम अस्पताल के चार हरिजन कर्मचारी विगत पैंतिस दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आमरण अनशन पर बैठे हरिजन कर्मचारियों की हालत चिन्ताजनक है और किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है। कर्मचारियों के अनशन पर जाने के मुख्य कारण हैं कि 1976 में अस्पताल में एक अछूत दिवाल खींच दिया गया जिससे अछूत कर्मचारियों के बच्चे दिवाल के उस पार नहीं जा सकें। अछूत कर्मचारियों ने थाना में मुकद्मा भी दर्ज किया लेकिन किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। अस्पताल के मैनेजमेंट, ट्रस्टियों तथा पुलिस के साँठगांठ से हरिजनों पर खुलकर जुल्म ढाये जा रहे हैं। नीची जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हरिजन महिलाओं को बाल पकड़ कर खुले आम घसीटा गया, पीटा गया।

कर्मचारियों ने इस दुखद घटना की सूचना दिल्ली प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा सम्बन्धित अधिकारिलों को दी। लगता है दिल्ली जहां सर्वोच्च सत्ता है वहां गंगाराम अस्पताल

के अछूत कर्मचारियों के लिए न तो संविधान है और न ही सरकार ही। यह देश की राजधानी पर कलंक है।

यदि यही रवैया चालू रहा तो पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों का विश्वास एक दिन न्यायालय से उठ जाएगा। मैं 12 मई 1979 को उक्त अस्पताल में गया था करौल बाग में और वहाँ मेरी एक आम सभा भी हुई थी। दस हजार से अधिक उपस्थित लोगों ने अस्पताल के हरिजन कर्मचारियों पर किए जा रहे अत्याचार की निन्दा की।

अनशनकारी कर्मचारी मरणासन्न अवस्था में हैं। स्थिति विस्फोटक है। हरिजन समुदाय में काफी आक्रोष है।

अतः केन्द्रीय सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप कर अनशनकारी कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करे। अछूत दीवार को तोड़े तथा अस्पताल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अछूत निवारण कानून के अन्तर्गत मुकदमा दायर करें।

गृह मंत्री बैठे हुए हैं और वह शायद कुछ कहना चाहें।

उपाध्यक्ष महोदय :— श्री पटेल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

गृह मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) :— मैं माननीय सदस्य को अनुरोध करूंगा कि वह उस व्यक्ति को आश्वासन दें, जो कि पिछले 35 दिनों से अनशन पर है, कि सरकार इस मामले की पूरी तरह जाँच करेगी, उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस विषय में क्या उचित कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :—मेरे 377 का क्या हुआ ? 377 या 379 में चला गया ? वह आ नहीं रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय :—नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है।

गोवा, दमन और दीव विनियोग (दूसरा संशोधन) विधेयक 1979

वित मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :— मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

"वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की संचितनिधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय :—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की संचितनिधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का सपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एडुआर्डो फेलीरो (मारमा गोआ) :— कल मैंने इस बात का अनुरोध किया था कि गोआ में राष्ट्रपति शासन के अन्तरिम काल के दौरान प्रशासन चलाने के लिए सरकार को सलाह

देने हेतु संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई जाये। आज सुबह मुझे इस सलाहकार समिति की आवश्यकता पर कुछ अतिरिक्त सूचना मिली है जो मैं सभा के सामने, सरकार के सामने रखना चाहूंगा।

सूचना यह है कि पिछले शुक्रवार मुख्य सचिव ने एक प्रैस सम्मेलन में बताया था कि वह गोआ प्रशासन के कतिपय अधिकारियों को विभिन्न ताल्लुकों और स्थानों पर भेजेंगे ताकि वह राजनीतिक जानकारी एकत्र कर सकें और उसे मुख्यालय में भेजें। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन पुलिस राज्य चलाना चाहता है। क्या यह उचित है? हम जानते हैं कि सामान्य रूप में ही सूचना समीकरण इस प्रकार की सूचना एकत्र करते हैं किन्तु कुछ अधिकारियों को इस प्रकार यों ही भेजा जाये।

श्री हरि विष्णु कामत :— अनुचित।

श्री एडुआर्डो फलीरो :—जैसा कि श्री कामत जैसे वरिष्ठ सांसद् ने तुरन्त यह कहा कि यह अनुचित है, यह वास्तव में अनुचित है। आप केवल अनुचित कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यह भी नहीं समझते कि आप कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं। अत्यन्त खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि यह प्रशासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, इससे क्या होता है, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि ये अधिकारी जो ताल्लुकों का दौरा करेंगे वे प्रशासन के राजदूत कहलायेंगे। यहाँ नौकरशाही का राज्य है, उसकी सरकार भी वैसी है, किन्तु उसके राजदूत भी होते हैं। मैं उस दृष्टिकोण की ओर संकेत कर रहा हूं जिसमें गलत इरादे निहित हों, संभव है, इसमें कोई बदनियती न हो, मगर वह दृष्टिकोण जो मूलतः गलत है तथा जो इस देश के लोगों के दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं है, तथा जो हमारी सरकार की प्रणाली में अपेक्षित नहीं हैं, ऐसा कार्य एक लोकप्रिय सरकार भी नहीं करती। कतिपय अधिकारियों को विभिन्न ताल्लुकों और स्थानों में भेजने से, जिससे कि वह राजनीतिक जानकारी एकत्र कर सकें और उसे मुख्यालय में भेजें। इस बात से आपका अभिप्राय क्या है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करें। विचार ही न करें बल्कि वह तात्कालिक हिदायतें दें कि प्रशासन एक पुलिस राज्य के रूप में न चलाया जाये तथा प्रशासन का उद्देश्य केवल प्रशासन को चलाना मात्र ही है, राजनीतिक गतिविधियों पर जासूसी करमा नहीं, और किसी प्रकार का रिकार्ड न रखा जाये। निस्संदेह वे आवश्यक जानकारी सामान्य रूप में आसूचना ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, किन्तु सारे प्रशासन को ही इस उद्देश्य को लेकर संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं विशिष्ट तौर पर सरकार की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना चाहता था और इस अवस्था पर हस्तक्षेप करने के लिए आपकी अनुमति चाही थी।

श्री सतीश अग्रवाल :—मैं गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य की आशंकाओं को समझने में असमर्थ हूं। यह सर्वविदित बात है कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और उनके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। यह कोई विशेष अभियान नहीं है और न ही राजनीतिक दलों की गतिविधियों के बारे में कोई विशेष जानकारी इकट्ठी की जा रही है या उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगर फिर भी

वहाँ यदि ऐसी कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज ही इसके सम्बन्ध में पूछताछ करूँगा कि वे किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, क्या यह प्रदेश के हितों के प्रति किसी प्रकार के पक्षपात के कारण किया जा रहा है, अथवा क्या यह कोई असमान्य बात है, जिस पर आपत्ति की जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई अनुसूचित कार्यवाही नहीं की जायेगी। इस आश्वासन सहित मैं सभा से विनियोग विधेयक पास करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रश्न है :

"वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र की संचिता निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

उपाध्यक्ष महोदय :—अब हम विनियोग विधेयक पर खंडवार विचार करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़े गये खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

श्री सतीश अग्रवाल :—मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव जारी।

उपाध्यक्ष महोदय :—अब हम 9 मई, 1979 को श्री धनिकलाल मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करते हैं, अर्थात् :—

"कि यह सभा क्रमशः 1 मार्च, 1978 और 9 मई, 1978 को सभा पटल पर रखे गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75, और 1975-76 तथा 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर विचार करें।"

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु अपना भाषण जारी रखें।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) :—उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 32 वर्षों के बाद भी, सरकार अस्पृश्यता और जातिप्रथा को समाप्त नहीं कर सकी है

जो कि राष्ट्र के लिए न केवल एक अभिशाप है, बल्कि जिसने देश के लिए बहुत-सी समस्यायें खड़ी कर दी हैं। आयुक्त, श्री शंकरराव माने के प्रतिवेदन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि अस्पृश्यता और जातिप्रथा को दूर किये बगैर हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुधारना लगभग असंभव है। यह वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन में कहा गया है। वर्ष 19'4-75, 1975-76 और 1976-7/ के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये हैं। लेकिन वर्ष 97 -78 और 1978-79 के प्रतिवेदन अभी तक नहीं रखे गये हैं। यदि आप 1977-78 और 19¨8-79 के प्रतिवेदनों को देखें तो आपको भयंकर स्थिति का पता चलेगा। हजारों हरिजनों की हत्या करदी गयी है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हजारों लोग जला दिये गये हैं और हजारों आदिवासियों की उपेक्षा कर दी गयी है और उन्हें बेघरबार कर दिया गया है। हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक पुर्ननिर्माण के लिए सांस्कृतिक क्रान्ति की जाये। अब प्रश्न यह है कि हम कितना कर सकते हैं। सरकार अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। इस वर्ष के बजट अनुमानों में पूरे देश के हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए केवल 31 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आप इस बात को मानेंगे कि यह धनराशि बहुत कम है। हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुधारने, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए मकान बनाने और नगर क्षेत्र बनाने के लिए कार्यदल ने 500 करोड़ आवंटित करने की सिफारिश की थी। आप जानते हैं कि हमारे देश के 75% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और उनमें से 98% लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। यह माना जायेगा कि लगभग शतप्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा की जा रही है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उपेक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति को सुधारने की जितनी बात हम इस सभा में करते हैं, पूरे देश में उतनी ही अधिक ज्यादतियाँ उन पर की जा रही हैं। बेलछी, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ? तमिलनाडु में क्या हुआ। हरिजनों की हत्या की गयी है, उन्हें जिन्दा जलाया गया है। ये ज्यादतियाँ की जा रही हैं और केन्द्र सरकार लोकसभा में यह वक्तव्य देती है –"कानून तथा व्यवस्था को राज्य सरकारों को देखना है। हमारा इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।" कानून इस तरह से बनाया जाये कि जिससे केन्द्र सरकार हरिजनों की हत्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जमीन से भगाने के कार्यों को रोक सके।

रोजगार गारंटी योजना की हमने बहुत बातें की हैं। प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की गारंटी की सिफारिश की गयी है। लेकिन क्या गारंटी दी गयी है। कुछ राज्यों में और केन्द्र सरकार के कुछ विभागों में रोजगार आरक्षण 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत रखा गया है। लेकिन पुलिस में आप यह पायेंगे कि वहाँ 3 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में यदि आप विश्वास जगाना चाहते हैं तो पुलिस में अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण रखना होगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ने अपने 19वें प्रतिवेदन, (छठी लोकसभा) के पैरा 6 में यह सुझाव दिया है :

> "समिति का यह विचार है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिल्म डिवीजन का संगठनात्मक ढाँचा फिल्म डिवीजन की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले को निपटाने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के कारगर ढंग से लागू करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिल्म डिवीजन में, तद्विषयक आदेशों के अनुसार, एक अलग कक्ष तुरन्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।"

माननीय मंत्री ने क्या उत्तर दिया ? अपने उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया :

> "सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिल्म डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए अलग कक्ष बनाने हेतु अतिरिक्त पद बनाना संभव नहीं पाया है। तो भी, मामले पर विचार किया जा रहा है और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी।"

वह शीघ्र कभी नहीं आयेगा। दो वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन सभा पटल पर इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं रखी गयी है। हरिजनों की स्थिति यदि हम सुधारना चाहते हैं, तो हमें आयुक्त, श्री शंकरराव माने द्वारा 19 सितम्बर, 1976 को दिये गये इस वक्तव्य पर विचार करना चाहिए :

> "मैं सेवा-निवृत्त होने जा रहा हूं, लेकिन सरकार से मेरी अपील है कि वह प्रशासन में सभी वर्गों में, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में नियमित रूप से आरक्षण की व्यवस्था करे।"

हमारे देश में 150 से भी अधिक बड़े सरकारी उपक्रम हैं। उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने अधिकारी हैं ? क्या वहाँ कोई आरक्षण है ? इस प्रकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी आरक्षण तय किया जाना चाहिए। इसके बगैर हम प्रगति नहीं कर सकते और हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता। कमजोर वर्गों के लोगों को स्वतन्त्र भारत में अपनी भूमिका अदा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों सम्बन्धी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए। हम मामलों को कल के लिए या वर्षों के लिए न टालें तथा उन्हें निष्ठा के साथ तथा शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।'

जहाँ तक रोजगार गारंटी योजना का सम्बन्ध है, आप कह पायेंगे कि राज्यपाल, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति नहीं है। हमने सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। लोगों के आवास के लिए नगर क्षेत्र बनाये जाने चाहिए। लेकिन आज ब्राह्मण आदि क्या कर रहे हैं? जब हरिजन उनके घर जाते हैं तो उन्हें कुर्सी या बैंच पर नहीं बैठने दिया जाता। वे अछूत हैं। अस्पृश्यता और जाति प्रथा को यदि हमने समाप्त नहीं किया, तो देश नष्ट हो जायेगा।

इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उत्थान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये। आदिवासी क्षेत्रों में नगरों के विकास का कार्य काफी पहले किया जाना चाहिए था। इस मामले पर सभा में कई बार चर्चा की गयी है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कोई लाभ नहीं हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि इसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। तो भी, मामले की जांच के लिए एक और समिति बनायी जायेगी। बार-बार समिति गठित करने से कोई लाभ नहीं होगा। समिति के निष्कर्षों को जब तक लागू ही नहीं किया जाता तो इस प्रकार की समितियाँ बनाने का क्या फायदा? सामाजिक पहलू और आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सरकार ने इस वर्ष केवल 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जबकि कार्यदल ने 500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया था। मात्र 31 करोड़ रुपये से कितने गाँव और नगर बनाये जा सकते हैं?

सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्नातक या कालेज स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए। सरकार ने जम्मू और काश्मीर में जो कुछ किया है वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामलों में भी किया जाना चाहिए। सफाई मजदूरों की क्या स्थिति है। आज भी वे सिर पर पाखाना ढोते हैं। इसे हर कीमत पर बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए तरीके खोजे जाने चाहिएँ। मैं जानता हूं कि अन्य किसी भी देश में सफाई कर्मचारियों को पाखाना सिर पर नहीं ढोने दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के सभी नगरों और शहरों में यह हो रहा है। हरिजनों की यह स्थिति है। इसे रोका जाना जाना चाहिए।

विशेष न्यायालय बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है और विशेष न्यायालय बनाये जा रहे हैं। इन विशेष न्यायालयों को देश भर में हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर ज्यादतियों के मामलों पर विचार करना चाहिए। बेलछी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के अन्य भागों में जो हत्यायें और ज्यादतियाँ की गयी हैं, उन्हें देश और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार हमारे समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए आगे आये।

गरीबी समाप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अधिकांश लोग बहुत गरीब हैं। जैसा कि मैंने कहा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लगभग 70 से 90 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के बहुत नीचे

रह रहे हैं। इसलिए गरीबी दूर की जानी चाहिए। यदि सरकार यह न कर सकती, तो देश में क्रांति हो जायेगी। पूरे देश में गड़बड़ी और अराजकता फैल जायेगी और उस पर सरकार नियंत्रण नहीं रख सकेगी।

भूमि-सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैंने यह देखा है कि स्वर्ण हिन्दुओं ने, जोतदारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत से किसानों को उनकी भूमि से घर-बार से अलग कर दिया है। इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। हम ऐसे कानून बनायें कि इस प्रकार की स्थिति और आगे न चलने पाये। इसे हमें सार्वजनिक मामला मानना होगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि जितनी अधिक हम सभा में चर्चा करते हैं, उतनी ही अधिक ज्यादतियाँ की जा रही हैं। इन ज्यादतियों को हमें हर कीमत पर रोकना चाहिए। सरकार को मूक दर्शक नहीं बना रहना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से निपटेंगे; हम क्या कर सकते हैं?" मंत्री महोदय ने बहुत से मामलों में यही उत्तर दिया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह निगरानी रखने के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय बनाये; वह हरिजनों के हितों को देखे। वह इस बात को देखे कि पूरे देश में हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ क्या हो रहा है। इस प्रकार का प्रवर्तन निदेशालय इन लोगों की काफी सीमा तक मदद कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय—कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु—अन्त में सरकार से यह अपील करता हूं कि वह हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए धन की व्यवस्था करने हेत एक अनुपूरक बजट पेश करे। हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और इस सुधार के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो, वह दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सरकार को धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, आप एक शक्तिशाली उपाध्यक्ष हैं। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता।

श्री नटवरलाल वी० परमार (धुंधुका)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय हम शेडूयल्ड कास्ट्स ऐंड शेडूयल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बहुत लेट चर्चा के लिए आती है। इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्रधानता क्यों नहीं मिलती है? मेरा सुझाव है कि इस रिपोर्ट पर समय से चर्चा होनी चाहिए ताकि उसके अच्छे नतीजे निकल सकें।

आज हरिजनों पर अत्याचार होते हैं—इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। पुलिस थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है—ऐसी बात जगह जगह से उठती रहती है। आज

देहातों में हरिजनों के लिए पानी भरने के लिए खुले कुयें नहीं हैं— यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

हरिजनों के लिए मकान बनाने की स्कीम को कम्पलसरी करके राज्यों को डायरेक्टिव दिए जाने चाहिए कि हरिजन भाइयों के लिए सहकारी आधार पर अलग से सब्सीडी देकर आवास योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

वेस्ट लैण्ड के लिए मेरा सुझाव है कि वह कुल जमीन हरिजनों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा लैण्ड रिफार्म्स के बारे में जितने भी इनैक्टमेन्ट्स हों उनको नाइन्थ शैड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको अधिक जमीन उपलब्ध हो सके।

जहां तक हरिजनों के लिए रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, वह आज भी दफ्तरों में पूरा नहीं है। सरकार इस बात की जांच करवा कर कि इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। आज देश में नान एस सी एस टी यूनियनें भी खड़ी हो रही हैं जो कि हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं का विरोध करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसी नान एस सी एस टी यूनियनों को समाप्त करने के लिए कड़े पग उठाए जाने चाहिए ताकि हरिजनों को यह प्रतीत हो सके कि सरकार उनके पीछे है।

(श्री ए० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों तथा पब्लिक सैक्टर के प्रतिष्ठानों के बोर्डों में भी हरिजन सभासदों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि बैंकों से हरिजनों को लोन मिलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए।

हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं उन केसेज को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्टस की स्थापना की जानी चाहिए। गोकुल गाय की गति से इन केसेज को निपटाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिनसे की हरिजनों को यह प्रतीत हो कि सरकार उनके लिए ठोस कदम उठा रही है। शिक्षा देने के उद्देश्य से हरिजनों के मामलों में गुनाहगारों को केवल दण्ड देना ही काफी नहीं होगा बल्कि उनकी प्रापर्टी, जायदाद भी जब्त कर लेनी चाहिए ताकि उन गुनाहगारों को पता चल सके कि मेरे इस कृत्य से मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। आज उनके पास पैसा होने के कारण वे आर्थिक दण्ड को महसूस नहीं करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो जांच करके गुनाहगारों के मोहल्लों या गांवों पर भी पेनाल्टी टैक्स लगाया जाना चाहिए।

1947 में देश का विभाजन हुआ। उस समय जो शरणार्थी भाई देश में आये, आज 25 सालों के बाद उनके लिए सब प्रकार से सुविधा हो गई है और वे समाज में मिल गये हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 सालों में हरिजनों के लिए उतने कड़े कदम नहीं उठाये गये, जिससे वे भी समाज में मिल सकते। उनके लिए यदि अलग से मंत्रालय बन जाये, तो मैं समझता हूं कि उस को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि यह काम क्यों नहीं हुआ। आज जब भी हरिजनों का प्रश्न उठता है तो उस से

राज्यों और केन्द्रीय सरकार का प्रश्न बीच में आ जाता है और इस वजह से उनके विकास के लिए जो स्टेप्स लिये जाने चाहियें, वे नहीं लिए जाते हैं। इस लिए मैं अनुरोध करता हूं कि उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाये— तभी उन की हालत में ठोस परिवर्तन हो सकता है।

कुछ शब्द मैं उनकी यूनियन के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में जो दूसरी यूनियन्ज हैं— वे हरिजनों के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेती हैं। हम ने बहुत से सैक्टरस में देखा है— जब भीशेडयूल्ड कास्टस और शेडूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न आता है या हरिजनों के राइट्स का मामला आता है—तो ये यूनियनें उनका विरोध करती हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप पिछड़े वर्गों की यूनियनों को मान्यता दें, उनको अनुदान दें, उन का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, ताकि वे भी अपनी बातें सरकार के सामने अच्छी तरह से रख सकें।

मैं गुजरात से आता हूं —आज गुजरात में मोची जाति सवर्ण समाज के साथ रहती है, लेकिन एरिया रेस्ट्रिक्शन दूर होने से वह अपनी जाति को "मोची" कह कर पिछड़े वर्ग का लाभ उठाना चाहते हैं। मैं उनके बारे में भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कौम को पिछड़े वर्ग से डिलीट करना चाहिये और जरूरत पड़े तो आर्डिनेन्स निकाल कर उन को हटाना चाहिये ताकि वे सुविधाएं उन को न मिल सकें। इस के बारे में आप को कड़े कदम उठाने चाहियें।

स्वर्गीय बाबासाहेब डा० अम्बेदकर कहते थे कि हरिजन उद्धार से काम नहीं चलेगा, छूआछूत निवारण से काम चलेगा।

जिस पर बीतती है, वही जानता है। हरिजनों की तकलीफ को एक हरिजन ही समझ सकता है। यहां पर रिपोर्ट पेश करना या उस पर बहस करना तो एक परिपाटी है, सवाल यह है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल हो। हरिजनों के लिए हम जो कुछ कह रहे हैं —उस की हरिजनों को प्रतीती होनी चाहिये, तभी उनको विश्वास होगा कि सरकार वास्तव में उनके लिये कुछ करना चाहती है।

पिछली बार मैं अण्डमान-निकोबार गया था। मैंने वहाँ देखा कि आज भी आदिवासी स्त्री और पुरुष नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। 30 साल की आजादी के बाद भी हमारे लोग नग्न रहें यह बड़े दुख की बात है। इन के बारे में भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये।

आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया—इस के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) :— सभापति महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के 32 वर्षों के बाद भी हमें अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अधिकांशतः उसी पुराने रूप में चर्चा करनी पड़ रही है।

इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं जो पहली बात कहना चाहता हूं, वह हरिजनों पर ज्यादतियों के बारे में है। इस पर इसी सभा में चर्चा की गयी है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि

सरकार के आश्वासन के बावजूद और सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बावजूद हरिजनों पर ये ज्यादतियाँ अभी भी हो रही हैं । अभी भी देश के अनेक भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में असुरक्षा की भावना है। जब कभी भी हम हरिजनों पर ज्यादतियों के प्रश्न को उठाते हैं और यह कहते हैं कि उन पर ज्यादतियों की घटनायें बढ़ रही हैं तो इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री यह कह देते हैं कि वास्तव में ज्यादती की घटनायें कम हो रही हैं। ज्यादतियाँ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इस ओर मैं अधिक ध्यान नहीं देता। इससे भी गंभीर बात यह है कि ज्यादतियाँ जारी हैं। स्वतंत्रता के ३२ वर्ष बाद भी हम देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सके हैं जिसमें अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ शाँतिपूर्वक और सुरक्षा के साथ रह सकें, उनके जान-माल की रक्षा की जा सके और वे भारत के दूसरे नागरिकों की तरह रह सकें। ऐसी स्थिति अभी भी विद्यमान है कि हरिजनों पर ज्यादतियाँ हो रही हैं— सरकार का चाहे जो दावा हो परन्तु इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार में राजनीतिक इच्छा का अभाव है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि संविधान में कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न संरक्षणों की व्यवस्था की गयी है, संविधान के अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और पुराने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को और भी कठोर बना दिया गया है और नये अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी सजा की व्यवस्था की गयी है। क़ानून बनाना और उन्हें साँविधिक पुस्तक में रखना ही पर्याप्त नहीं है। इन कानूनों को लागू करना ही अधिक महत्वपूर्ण बात है और मैं सरकार पर राजनीतिक इच्छा के अभाव का आरोप लगाता हूं।

विभिन्न कानूनों और अधिनियमों का उल्लेख करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को यह बताया जाता है कि आपके पास ये-ये अधिकार हैं, आप दूसरे नागरिकों के बराबर हैं और आपके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा, लेकिन जब ये गरीब लोग कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा सुनिश्चित किये गये अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो निहित स्वार्थ वाले लोग बदले की कार्यवाही शुरू कर देते हैं जो कमजोर वर्गों के विरुद्ध ज्यादतियों, हिंसा और दूसरे बर्बरतापूर्ण कार्यों का रूप ले लेती है। जो सरकार, दिन-रात यह कहती है कि वे बराबर हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कानून है, वह उनकी रक्षा करने में असफल हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब उन पर ज्यादतियाँ, अत्याचार किये जाते हैं और उन पर हिंसा की जाती है तथा उन्हें परेशान किया जाता है, तब राजशक्ति उनकी मदद के लिए नहीं आती। उदाहरण के लिए, देश के हजारों हरिजनों और आदिवासियों के अनुभवों को लिया जा सकता है। कितने मामलों में शरारतियों का चालान किया गया है और कितने मामलों में वास्तव में अपराधियों को दंड दिया गया है। जब वे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जातीं और बहुत से मामलों में तो उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर फिंकवा दिया जाता है। इसलिए, विभिन्न श्रमिक कल्याण कानूनों के लाभ वास्तव में इन लोगों को नहीं मिल सकते। इन लोगों तथा कमजोर वर्गों को ये लाभ तब तक नहीं मिल सकते, जब तक सरकार की राजनीतिक इच्छा उनकी मदद के लिए नहीं होगी, और जब तक हरिजनों के जानमाल की रक्षा के लिए समाज के असामाजिक और असभ्य तत्त्वों के विरुद्ध

राजशक्ति का उपयोग नहीं किया जायेगा। और यदि राजनीतिक इच्छा का अभाव रहेगा, तो आप कह पायेंगे कि आपका कार्य पिछली सरकार से बेहतर नहीं होगा।

पिछली सरकार तथा पिछली प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की थी। रेडियो पर अनेक बार तथा दिन-रात इसकी घोषणा की गयी। समाचार पत्रों में उन्हें प्रकाशित किया गया। दूरदर्शन पर भी उनके बारे में घोषणा की गयी। लोगों ने जब राहत की माँग की तो उनका दमन किया गया। उन्होंने यह पाया कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। इन मामलों में उनका बहुत कटु अनुभव रहा। इसलिए सरकार इस कार्य में असफल रही। इसका यही परिणाम हुआ। यद्यपि उन्हें जहाँ-तहाँ कुछ लाभ मिले, लेकिन उसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक परेशान किया गया, उनके प्रति अधिक हिंसा की गयी, और अधिक ज्यादतियाँ की गयीं और सरकार मूकदर्शक बनी रही। जनता सरकार का भी वही रवैया बना हुआ है। मेरे विचार से जब तक आप कठोर उपाय नहीं करेंगे तब तक आप निरक्षरता, अज्ञानता, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक आप एक निर्णायक तरीके से कार्य नहीं करेंगे तब तक ये समस्यायें दूर नहीं कर सकते। इन कमजोर तथा अनपढ़ लोगों की रक्षा के लिए आपको राजशक्ति का उपयोग करना होगा।

इन सभी वर्षों में कल्याण-कार्यों, शिक्षा आदि पर बल दिया जा रहा है। लेकिन हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या के आर्थिक पहलुओं की उपेक्षा की गयी है। क्या आप यह जानते हैं कि केवल अपना जीवन बचाने के लिए कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपनी श्रम शक्ति बेचनी पड़ती है? अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि उनमें से अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं। उनमें से 51 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर हैं। उनके रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है? उनकी कार्य की शर्तों और मजदूरी के लिए क्या किया जा रहा है? न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंध केवल कागजों में हैं। न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों का प्रयोग उनके पालन के बजाय उनके उल्लंघन में ही अधिक किया जाता है। कोई समुचित प्रवर्तन तंत्र नहीं है।

सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन न्यूनतम मजदूरी उपबन्धों के क्रियान्वयन का कार्य राजस्व कर्मचारियों, तहसीलदारों, पटवारियों आदि को दिया गया है। बहुत से राज्यों में ऐसा हो रहा है। मैं गृह मंत्रालय से एक कार्य करने के लिए कह रहा हूँ। आप केन्द्र तथा राज्यों में एक अलग श्रम विभाग बनाने के लिए श्रम मंत्रालय से क्यों नहीं कहते? इसे केवल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये व्यावहारिक प्रस्ताव हैं और आप ये सब कार्य बगैर किसी दिक्कत के कर सकते हैं। लेकिन यह सब नहीं किया जा रहा है।

अब मैं भूमि के प्रश्न पर आता हूं। मैं भूमि वितरण कार्य के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता, जैसा कि अब तक किया गया है। वास्तव में इसे कब तक अधिकांशतः ताक पर रखा गया

है। आर्थिक समस्या का तीसरा पहलू इस कमजोर वर्ग को आर्थिक सम्पन्नता की ओर लाने की समस्या है। लघु तथा कुटीर उद्योगों को शुरू करने के लिए उन्हें सभी सुविधायें दी जानी चाहिए। बहुत से राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए विकास निगम बनाये गये हैं। लेकिन इन निगमों को इतना कम धन दिया गया है कि वे बड़े पैमाने पर लघु तथा कुटीर उद्योग शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। अन्त में, मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या पर आता हूं। वह भूमि के बारे में है, जिसका स्वामित्व हस्तांतरण पिछले कई वर्षों में किया गया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि आयोग के प्रतिवेदन में आदिवासी भूमि स्वामित्व हस्तांतरण के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। कुछ राज्य सरकारें हस्तांतरित भूमि को लौटाने की बात कर रही हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति हैं? इस और कहीं भी और कोई भी ध्यान नहीं देता। साहूकार और दूसरे लोग उनकी जमीन हड़प रहे हैं और उन्हें जंगलों में धकेला जा रहा है। जब उन्होंने परियोजनाएं—चाहे वे लौह अयस्क परियोजनाएं हों या सिंचाई परियोजनाएं—शुरू करें, तब भी प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भारी संख्या में मजदूर इधर-उधर जा रहे हैं। उन्हें उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया है, उनकी झौपड़ियों तथा खेतीयोग्य भूमि को मध्यप्रदेश तथा दूसरे राज्यों में छीना जा रहा है। उनकी कौन परवाह करता हैं? चूंकि वे गरीब हैं, चूंकि वे अनपढ़ हैं और चूंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए आप समझते हैं कि आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन भी आदिवासियों के साथ वही अन्याय कर रहा है और उन पर वही अत्याचार कर रहा है। यह शर्म की बात है। यही समय है जब आदिवासियों को उनकी हस्तांरित भूमि लौटायी जानी चाहिए। आदिवासी भूमि को लौटाने संबंधी कानून कड़ाई के साथ अमल में लाया जाना चाहिए और जिन आदिवासियों ने अपनी भूमि, झौंपड़ियाँ और खेतीयोग्य भूमि गंवा दी है उनको भूमि दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कि उन्हें भूमि ही दी जाये परन्तु अपना कार्य आरंभ करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

श्री राम देनी राम (पालमू) :— आज हम शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्टस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आप यहां जो उपस्थित हैं इसको देखें। भारत की कोटि कोटि जनता, जिन की समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं और वह इस उपस्थिति को देखें तो क्या समझेगी। इससे साफ साबित होता है कि आज से नहीं बल्कि सदियों से उनको इगनोर किया गया है, उनकी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है, उनकी समस्याओं के साथ आज भी भूझने के बजाय उनको इगनोर ही किया जा रहा है और उसी का प्रतिबिम्ब इस पार्लियामेंट में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

सभापति जी, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और धार्मिक आजादी अक्षुण रखी गई है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस 32 वर्ष की आजादी के बाद जो उनको अपर क्लास के समकक्ष लाने का आपने इरादा किया था, संविधान में व्यवस्था की थी, वहाँ आप उनको ला सके हैं? क्यों नहीं ला सके हैं? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। विधान सभा या लोक सभा की सीटें तो

इनके लिए आरक्षित हैं इसलिए लाचारी ही है। सीटों को शैडूल्ड कास्ट्स और शडूल्ड ट्राइब्स के लिये.. ...

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलाल गंज) :—सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो कोरम पूरा नहीं है। दूसरे यहाँ पर होम मिनिस्टर जिनसे यह मामला सम्बंधित है वह भी यहाँ वर्तमान नहीं हैं, इसलिए उनको बुलाया जाये। कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं है। केवल स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम देता है कि शैडूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की प्रौब्लम्स को वैसे ही इग्नोर किया जा रहा है जैसे......

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री लारंग साय) :— माननीय गृहमंत्री, श्री धनिकलाल मंडल जी अभी तुरन्त आ रहे हैं। लगातार बैठे रहने के बाद बीच में जाने की आवश्यकता तो सभी को पड़ती ही है।

श्री आर० एल० कुरील :— यह नेशनल प्रौबलम है। इसमें अगर प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों। लेकिन सब की सब ट्रेजरी बैंचेज खाली पड़ी हुई हैं। कितने शर्म की बात है। पहले आप कोरम पूरा कीजिये, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) :— कल सदस्यों ने यही प्रश्न उठाया था। हमें यह आशा थी कि मंत्रीमंडलीय दर्जे के कुछ मंत्री चर्चा के दौरान उपस्थित रहेंगे ताकि कम से कम यह धारणा तो बन सके कि हम समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं।

सभापति महोदय :— कोरम की घंटी बजायी जाय ....। सभा में जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, तब तक रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

अब कोरम पूरा है। इससे पहले की हम शुरू करें......

श्री आर० एल० कुरील :— गृहमंत्री यहाँ होने चाहिएं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) :— कल तो आधा घंटा इसी बात पर चर्चा चली थी।

श्री के० गोपाल (करूर) :— कल भी यही मामला उठाया गया था।

सभापति महोदय:— मैं बैठा हुआ हूं और चाहता हूं सभी लोग बैठ जायें। कल उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कोई मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से यह किया जायेगा। दूसरे, हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आखिर, यह सभा के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। हम सब में से कितने लोग दिलचस्पी ले रहे हैं? यह नहीं भूलना चाहिए। केवल सरकार या मंत्री को दोष देना काफी नहीं है। बहुत से सदस्यों ने यह देखा है। यही नहीं, चर्चा जब आरम्भ हुई थी, उस समय मैं सभापतित्व कर रहा था और मैंने इस खेदजनक स्थिति को देखा था कि सदस्यगण इसमें बहुत दिलचस्पी लेते प्रतीत नहीं होते। यह एक तरफा नहीं है। इसलिए सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि

"हमें इसे चलने रहने देना चाहिए, और इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए ।" **(व्यवधान)** मैंने कहा है कि मंत्री महोदय ने इसे नोट कर लिया है । और मुझे आशा है कि सभा की राय को समझेंगे सभा की भावना को समझेंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे । मैं इसे फिर दोहराता हूं कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है और मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता । **(व्यवधान)** आखिर, सभा को इसका पता चला है ।

श्री आर०एल०कुरील :— फिर तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे । जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो कुछ भी कहने का क्या फायदा है ? **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल :— जहां तक मेरी जानकारी है मंत्रिमंडल स्तर के प्रत्येक मंत्री को चक्रानुक्रम से यहाँ होना चाहिए । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय :— आप सब यदि इसी प्रकार बोलते रहे तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

चौधरी बलबीर सिंह : — रूल की बात नहीं है, यह प्रेसीडेंस है, मिनिस्टर को यहां पर रहना चाहिए ।

श्री मोहन लाल पिपिल :— कल भी ऐसा हुआ था, आज ऐसा नहीं होना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :— आप हाउस में आर्डर तो चाहेंगे, जो कुछ भी कहना है, आर्डर से कहेंगे, एक एक ही बोलें तो ठीक है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव:—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल जब इस प्रश्न को यहां उठाया गया तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी न किसी केबिनेट स्तर के मंत्री को सदन में रहना चाहिए । जब आसन की ओर से यह कहा जावे और उसका अनुपालन सरकार की ओर से न हो तो यह आसन काऔर सदन की एक तरह से अवमानना ही है और उसका अपमान माना जाएगा । अगर चेयर के आदेश को सरकार नहीं मानेगी और मंत्री यहां नहीं आ रहे हैं तो यह ठीक नहीं है । । उसमें भी जो स्टेट मिनिस्टर हैं वह जुड़वा मंत्री हैं। यहां भी जुड़वा मंत्री हैं, लेकिन दूसरे विभाग के हैं, गृह-विभाग के जुड़वा मंत्री नहीं है । गृह विभाग के दो राज्य मंत्री हैं और दोनों में से एक भी यहाँ नहीं है और कवीना स्तर के मंत्री गृह विभाग के भी यहां नहीं हैं और किसी दूसरे विभाग के कवीना मंत्री यहाँ नहीं है । यह कायदा कानून कल आ सकता है कि राज्य मंत्री तो हैं । राज्यमंत्री को भी हम संयुक्त जिम्मेदारी में मान लेंगे, लेकिन राज्य मंत्री को संयुक्त जिम्मेदारी में इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि वह कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते और ये हमारी भावनाओं को कैबिनेट में नहीं रख सकते । तो जो राज्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, अगर वह संयुक्त जिम्मेदारी के नाम पर रहते हैं और सदन की बात को वह कैबिनेट में नहीं रख सकते हैं तो वह पोस्ट आफिस का काम क्यों करेंगे ? यह राज्यमंत्री भी इनमें एक आदिवासी हैं और दूसरे हरिजन राज्य मंत्री हैं इसलिए इनको ही केवल जिम्मेदारी दी गई है कि शैडूल्ड कास्टस और शैडूल्ड ट्राइब्ज की बहस को सुनने के लिए यहां बैठें । कल भी यही थे और आज भी ये ही दोनों यहां हैं ।

सरकार का इतना पैसा मंत्रियों पर खर्च होता है, इतनी सुविधाएं देते हैं और यहां बैठकर वह बहस भी नहीं सुनेंगे तो उनके रहने का क्या मतलब है, उनकी क्या उपयोगिता है ? आसन के आदेश को न मानना यह आसन की अवमानना है और इस सदन की मर्यादा पर कुठाराघात है, इसलिए सदन की कार्यवाही को तब तक के लिए स्थगित करें जब तक कि कैबिनेट स्तर के मंत्री बहस सुनने के लिए नहीं आते हैं।

श्री लारंग साय:—सभापति महोदय, नोट कर लिया है, कैबिनेट रैंक के मंत्री आ रहे हैं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसको राज्यमंत्री माननीय मंडल जी अटैंड करते हैं और जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व का सवाल है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं और माननीय सदस्य जो कुछ भी बात उठा रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय:— कल का ओबजरवेशन मैं आपको सुनाता हूं, लारंग साय जी जरा सुन लीजिए।

सभापति महोदय : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि मंत्री को यहाँ होना चाहिए और किसी भी संबद्ध मंत्री का यहाँ न रहना गलत बात है। कम से कम एक मंत्री यहां रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मंत्री को यहां बुलाया जाना चाहिए।"

कल जो कुछ कहा गया उसे मैं कार्यवाही वृत्तान्त से पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री के० गोपाल : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? मैं प्रत्येक को अनुमति दूंगा। मैं कार्यवाही शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके और हम हरेक की बात सुन सकें।

अतः, बात यह है कि संबद्ध मंत्री यहाँ नहीं हैं। मैं सभा से सहमत हूं कि माननीय मंत्रियों का सभा की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूं। विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है, क्योंकि वह अलग चीज है। हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और मंत्रियों से यह आशा है कि वे उन विचारों का सम्मान करें। यही उम्मीद है। मैं सभा पर निर्भर हूं। इसका कोई लाभ नहीं.........(व्यवधान)। हां इस विषय में मैं सबको अवसर दूंगा। लेकिन मैं अनुभव करता हूं, जैसा कि मैंने कहा, कि जिम्मेदारी केवल मंत्रियों की ही नहीं है। हममें से बहुत से लोग कोरम की घंटी बजाने के बाद ही यहां आये।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी डिसकशन्ज पहले भी होती रही हैं और उनमें प्राइम मिनिस्टर तक ने इन्टरवीन किया है। यह दुख और अफसोस की बात है कि आज मिनिस्टर आफ स्टेट कनसर्न्ड भी सदन में नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप साहबान यहां पर जो फरमाते हैं, वह सब रिकार्ड पर जाता है। आपने जो बात कही है, वह प्रधान मंत्री महोदय के पास भी पहुंचेगा ही और दूसरे मंत्रियों के पास भी पहुंचेगी। इसके बाद भी अगर वे सदन को सम्मान नहीं देते हैं, तो वह एक अलग बात है।

श्री के० गोपाल : आपने ठीक कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत आप किसी मंत्री को यहां उपस्थित रहने के लिए बाध्य कर सकें। इस पक्ष तथा दूसरे पक्ष के सदस्य इसलिए उत्तेजित हैं क्योंकि मंत्रिमंडल स्तर का कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं। मेरी जानकारी से मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्रियों को चक्रानुक्रम में ड्यूटी होती है। किसी भी समय मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री को यहां होना चाहिए।

सभापति महोदय : वह अब आ गये हैं ? मेरे विचार से इसमें दो राय नहीं है। इस बात पर हम एकमत हैं।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) सभापति महोदय ने अपने विवेकानुसार कल यह ठीक ही कहा था कि भविष्य में मंत्रिमंडल संसद के वाद-विवाद पर और अधिक ध्यान दे, क्योंकि यह जनता की सर्व प्रभुत्वसम्पन्न सभा है और इस संसद से ही उन्हें अपने सब अधिकार मिलते हैं। उद्योग भवन या किसी दूसरे भवन के कार्यालय से उन्हें अधिकार नहीं मिलते।

सारी बात यह है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच मंत्रिमंडलीय स्तर के एक मंत्री डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र यहाँ आ गये हैं। आज की चर्चा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर है। यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है। अब हम यह देख रहे हैं कि न तो गृहमंत्री जो वृद्ध व्यक्ति हैं जो स्मृतिहीनता और इसकी समस्याओं से पीड़ित हैं..........

सभापति महोदय : श्री राय, ये सब मामले उठाये जा चुके हैं।

श्री सौगतराय : मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय में दो राज्यमंत्री हैं। संसद को चलते रहना है। हम जानते हैं कि एक मंत्रिमंडल प्रणाली है, जिसमें एक मंत्री दूसरे मंत्री के उत्तरदायित्व को उठा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब कोई मंत्री विशेष मौजूद न हो, और किसी अन्य व्यक्ति को विधेयक पुरःस्थापित करना हो या सभा पटल पर कागज रखने हों तो सभापति की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। यहाँ, मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि सभा ने यह विचार व्यक्त किया है और चूंकि यह विचार व्यक्त किये जाने के बावजूद गृह मंत्रालय से कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम गृह मंत्रालय के किसी मंत्री के उपस्थित होने तक के लिए सभा को स्थगित कर दें। अन्यथा चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि मंत्री महोदय कल समाचार पत्रों में पढ़ लेंगे।

(व्यवधान)

उन्हें अधिकार संसद से मिलते, हैं, नार्थ ब्लाक या किसी दूसरे स्थान से नहीं।

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि संस्था कार्य करती है, व्यक्ति नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अब सभा की कार्यवाही चलने देंगे ?

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, लेकिन संक्षेप में कहें।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : कल, कुछ हुआ। आपने वह पढ़ा। हम सभा में मौजूद थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी 1973-74 के प्रतिवेदन को गत वर्ष प्रस्तुत करने का श्रेय जनता सरकार को जाता है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहें।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : केवल दो मिनट। इस वर्ष इस सभा की लगातार माँग के बाद वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के प्रतिवेदन सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन संबद्ध मंत्री महोदय को सदस्यों द्वारा समय-समय पर व्यक्त की गई भावनाओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए था। कल सभा ने सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया था कि संबद्ध मंत्री को यहाँ उपस्थित होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह बात हरेक व्यक्ति ने कही है, इसमें नया क्या है ?

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : नयी बात यह है कि जब वे सदस्य सभा के इस ओर बैठते थे, उस समय उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये और जनता सरकार ने ही इन प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की ओर ध्यान दिया।

श्री सौगतराय : जनता सरकार से उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक अधिकारी है—अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

श्री मोहनलाल पिपिल (खुर्जा) : सभापति महोदय, देश की एक चौथाई आबादी पर कुठाराघात हो रहा है। आप यहां गृह राज्य मंत्री को अवश्य बुलाइए और उसके बाद हाउस को चलाइए वरना देश की एक चौथाई आबादी पर आप कुठाराघात करेंगे और इस तरह से हम हाउस को नहीं चलाने देंगे। हम आप से प्रार्थना करेंगे कि जब तक गृह राज्य मंत्री यहां न आ जायं तब तक के लिए हाउस को ऐडजर्न कर दें।

श्री सौगतराय : महोदय, मैं आप से अनुरोध करता हूं। आप शक्तिहीन व्यक्ति नहीं है। आप सभा के स्वामी हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय आ गये हैं।

श्री सौगतराय : मौजूद न होने के लिए आप उनकी भर्त्सना करें। आप हमारे सभी अधिकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री हुकमचंद कछवाय (उज्जैन) : मेरा निवेदन यह है कि हाउस का इतना समय इसलिए खराब हुआ कि सम्बन्धित चर्चा से सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे...... (व्यवधान)......

सभापति महोदय : आप भी तो उपस्थित नहीं थे।

श्री हुकमचंद कछवाय : मंत्री महोदय अपनी जवाबदारी को नहीं निभा रहे हैं।......

सभापति महोदय : आप अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं निभा रहे हैं। मेम्बर साहबान खुद यहां प्रेजेन्ट नहीं होते हैं।

श्री हुकमचंद कछवाय : भविष्य में वह ऐसी गलती न करें, ज्यादा सतर्क और जागृत रहें.........

सभापति महोदय : दूसरों को उपदेश देने के पहले हमें भी कुछ करना चाहिए।

श्री मोहनलाल पिपिल : हम मॉरली बाउंड हैं, वह ड्यूटी बाउंड हैं...... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : इस मामले पर मैं और सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० के० कोडियन : मैं एक विनिर्णय चाहता हूँ.........

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं रिकार्ड न करें।

श्री पी० के० कोडियन***

रेल राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :—मिनिस्टर बाथरूम भी चला जाए तो भी आप बकवास करते हैं। **(व्यवधान)**

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापती महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि बकवास करते हैं, यह "बकवास" शब्द जो है वह क्या पार्लियामेंन्टरी है ?

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह : हाउस में कोरम की बात चलती है तो डिकोरम की बात भी चलनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि शब्द "बकवास" पार्लियामेन्टरी है या अनपार्लियामेन्टरी है। **(व्यवधान)**

श्री रामदेनी राम : (पलामू) सभापति जी, करीब 15 मिनट का समय डिस्टर्वेन्स में बीत गया, मेरा समय इसमें नहीं काटा जाना चाहिए।

मैं यह बता रहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति सरकार की नीयत क्या है। विधान सभा या लोकसभा में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिजर्वेशन है वह इसलिए है कि और कोई चारा नहीं है, उतने आदमी तो आने ही हैं। लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक रहती तो राज्य सभा, विधान परिषद, जिला परिषद, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी और पंचायत में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को उसी मुताबिक दी जाती। लेकिन क्या वहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व है ? नहीं, वहां पर यह आपको नगण्य से ही दिखाई देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीयत क्या है। 32 वर्षों की

*** सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आजादी में इनको हमेशा से इग्नोर किया गया है, इनके हक हकूक को इग्नोर किया गया है। आप बतायें देश के किसी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई वाइस चांसलर है? केवल शेड्यूल्ड ट्राइब का एक व्यक्ति शिलांग में स्थापित है। किसी बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या गवर्नर की जगह पर कोई शेडयूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति नहीं हुआ, केवल श्री भण्डारे को छोड़ कर।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : उत्तर प्रदेश और केरल में दो गवर्नर हैं।

श्री रामदेनी राम : जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वे हुए हैं।

इसी प्रकार से दुर्भाग्य की बात है कि न सिर्फ जनता पार्टी बल्कि तमाम पार्टियों में आजतक कोई भी अध्यक्ष शेड्यूल्ड कास्ट नहीं बना है, श्री संजीवैया को छोड़ कर। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि गरीबों का बड़ा दम भरती है या अन्य किसी प्रोग्रेसिव कही जाने वाली पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया है।

सभापति जी, जहां तक सामाजिक व्यवस्था की बात है—छूआछूत का कोढ़ आज भी हिन्दुस्तान में मौजूद है और केवल छूआछूत ही नहीं आज हरिजन समाज के साथ इस देश में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वे सताये जा रहे हैं उसकी मिसाल आप को कहीं नहीं मिलेगी। बनारस में बाबू सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति के अनावरण के समय हमारे अन्तर्राष्ट्रीय नेता बाबू जगजीवनराम जी के साथ जो घटना घटी—उस को देख कर शर्म से सिर झुक जाता है।

सभापति जी, आप को आश्चर्य होगा—इस देश के किसी भी धार्मिक नेता ने उस की चर्चा नहीं की। न इन चारों शंकाराचार्यों ने, न विनोबा जी और न कर्पात्री जी उस का कोई विरोध किया। मैं चाहता हूं कि सरकार इन शंकराचार्यों की गद्दी को छीन ले। इतना ही नहीं, सभापति जी, अब इस हाउस में एक बिल आने वाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता—लेकिन धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने के लिये उस बिल को लाया गया है। वह हम को मन्दिरों में जाने नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिशन वाले गिरजाघरों में माला लिये खड़ा है। आप मन्दिरों में जाने नहीं देते, लेकिन गिरजाघरों में भी जाने से रोकना चाहते हैं?

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुवनी) : जरूर जायेंगे।

श्री रामदेनी राम : मैं चाहता हूँ कि धार्मिक स्वतन्त्रता पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिये।

जहां तक आर्थिक स्वतन्त्रता की बात है—यह बात बिलकुल साफ है कि दौलत कमाने के सारे साधन सरकार के अधीन हैं। यदि यह सरकार चाहती तो अब तक हरिजनों और आदिवासियों को विशेष सहूलियतें दे कर, बैंकों से लोन दिला कर, तरह-तरह की सहूलियतें दे कर उन को ऊंचा उठा सकती थी—लेकिन सरकार की नीयत भी साफ नहीं है क्या मेरी बराबर शिकायत

रही है। पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन दुख यह है कि इस सरकार की नीयत भी साफ नहीं है। मैं चाहूंगा कि हरिजन और आदिवासियों को विशेष सुविधायें दे कर जो रोजगार के जराय हैं—उन में उन को लाना चाहिये ताकि उन की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में रोटी और आजादी देने का वादा किया था। इस में कोई सन्देह नहीं कि आजादी तो उन को मिल गई है, लेकिन साथ ही इस देश के गुण्डों, चोरों और बेईमानों को भी आजादी मिल गई है। परन्तु रोटी अभी भी उन को नहीं मिली है—हिन्दुस्तान का गरीब, झोंपड़ी में रहनेवाला इन्सान आज भी दो वक्त पेट-भर रोटी नहीं खा रहा है। मुझे याद आता है--आजादी के पहले पं० जवाहरलाल नेहरू के एक प्लान बनाया था, जिस में बतलाया गया था कि आजादी मिलने के बाद हम देश में क्या करेंगे; किस रास्ते पर देश को ले जाना चाहेंगे। जब वह उस प्लान को लेकर गांधी जी के सामने ले गये तो गांधी जी ने उन से पूछा मुझे यह बतलाओ कि हिन्दुस्तान के गाँव में झोंपड़ी में रहने वाला जो इन्सान है, जिसे भर पेट भोजन नसीब नहीं होता। घर में चिराग नहीं जलता है, क्या उस के लिए इस प्लान में कुछ किया गया है। यदि उस के लिए कुछ नहीं किया गया है, तो इस प्लान को गंगा में बहा दो।

मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं—सरकार के प्रत्येक विभाग के अवंटन में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये का हिस्सा कर देना चाहिये।

उदाहरण के तौर पर आप बिजली का डेवलपमेंट करते हैं, बिजली करण करते हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बना कर इरीगेशन की और रीवर वैली प्रोजेक्टस के माध्यम से में बिजली से सारे इलाके में जगमगाहट हो जाती है और बाहर के लोग न केवल फायदा उठाते हैं लखपति बन जाते हैं लेकिन उसी के बगल में रहने वाले हरिजन और आदिवासी जो होते हैं, उन के घरों में तो लालटेन भी नहीं जलती है और कोठरी में अन्धेरा ही अन्धेरा रहता है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि कम से कम बगल में रहने वाले उन हरिजनों को और आदिवासियों को बिजली और पानी मुफ्त में दे। यह अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि यह चीज निश्चित तौर पर करें ताकि उन को विश्वास हो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है। तो उसके बाद हमें भी सहूलियत दी जाती है।

जहाँ तक शैक्षणिक व्यवस्था की बात है, इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन का एडमीशन जब इनफेन्ट क्लास में होता है, तो तीसरी पास होने के बाद वे 51 प्रतिशत स्कूल छोड़ देते हैं। 51 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं और 49 प्रतिशत जो बच्चे हैं, उन में से कुछ तो प्राईमरी तक पढ़ते हैं, कुछ मिडिल कलास तक पढ़ते है और उच्च विद्यालय तक जाते जाते केवल 17 प्रतिशत विद्यार्थी ही रह जाते हैं, जिस में कालेज के विद्यार्थियों को तो स्टाइफैंड मिल जाता है। इस 30, 32 वर्ष की आजादी में जो उपलब्धि मालूम पड़ती है, वह यही है कि कम से कम कालेज के विद्यार्थियों को स्टाइफैंड मिल जाता है। केवल उनमें अधिकतर विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं और अपनी गरीबी के चलते फिर वहीं गांवों में मजदूरी करने चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि छात्रवृत्तियों का जो रेट है, वह बढ़ाया जाना चाहिए जिनमें अधिकतर विद्यार्थियों

को छात्रवृति मिल सके । (व्यवधान) बिहार गवर्नमैंट्स ने इस पर विचार किया है और मैं समझता हूं कि वे मन्थली इस को देने की सोच रहे हैं । केवल इस में सुझाव यह है कि उन के लिए एक पासबुक खुल जानी चाहिए और एक पासबुक के माध्यम से मन्थली उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ।

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि या तो पब्लिक स्कूलों को तोड़ देना चाहिए और अगर कुछ दिनों तक और इन को रखना चाहते हों तो उन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिए सीट्स रिजर्व करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए । आप 14 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री रामदेनी राम : मेरा कुछ समय बीच में कट गया है ।

सभापति महोदय : वह समय निकाल दिया है । अब आप दो मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री रामदेनी राम :मुझे पांच मिनट और दीजिए ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए अवासीय विद्यालय होने चाहिए । इन का होना बहुत जरूरी है और छात्रावासों का होना भी जरूरी है । अवासीय विद्यालयों में खाने और रहने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं ।

जहां तक न्याय का सवाल है, आप जानते हैं कि कानून गरीबों पर शासन करता है और धनवान कानून पर शासन करते आए हैं । इस व्यवस्था को तोड़ना होगा और मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि आज जुडीशियरी हमारे संविधान की हत्या कर रही है । गरीबों को जैसा न्याय मिल रहा है, आप सब जानते हैं कि गरीब लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट में जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते । मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में कितने गरीब और हरिजन या आदिवासी लोगों में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत है जहां कि फैसला होने में 20-20, 25-25 साल तक लग जाते हैं ? मैं चाहूंगा कि हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना चाहिए जिस से कि गरीबों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके ।

सभापति जी, जहां तक जुडीशियरी में बहाली का प्रश्न है उसमें हण्ड्रेड परसेंट हरिजन और आदिवासियों के लोगों को इग्नोर किया जाता है । पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा तो आरक्षित कोटे में बहाली हो जाती है, वहां तो लोगों को कुछ-न-कुछ चुन लिया जाता है और कुछ-न-कुछ आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता है । लेकिन जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोट में जजों की बहाली का सम्बन्ध है वहां यह प्रयत्न रहता है कि कोई हरिजन या आदिवासी आदमी वहां न घुसने पाये । इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट में भी जजों की बहाली में आरक्षण करने की अनुशंषा है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"संविधान में उच्च न्यायालय के जजों की प्रदत्त महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति पूर्णरूप से योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती

है और अन्य बातों का विचार नहीं किया जाता है। किसी विशिष्ट जाति अथवा समुदाय के पक्ष में इन नियुक्तियों के लिए आरक्षण करना वांछनीय नहीं है। यह दिनायल अर्गुमेन्ट है।

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन-जातियाँ के लिए संघीय सेवाओं तथा राज्यों की सेवाओं के तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के दावे की अनदेखी नहीं की जा सकती। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि संविधान अनुच्छेद 16 (4) के अधीन जिला जजों और उच्च न्यायालय के जजों की आयु में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था करने की कानूनी अनुमति नहीं भी हो तो क्या यह संभव नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) से परे स्वयं संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन ही स्वतंत्र रूप से ऐसा किया जाए ? इस समस्या का समाधान उपर्युक्त विशिष्ट संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 335 के कार्य क्षेत्र एवं परिसीमा के उचित निश्चय पर अनिवार्य रूप से निर्भर करेगा।"

इस में यह सब है और एक तरह से हम वहां किसी भी हरिजन को बहाल नहीं कर सकते लेकिन दूसरे यह साबित होता है कि जानबूझ कर हम हरिजनों की उपेक्षा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि लेण्ड रिफार्म्स की समस्या को भी जल्दी से जल्दी हल किया जाए। करीब करीब 15-20 वर्ष से भूमि सुधार के कार्य शुरू किये गये लेकिन वे अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं। मैं चाहता हूं कि इस में तेज गति लानी चाहिए और जल्दी से जल्दी भूमि की समस्या को हल किया जाना चाहिए। जिस तरह से अपने आदिवासियों के लिए एक ला बनाया है—रेस्टोरेशन आफ लेण्ड आफ आदिवासीज—उसी आधार पर आप हरिजनों की समस्या को भी हल करें। बहुत से हरिजन अपनी जमीनों से बेदखल किये गये हैं और नाजायज तरीके से बेदखल किये गये हैं। उन हरिजनों को भी जमीनें वापिस मिलनी चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में लाठी और बन्दूक की लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई बहुत दिनों तक चलने वाली है। मैं चाहता हूं कि या तो आप तमाम हथियारों को आम लोगों से छीन लें वरना जो गरीब हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, उनके हाथ में भी हथियार थमा दें। बिहार के गया जिले के चैनपुर गांव में एक घटना घटी थी। वह घटना वहाँ के हरिजनों के साथ घटी थी। मुझे एक जांच कमेटी का चेयरमेन बना कर वहां भेजा गया था। मैंने वहां जा कर देखा था कि किस तरह से निहत्थे हरिजनों को मारा गया। जिस तरह से उनको मारा गया, उसको देख कर किसी भी व्यक्ति का हृदय दहल जाएगा। जांच के उपरान्त वहां का एक नवयुवक आ कर मुझ से मिला और कहने लगा कि मैं आप से कुछ नहीं माँगता, केवल आप हथियार दिलवा दें, बन्दूक दिलवा दें, आप से कोई मदद हम नहीं चाहते हैं। बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर ने घोषणा की थी और हथियार मिलने भी शुरू हो गए थे। उस को रोका न जाए। उनको जरूर बन्दूक आदि मिलने चाहियें।

एम. पी. बनने के बाद मुझे देश के कई भागों में जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि दिल्ली के सौ मील के रेडियस में जितनी दौलत खर्च की गई है पिछले 32 साल में, उतनी दौलत हिन्दुस्तान के चतुर्दिक विकास के लिए भी नहीं की गई है। यही वजह है कि दिल्ली के इर्द-गिर्द

के इलाकों को देखने के बाद ऐसा मालूम देता है कि हिन्दुस्तान तरक्की कर गया है, उसका विकास हो गया है और दूसरे देशों के लोग आते हैं और इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लेकिन वास्तव में सच्चाई दूसरी है। भारत के अन्य भाग निरे देहात के समान हैं इस इलाके के मुकाबले में, वहां न रोड्ज की व्यवस्था है, न हरिजनों के पढ़ने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था हो पायी है। आजादी के पहले का दृश्य अभी भी दिखायी देता है।

सरकार पर आरोप लगना शुरू हो गया है कि यह सरकार यथावत स्थिति की सरकार है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार प्रगतिशील कदम उठावे। हमने वादा किया था कि हम देश की कोटि कोटि जनता का विकास करेंगे। उस वादे से हम पीछे न हटें।

गांधी जी का दिया हुआ अन्त्यादेय का प्रोगाम प्रधानमंत्री ने लागू किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम ने मार्जिनल फार्मर्ज के लिए, स्माल फार्मर्ज के लिए स्कीमें बनाई हैं। अब कौन मार्जिनल या स्माल फार्मर है इसको बताने वाला रेवेन्यू अफसर या मुखिया से पूछा जाता है। तीन हजार रुपया इनके लिए निर्धारण किया है। मुखिया दो सौ रुपया लेता है तब इसका सर्टिफिकेट देता है कि यह मार्जिनल फार्मर है। जो नहीं भी होता है उसको भी दो सौ रुपया ले कर सार्टि-फिकेट दे दिया जाता है। रेवेन्यू अफसर के पास आते हैं तो वह चार सौ रुपया माँगता है। ऐसी अवस्था में यह अन्त्योदय प्रोग्राम क्या सफल कहा जा सकेगा ? मेरा सुझाव है कि प्रत्येक प्रखंड में आप एक लिस्ट बना दें कि कौन-कौन और कितने मार्जिनल फार्मर हैं, कौन-कौन और कितने स्माल फार्मर हैं और लिस्ट देख कर आप यह पैसा दे दें ताकि किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत न पड़े।

हमारा जिला बहुत बदनाम जिला है पलामू बिहार का। भारत में बांडिड लेबर का ईजाद वहीं हुआ है। यह ठीक बात है कि वहां हजारों लोग बांडिड लेबर से फ्री हो चुके हैं लेकिन अभी भी हजारों हजार की संख्या में वहां बांडिड लेबर है। मेरी आप से पुरजोर अपील है कि आप सख्ती से बाउंडिड लेबर को वहां रिलीज कराएं। हिन्दुस्तान का कोई गांव नहीं है जहां बांडिड लेबर न हो। वहां भी आप इसको फ्री कराएं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे ऊपर एक कलंक होगा कि 32 बरस की आजादी के बाद भी हम बांडिड लेबर को फ्री नहीं करा सके हैं।

जमशेदपुर की घटना जो अभी घटी थी, वहां जो रायट हुआ है, उसके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। हरिजनों और मुसलमानों के एक ही मुहल्ले हैं, एक ही मुहल्लों में वे दोनों रहते हैं। उन में कोई झगड़ा नहीं। भाई चारे के सम्बन्ध उन में थे। लेकिन बाहर से हजारों आदमियों ने आ कर यह बैक उनके घरों में घुस कर उनको लूटा और उनको मारा। बाद मे पुलिस वहां आती है तो हरिजन नौजवानों को और मुसलमान नौजवानों को पकड़ कर ले जाती है। अगर पुलिस को पाँच सौ रुपया दे दिया जाता है तो वह उस आदमी को छोड़ देती है। हरिजन युवक कालेज पढ़ने वाले भी एरेस्ट हुए हैं। मुसलमान भाइयों ने आ कर कहाकि इन से हमारी कोई अदावत नहीं है, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हम को प्रोटेक्शन दिया है, इनको छोड़ दिया जाए

लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। इसी तरह से मुसलमान नवयुवकों को बन्द करते वक्त हरिजन भाइयों ने कहा कि इनको न पकड़े हम तो भाई चारे का इन से सम्बन्ध है। दंगा करने वाला तो बाहर के लोग हैं। लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा गया। मैंने मुख्य मंत्री बिहार को इस सम्बन्ध में लिखा है, देखते हैं क्या होता है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य)—उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के ये चर्चाधीन प्रतिवेदन सामान्य प्रतिवेदन नहीं है, क्योंकि वे संवैधानिक संरक्षणों को लागू करने के बारे में हैं। जो लोग संवैधानिक संरक्षणों के प्रभाव और महत्व को समझते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि इन संरक्षणों के असफल होने पर सब कुछ असफल हो जायेगा। इसलिए, हम सब को संवैधानिक संरक्षणों के महत्व को समझना चाहिए। ये संरक्षण न तो भीख में मांगे जाते हैं और न ही अर्जित किये जाते हैं, अपितु स्वर्गीय डा० अम्बेदकर के 30 वर्ष के लम्बे संघर्ष और लड़ाई के बाद हासिल हुए हैं। इसलिए हमने उन्हें एक तरह से शक्तिशाली व्यक्तित्व दिया और अनुसूचित जातियों को एक ऐसे स्तर तक लाया जा सका जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से इन से वैधानिक संरक्षणों को ग्राम पंचायत नियमों के दर्जे तक गिरा दिया है और उनको बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा रहा है।

एक संसदीय समिति में मैंने जब गृह मंत्रालय के सचिव से यह पूछा कि इसके क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है, इन संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन के लिए गृह-मंत्रालय में क्या कोई संगठन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया गृह मंत्रालय संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जब मैंने यह पूछा कि क्या पूरा मंत्रिमंडल संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, उसका उत्तर भी उन्होंने नकारात्मक दिया। इसके बाद मैंने पूछा ! कौन उत्तरदायी है ? उन्होंने कहा कि समूची सरकार, केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारें सभी मिलकर इसके लिए उत्तरदायी हैं। इन सवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन के मामले में प्रशासन गैर जिम्मेदार ढंग से चलाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद संवैधानिक है, एक विशेष पद है और मेरे विचार से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद से ऊँचा और कोई अधिकारी नहीं है। तो भी उनके पद की स्थिति की क्लर्क के पद के समान बना दिया गया है और उन्हें अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये तथा इस बात का उत्तर देना चाहिये कि क्या संवैधानिक सुरक्षा असफल रही है अथवा सफल यदि वे तीस वर्ष से असफल रहे हैं और आप उन्हें समाप्त करते हैं तो मुझे अफसोस नहीं होगा। यदि सरकार उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करना नहीं चाहती तो पद ही समाप्त कर दिये जाने चाहिये। परन्तु यदि सरकार उन्हें चाहती है तो उनकी सिफारिश क्रियान्वित होनी चाहिये। यदि आप सिफारिशें क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं तो इसके क्या कारण हैं।

प्रतिवेदनों के बारे में हम यह देखते हैं कि सरकार चाहे वर्तमान हो या भूतपूर्व, संवैधानिक सुरक्षाओं को क्रियान्वित करने की इच्छुक नहीं रही है। दोनों ही सरकारों को इस

बात का ज्ञान नहीं था कि अस्पृश्यता क्या है और इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक विकास के बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा था कि एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हैं तो उत्तर यह दिया गया कि सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं है।

इंदिरा गांधी सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम लायी और जनता सरकार उससे दुगना अर्थात् 40 सूत्री कार्यक्रम लायी है। इस सबका लाभ क्या है? इन प्रतिवेदनों में हम एक बहुत ही अजीब स्थिति पाते हैं और वह यह कि न्यायपालिका ने यह कह कर कि न्यायपालिका स्वयं में एक स्टेट है अतः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में कोई आरक्षण नहीं हो सकता एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। यह न्यायपालिका का एक असाधारण तर्क है और ऐसा तर्क हमने भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं सुना है। पहले राजा कहा करता था कि मैं एक राज्य हूं। परन्तु न्यायधीशों को ऐसा कहते हमने पहले कभी नहीं सुना। अतः हमें सरकार से एक स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो कुछ कहा है वह सही है कि नहीं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों के आरक्षण के मामले के बारे में सरकार का विचार क्या है।

मेरे विचार से लोग संवैधानिक संरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। यदि ऐसा है तो यह बात निश्चित होनी चाहिये कि क्या लोग संवैधानिक संरक्षण को पसंद करते हैं, क्या संसद के दोनों सदन इन्हें पसंद करते हैं, क्या मंत्रिमंडल उन्हें जानता है और क्या न्यायपालिका इन्हें पसंद करती है। कुछ सद्भावना होनी चाहिये। यदि कोई सद्भावना है तभी हम सुरक्षा-उपाय बना सकते हैं। यदि संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रति यदि संसद अथवा मंत्रिमंडल अथवा न्यायपालिका में यदि कोई विरोध है तो इन संवैधानिक संरक्षण को बिल्कुल भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

अस्पृश्यता के प्रश्न के बारे में प्रतिवेदनों में बताया गया है कि कुछ नाटक तथा चर्चाओं की व्यवस्था की गई हैं। क्या नाटकों और चर्चाओं से सरकार अस्पृश्यता का निवारण कर सकती है। क्या आपकी नीति के पीछे यही विचारधारा है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे हरिजनों के बारे में नेहरूजी के समय इन्दिरा गांधी के शासनकाल में जो नीति बनाई गई थीं और आज भी जनता सरकार के शासनकाल में वही प्रचलित हैं, उसकी नये सिरे से समीक्षा करें। हरिजनों को पहले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे नहीं बल्कि पाचवें स्तर के नागरिक माना जाता है। उन्हें पंचम कहा जाता है, उन्हें मानव से भी नीचे के स्तर पर गिरा दिया गया है। वह नीति सफल नहीं हुई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार उनके बारे में कोई अन्य नीति अपनाये। यदि सरकार संवैधानिक सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने की बहुत इच्छुक नहीं है, यदि समग्र हिन्दु जाति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनका न्यायोचित भाग देना नहीं चाहती, तो मैं सदन में चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत गणतंत्र नहीं रहेगा। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है जहां सभी जातियों का सत्ता में भाग है। यदि अनुसूचित जातियाँ और जन-

जातियां प्रशासन में अपने न्यायोचित अधिकार अथवा प्रशासन में भागीदारी नहीं है तो इसका अर्थ यह होता है कि गणतंत्र में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। अतः सरकार को विशेषतया प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए।

प्रधानमंत्री के साथ मेरे घनिष्ट सम्बन्ध हैं। प्रधानमंत्री ने पता नहीं किस आधार पर घोषणा की है कि वह देश से पाँच वर्ष की अवधि में अस्पृश्यता दूर कर सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 50 वर्षों में भी वह अस्पृश्यता दूर कर सकेंगे? केवल नारे लगाना और अनिच्छा से संवैधानिक सुरक्षापायों को क्रियान्वित करना न केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ ही धोखा है अपितु यह संविधान तथा राष्ट्र के साथ भी धोखा है। अतः सरकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को ही नहीं राष्ट्र को भी धोखा दे रही है। ये दो समुदाय धर्म परिवर्तन के सबसे बड़े साधन हैं, यह आप नोट करें। यदि इन जातियों की उपेक्षा की जाएगी तो ये जातियां ईसाई, बौद्ध अथवा मुस्लमान धर्म अपना लेंगी। यदि आप उन्हें अपने भाइयों के समान नहीं समझते और बराबरी का व्यवहार नहीं करते तो आपके लिए यह एक चेतावनी है। जहां तक ईसाई समुदाय का सम्बन्ध है मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है किन्तु आयुक्त के प्रतिवेदन में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है। उन्हें छात्रवृतियां जैसी रियायतें दी गयीं। यदि छात्रवृतियां देने का आधार आर्थिक पिछड़ापन है तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण को छोड़कर अन्य संवैधानिक सुरक्षायें भी प्रदान की जानी चाहियें। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बौद्ध धर्म स्वीकार किये जाने से हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। हम पहले से अधिक प्रबुद्ध, सचेत और संगठित हैं।

अब मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ही पर्याप्त नहीं है। क्या आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त को पर्याप्त सरकार में कर्मचारी नहीं दे सकते। एक से अधिक व्यक्तियों का आयोग गठित करके सरकार को क्या प्राप्त होगा। क्या उससे सरकार का समाधान हो जायेगा? विधेयक के आने पर विधेयक की पेचीदगियों के बारे में मैं कहूंगा।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि जब संवैधानिक संरक्षणों के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई थी तब डा० अम्बेडकर तथा कांग्रेस के बीच काफी कहा सुनी हुई थी परन्तु उन्होंने एक समाधान निकाल लिया था। अब 30 वर्ष बाद भी कोई समाधान निकाला जाना चाहिये। यदि लोग संवैधानिक संरक्षणों के विरूद्ध हैं तो हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं तो इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। परन्तु मैं उन माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आरक्षित स्थानों से चुने गये हैं कि यदि वे संवैधानिक संरक्षणों को चाहते हैं तो वे उनके उचित क्रियान्वयन के लिए सदन में संघर्ष करें। केवल पद को बनाये रखने के लिए वे इस दायित्व को न भूलें। जहाँ तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं का सम्बन्ध है उन सदस्यों को जो आरक्षित स्थानों से आये हैं और जिनकी संख्या इस सभा में लगभग 120 है इसके लिए संघर्ष करना चाहिये। इन स्थानों पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा कब्जा किया जाता है जिन पर इन लोगों के कल्याण का कोई दायित्व नहीं है। चाहे यह इन्दिरा कांग्रेस हो, या जनता पार्टी हो

या साम्यवादी दल हो, सभा अपने निजी स्वार्थ से इन स्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं, और इन्हें इन जातियों के कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। अतः मेरी यह अपील है कि अनुसूचित जातियों को अकेले रहने दीजिए। जनता पार्टी हो या इन्दिरा कांग्रेस हो या अन्य दल हो, किसी को भी इन स्थानों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। यदि संवैधानिक संरक्षणों को बनाए रखना है तो किसी भी दल को लोकसभा अथवा राज्य विधान सभाओं के लिए आरक्षित स्थानों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को संगठित होकर स्वयं चुनाव लड़ने चाहियें। यह समस्या के समाधान का एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को अपना ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अन्य मामलों में हम आपके साथ हैं, अनुशासन में रहकर आपके साथ कार्य करेंगे। परन्तु जहां तक अनुसूचित जाति की समस्या का सम्बन्ध है हमारा सम्बन्ध किसी भी राजनैतिक दल से नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य केवल जाति कल्याण ही होना चाहिये। हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि संवैधानिक संरक्षण क्रियान्वित किये जायें। यदि इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता तो हम सदन में सरकार के साथ संघर्ष करेंगे।

इसमें किसी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार यदि संवैधानिक संरक्षणों को बनाए रखना चाहती है तो उन्हें क्रियान्वित करे अन्यथा समाप्त कर दे।

श्री आर.एन. राकेश (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदियों की चली आती गन्दी परम्परा, जातिवादी व्यवस्था, इंसान को ऊंच नीच कहने की परिपाटी, जातिवादी के पोषक, हिन्दू धर्म के ठेकेदार, इंसान इंसान में नफरत पैदा करने के केन्द्र शंकराचार्य लोग हैं। इस सन्दर्भ में मैं 1 से 7 अक्तूबर तक के "रविवार" अंक 6, खंड 2 में पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुरी के शंकराचार्य ने हरिजनों के बारे में और जातिवादी व्यवस्था की पुष्टि करते हुए कहा है कि भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने शरीर से बनाया और सब का काम बांट दिया है और वह सब को जो काम दिए गए हैं उस के अनुसार अपनी जाति के अनुसार काम को नहीं करते हैं तो अनर्थ हो जायगा।

फिर आगे चल कर कहा है कि काम बदलेगा तो उत्थान नहीं पतन होगा।

फिर आगे कहा है कि हरिजन संन्यास नहीं ले सकता, अधिकारी ही नहीं है। संन्यास लेना उस के लिए अपराध है।

संन्यास कौन ले सकता है इस सन्दर्भ में कहा है कि हमारे यहां तय है कि ब्राह्मण के अलावा कोई भी संन्यास नहीं ले सकता है।

पुनः इंसान और इंसान में नफरत पैदा करने के लिए, मजहब के नाम पर पुरी के शंकराचार्य ने कहा है कि मुसलमान मुसलमान के घर में चोरी करना पाप समझता है, हिन्दू के घर में चोरी करना पाप नहीं समझता है। मुसलमान मुसलमान के धन को चुराना पाप समझता है किन्तु हिन्दू के धन को चुराना पाप नहीं मानता है।

फिर आगे चल कर कहा है कि हिन्दुओं की मां बहन और बेटियों को चुराना मुसलमान पाप नहीं मानता है और वे चुराते हैं ।

इस ढंग की जिस में भावना हो जो शंकराचार्य इंसान इंसान में मजहब और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हों, बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस मुल्क की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 11 वर्षों तक पीली चुटिया और पीले वस्त्र बांधे ऐसे शंकराचार्यों के पैर पूजती रही हैं इस के बाद जनता सरकार आई तो इन नफरत पैदा करने वाले शंकराचार्यों को जेल के सीखचों के अन्दर बन्द होना चाहिए था लेकिन आज वह मठों में ऐयाश की जिन्दगी बसर कर रहे हैं ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चाहे वह कानोडिया धर्मपुर, बेलची या विश्रामपुर का कांड हो या आगरा का कांड हो, अथवा जमशेदपुर का कांड हो, इस सब के लिए ऐसे ही जहर उगलने वाले शंकराचार्य जिम्मेदार हैं और ऐसे शंकराचार्यों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 7 अक्तूबर को पुरी के शंकराचार्य निरजन देव ने इस ढग का बयान दिया, इस के बाद कितने बड़े बड़े कांड इस धरती पर हुए हैं, इस के बावजूद भी गृह मंत्रालय के कान पर जूं नहीं रेगती है और अभी तक शंकराचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी बतला देना चाहता हूं जो ऐसे शंकराचार्यों को खुश करने के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक इस सदन में ला कर पास करने की इच्छा रखते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक जो शंकराचार्यों को खुश करने के लिए लाए जाने की साजिश हो रही है, इस सदन से पास नहीं होने वाला है और उन की मंशा पूरी नहीं होने वाली है । साथ साथ मैं यह भी उन्हें बता देना चाहता हूं, जैसा कि कल मेरे साथियों ने कहा कि हम एक समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इन्सान इन्सान के बीच की खाई पाटी नहीं गई, समय रहते इस देश में अछूतों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो धर्म परिवर्तन से उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा । यह स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है और यह होकर रहेगा ।

इस सदन में कई साथियों ने इस देश के कोने कोने में हरिजन आदिवासियों पर हो रहे जुल्मों का विवरण दिया है । जहाँ एक ओर उनके पेट पर लात मारी गई वहीं दूसरी ओर उनकी भावनाओं को भी आघात पहुंचाया गया है । 12 तारीख को मुजफ्फरनगर के एक मोहल्ले में रविदास जयन्ती को रोक दिया गया। वहां के कलक्टर ने खड़े होकर रविदास जयन्ती को रुकवा दिया । जो आयोजक थे सैकड़ों लोग उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई और छोटे छोटे बच्चों की पैरों तले दबाकर हत्या कर दी गई । लेकिन आज तक जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

इसी प्रकार से 4 मई को अलीगढ़ के थाना सिकन्दराराव, कस्बा पुरदिल नगर में जब अम्बेदकर जयन्ती मनाने का आयोजन दिया गया तो आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया । उनका आज तक पता नहीं चल रहा है । न तो वे जेल में हैं न पुलिस कस्टडी में

हैं। पता नहीं कहां हैं। उन लोगों के परिवार पीड़ित हैं। मैं कहना चाहता हूं आज इस देश में जो ज्यादातर उनके अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है। सन्त रविदास और डा० अम्बेदकर की जयन्तियों को मनाने के लिए कभी कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जाता है। गांधीजी की जयन्ती, नेहरू जी की जयन्ती तथा राम और कृष्ण जयन्ती मनाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है लेकिन उसके बावजूद मुट्ठी भर लोग ही उनके चेले दिखाई देते हैं जबकि रविदास और अम्बेदकर जयंतियों में करोड़ों लोग दिखाई देते हैं। दुनिया के किसी भी नेता की जयन्ती राम भगवान की जयन्ती का केवल एक दिन ही आयोजन होता है लेकिन रविदास जयन्ती और अम्बेदकर जयन्ती महीने भर मनाई जाती है और देश के कोने कोने में मनाई जाती है। आज गांधी नेहरू के चेले घट रहे हैं पर देश में रविदास अम्बेदकर के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। इन तथ्यों के बावजूद हमारी भावनाओं को आघात पहुंचाया जाता है। मुझे किसी से भी कोई नफरत नहीं है लेकिन सेन्ट्रल हाल में जिन महानुभावों के चित्र लगाए गए हैं उनके व्यक्तित्व की तुलना में डा० अम्बेदकर का व्यक्तित्व उन्नीस नहीं बल्कि बीस था। उन्होंने इस देश के संविधान को बनाया है, इस देश को एक दिशा दी है लेकिन उनका कोई चित्र सेन्ट्रल हाल में नहीं लगा है कदाचित इसीलिए कि वे अछूत बिरादरी से सम्बन्धित थे। हम इस देश के संविधान का पालन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वह इस देश का संविधान है, संविधान में हमारी आस्था मात्र इसलिए नहीं है कि वह इस देश का संविधान है अपितु हमारी आस्था इसलिए भी है कि इस संविधान को एक अछूत ने बनाया है। लेकिन जिस ढंग से संविधान की धाराओं का मखौल उड़ाया जा रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में कोई फर्क नहीं है।

माना कि हमारी सरकार के रिजीम में कई गवर्नर बना दिये गये, लेकिन पिछली सरकार के रिजीम में तो बहुत प्रयासों के बावजूद भी, बहुत चिल्लाने के बावजूद एक भी गवर्नर नहीं बनाया गया, किसी को मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया। हमारी जनता सरकार ने कई गवर्नर बनाये हैं, कई मुख्य मंत्री बनाये हैं और मुझे यह भी आशा है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो उस पर भी किसी हरिजन को उपराष्ट्रपति बनाया जायगा।

पर सरकारी नौकरियों में हरिजन पदाधिकारियों के साथ बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। उन का कोटा भरने की बात तो दरकिनार रहा, जो नौकरियों में पहुंच गये हैं उन की पदोन्नति में तरह-तरह की अड़चने डाली जा रही हैं। पदोन्नति के एक वर्ष पहले ही उन की रिपोर्ट को खराब कर दिया जाता है। समयाभाव के कारण मैं सरकार के प्रत्येक विभाग के आंकड़े तो प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पर रेल विभाग के आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वहां हरिजन कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति किस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है।

रेल विभाग में :—

1. श्री पी० एल० भरागन-टी० आई, लखनऊ
2. श्री मिश्रीलाल, टी० आई, प्रयाग
3. श्री रामजीत राम, एस० एस०, वाराणसी

4. श्री आर० डी० राय, टी० आई, सुलतानपुर
5. श्री विश्राम सिंह, एस० एस०, टूण्डला
6. श्री नाथूराम, एस० एस०, चन्दौसी
7. श्री श्याम सुन्दर लाल वर्मा, पी० डब्लू० आई, लोहारू
8. श्री छतरपाल सिंह, ए० पी० डब्लू० आई, लोहारू
9. श्री जी० आर० सहयोगी, ए० पी० डब्लू० आई, बीकानेर
10. श्री भाष्कर राव, वर्कशाप सुप्रीन्टेन्डेन्ट, लखनऊ
11. श्री राम खेलावन, ए० पी० ओ०, हैडक्वार्टर
12. श्री आर० डी० डागोरे, ए० पी० ओ, दिल्ली

ये सब रेल्वे के वे पदाधिकारी हैं जिन की उन्नति इसी जनवरी में होनी थी, लेकिन उन की कानफीडेन्शल रिपोर्ट को खराब कर दिया गया, जिस की वजह से उन की पदोन्नति नहीं हो सकी ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी बतलाना चाहता हूं—एमर्जेन्सी के समय में तो बहुत से अत्याचार हुए, जिन के उदाहरण आप को अन्य स्थानों में नहीं मिलेंगे, लेखिन दुख यह है कि एमर्जेन्सी के सताये जाने के बाद जो लोग सत्ता में आये—उन के समय में भी ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिन के उदाहरण आप को नहीं मिलेंगे । समस्तीपुर डिवीजन में शम्भूनाथ नाम के एक गुड्स क्लर्क थे । उन का प्रमोशन कर के उस स्थान से ट्रांस्फर कर के उसी डिवीजन में उन का दूसरे स्थान पर भेजा गया । जब वह रिलीव हो कर नये स्थान पर पहुंचे तो उन को उस नई जगह का चार्ज नहीं दिया गया । 11 महीने से वह व्यक्ति बिना तनख्वाह के रेल मंत्रालय के चक्कर लगा रहा है, कभी मंत्री जी आदेश देते हैं तो उन का पी० ए० उस को रोक लेता है । कभी पी० ए० खुश हो जाता है, पता नहीं कैसे खुश होता है, तो उन के चेअरमैन उस को रोक लेते हैं, नीचे के पदाधिकारी रोक लेते हैं, बड़ौदा हाउस रोक लेता है, जी० एम० रोक लेता है—समझ में नहीं आता कि वहां पर क्या हो रहा है । नौकरियों के सम्बन्ध में मैं इतना स्पष्ट बतला देना चाहता हूं—कि सरकार की नीयत इस बारे में साफ होनी चाहिये । जब तक सरकारी नौकरियों में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का कोटा न भरे, तब तक उन सभी लोगों को जो बेकार हैं, बेकारी भत्ता उन की शिक्षा के अनुसार दिया जाय ।

मेरी दूसरी मांग यह है कि जो अधिकारी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के उत्पीड़न के लिये जिम्मेदार हैं—उस उत्पीड़न का मुआवजा उन की निजी सम्पत्ति और तनख्वाह से वसूल कर के उत्पीड़ितों की क्षतिपूर्ति कराई जाय ।

मेरे कुछ साथियों ने कहा कि मंत्रियों की नीयत साफ नहीं है, इसी लिये किसी भी विभाग में हमारा कोटा पूरा नहीं है । मैं भी इस बात की पूरी ताईद करता हूं । साथ ही साथ इस तथ्य

से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकांश मंत्रियों के महकनों में – कहीं उन के पी० ए० हुकूमत करते हैं और कहीं अफसरशाही उन पर हावी है ।

जहां तक आटोनोमस बोडीज की बात है, मंत्री लोग इतने कमजोर अपने को महसूस करते हैं कि एक सही काम नहीं करा सकते लेकिन हजार गलत काम को भी वे रोक नहीं सकते । इसीलिए अनुसूचित जातियों और जन जातियों का सवाल हल नहीं होता है । उन के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस को कोई देखने वाला नहीं है । इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट में जिन संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जन जातियों को सरकारी धनराशि के आवंटन का उल्लेख किया गया है, ये सब की सब संस्थाएं शेड्यूल्ड कास्ट्स और आदिवासियों की सेवा करने की बात तो दूर रही, अपना ही पेट भरने में लगी हुई है। आप यह देखें कि जिन लोगों को एम० पी० या एम० एल० ए० का टिकट नहीं मिलता था और वे एम० पी० या एम० एल० ए० नहीं बन पाते थे, तो हरिजनों के नाम पर और आदिवासियों के नाम पर ये संस्थाएं ऐसे लोगों को दे दी गई और वे इन संस्थाओं से अपना गुजर बरस कर रहे हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि इन संस्थाओं से शोषित वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसलिए या तो ये संस्थाएं हरिजनों के हाथों में दे दी जाएं, आदिवासियों के हाथों में दे दी जाएं या फिर इन को समाप्त कर के जितनी भी सुविधाएं आप इन लोगों को देना चाहते हैं, वह सरकारी मशीनरी के द्वारा बंटवाई जाएं अन्यथा यह प्रथा समाप्त नहीं होगी और हरिजनों को कोई फायदा नहीं होगा । अगर ऐसे ही मामला चलता रहा, तो इस देश के दलितों का भला नहीं होने वाला है ।

इस के साथ ही साथ मुझे गृह मंत्रालय के मंत्रियों पर तरस आता है । कुछ दिन पहले माननीय चौधरी साहब इस के मंत्री थे तो उन्होंने मानो इस देश के दलितों की बात को न मानने की कसम खा ली थी । इस के बाद जब दूसरे चौधरी साहब आए, तो सेर के सवा सेर निकले और आप यह देखिये कि उन को 300 एम० पीज ने लिख कर दिया, तो उन की बात को भी वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन दो रुपये वाला जो थाने का दीवान है, वह जो लिख कर भेज दे, तो उस को वे मान लेते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि वे मिनिस्टर तो बन गये हैं लेकिन अभी अफसरशाही उन की उतरी नहीं । इसलिए वे करी-कराई पर अपनी हामी भर देते हैं और अपने कलम की चिड़िया उस पर बैठा देते हैं, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब इस देश के दलितों का सवाल आता है, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल आता है, तो फिर चाहे वह उत्तर में होता हो, चाहे वह दक्षिण में होता हो, चाहे वह पूरब में होता हो और चाहे वह पश्चिम में होता हो, हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में इस देश के हरिजनों, आदिवासियों और दलितों पर कोई जुर्म होता हो, तो यह कह कर कि यह तो प्रान्तों का मामला है हम कैसे इस में दखल दे सकते हैं, टाल देते हैं । इस से काम चलने वाला नहीं है । अगर प्रान्तों का मामला है, तो प्रान्तीय सरकारें देखें, आप क्यों गृह मंत्री बन कर बैठे हैं और यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर यहां बहस क्यों होती है । सच तो यह है कि इस देश के अछूतों की, इस देश के हरिजनों की, इस देश के दलितों की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ? उन का

भला तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उन के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री न बन जाए। मैं जोरदार शब्दों में सेपरेट मिनिस्ट्री की मांग करता हूं और आप को स्पष्ट शब्दों में बतला देना चाहता हूं कि हम सारे के सारे लोगों की एक भावना हो चुकी है, सब दलों के लोगों की जोरदार शब्दों में आप के सामने यह मांग है और आगे बोलने वाले वक्ताओं की भी यह मांग होगी कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। अगर एक सेपरेट मिनिस्ट्री आगामी सदन की बैठक से पहले नहीं बन जाती, तो हम सब लोग सामूहिक बहिष्कार करेगें। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारी मांग को समय रहते सरकार स्वीकार करे और सेपरेट मिनिस्ट्री की मांग को ठुरकाये नहीं। इस मांग को स्वीकार किया जाए क्योंकि इस देश के पांचवे हिस्से की जनता की यह मांग है अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह उन का अपमान होगा और उन की भावनाओं का सम्मान आप को करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना कह कर समाप्त करता हूं:

"मुद्दत गुजरी है यही खामोश रहते रहते
हम मरहूम हुए हैं जुल्म सहते सहते
आता है तुफान मगर खामोश है सिन्धु
अब शोले बन रहे हैं ये आरजू बहते बहते"।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने गरीबों की आवाज उठाने का मौका दिया है।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के हितों तथा उनके भविष्य के बारे में संविधान सभा में वाद-विवाद तथा चर्चा हुई जिसके पश्चात् इनके हितों की सुरक्षा के लिये संविधान में कुछ उपबन्ध किये गये।

संविधान बनने के बाद भी, इस सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के हितों के बारे में अनेकों बार चर्चा हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि गत 32 वर्षों में कितनी बार हुई। बहुत से आयोग नियुक्त किये गये हैं। कई हजार नेताओं ने दिखावटी आंसू बहाये हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : टनों आंसू।

उपाध्यक्ष महोदय : कई गैलन।

श्री पी० ए० संगमा : जिस प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है उसमें कहा गया है। यह किया गया है और परिणाम यह है। मैं इस प्रतिवेदन से उधृत करता हूं : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तीन दशाब्दियां बीत चुकी हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की और उनकी झोंपड़ियों और गन्दी बस्तियों को अभी उसका कोई लाभ नहीं मिला। हमारे मूल कानूनों का लाभ मिलने की बजाय अभी भी वे भाग्य के भरोसे हैं। संविधान में जिस स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव

की व्यवस्था की गई है उसका उनके लिए अभी सार्थक होना शेष है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई है। परन्तु जिनका इस घातक प्रतिपादन में संविधान के इस अनुच्छेद की अपेक्षा अधिक विश्वास है। वे सुरक्षित रहकर इस मूल कानून का उल्लंघन करते हैं।

नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कठोर प्रावधान किये गये हैं, जैसा कानून जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के तेरह वर्ष बाद अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए बनाया गया, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक अपने बहुत से लोगों को मूलभूत मानवी अधिकारों से वंचित रखने का अपराध कर रहे हैं।

देश में अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुसूचित जातियों को पीने के पानी की सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। बहुत से स्थानों पर वे उन मार्गों से शवयात्रा नहीं कर सकते जिनसे अन्य लोग करते हैं।

सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का राष्ट्रीय संकल्प एक आश्वासन मात्र ही रह गया है जिसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में संभवतया थोड़ा-थोड़ा करके पूरा किया गया है। राजनैतिक न्याय, यदि उपलब्ध भी हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभाव में अधिकांशतः सार्थक नहीं रहता।

आयुक्त का प्रतिवेदन पढ़ने के पश्चात् मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि मुझे वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं, यद्यपि सदन में इस चर्चा को चलते हुए आज चौथा दिन है। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं कि चर्चा हुई है, आश्वासन दिये गये हैं बहुत से कानून भी बनाये गये हैं परन्तु अनुसूचित जातियों के लोगों की स्थिति पहले जैसी ही है। जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, तब चर्चा करने से ही क्या लाभ है। मेरे विचार से हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि गलती कहां पर है। जब स्वतन्त्रता प्राप्ति के 32 वर्ष बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल सका तब यह देखना आवश्यक हो गया है कि गलती कहां पर है। कानून हैं परन्तु वास्तविक समस्या यह है कि इन कानूनों का क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में त्रुटियां बतायी हैं। यद्यपि हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षणों के अधीन प्रावधान हैं परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि जो लोग इन कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। वे इन कानूनों को पसन्द नहीं करते। अतः दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकता इन लोगों की शिक्षा और इनके सामाजिक दृष्टिकोण की, तथा सामाजिक ढांचे के पुनर्गठन की है। कितने भी कानून बन जायें, कितनी भी चर्चा सदन में हो उससे इन लोगों का हित नहीं होगा। जब तक देश का शासन चलाने वाले लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक इन जातियों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में कोई सुधार नहीं आयेगा। इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनसे मेरे विचार में कुछ सीमा तक समस्या का समाधान हो सकेगा। इस मामले के दो पहलू हैं। एक सामाजिक अन्याय अर्थात् इन जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार हैं और दूसरा पहलू है आर्थिक स्थिति। मैं प्रतिवेदन, भाग दो, पृष्ठ 49 से उद्धरित करता हूं।

'जहाँ तक आसाम, मणीपुर मेघालय, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1974, 1975 और 1976 में हरिजनों और अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों का सम्बन्ध है हरिजनों पर अत्याचार की कोई घटना नहीं हुई है।"

पश्चिम बंगाल के बारे में मुझे पता नहीं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी न हुई हो। इस अवधि में कोई अत्याचार नहीं हुए। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेघालय, नागालैण्ड, मणीपुर, अरुणांचल प्रदेश आदि जैसे अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ अपने लोगों पर अपना ही शासन है। इस प्रकार के अत्याचार उन राज्यों में होते हैं जहाँ अधिकांश जनसंख्या सवर्ण हिन्दुओं की है, जहाँ अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कम है, वहाँ सवर्ण हिन्दू उनका शोषण करते हैं। अतः यदि सरकार इन लोगों का कोई उत्थान करना चाहती है तो हमें छोटे-छोटे राज्य बनाने चाहियें ताकि जहाँ अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या अधिक हो उस क्षेत्र को एक पृथक् राज्य बना दिया जाये और ये लोग अपनी इच्छानुसार प्रशासन चला सकें। बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्यों के विभाजन की मांग हुई है कि इन राज्यों को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित किया जाये। अतः जहाँ अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हों उस क्षेत्र को एक पृथक् राज्य बनाया जाये ताकि कोई भी इन जातियों के लोगों का शोषण न कर सके। जहाँ पृथक् राज्य बनाना सम्भव न हो वहाँ उन जिलों को स्वायत्तता दी जानी चाहिये जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की जनसंख्या अधिक हो। इस उद्देश्य से राज्य में पृथक् जिले भी बनाये जा सकते हैं ताकि इन जिलों को भारत के संविधान के अनुसार स्वायत्तता प्राप्त हो सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य बनाये जाने से पूर्व हम आसाम के अन्तर्गत आते थे। तब भी, हमें अपने जिलों में संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्तता दी गई थी। उस समय भी अत्याचारों का प्रश्न नहीं था। मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी सम्भव हो, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का बहुमत हो, वहाँ राजनैतिक अधिकार दिये जाने चाहियें और एक बार राजनैतिक दिये जाने से स्वायत्तता स्वयं ही आ जायेगी। हमें उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें राजनैतिक सहायता मिल सके। देश के शासक संरक्षण प्रदान करने तथा आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए शिक्षा तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की आड़ ले रहे हैं। हमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के संरक्षण की बात करने से पहले इन लोगों के कल्याण की बात करनी चाहिए। हमें इन लोगों को राजनैतिक अधिकार, सामाजिक न्याय तथा समानता प्रदान करके मुक्ति प्रदान करनी चाहिए और इसके पश्चात् उनकी आर्थिक सहायता के लिए आगे आना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामने जो विभिन्न समस्यायें हैं उनका समाधान करने का यही एक मार्ग है।

श्री नथुनीराम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पिछले कई दिनों से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदनों पर चर्चा चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों ने तथा सवर्ण हिन्दू जाति के सदस्यों ने अनुसूचित जातियों,

जनजातियों के लोगों की समस्याओं के प्रति रुचि दिखाई है। उन्होंने इस मामले पर बारीकी से चर्चा करने का प्रयत्न किया है, किन्तु मुझे खेद है कि उनकी इन समस्याओं में रुचि इस सदन तक ही सीमित है, सदन से बाहर हम कई वर्षों से देख रहे हैं, वे इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। जो कुछ वे सदन में बोलते हैं वह बाहर उनके कार्यों के विपरीत है।

यह एक विदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच हित संघर्ष चलता रहता है। विश्व के कई देशों में इससे मिलती-जुलती समस्याएँ रही हैं। उदाहरण के लिए रोम में दास थे, स्पार्टा में गुलाम थे, ब्रिटेन में खलनायक (विलेन) थे, अमरीका में नीग्रो और जर्मनी में यहूदी थे उसी प्रकार भारत में अस्पृश्य लोग और अनुसूचित जातियाँ हैं। परन्तु एक अन्तर है और वह यह कि जहाँ अन्य देश गम्भीर प्रयास करके इन बुराइयों को दूर करने में सफल हुए वहाँ हमारे देश में इस दिशा में कोई गम्भीर प्रयास ही नहीं किये गये। हमारे देश में अछूतों की समस्या दीर्घकाल से चली आ रही है और हम इसका कोई समाधान नहीं खोज सके हैं।

मैं महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रयास किये। जैसे ही उन्होंने अछूतों और इन जातियों के लिए कार्य करना आरम्भ किया वह गांधी जी से महात्मा गांधी हो गये। परन्तु जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया तो उन्हें देशद्रोही तथा ब्रिटिश शासन का दलाल कहा गया।

अभी अभी मेरे युवा मित्र ने जो मुद्दे उनमें हैं उन्हें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर अत्याचार इसलिए होते हैं कि हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की छितरी-बितरी है। जहाँ इन लोगों की जनसंख्या अधिक है वहाँ उन पर कोई अत्याचार नहीं होते हैं। जहाँ सवर्ण हिन्दुओं की जनसंख्या अधिक है वहाँ वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सभी प्रकार की मुसीबतें पैदा करने का साहस रखते हैं। यदि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को हथियार तथा आवश्यक सहायता दी जाये तो वे अपनी रक्षा कर सकते हैं और सवर्ण हिन्दुओं का सामना करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं।

महोदय, मैं श्री कर्पूरी ठाकुर को बधाई देता हूं उन्होंने बिहार में इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में अछूतों पर अत्याचार रोकने के लिए निर्धारित राशि यह कहकर वापस कर दी गयी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। परन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार हुए। हमने इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की, उन्होंने बताया कि कोई अत्याचार की घटना घटित होने के कारण धनराशि सरकार को वापस लौटाई गई।

कुछ मित्रों ने कहा है कि जब भी अत्याचार होते हैं उनके सारे सदन के मामले उनमें जाते हैं। केन्द्रीय सरकार भी आगे आती है और यह कहकर अपनी अक्षमता प्रकट करती है कि यह मामला राज्य सरकार का है। राज्य कानून और व्यवस्था की समस्या से निपट सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार किसलिए है ? अत्याचार से लोगों को बचाना केन्द्रीय सरकार का नैतिक दायित्व है ।

दीर्घकाल से समाज और सरकार हमारी उपेक्षा करती रही है । कल और आज भी हमने देखा है कि कितने मंत्री हमारी बात सुनने के लिए आए हैं । इस विषय पर वाद-विवाद चलते बारह घंटे हो गए हैं परन्तु गृहमंत्री यहाँ नहीं आये । वह सहानुभूति का एक शब्द भी कहने के लिए नहीं आए । उनकी ओर से प्रधान मंत्री को उत्तर देना पड़ा । यह न केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किन्तु सवर्णों के लिए भी बड़ी दुखद स्थिति है ।

सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है और सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूं । पहले कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है । देश के विभाजन के पश्चात् सरकार को शरणार्थियों की समस्या का समाधान करना पड़ा था । पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर करोड़ों रुपए की राशि व्यय की गई है । किन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर बहुत कम राशि व्यय की गई है । यह अस्थायी स्थिति थी । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ? परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने में सरकार और लोग दोनों ही झिझकते हैं । लोग जैसे होंगे, समाज जैसा होगा सरकार भी वैसी ही होगी । यह समाज की रचना है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ सदस्य यहाँ हैं । हम कठिनाई पैदा करने की स्थिति में नहीं हैं सरकार ऐसा कर सकती है । हम अनुरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं अतः हम सहन करते जा रहे हैं । हम ये सब बातें सुन रहे हैं । मंत्रियों से भी हमें ऐसा ही व्यवहार मिल रहा है ।

वे कहते हैं कि वे अनुसूचित जातियों की समस्याओं को समझना चाहते हैं । ऐसा सुनकर हमें बड़ा खेद होता है । यदि कोई अनुसूचित जातियों की समस्याओं को समझना चाहता है तो मेरा सुझाव है कि उसे देश में किसी दूर स्थान पर जाकर एक मोची अथवा एक सफाई कर्मचारी के पुत्र के रूप में रहना चाहिए । तब वह देखे कि उसे माला पहनाई जाती है अथवा उसका निरादर किया जाता है । वह थोड़ी देर में ही समस्या को समझ जायेगा ।

30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है । उन्होंने भी कोई ठोस कार्य नहीं किया । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आज जो प्रगति दीखती है वह प्रशासन और समाज के कारण नहीं है यह प्रगति औद्योगिक तथा आर्थिक दबाव के कारण है । इसका आपको श्रेय नहीं जाना चाहिए । क्या सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्याओं के प्रति रुचि रखती है । अभी आप सौ वर्ष और अनुसूचित जातियों के लोगों पर शासन करना चाहते हैं । समाचारपत्रों में प्रचार के लिए प्रत्येक बात देखी जा सकती है । यह केवल सांत्वना मात्र है । जब जातीय भेदभाव के विरुद्ध यहाँ से विदेशों को तार भेजे जाते हैं तब हमारे यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है । यदि विदेशों में जातीय भेदभाव है हमारे यह सवर्ण और अछूत के बीच भेदभाव है । यह सरकार तथा देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि

जो लोग अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं वे जातीय भेदभाव के विरुद्ध विदेशों को तार भेजते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों का रिकार्ड देखें तो जान पड़ेगा कि यह सब कपट तथा पाखण्ड था और काफी देर के बाद इतिहास सामने आ रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो उन्हें कुछ उपायों के साथ आगे आना चाहिए और मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जातियों की समस्या का समाधान हो जायेगा।

जनगणना के अनुसार इस देश में 20 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग रह रहे हैं। यदि डा० अम्बेडकर का प्रतिवेदन देखें तो पता चले कि 1940 से पूर्व किस प्रकार जोड़ तोड़ की गई और तभी से वही षड़यंत्र अभी भी चला आ रहा है। जैसा कि श्री सूरजभान ने कहा है दिल्ली में दो आरक्षित स्थान होने चाहियें परन्तु सरकार के जोड़ तोड़ के कारण केवल एक स्थान ही आरक्षित है। अंडमान में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लोग इसे और अधिक सहन नहीं करेंगे। हम भूखे रह सकते हैं परन्तु आत्म सम्मान हमारा भी है। स्थिति दिन प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। सारा देश ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है।

अनुसूचित जातियों में जो कुछ भी प्रगति दीख पड़ती है वह प्रौद्योगिक और आर्थिक दबाव के कारण है। यदि सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देगी, तो देश को विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

मैं अन्य बातों को दोहराना नहीं चाहता। मेरे अन्य साथी उनके बारे में कह चुके हैं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) :— सभापति महोदय, शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट यहाँ पर चर्चा के लिए पहली दफा नहीं आई है—वह पहले भी कई दफा आ चुकी है और आगे फिर भी आयेगी। इस समस्या का वर्णन कई पूर्ववक्ता कर चुके हैं। यदि उन बातों को फिर से दोहराया जाये, तो एक दिन या दस दिन नहीं, बल्कि कई बरस लगेंगे, क्योंकि यह समस्या एक बरस की नहीं है, वरन् हजारों बरसों से यह जाति पिसती आई है। आजादी के बाद भी इन लोगों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया है।

शायद यह समझना भी हमारी भूल है कि उच्च वर्ग के हमारे सभी भाई हमारे दुश्मन हैं और वे सभी चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही रहें और उनकी दशा में कोई सुधार न हो। बहुत से महात्मा भी हुए हैं, जिन्होंने इन लोगों की दशा में सुधार के लिए बहुत से प्रयास भी किये हैं। लेकिन उसके बावजूद शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज की आम व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है।

इसका मूल कारण हमारे विचार से दूसरा है। इस देश के रीतिरिवाज, धर्म और समाज की जो व्यवस्था है उसी में पहली गलती है। हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत दफा सलाह दिया कि रामायण पढ़िये, उससे आप को शान्ति मिलेगी। मैंने भी रामायण पढ़ना शुरू किया। देखा

रामायण में लिखा हुआ है कि रामचन्द्र जी ने सीता को छुड़ाने के लिए बन्दरों की सेना बनाई। ये बन्दर कौन थे ? ये शैडूल्ड कास्ट और शैडूल्ड ट्राइब्ज के लोग थे। उन के लिए अभी तक भी धर्म पुस्तकों में बन्दर की संज्ञा दी गई है, रामायण जिस को इतना पवित्र मानते हैं, उस में उन के लिए बन्दर लिखा हुआ है। तो पहला सुधार उस में होना चाहिए। हिन्दू धर्म में इन्सान को इन्सान नहीं समझा गया, धर्म पुस्तक में उनको बन्दर कहा गया। शायद ओ०पी० त्यागी जी यहां हैं नहीं, उन से यह कहना चाहता हूं कि पहले वहां थोड़ा सुधार लाइए। फ्रीडम आफ रेलीजन बिल लाने के पहले इन धर्म पुस्तकों में इन्सान को इन्सान कहा जाये ऐसा सुधार लाइए।

दूसरी बात यह है कि यहां की एक और समस्या है भाषा की समस्या। हमारे नेता गण और बड़े बड़े कहलाने वाले लोग अंग्रेजों के विरुद्ध तो, 24 घन्टे का रात दिन होता है लेकिन वे 24 घन्टे में 26 घन्टे बोलते रहते हैं किन्तु अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। जिसको फारेन भाषा कहते हैं, जिस को हम लोग शोषण कि भाषा कहते हैं उस में वह बोलते हैं। यह शोषण का तरीका अभी तक वे लोग रखे हुए हैं और बड़ी बड़ी बहादुरी के साथ उनको चलाये जा रहे हैं। देश की भाषा का अनादर किया जा रहा है। जब अपनी भाषा जो स्वतन्त्र विचार प्रकट करने का माध्यम है उसी का अनादर किया जा रहा है तो क्या आप आशा कर सकते हैं कि जो इतने वर्षों से शोषित हैं उनके लिए न्याय हो सकता है ?

हमारे समाज में हिन्दू हों, मुसलमान हों या जो कोई भी हों, यहां की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, मैं सब के सम्बन्ध में तो नहीं बोल सकता हूं लेकिन यह बता सकता हूँ कि मुसलमानों के बीच में भी ऊंच नीच का सवाल है, उन में भी सभी मुसलमान बराबर नहीं हैं, उनके यहां भी सैयद और खान वगैरह हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस में भी एंग्लो इन्डियन क्रिश्चियंस हैं और दूसरे क्रिश्चियंस हैं। ये आपस में छूआछूत तो नहीं रखते किन्तु दूसरे सामाजिक रीतिरिवाज में इनमें भी फर्क है। तो यह एक किस्म से हिन्दुस्तान की कल्चर बन गई है। इसलिए केवल उच्च वर्गों को सब समय दोष देना यह मैं नितांत जरूरी नहीं समझता क्योंकि सामाजिक रूप से हम सभी इस के लिए दोषी हैं।

राजनैतिक दृष्टिकोण से आप विचार करें तो जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, रूलिंग पार्टी जो राज करती आई है उसने सब समय रेलीजस माइनारिटीज को और शैडूल्ड कास्ट और शैडूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में रखने की चेष्टा की है। यही चेष्टा जनता सरकार भी कर रही है कि जहाँ तक हो सके, डरा धमका कर उनको अपने साथ रखें। यही पिछली सरकार भी करती आई और यही जनता सरकार भी कर रही है। इन को अपने विचारों से सोचने समझने और अपने विचारों से राजनैतिक दलों में जाने की भी छूट नहीं है। हमारे मित्र ओ० पी० त्यागी जी के शब्दों में देखें, उन्होंनें अपने फ्रीडम आफ रेलीजन बिल में कहा है कि इन को धर्म चुनने की भी शक्ति नहीं है कि कौन धर्म में जाएं यह चुन सकें, इसलिए विशेष रक्षा की आवश्यकता है। यह विशेषकर ट्राइब्स के विषय में कहा गया है। यह तो खुलेआम उन की बेइज्जती है। उन को तो आदमी ही नहीं समझा। जैसे जानवरों को, कुत्ते को सिखाया जाता है वैसे ही

मिस्टर त्यागी इन को सिखाएंगे कि कौन से धर्म में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। यह तो सामाजिक व्यवस्था है।

मंडल जी से एक दिन मेरी बातचीत हुई थी। शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज के लिए वह बहुत उत्सुक हैं कि किस तरह से इन को आगे बढ़ाया जाए। मैं तो कहता हूं कि यदि सरकार अपनी इच्छा रखती है तो मेरा सजेश्चन यह है कि राइट टु वर्क जो हमारे दल ने डिमांड किया है, उस को फंडामेंटल राइट में ऐड किया जाये।

यदि आप शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज को हर जगह रिजर्वेशन देने के लिए उत्सुक हैं लेकिन दे नहीं सके हैं तो कम से कम इन लोगों पर राइट टु वर्क को जरूर लागू कीजिए। बिना कोई देर किए हुए, जो उनका काम पाने का अधिकार है, उस को पूरा कीजिए। ऐसा कर देने से रिजर्वेशन की समस्या और दूसरी समस्याएं अपने आप हल हो जायेंगी।

हमने बहुत ध्यान से इस बात को सुना है कि हमारे उच्च वर्ग के लोग इनका शोषण कर रहे हैं, इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में सभी मंत्री बंगाली हैं, उच्च पदों पर बंगाली हैं तो क्या सभी उच्च बंगालियों की उन्नति हो गई? इसी तरह से बिहार में क्या सभी उच्च बिहारियों की उन्नति हो गई और क्या सभी उच्च वर्ग के लोग महान बन गए? नहीं। कारण यह है कि हमारी जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पूंजी के जरिए से चाहे वह शैडूल्ड कास्ट हो, शैडूल्स ट्राइब हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, सभी का शोषण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में मनुष्य की कोई कीमत नहीं रह गई है केवल पूंजी की कीमत है। मिनिस्टरों के घरों में हम रोज देखते हैं मोटरों की भीड़ लगी रहती है। समझ में नहीं आता इतनी दुःखी आत्मायें कहां से आ गई लेकिन वास्तव में होता यह है कि किसको कौन लाइसेंस दिया जाएगा, किसके लिए क्या व्यवस्था होगी और किस किस के लिये क्या क्या किया जायेगा इसी में हमारे मंत्रिगण बंधे हुए हैं। उनके लिए भी यह इसलिए जरूरी है कि अगली बार उनको फिर एलेक्शन में आना है, पूंजीपतियों को सुविधा देनी है, उनसे पैसा लेना है और उस पैसे से एलेक्शन जीतना है तथा पाँच वर्ष तक पुनः जनता को ठगना है। उसी की तैयारी हो रही होती है। तो इसप्रकार की हमारी प्रजातंत्र की व्यवस्था है। यदि मूल व्यवस्था में ही कोई दोष हो जैसे किसी घड़े में बहुत छिद्र हों तो उसमें आपके हाथ से भी पानी नहीं भरेगा। मेरे हाथ से भी पानी नहीं भरेगा और माननीय मंत्री, श्री मण्डल जी के हाथ से भी पानी नहीं भरेगा— किसी के हाथ से भी पानी नहीं भरेगा। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था में ही आमूल परिवर्तन करना जरूरी है। हिन्दुस्तान के आदमी बहुत सी जातियों, बहुत से धर्म और बहुत सी भाषाओं के बीच जी सकते हैं—यह एक बहुत बड़ा नमूना है परन्तु इस पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े कहलाने वाले लोगों ने सभी नीतियों में राजनीति अपना ली है। जब इस देश में मुसलमानों का राज था तब क्या मुसलमानों की दशा सुधरी थी? नहीं सुधरी। मुसलमानों ने भी शोषण किया। इसलिए हमारी पूंजीवादी व्यवस्था में ही यह मूल त्रुटी है। जब तक कोई परिवर्तनशील, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट नहीं आयेगी जब तक पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त नहीं होगा तब तक शैडूल्ड कास्ट और शैडूल्ड ट्राइब की व्यस्था में सुधार नहीं होगा। आगे चलकर

उच्च वर्ग के लोग भी लिखना शुरू कर देंगे कि हमको शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्ज में भर्ती करो जिससे हमें भी कुछ मिल सके।

सभापति जी, बहुत से ऐसे लोग जो ऊंची जाति के कहलाते हैं, लेकिन गरीब हैं, हमारे पास आ कर कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता बतलाइये जिस से हम भी शैडूल्ड कास्ट या शैडूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट पा सकें। शायद मंत्री महोदय को मालूम होगा—आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैडूल्ड कास्ट् और शैडूल्ड ट्राइब का झूठा सर्टिफिकेट ले कर नौकरियाँ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है—गरीबी। जाति-भेद, छूआछूत के सवालों के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं—इस तरह से हमारी व्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती है।

आज हमारे देश में सभी काम कान्ट्रैक्टर के जरिये होते हैं। आज देश के लिए जितनी योजनाएं बनाते हैं—उनको पूरा करने के लिए कांट्रेक्ट दे दिया जाता है। वे कांट्रेक्टर्स मंत्री जी के पास आते हैं—कितने परसेन्ट कौन लेता है, कितना रुपया उस काम में खर्च होता है—सब कागज-पत्र बना कर मिनिस्ट्री में भेज दिया जाता है कि इतना काम हो गया। किस पर विश्वास किया जाये? अगर कोई कांट्रेक्टर अच्छा हुआ तो शायद कुछ काम हो जाता है—लेकिन उन कार्यों से मजदूरों को क्या लाभ होता है? उसको मजदूरी वही कांट्रेक्टर देता है, जो उस का अच्छी तरह से शोषण करता है।

देश के कानून को देखिये—आज हमारे कानूनों को कौन समझ सकता है? हमारे मंत्री जी भी कानून को नहीं समझ सकते हैं—क्योंकि भाषा ऐसी है जिस के कई अर्थ निकल सकते हैं। मंत्री जी को भी यदि जरूरत पड़ेगी तो वकील के पास जाएंगे और हजार रुपया फीस देंगे। तब वह मुकदमा लड़ा जायेगा। जज साहब भी वकीलों की बहस सुनने के बाद संविधान के मुताबिक रूलिंग देंगे। जितना उन को इस बारे में अधिकार है—यहां के किसी भी मैम्बर को अधिकार नहीं है। यह बिलकुल सही बात है कि हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है कि उस में जो लिखा है—उस के क्या माने हैं—हमारे बहुत से मेम्बर भी उसके बारे में क्लिअर नहीं हैं, उन को पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हम को क्या बोलना चाहिये। यहां भी इस को कांट्रेक्टर को पैसा दे कर काम करना पड़ता है।

हैल्थ की हालत को भी देखिये—मंत्री जी इस बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते, हर जगह डाक्टरों की मनमानी चलती है। जिन्दा मनुष्य को यदि डाक्टर बोल दे कि मर गया, तो उसको मानना पड़ता है। इस तरह का जो कोढ़ फैला हुआ है—इसको पूर्ण रूप से दूर करने की जरूरत है और इसके लिये जिम्मेदार पूंजीवादी व्यवस्था है। हमें इस सड़ी-गली व्यवस्था को, जो धनी-मानियों की व्यवस्था है, जो आम जनता की भलाई के लिए काम में नहीं आ सकती है—उसको जितनी जल्दी हो सके उखाड़ कर फेंकना होगा। जनता सरकार के पास यदि हिम्मत है तो इस कोढ़ को फेंककर असल रूप में प्रजातन्त्र का राज क़ायम करें।

श्री श्यामलाल धुर्वे (मंडला) : सभापति महोदय, दो-तीन दिन से हरिजन आदिवासी रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। आज मैं देख रहा हूं कि देश के अन्दर जितने भी आदिवासी जिले हैं--उनकी अवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जितनी अंग्रेजी शासनकाल में भी नहीं थी। 30 साल की आजादी के बाद भी मध्य प्रदेश के मंडला, बस्तर, शहडोल, सरगुजा के आदिवासी जिलों की हालत बहुत ज्यादा गम्भीर है—मैं स्वयं इन जिलों का दौरा करके आया हूं—शायद इतनी दयनीय स्थिति आजादी के पहले भी नहीं थी। आज वहाँ 80-85 प्रतिशत आदिवासी भाई गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आज उनको गाँव छोड़कर शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। मैं अपने जिले मंडला के बारे में आपको बतलाता हूं—वहाँ के 10-15 हजार लोगों को अपनी जान बचाने के लिये, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये दूसरे जिलों में भागना पड़ा है—इतनी ज्यादा हालत खराब है। पिछले 10 सालों से अकाल पड़ने के कारण वहां की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है। इसी तरह से शहडोल है, बस्तर है, झबुआ है, ये जितने भी आदिवासी जिले हैं देश के अन्दर मैं अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए बतलाना चाहता हूं कि वहां पर इन लोगों की हालत बहुत ही गम्भीर है। लोगों की ऐसी हालत है कि उनको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। कर्ज से जनता लदी हुई है और 100 साल तक भी अगर सरकार उनकी मदद करती रहेगी, तो कर्ज से उनका उद्धार नहीं हो सकता है।

मैं आप के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासी जिले आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में हैं। यदि आपको उनकी स्थिति सुधारनी है, उनको बराबरी में दूसरे लोगों के अगर लाना है, तो कर्ज में जो जनता लदी हुई है, वह कर्ज आपको माफ करना पड़ेगा। तभी उनकी हालत में आप सुधार कर सकते हैं। पिछले 30 साल के अन्दर आदिवासी जिलों में रहने वाले लोगों का शोषण कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। वहाँ के जो नेता लोग थे उन्होंने उनकी जमीन हड़प ली है और मेरे जिले में कई आदिवासी भूमिहीन हो गये हैं क्योंकि कांग्रेसी लोगों के पास जो उन्होंने अपनी जमीन रहन रखी थी, उसको 'बचना' दिखा कर उन्होंने हड़प कर ली है। अगर इस बात की जांच करवाई जाए, तो इस तरह के बहुत से केसेज आपको मिल जाएगें जिनमें वहां के रहने वालों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन की जाए और उनकी जमीन उनको वापस कराई जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का मूल 1 हजार रुपया था, तो 10-15 साल तक कर्ज वापस न देने के कारण, उसका ब्याज दुगना हो गया है। इसलिए वह कर्ज से दिन प्रतिदिन लदता जा रहा है और आज बैंकों से भी उनको कर्जा नहीं मिल रहा है। उनके लिए बैलों की व्यवस्था नहीं है, खाद, बीज की व्यवस्था नहीं है और किसी प्रकार से भी जीवन यापन करने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। राहत कार्य भी समय पर नहीं चल रहे हैं। मैं अपने जिले की बात आपको बतलाता हूं। हमारे यहां जो आदिवासी हैं उनको गोंड कहते हैं। प्राचीन काल में गोंड राजा हमारे यहां राज्य करते थे और महारानी दुर्गावती दलपत सहाय के जमाने में जनता की जो हालत थी, वह बहुत अच्छी थी। सब चीजें भरपूर थीं और धनधान्य से वे परिपूर्ण थे लेकिन आजादी आने के बाद 30 साल के पिछले शासन में जबकि हम हरिजन भाइयों

की हालत सुधरनी चाहिए थी, वह सुधरी नहीं और गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। जब हमारी सरकार आई है, जनता सरकार ने यह नीति बनाई है कि ग्रामों की हालत को सुधारा जाए। ग्रामों के लिए वह नीति लागू करने जा रही है, जिससे छोटे-छोटे लघु उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों का विकास होगा। इसलिए जो काश्तकारी के टाइम में लोगों को काम मिलता है और बाकी दिन वे बेकार रहते हैं उनको इससे कुछ काम मिलेगा। आदिवासी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जो प्योर आदिवासी हैं, निखालिस आदिवासी हैं, वे जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी हालत क्या है। उनको पांच-पांच और छः-छः मील से पानी लाना पड़ता है, गर्मियों के दिनों में उनको इतनी दूर जाना पड़ता है और रात-रात वे पानी के लिए तड़पते हैं लेकिन पीने के पानी की अभी तक ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी है। आज 30 सालों की आजादी के बाद भी उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। वर्तमान सरकार इसके लिए कुछ करने जा रही है और मेरे जिले में बहुत काम हुआ है और भारत सरकार भी कुछ हमारे लिये कर रही है। लेकिन उसका प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है। गत-शासन में काम कम होता था लेकिन प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा होता था। 30 साल तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिए उनकी हालत खराब हुई है। गत शासन काल में बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की जाती थीं कि गरीबी को हम दूर करेंगे परन्तु गरीबी तो दूर नहीं हुई बल्कि गरीब मिटा दिये गये हैं। इमर्जेन्सी के दिनों में मेरे जिले में परिवार नियोजन के नाम पर नसबन्दी की गई जिससे हजारों, लाखों लोग बर्बाद हो गये और सैंकड़ों लोग मर गये लेकिन इमर्जेन्सी में किसी को इसका पता नहीं चल सका। वहां की हालत बहुत खराब है और 10 साल तक लगातार अकाल पड़ने के कारण मेरे जिले की हालत बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं शासन से मांग करूंगा कि मेरे जिले को लगभग 30, 40 हजार क्विंटल चावल और गेहूं दिया जाए। इससे वहां की जनता की रक्षा हो सकेगी। हमारे यहाँ भदेली, कुटकी और मक्का की फसल आने तक लोगों को कुछ काम दिया जाए जिससे उन लोगों की समस्या हल हो सके।

अपने जिले में जो वन ग्राम हैं उनकी हालत बहुत खराब है। जब तक वहां के आदिवासियों को वहां की जमीन के स्थायी पट्टे नहीं दिये जायेंगे तब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी और न उनको उनकी जमीन का लाभ मिल सकेगा। आजकल जो वन रक्षक या वन अधिकारी वहां हैं उन्हें वहां के गांवों में मालगुजार और राजा-महाराजा माना जाता है। वे बुरी तरह से वहाँ के लोगों को धमकाते हैं और उनका शोषण करते हैं। हम लोग यहां पर बैठकर आनन्द के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं लेकिन उन आदिवासी भाइयों से सारा दिन काम लिया जाता है। उन्हें अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता। उन लोगों को मजदूरी भी ढाई रुपये दी जाती है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि उनसे सारा दिन काम लिया जाता है, उनको खाने का समय भी नहीं दिया जाता है और उनका बुरी तरह से शोषण किया जाता है। एक साल के काम के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। बरसात के दिनों में उनके भोजन की व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उनकी हालत सुधारने की बहुत जरूरत है।

आदिवासी जिलों में ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। जहां वे रहते हैं वह पहाड़ी इलाका होता है। वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती और वहां एक फसल होती है। अगर किसी साल वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। इस प्रकार की हालत मेरे जिले में है। बहुत ही खराब हालत है। अगर आदिवासियों की, हरिजनों की हालत को सुधारना है तो उनकी मजदूरी का रेट बढ़ाया जाना चाहिए।

डण्डोरी तहसील के अमरपुर विकास खण्ड में ठेका सिस्टम चल रहा है। वहां ठेकेदार लोग शोषण करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उनसे काम लिया जाता है। जहां वे काम करते हैं वहां से उनका घर चार-पांच मील की दूरी पर होता है, वहां पहुंचते-पहुंचते रात को दस ग्यारह बज जाते हैं। उन्हें मजदूरी भी ढाई रुपये दी जाती है। इस तरह से घर पहुंचने पर उन्हें अपने लिए कोई भी समय नहीं बचता। अगर मजदूरों और उन गरीबों की सरकार को हालत सुधारनी है तो उनकी मजदूरी 6-7 रुपये की जानी चाहिए तभी उनकी हालत सुधर सकती है और तभी वे अपने बाल-बच्चों के लिए कपड़े-लत्ते और शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं।

मेरे जिले में वन विभाग के दो वन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और तीन आदिम जाति कल्याण प्रोजेक्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां तत्काल ठेका सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए। ठेकेदार सरकार की भी चोरी करते हैं और जो काम करने वाले मजदूर हैं जो कि भूखे रहकर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं उनकी भी चोरी करते हैं। उन लोगों को टेकेदार के माध्यम से काम नहीं दिया जाना चाहिए। इस ठेका सिस्टम को खत्म करके सरकार के द्वारा सीधे उन्हें काम दिया जाना चाहिए।

वनग्राम नैनपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर भी ठेकेदार लोग आये हुए हैं। वे भी हरिजन, आदिवासी और अन्य गरीब भाईयों का शोषण करते हैं। उन्हें कम मजदूरी देते हैं और समय पर मजदूरी नहीं देते हैं। उनसे गर्मी के दिनों में पूरा-पूरा काम लेते हैं। उनका पूरा शोषण करते हैं और उन्हें खाने का समय भी नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनको शोषण से बचाने की पूरी व्यवस्था करें।

जिस प्रकार से प्रदेशों में हरिजन कल्याण मंत्रालय अलग है और आदिम जाति कल्याण मंत्रालय अलग है उसी तरह से केन्द्र में भी अलग अलग सचिवालय और मंत्रालय होने चाहिए। जब तक ये अलग-अलग नहीं होंगे तब तक आदिवासियों और हरिजनों का हित नहीं हो सकता है। जब तक केन्द्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब तक हरिजन और आदिवासी भाईयों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। दीगर पिछड़े वर्गों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत सुन्दर संविधान है। इससे देश के सर्वांगींण विकास में मदद मिल सकती है। सभी का विकास हो इसकी व्यवस्था शासन की ओर से की जानी चाहिए। आदिवासी जिलों में चाहे कोई ब्राह्मण हो या बनिया हों या कोई दूसरा हो, जो भी रहता है पिछड़ा हुआ और गरीब है। वह अपने बाल-बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। जन्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच जो खाई पिछली सरकार ने पैदा कर दी थी उसको आपको पाटना चाहिए। सबको कंधे से कंधा मिला कर और प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा हो सके इसमें आपको हर प्रकार की मदद देनी चाहिए। तभी हमारा देश

सही अर्थों में विकास करने में सफल हो सकेगा और सरकार की सफलता भी तभी आंकी जा सकेगी। मुझे आशा है कि जनता सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी। जैसा मैंने कहा है अगर आप अलग-अलग मंत्रालयों का निर्माण नहीं करते हैं तो यह काम नहीं हो सकता है। हजार वर्ष तक हरिजनों और आदिवासियों को सरकार मदद देती रहेगी तो भी उनकी स्थिति कभी सुधर नहीं सकेगी और वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मैं अपने प्रदेश में विधायक रहा हूं। तब मैं मेघालय भी गया था। वहां की हालत को मैंने देखा है। वहां पर आदिवासी भाईयों की स्थिति बहुत अच्छी है। मुख्य मंत्री भी उन्हीं का है और मुख्य सचिव भी उन्हीं में से है। वहां पर जो दूसरे भाई रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है। लेकिन दूसरी जगह यह चीज देखने में नहीं आ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय किया जाता है; उनका शोषण किया जाता है। आप जमीन की ही बात लें। जमीन के झगड़ों को लेकर उनको अपनी जान तक से हाथ धोना कई बार पड़ जाता है। यह जो अव्यवस्था है इसको आपको सुधारना चाहिए। कड़ा कानून इस जमीन के मामले में आपको बनाना चाहिए। जो कानून बना हुआ है उसको सही रूप में कार्यरूप देकर आपको इन भाइयों की रक्षा करनी चाहिए।

अब मैं उद्योग धंधों के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मेरे जिले में तीस साल में किसी भी स्थान पर एक भी उद्योग नहीं डाला गया है। मांडला जिले में वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। खनिज पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। सफेद पत्थर बहुत मिलता है जिसको आन्ध्र प्रदेश में भेजा जा रहा है। वहां पर बाक्साइट के भी भंडार हैं। ढिंढेरी तहसील पूरी जंगलों से भरी हुई है। वहां पर किसी भी खनिज पदार्थ पर आधारित कोई कारखाना नहीं डाला गया है। अगर कारखाने डाल दिये जाते तो वहां के लोगों को काम मिल सकता था और उनको बाहर न जाना पड़ता। पिछले शासन की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि देहात की जनता शहरों की तरफ भागी हुई आ रही है। एक बार जो शहर में आ जाता है वह वापिस गांव में जाने का नाम नहीं लेता है। ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कई बार तो उनको जान से मार दिया जाता है। कड़ी धूप में उनको मेहनत करनी पड़ती है, बरसात के समय में पानी में भीगते हुए उनको काम करना पड़ता है। इन कारणों से उनको नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इलाज ठीक से न हो पाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। हम ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि छोटे उद्योग धंधों के मामले में हम आदिवासी जिलों को प्राथमिकता देंगे और उनको प्राथमिकता देंगे जिन गांवों की आबादी एक हजार या उससे अधिक है। मैं अपने जिले के बारे में बताता हूं। मेरे मांडला जिले में 2500 गांव है। इनमें से केवल 78 गांव ऐसे हैं जिनकी एक हजार की जनसंख्या होगी और शेष जो 2422 गांव हैं वे एक हजार जन-संख्या से कम वाले हैं। अब अगर सरकार एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को ही प्राथमिकता प्रदान करती है तो केवल 78 गांवों को ही लाभ हो सकता है इन लघु और कुटीर उद्योगों के मामले में और उन्हीं में ये लग सकते हैं और शेष जो 2422 गांव हैं वे बिल्कुल कोरे रह जायेंगे। प्रधान

मंत्री ने कहा है कि हम दस साल में सबको रोजगार दे देंगे। लेकिन इस तरह से तो मैं समझता हूं कि केवल 78 गांवों के लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा और और बाकी गांवों के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि जिन गांवों की आबादी दो सौ तीन सौ या पांच सौ भी है उनकी भी लघु और कुटीर उद्योग डालने के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तभी लोगों को काम दिया जा सकेगा। आदिवासी, अनादिवासी, पिछड़े हुए जितने भी इलाके हैं तभी वहां के नौजवानों को काम दिया जा सकेगा और उनकी दरिद्रता दूर की जा सकेगी। और भी दीगर उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

आदिवासी जिलों में स्कूल खोले गए हैं। पांच कक्षा वाला स्कूल होता है तो देखा गया है कि उनमें केवल मात्र एक शिक्षक की ही नियुक्ति की जाती है। एक शिक्षक किस तरह से वहां के बच्चों को पढ़ा सकता है यह सोचने वाली बात है। फिर कहते हैं कि आदिवासी बालक कमजोर होते हैं। तो क्यों न हों जब पांच कक्षाओं के लिए केवल एक ही अध्यापक है। कैसे वह बच्चों को पढ़ा सकता है। जब तक उनको सही शिक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे वह योग्य बन सकते हैं? इसलिए अधिक स्कूल न खोले जायें, बल्कि जो खुले हुए हैं उन्हीं में कम से कम 5 कक्षाओं के लिए 3 शिक्षक होने चाहिए तभी उनके भविष्य का सही निर्माण हो सकेगा। देहातों में आदिवासी इलाकों में, पिछड़े जिलों में अनिवार्य शिक्षा लागू करके उनमें प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

आज मध्य प्रदेश में इतने ज्याद आदिवासी होने के बाद एक भी क्लेक्टर हमारे प्रदेश का नहीं है। 8, 10 क्लेक्टरों में बाहर के प्रदेशों के ही लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इसी प्रकार हरिजन अधिकारी 20, 21 होंगे उनमें भी अधिकतर बाहर के ही प्रान्तों के लोग होंगे। इसलिए जब तक शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, सबको समान विकास हो और एक दूसरे से मिलकर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और जलन की भावना खत्म नहीं होगी तब तक न आदिवादियों का विकास हो सकता है और न हरिजनों का। जो भी गरीब हैं, किसी भी जाति के हों, उनके भी बालकों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए तभी लगेगा कि सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है।

इसी के साथ-साथ आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा कृषि के लिये जो जंगल हैं जिनमें झाड़ियां नहीं हैं उनमें भी लाखों एकड़ जमीन है। उसको समतल करके गरीबों को दी जानी चाहिए। कुए के लिए जो आप पैसा देते हैं उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि दो, ढाई हजार में कुआ नहीं बनता है। सरकार खुद कुआ बनाकर दे और बैल, बीज, खाद की व्यवस्था सरकार अपनी ओर से करे तभी उनकी स्थिति सुधर सकती है। मेरे मंडला जिले की डिंडूरी तहसील के अमरपुर ब्लाक में लोगों के कुओं में पानी नहीं था, और उनको क्लेकटर द्वारा धमकी देकर जबरदस्ती पम्प दिलाये गये और आज उस कर्ज की वसूली के लिए उनकी जमीन नीलाम हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे जिले में लोगों की जमीन नीलाम न की जाय और उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल न किया जाय और जो कर्ज है वह माफ किया जाय।

गत वर्ष गृह राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मण्डल ने देखा है कि हमारे यहाँ आदिवासियों की क्या हालत है। उनको बड़ा दुख हुआ कि 30 साल तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नाले बह रहे हैं क्यों नहीं लोगों को बिजली दी जा सकती है। और मान्यवर, आपने भी सुझाव दिया था। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी खुद जा करके देखें क्योंकि उन्हीं के हाथ में यह काम है, इसलिए उन्हें दौरा करना चाहिए और व्यवस्था के बारे में सुझाव देकर उनके विकास के लिए नियम बनाने चाहियें।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया।

***श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर)** : सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

मेरे माननीय मित्रों ने जिन्होंने मुझसे पहले कहा है, इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान सुनिश्चित कराने में सरकार की कमियों के बारे में इस दिशा में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की कमियों के बारे में बताया है। इस प्रकार की चर्चा अरुचिकर हो जाती है। चर्चा में अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं का सार्थक मूल्यांकन होना चाहिए ताकि इन जातियों के लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक योजना बनायी जा सकें। चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि उससे सरकारी कार्यवाही उत्प्रेरित हो सके ताकि भविष्य में सरकार की यह आलोचना करने की आवश्यकता ही न पड़े कि उन्होंने यह नहीं किया है।

यह बात सभी जानते हैं कि हमारे देश की 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की है। उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ है। अब समय आ गया है जब हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या सरकार द्वारा दी गयी रियायतों और सुविधाओं का उपयोग इन जातियों के लोग कर सके हैं। हमें इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए कि ये सुविधायें इन लोगों तक पहुंच पाती भी हैं कि नहीं। मुझे इसमें इसलिए सदेह होता है कि जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किस उच्च पद पर नियुक्त होता है तब ऊँची जातियों के लोग कितने तीखे ढंग से प्रहार करते हैं। जब अनुसूचित जाति एक सम्मानित अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए तो सभी समाचार पत्रों ने इस नियुक्ति का विरोध किया। समाचार पत्रों में उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहानियाँ प्रकाशित की गयीं जो वरिष्ठ पद के लिए उनकी अक्षमता के प्रतीक स्वरूप थीं। प्रेस में उनकी कटु आलोचना हुई तथा लोकसभा जैसे सार्वजनिक मंच से भी उनकी आलोचना की गई। उन्हें अयोग्य सिद्ध करने का काफी प्रयास किया गया। मैं अधिक समय इस कहानी के बारे में नहीं लेना चाहता क्योंकि यह निराधार प्रमाणित हो चुकी है। इस प्रहार के पीछे एक यही भावना थी कि ऐसे पद पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति के छोटे आदमी सभी ओर से इस प्रकार के प्रहार को किस प्रकार सहन कर सकते हैं।

*तमिल में दिये गये भाषण का अंग्रेजी रूपान्तर।

यह दावा किया जाता है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर करोड़ों रुपये की राशि व्यय कर रही है। यह बताना आवश्यक हो जाता है। 60 प्रतिशत वित्तीय नियतम शिक्षा विकास के लिए, 10 प्रतिशत आर्थिक उत्थान के लिए और 30 प्रतिशत पीने का पानी, आवास आदि मूल सामाजिक सुविधाओं के लिए किया जाता है। अब यह किस प्रकार से आंका जाये कि उनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई उत्थान हुआ है कि नहीं। सरकार यद्यपि बड़े गर्व से कहती है कि सरकारी सेवाओं में इन जातियों के लिए 18 प्रतिशत पदों का आरक्षण है। परन्तु सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसा आरक्षण केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही पूरा किया जाता है। यह आत्म-सन्तुष्टि की बात हो सकती है कि 1000 पदों में से 200 पद इन जातियों को गये हैं। परन्तु वास्तव में हम देखते हैं कि ये 200 पद सफाई कर्मचारियों, चौकीदारों, चपरासियों आदि के ही हैं।

ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे पद देकर इन लोगों का जीवनस्तर उठा सकेंगे। सरकारी सेवाओं में यह सामान्य बात हो गई है कि जब पदोन्नति का समय आता है तो यह देखा जाता है कि प्रत्याशी किस जाति का है। यह बात निश्चित है कि योग्यता ऊँची जाति के साथ होती है। वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अनुसूचित जाति के एक अध्यक्ष का उदाहरण मैं ऊपर दे चुका हूं। किस प्रकार विरोध किया गया। इन परिस्थितियों में शिक्षा सुविधायें इन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर किस प्रकार प्रदान कर सकती है। इससे मेरा सन्देह दृढ़ हो जाता है कि ऊँची जातियों के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों की प्रगति में बाधक बने हुए हैं।

अगला विकल्प है इन लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देना है ताकि ये आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने उद्योग आरम्भ कर सकें। हमें उनके लिए समाज में एक सम्मानजनक वातावरण बनाना चाहिये। यह बात सुनिश्चित करायी जानी चाहिए कि न केवल ऐसे उद्योगों का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ही इन्हें सहायता दी जायेगी अपितु उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी दिलाये जायेंगे। यहाँ भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी ऋण सुविधाओं का उपयोग ऊँची जातियों के लोग ही करते हैं। अनुसूचित जातियों के लोग उपेक्षित रह जाते हैं। जब तक आर्थिक विषमतायें समाप्त नहीं होतीं इन लोगों के अच्छे जीवन की कोई आशा नहीं है। आर्थिक असमानतायें केवल उन्हें लघु उद्योग आरम्भ करने का प्रोत्साहन देकर ही समाप्त की जा सकती हैं। उद्योगों की स्थापना में सहायक सामग्री धनराशि आदि देकर सरकार द्वारा इनकी सहायता की जानी चाहिये।

देश में व्याप्त सामाजिक असंतुलन के बारे में 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया' में तीन वर्ष पहले प्रकाशित हुए एक लेख का मैं संदर्भ देना चाहता हूं। मध्यप्रदेश में भिलाई इस्पात कारखाने में उच्च अधिकारी आदिवासी लड़कियों को घरेलू नौकर के रूप में ही नहीं अपितु अपनी कामवासना के लिए भी प्रयोग करते थे।

इस सदन में भी हंगामा हुआ था। किन्तु इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जब ईसाई धर्म विश्व-धर्म बन गया है, जब भारत से शुरू हुये बुद्ध-धर्म ने विश्व के कई देशों में अपनी जड़ें जमा ली हैं, जब इस्लाम सभी जगह उन्नति की ओर अग्रसर है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हिन्दुत्व जो विश्व का प्राचीनतम धर्म है, प्रभावहीन हो रहा है। वास्तव में इसका मुख्य कारण जातिवाद है, जो कि हिन्दुत्व का अभिन्न अग है। जातिवाद और साम्प्रदायिकता से छिन्न-भिन्न एक धर्म क्या विश्वव्यापी हो सकता है? क्या हममें से कोई यह भूल सकता है कि हिन्दुत्व उस समाज का आधार है जो जाति और वर्ग पर आधारित है। हमारे देश में अनिवार्यत: धार्मिक सुधार होना चाहिए। तभी हमारे देश में सामाजिक विषमतायें खत्म की जा सकती हैं। यह भुलाया नहीं जा सकता कि धार्मिक मान्यतायें, सामाजिक अवरोध खड़ा करती हैं। किसी भी धर्म का प्रमुख ध्येय समाज का कल्याण होना चाहिए।

परोक्ष रूप से जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं, मौजूदा सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा देतीं हैं मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में कुछ वर्ष पहले, जनजातीय संस्कृति पर एक विचारगोष्ठी हुई थी। भाग लेने वाले लोगों की जानकारी हेतु अर्ध-नग्न जनजातीय युवतियों के चित्रों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। क्या यह जनजातीय जीवन का असंगत प्रस्तुतीकरण नहीं है? क्या हम जनजातीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं या अर्धनग्न जनजातीय युवतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा रुख अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक प्रगति में भी बाधक है।

स्वतन्त्रता के 32 वर्षों के पश्चात् भी आप पायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जबकि उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में होना चाहिए। गरीबी के दबाव से प्रभावित वातावरण में इनके माता-पिता अपने बच्चों से मजदूरी कराने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग ऐसे टूटी-फूटी गन्दी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनकी तुलना सूअरों के दड़बों से की जा सकती है। गांवों में उनको सार्वजनिक कुओं से पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता। उनके पास अपने मृतकों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं होती। यदि उनके पास अपनी श्मशान भूमि भी होती है तो उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता। यदि मैं वर्णन करता जाऊं कि यह लोग किस तरह गन्दगी में रह रहे हैं तो मुझ पर उन गरीब लोगों को भड़काने का आरोप लगाया जायेगा। पर मुझे यह कहना ही है, ताकि हम उच्च वर्ग के लोगों के मानसिक परिवर्तन में मदद कर सकें जो कि बहुत हद तक इन दलित लोगों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में काफी काम आयेगा। हम बहुत से कानून बना सकते हैं। हम लोगों के उत्थान के लिए समाज-कल्याण योजनायें बना सकते हैं। परन्तु, जब तक सवर्ण लोगों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन नहीं होता है इन पीड़ित लोगों को कोई ठोस लाभ नहीं हो सकता। यह कितनी गलत बात है कि स्वतन्त्रता के तीन दशक बाद भी हमारे देश में

एक ऐसा वर्ग है, जो मल हाथों से उठाता है ? यह उनकी आजीविका हो सकती है किन्तु क्या यह उचित है कि समाज के एक वर्ग के लिए यह आजीविका बनी रहे । हमें इन लोगों को बदतर स्थिति से निकालकर जीने की मानवीय स्थिति में लाना होगा ।

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि दो साल के जनता राज में, राष्ट्रीय-स्तर की कोई भी विदेश छात्रवृति, अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रत्याशी को नहीं दी गई है । इसी प्रकार, एक हरिजन परिवार को मैट्रिकोत्तर अधिकतम केवल दो छात्रवृत्ति के प्रतिबन्ध को भी तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए । तमिलनाडु में काफी समय से यह मांग की जा रही है, कि धोबियों और नाईयों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाये । इसे बिना देरी के तुरन्त किया जाये । मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि जो लोग अन्तंजातीय विवाह करें, उनको पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि यह जाति-बन्धन को तोड़ने का सबसे उत्तम उपाय है । ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े पैमाने पर मकान बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाये, ताकि इनके रहन-सहन को जीने योग्य बनाया जा सके । उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि दो जून रोटी कमा सकें और उन्हें कम से कम इतना कपड़ा दिलाया जाय जिससे वे अपना तन ढक सकें । सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम दूसरों से आशा करें कि वे हमारा आदर करें । हमें स्वयं को दूसरों के आदर के योग्य बनाना चाहिए । यह तभी संभव हो सकता है जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा । मैं सांविधिक रूप से जातिवाद समाप्त करने की मांग करता हूं । इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं यह भी मांग करता हूं कि देश की विधान सभाओं और विदेश में स्थित दूतावासों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये । वास्तव में, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि केन्द्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के हितों की देखभाल के लिए एक पृथक् मंत्रालय होना चाहिए । हमें 12 घंटे के विचार-विमर्श से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् हमें आत्मतुष्टि की भावना लेकर चले नहीं जाना चाहिए । जनता सरकार को स्वयं को 30 वर्षों के कांग्रेस प्रशासन की आलोचना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दो वर्ष के इसके शासनकाल में देश में क्या-क्या हुआ । जनता सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए एक भावी योजना भी बनानी चाहिए । शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक और सामाजिक विषमता का कारण मुख्यरूप से, देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान में असफलता ही है । देश की प्रगति उनके कल्याण में निहित है ।

इन शब्दों के साथ, मुझे जो अवसर दिया गया उसके लिए धन्यवाद करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, हम लोगों के समक्ष शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लगभग तीन वर्षों की रिपोर्ट 74-75, 75-76 और 76-77 की चर्चा के लिए रखी गई है । इन में जो अनुशंसाएं हैं अगर केवल उन्हीं अनुशंसाओं का हम कार्यान्वियन कर

पाते तो शायद आज माननीय सदस्यों ने जितनी आपत्तियां उठाई हैं वह निर्मूल हो जातीं। वस्तुत: हरिजन समस्या भारतवर्ष और खास कर हिन्दू जाति का सब से बड़ा कलंक है। यही कारण है कि पूज्य बापू ने इस को अपना जीवन धर्म मान कर अपने जीवन के समय में सम्पूर्ण साधना इस के लिए अर्पित की थी। यह अलग बात है, आज बहुत दिनों के बाद बापू आउट डेट माने जा सकते हैं लेकिन उन्होंने सन् 1921 में जब हरिजन समस्या पर किसी को बोलने का साहस नहीं होता था तब स्पष्ट रूप से उद्घोष किया था—

"मैं अस्पृश्यता को हिन्दुत्व पर सबसे बड़ा कलंक समझता हूं।"

जिस समय धर्म-ध्वजी पाखंडी हिन्दू धर्म के आचार्य बहुत शोर शराबा कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था और इतना ही नहीं उन्होंने तो कुछ अन्धविश्वास की भावना से भी कहा था, जब बिहार में भूकम्प आया तो उन्होंने कहा कि यह भूकम्प कोई ईश्वरीय चीज नहीं है, यह हिन्दू जाति के दुष्कर्मों का फल है—

"भूकम्प न ही ईश्वर की सनक था न ही अदृश्य शक्तियों का परिणाम था। हम न तो ईश्वर के सभी नियमों को सही जानते हैं और न ही उनकी कार्य-प्रणाली को जानते हैं।"

हालांकि इस पर बहुत सारी आपत्तियां हुई थीं कि यह अन्धविश्वास को लेकर कैसे बोलते हैं। वस्तुत: इस हरिजन समस्या को उन्होंने इतनी गहराई से सोचने का प्रयास किया था कि उन के सामने ऐसी बात यह थी। कितनी भावना और हरिजनों के प्रति कितना प्यार था उनके अंदर? उन्होंने कहा था कि जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग नहीं जा सकता है तो हिन्दू जाति हरिजनों के सहयोग के बिना स्वराज्य भी प्राप्त नहीं कर सकती।

युधिष्ठिर स्वर्ग में अपने कुत्ते के बिना नहीं घुसे। तब उनके वंशज कैसे आशा करते हैं कि अस्पृश्य लोगों के बिना उन्हें स्वराज्य मिल जाएगा?

उन्होंने इससे और भी गहराई की बात कही थी जिससे सवर्णों के हृदय का संस्पर्श हुआ, हरिजन सेवा के लिए बहुत सारे लोग आगे आए।

(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए)

उन्होंने कहा कि आज हम गुलामी की जंजीर तोड़ना चाहते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर हम अपने हरिजन भाइयों को गुलाम रखते हैं तो जब तक हम हरिजन भाइयों को गुलाम रखेंगे तब तक हमें स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि आज गांधी की भावना सर्वोपरि है और उसे हम अलग नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, यह जनता सरकार की रिपोर्ट नहीं है जो उसका मूल्यांकन हम आपके सामने रखें। यह पिछली सरकार के समय की रिपोर्ट है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट 14.60 परसेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 6.9 परसेंट है। तीन वर्षों की सेन्ट्रल सर्विसेज में इनके रिजर्वेशन की जो रिपोर्ट है इसको आप देखें। क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट 3.4 परसेंट, और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.68 परसेंट

हैं। क्लास टू में शेड्यूल्ड कास्ट 5.4 परसेंट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.7 परसेंट हैं। क्लास थ्री में 11.3 परसेंट हैं। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब 2.5 परसेंट हैं। क्लास फोर में 18 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब 3 परसेंट हैं।

मैंने यह आंकड़े आपके सामने यह दिखाने के लिए रखे हैं कि क्लास फोर में तो 18 परसेंट देते हैं, क्लास थीरी में उससे कम 11 परसेंट देते हैं, क्लास टू में उससे भी कम और क्लास वन में बिल्कुल कम देते हैं। डा० अम्बेदकर से गवर्नर जनरल ने पूछा था कि आप लेजिस्लेटिव कौंसिल में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की क्यों मांग करते हैं। आज यहां पर बहुत सारे भाइयों ने हरिजनों के लिए एक पृथक मंत्रालय की मांग की है। आज इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1977 में जब मैं यहां पर आया था तो मैंने पहली बार हरिजनों के लिए पृथक मंत्रालय की मांग की थी। तो जैसा मैं अभी पहले कह रहा था, गवर्नर जनरल ने डा० अम्बेदकर से कहा कि छोटी छोटी नौकरियों में हम हरिजनों को जगहें दे देते हैं लेकिन निर्णायक जगहों के लिए आप मांग न करें क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। डा० अम्बेदकर ने उत्तर दिया था कि अगर हम निर्णायक जगहों पर रह सकेंगे तो वास्तव में हम हरिजनों पर होने वाले अन्याय का भी मुकाबला कर सकेंगे। यदि एक भी हरिजन निर्णायक पद पर होगा तो वह हरिजनों के कष्ट को समझेगा और उनको दूर कर सकेगा। इसलिए यह कहना कि यह अयोग्य हैं यह ठीक नहीं है। जो लोग पांच हजार वर्षों से दबे हुए हैं उनको आप देना नहीं चाहते हैं। यह तीन वर्षों की जो रिपोर्ट है वह जनता सरकार की नहीं है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी जिसके लोगों के हृदय में आज हरिजनों के लिए करुणा व्याप्त हो रही है उनके समय में रेलवे में क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट 6 परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.8 परसेंट थे। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में, तीन वर्षों की रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे है क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट्स--1.2 परसेन्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स— .2 परसेन्ट। नेशनलाइज्ड बैंक्स में आफिसर क्लास में शेड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या है—.3 परसेन्ट-यानी एक परसेन्ट भी नहीं है, जब कि उन की आबादी 16 परसेन्ट है और शेडयूल्ड ट्राइब्स की संख्या है— .6 परसेन्ट। डिफेंस फोर्सेज में—इस का डाटा नहीं दिया गया है और सब बातें दी गई हैं।

अब एट्रोसिटीज की बात को लीजिये। अभी रामविलास भाई ने बतलाया कि इन के घर को आग लगा दी गई, इन के गांव को जला डाला गया—यह कितने शर्म की बात है। आज जिस एट्रोसिटी की हम चर्चा कर रहे हैं—चाहे जनता सरकार हो या कोई भी सरकार हो—कितने कलंक की बात है। मेरे पास तीन वर्षों की रिपोर्ट है—1972 में हरिजनों पर जो एट्रोसिटीज हुई-उन की संख्या -- 3302 थी। 1973 में 6186, 1974 में—जो इन्दिरा गांधी का स्वर्ण-काल था—8860 और एमर्जेन्सी के काल में जब कि रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, 1975 में संख्या थी—7781। 1976 में जब बिलकुल शान्ति थी, अनुशासन पर्व था—उस समय संख्या थी—5887—यह हमारी उपलब्धि है।

अब, सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। सचमुच में यदि कोई मार्ग हो सकता है तो वह एक मार्ग है—संघर्ष का मार्ग। जब दुखी हो कर मनुष्य का

आक्रोष उमड़ता है—तो शस्त्र की आकांक्षा होती है संघर्ष के लिये कटिबद्धता और तत्परता व्याकुल होती है। हम ने यह नहीं कहा कि केवल रहम और करुणा के आधार पर दबे रह कर अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है—

> स्वतंत्रता वह उपहार है जो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को नहीं दिया जायेगा, यह अपने खून से खरीदा जायेगा।

इस लिये हरिजन और आदिवासी भाई अपने अधिकार और स्वत्व को प्राप्त करेंगे तो वह किसी की मेहरबानी पर नहीं होगा, अपनी शक्ति के आधार पर प्राप्त करना होगा। इस लिये इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं—उस में भी इस चीज का जिक्र किया गया है—ये सारे काम होने चाहिये, लेकिन साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े होने की बात भी है। इस लिये यह बात तो ठीक है कि आज सब लोगों को हर जगह जहां पर ऐसी बातें हैं—उन को शक्ति और संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिये। करुणा के मार्ग की बात मैंने आप के सामने रखी है, यह सुन्दर है लेकिन अपर्याप्त है, परन्तु सशस्त्र शक्ति का मार्ग भले ही आकर्षक हो, लेकिन कितना उपयोगी है—यह समझने की बात है।

अब प्रश्न है—क्या सरकार के माध्यम से हरिजनों की समस्या का अन्त हो जायगा ? यदि ऐसी बात होती तो 30 वर्षों में यह सब हो गया होता। हमारे संविधान में ही, सभापति महोदय, इस बात का वर्णन है—हमारे डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज में कहा गया है कि हम अनटचेबिलिटी को हटायेंगे, लेकिन आज तक वह कायम है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक टाइम-लिमिट की घोषणा की है कि इतने दिनों में हटा देंगे, पता नहीं वह हट सकेगी या कितनी हट सकेगी, लेकिन इस के सम्बन्ध में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं—सब से पहला सुझाव तो यह है—हरिजन समस्या सचमुच में इस देश का एक सांस्कृतिक कोढ़ है और इस सांस्कृतिक कोढ़ पर केवल एक पहलू से प्रहार करने से काम नहीं चलेगा। सब से पहला तो आर्थिक पहलू है—हिन्दुस्तान में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं—इस लिये इकानामिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस हिन्दुस्तान के 5 हजार वर्षो के इतिहास में साथ-साथ रहे हैं। इस लिये सब से पहले आर्थिक प्रश्न पर प्रहार करना होगा। मैं तो, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक बिल भी लाया था कि सब को राइट-टू-वर्क देना चाहिये। अगर एक बार में नहीं दे सकते हैं तो फेजज में दें, चरण में दें। पहले फेज में मैंने कहा था—इस को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से देना चाहिये। राइट-टू-वर्क सब को हम कब देंगे—यह एक अलग बात है। लेकिन अनटू दि लास्ट, जो अन्त्योदय का काम है, वहीं से शुरू होना चाहिए और सेकेन्ड फेज में बेकवर्ड क्लासेज के लोगों को देना चाहिए और थर्ड फेज में और लोगों को दें।

> "असमान लोगों में समानता की बात करना अनुचित है।"

इसलिए सचमुच में जो नीचा है, उसको ऊंचा करने के लिए राइट-टु-वर्क फर्स्ट फेज में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देना होगा। सैकेन्डली मान लीजिए कि नहीं दे सकते,

तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एम्पलायड गारेन्टी स्कीम है, उसी तरह से हर हरिजन को, हर आदिवासी को यह एन्स्योर कर दें कि उनको एम्पलायमेंट की गारन्टी हो सकती है। अगर ऐसा किया गया, तो भी काम चल सकता है।

इसके बाद एक बात और है और यह रिजर्वेशन के बारे में है। कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे दिया गया लेकिन उसमें भी शार्टफाल है। इसमें भी चोरी हुई है और जितना रिजर्वेशन मान्य था, उसमें शार्टफाल है और उसके लिए यह कह दिया कि ये योग्य नहीं, ये काबिल लोग नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन को स्टेटूटरी किया जाए। हम जनता सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो संविधान संशोधन प्रस्तुत होगा, 46 वां संविधान संशोधन आएगा उसमें यह जो हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन है, उसको हम संवैधानिक गारन्टी देगें। यह बहुत बड़ी बात है। जनता सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाई है लेकिन इतनी बात तो है कि आज पहली बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चैयरमैन जो है, वह एक हरिजन भाई है। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। इसलिए सोचने की बात है कि आज हमें आर्थिक गारेन्टी देनी होगी, तो रिजर्वेशन बनाना होगा, केवल एक्जीक्यूटिव आर्डर से बात नहीं चलेगी।

यह तो आर्थिक पक्ष हुआ लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था, यह जो अस्पृश्यता का प्रश्न है, केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक प्रश्न है और जैसा गांधी जी ने कहा था कि यह हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है उन्होंने कहा था कि मैं अगर फिर जन्म लूं, मेरा पुनर्जन्म हो मनुष्य कुल में, तो उन्होंने हरिजन भी नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि मैं भंगी के घर में जन्म लूं, मेरा जन्म भंगी के कुल में हो। इसीलिए जब तक सामाजिक रूप से प्रहार नहीं किया जायगा, तब तक कुछ नहीं होगा और यह हरिजनों की समस्या जो है यह कुत्सित और गर्हित जाति व्यवस्था का कलंक है और जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक हरिजन समस्या को हिन्दू जाति से अलग नहीं किया जा सकता और यह जाति व्यवस्था है क्या ? वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई है और वर्ण व्यवस्था के नाम पर यह वर्ण अव्यवस्था हो गई है। इसलिए यह समस्या आई। मैं नहीं जानता कि कानून से कहाँ तक यह हो सकता है लेकिन यह सोचने की बात है कि क्या जाति प्रथा का अन्त हो सकता है ? मैं श्री काका कालेलकर से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसकी ओर मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि हिन्दू सोशियेलोजी का कैसे विकास हुआ। शुरू में एक ही गोत्र में विवाह करते थे लेकिन जब एक गोत्र में विवाह होने लगा, तो एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र से झगड़ा करने लगे। तब हिन्दू सोशियेलाजिस्ट, हिन्दू रिलीजन ने यह निर्देश दिया :

सगोत्र विवाह वर्जितम्

एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। इसका कारण यह था कि एक गोत्र अगर दूसरे गोत्र में विवाह करेगा, तो दोनों में प्रेम हो जाएगा। यह हिन्दू सोशियेलाजी से होगा या सरकार के कानून से होगा, यह मैं नहीं जानता लेकिन यह सोचने की बात है कि जब तक सजातीय विवाह

बन्द करने के लिए कोई विधान नहीं होगा सामाजिक या राजनीतिक, तब तक जाति प्रथा को भगवान भी समाप्त नहीं कर सकेंगे और जब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी, तो अस्पृश्यता को कोई भी गांधी या डा० अम्बेडकर भी समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि इसके राजनीतिक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और राजनीतिक पहलू है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि रिजर्वेशन की जो हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बात करते हैं, वे निर्णायक पदों में रिजर्वेशन की बात करें। वे प्रधान मंत्री में, मंत्रियों में रिजर्वेशन की मांग करें। जब तक उन्हें निर्णायक पदों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा।

अन्तिम बात मैं यह कहूंगा कि हरिजन समस्या का सवाल शिक्षा से जुड़ा है। दुर्भाग्य है कि इस देश में महर्षि बाल्मीकि के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से एक शूद्र शम्बूक का वध कराया गया। सभापति महोदय उस व्यक्ति का एक ही अपराध था कि वह शूद्र था और वेद पढ़ रहा था। आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व यह रूप था शिक्षा का। कितनी शिक्षा विकृत हो गयी थी।

तेजस्विनावधीतमस्तु

शिक्षा तो तेजस्वी होती है। लेकिन आज उस शिक्षा को क्या हो गया है? इसलिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकारों से यही कहूंगा कि हरिजनों को जहां फ्री एजूकेशन आप दे रहे हैं वहां एजूकेशन के साथ उनके खाद्य की भी व्यवस्था कीजिए। एक सूअर या भैंस चराने वाला तभी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा जबकि उसे खाद्य भी उपलब्ध हो। आप किसी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाने नहीं बिठा सकते हैं। जीने के लिए उसे दाने भी चाहिएं और जब तक गरीब को दाना भी साथ नहीं मिलेगा तब तक वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होगा।

इसलिए इस समस्या पर आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक और नैतिक चारों पहलुओं से प्रहार करने की आवश्यकता है। जब तक यह नहीं होगा जब तक सांस्कृतिक पुर्नजागरण नहीं होगा, जब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी तब तक हरिजन समस्या का समाधान भी असंभव है। मुझे विश्वास है कि हमारे गृह राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मण्डल जी जो कि पहले से ही प्रतिबद्ध हैं, वे सचमुच में इस दिशा में भी कुछ करेंगे जिससे कि इन लोगों को न्याय मिले।

श्री मंगलदेव (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इतने दिनों के अनुरोध के बाद इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए सरकार ने इजाजत दी। मैं नहीं समझता कि माननीय मण्डल जी के होते हुए भी तीन-तीन वर्षों तक ये रिपोर्ट पड़ी रहे और इन पर बहस करने के लिए जब माननीय सदस्य सरकार पर दबाव डालें तब उन पर हाउस में चर्चा हो। अगर इन पर पहले ही चर्चा हो जाती तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था।

दो-तीन दिन तक बहस सुनने के बाद सरकार को इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं बची है जिस पर रिपोर्ट में चर्चा न की गयी हो और उस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यहाँ पर चर्चा न की गयी हो। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर यहां पर केवल चर्चा कर लेने मात्र से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। यह मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत काम किये हैं और पिछली सरकारों ने भी काम किये थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि गांवों से लेकर दिल्ली तक

हरिजनों की समस्याओं को हल करने के लिए जो एजेन्सी है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक साथ कैसे हल किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ बजट दे देती है, कुछ कानून बना कर अधिकार भी दे देती है। लेकिन अगर इरादा कमजोर हो, इरादे में गड़बड़ हो तो काम नहीं चल सकता। डा० रामजी सिंह ने कहा कि इस देश के लोगों का विशेषकर हिन्दू समाज का दिमाग संस्कृति से ग्रस्त है। जब तक हम इस समस्या पर ठीक से नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। चाहे इस सदन के माननीय सदस्य हों, चाहे मन्त्री हों, चाहे लाखों लाख आदमी हों, उन सबका दिमाग इस बारे में साफ नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि जब तक हिन्दु समाज में या हिन्दू धर्म में सोचने के ढंग में परिवर्तन नहीं आता तब तक इस देश में छुआछूत बन्द होने वाली नहीं है।

हमारे देश में भाग्य के आधार पर, पुनर्जन्म के आधार पर सारी संस्कृति बिछी हुई है और उसी में सभी लोग सांस ले रहे हैं। धर्माचार्यों के बारे में यहाँ चर्चा हुई है, जगत गुरु के बारे में, जय गुरुदेव के बारे में—चर्चा हुई है और न केवल यहां के गुरुओं बल्कि बाहर के पोगापंथियों के बारे में भी चर्चा होती है और यहाँ तक कि हमारी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, या वरिष्ठ लोग हैं उनको ही आप देखें, वे इन संस्कारों से किस तरह से बंधे हुए हैं, यज्ञों आदि में किस तरह से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं और जब ऐसी बात है तो भाग्यवाद, जातिवाद, छूआछूत से कैसे छुटकारा मिल सकता है।

दो दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। कोई विषय ऐसा नहीं बचा है जो इस चर्चा के दौरान उठाया न गया हो। जो हम लोगों में भयंकर बेरोजगारी है उसी बेरोजगारी की वजह से हम गरीब हैं और हमारी गरीबी है और उसी गरीबी की वजह से हमारा शोषण भी होता है। बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए तो इन सब कष्टों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है।

सरकारी नौकरियों की बार बार चर्चा होती है। ऐसा लगता है जैसे यह मांगी हुई चीज हो। या तो डर के मारे या कानूनी तौर पर कुछ एक नौकरियां दे दी जाती हैं। अगर बहस करके कोई लेना चाहे तो नहीं मिल सकती है। जो आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करते हैं वे चाहे बड़े अफसर क्यों न हों क्या आप उनको सजा देने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं? क्या यह सबूत नहीं है कि जातिवाद का बोलबाला है या भाई भतीजावाद चलता है या पार्टीबाजी चलती है? सब उस में ग्रस्त हैं। मुजफ्फरनगर जिले के कलैक्टर की चर्चा किसी ने की थी। माननीय राजनारायण जी जब मंत्री थे तब उनके स्टाफ का कोई बाबू, पी०ए० या अफसर जान-बूझ कर वहां भेजा गया था। दो दो शैडूल्ड कास्ट के कलैक्टर पन्द्रह-पन्द्रह या बीस-बीस दिन में ट्राँस्फर कर दिए गए थे। मुजफ्फरनगर में जो काण्ड हुआ निश्चित रूप से चितरांगदसिंह वह रैली के लिए चन्दा माँगने गए थे। उसके लिए जिम्मेदार थे। यह बताना भी जरूरी है कि राज नारायण जी का उनको बचाने में हाथ था। आगरा कांड के बारे में या मराठवाडा कांड के बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं। इस तरह से जो इनका उत्पीड़न होता है उससे इनको बचाने का इरादा हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। हाउस में बहस होती है, कानून बनते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। मण्डल साहब कैबिनेट तक पहुंचा सकते हैं हमारी बातों को। कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। जिस विभाग की

चर्चा हो रही है उस विभाग के ही अभी मन्त्री यहां नहीं थे। यह सारी जो रिपोर्ट है यह हर मन्त्री और हर विभाग से सम्बन्धित है। इस वास्ते अगर गवर्नमैंट जिम्मेदारी नहीं लेगी, कुछ नहीं होगा। सब को ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी लेनी होगी। जार्ज साहब अभी यहाँ थे। उन से मैं निवेदन करना चाहता था कि कुटीर उद्योग, अन्त्योदय आदि के मामलों में वित्त निगमों के जरिये आप गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। लेकिन कोई बैंक क्या आपकी सलामी लेता है, क्या आपका हुक्म मानता है ? गरीब जाता है अन्त्योदय का पैसा उसको तब तक नहीं मिलता है जब तक वह घूस नहीं दे देता है। भ्रष्टाचार और बेईमानी वहां पर फैली हुई है। आपका अंकुश नहीं है। प्रधानमन्त्री को दो महीने पहले मैंने पत्र लिखा था और वित्त मन्त्री को भी लिखा था कि इस तरह की चीजों को रोका जाये क्योंकि इस तरह की चीजों को रोके बिना आपकी सुन्दर योजना नीयत साफ होने के बावजूद भी गावों में नहीं फैल रही है और चकनाचूर हो रही है। इस ओर आप ध्यान दें।

जहां तक पदोन्नतियों का सम्बन्ध है अगर नहीं दी जाती है तो दो चार केस हम आपको देंगे, सबूत हम आपको देंगे, बेईमान लोगों को हम पकड़वा देंगे लेकिन सजा देना तो आपका ही काम होगा और मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर आपने सजा दी।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि भूमि सुधारों को आपने नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है। इसी तरह से प्रोमोशन में रिजर्वेशन है। लेकिन इसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिये। जो कायदे-कानून हैं उनके मुताबिक प्रोमोशन में रिजर्वेशन मिलता है। यह केन्द्रीय सरकार की उड़ी उदारता है कि यह मिला हुआ है। लेकिन वहाँ बैठा हुआ जो अफसर है वह अपील करवा देता है। पोस्टिंग आर्डर देने के पहले ही उसकी नक्ल दे कर अदालतों में अपील करा देता है। पोस्ट मास्टर जनरल यू०पी० के बारे में आपके पास शिकायतें आई हुई हैं। इस तरह की चीज के खिलाफ रिट दाखिल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कानूनी दृष्टि से आप इस पर विचार करें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरीब को जब कोई जगह मिलती है तो उसके खिलाफ रिट में जो कोर्ट वगैरह में चला जाता है इसको आप को देखना चाहिए। लैंडलार्ड यहां तमाम रिट में जा चुके हैं। सीलिंग के खिलाफ जा चुके हैं। 1 लाख 14 हजार केसिस ट्रिब्यूनल्ज में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं भूमि सम्बन्धी और उस जमीन के सम्बन्ध में जो 1962 में सरपलस होकर सीलिंग से निकल कर जानी चाहिये थी । आपको देखना होगा अदालतों के बारे में कि हमारी अपील कहाँ तक जाती है। सीलिंग टोटल फैल्योर साबित हुई है। आप राज्य सरकारों को हुक्म कर देते हैं, बरनाला साहब हुक्म कर देते हैं लेकिन कौन मानता है। मेरा निजी अनुभव है कि राज्यों के चीफ मिनिस्टर नहीं मानते हैं, वहां के हाई कोर्टस के जज नहीं मानते हैं। और दोनों जमीन में गड़बड़ करते हैं। जो सरकारी जमीन भूमिहीन लोगों को मिलनी चाहिए थी, 14, 15 साल में उसकी नवैयत बदल कर सब का नाश हो गया है । इसलिए भूमि संबंधी कानून आपको फिर से बनाना चाहिए। कुटीर उद्योग की बात कर के जमीन के मसले से ध्यान नहीं हटाया जा सकता है। जमीन पसीना बहाने वाले की है, उसके पास जमीन आनी होगी, इस पर आपको विचार करना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता बिल जब आयेगा तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन हमारे ऊपर जो उत्पीड़न है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है ? सारे देश में चाहे छात्रवृत्ति

हो, चाहे मजदूरी के नाम पर हो, कुर्सी पर बैटना हो, गरीब अपनी चारपाई पर नहीं बैठ सकता, किराये की घोड़ी पर नहीं जा सकता बारात में क्योंकि पिछले संस्कारों से ग्रसित होने के कारण उच्च वर्ग के लोग इन बातों को बर्दाशत नहीं करते हैं ।

आगरा कांड हो, या मुजफ्फरनगर कांड हो, दूसरे प्रान्तों में भी मैंने वही हाल देखा है । अभी मुझे सुन्दरवन जाने का मौका मिला था, वहां आज भी 15 हजार के करीब शरणार्थी हैं और उनमें 99 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग ही हैं । उनके उत्पीड़न की चर्चा यहां हुई होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया उसको न कहकर मैं इरादे के बारे में कहना चाहूँगा । देश में कोई भी सरकार हो वह हिन्दू जाति और धर्म से ग्रसित है और समस्या को समझने का इरादा नहीं है । आप चाहे सी०पी०आई या सी०पी०एस० की सरकार कहें गरीबों के खिलाफ इनके इरादे पीढ़ियों से बने हुए हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होती है । कानून का किस खूबसूरती से उल्लंघन किया जाता है इसकी मिसाल सीलिंग ऐक्ट हमारे सामने है । इरादा नहीं है ।

हमारे मित्रों ने कल और आज इस पर चर्चा की । मैं माननीय मण्डल जी से कहूंगा कि यह इन विचारों को कैबिनेट तक पहुंचा दें । कोई चीज धीरे धीरे चलती है । मैं कहना चाहता हूं कि रोज छात्रवृति पर हम झगड़ा करने वाले नहीं हैं, गरीबी पर झगड़ा करने वाले नहीं है, डा० साहब अम्बेद करके नाम पर झगढ़ा करने वाल नहीं है, आगरा, मुजफ्फरनगर, और बैलची कांड पर झगड़ा करने वाले नहीं हैं । हमारा झगड़ा अगर होगा तो लम्बा होगा और अन्तिम होगा । अगर देश की सरकार और समाज जल्दी नहीं सम्भला और हमारी भाषा नहीं समझ सके तो जिस भाषा में आप समझते होंगे उसी भाषा में एक दिन गरीब बोलेगा और वह कहेगा कि हमें रद्दी से रद्दी जमीन देदो, उत्तर प्रदेश और बिहार के सूबे हमें दे दो, हम अपनी स्थिति स्वयं सुधार लेंगे । ऐसा युद्ध अगर छिड़ेगा तो आपको महंगा पड़ेगा । हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे साथ वही मजाक । लेकिन वह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है । मैंने इशारा किया कि अगर केवल रिपोर्ट पर चर्चा हो गई, कागज में कानून बन गया, मंत्री जी का वक्तव्य हो गया, उससे हमें संतोष होने वाला नहीं है । गाँवों में, मौहल्लों में, स्कूल में क्या हो रहा है यह हमें देखना होगा । मैं माननीय मण्डल साहब की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ी सी चर्चा करने के लिए, पिछली बातें दोहराने के लिए एक चर्चा हो गई । और अलग मंत्रालय की बात पिछले दो सालों से चल रही है, लड़कों के स्कालरशिप के बारे में चर्चा चल रही है । कोई नई बात आज हमें कही गई हो तो मुझे याद नहीं है । सरकार और अफसरों की भी आदत पड़ गई है, एक भी क्लेक्टर, एम० पी० को सजा नहीं दी गई । जबकि प्रधान मंत्री ने सारे प्रान्तों को लिखा था । लेकिन क्लेक्टर और एम० पी० को बचाने के लिए सदा कोशिश की जाती है । मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया नाम लेकर उसकी जांच होनी चाहिये ।

कि हमारे लोग खराब से खराब बेईमान अफसरों को संरक्षण देते हैं और तमाम गुण्डों को संरक्षण देते हैं । गांवों में जो तबाही है, उनकी उसमें साजिश रहती है और वहाँ चिकनी-चिकनी बातें होती हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और माननीय मण्डल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार में वरिष्ठ और समझदार आदमी हैं, अपने कैबिनेट के साथियों को समझावें कि हमारे लोगों को केवल संतोष ही न हो, बल्कि सही-सही काम हो । धन्यवाद ।

* **श्री कृष्ण चंदर हाल्दर (दुर्गापुर)** : सभापति महोदय, हम लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श में भाग लेते हुए मैं चन्द बातें आपके सामने संक्षेप में रखना चाहूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में हुए अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों पर अत्याचारों के विषय में कहा। उन्होंने इस लोक-सभा में अपने हृदय की गह-राइयों से महसूस किए गए, अन्याय जो इन लोगों पर हुए, चाहें वे सामाजिक थे राजनैतिक थे या आर्थिक थे। उन पर बोला। सचमुच ही, वर्तमान स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। वर्ष 1975-76 और 1976-77 से सम्बद्ध रिपोर्टों में 96 सिफारिश की गई हैं। मुझे जो समय मिला है, उसमें उन सभी के विस्तार में जाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा करते हुए इन को सामूहिक रूप से जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके विषय में कहा। मैं यह महसूस करता हूँ कि हमें इस समस्या को केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी पूर्ण जनसंख्या का एक बड़ा भाग हैं। जहां हमारे देश के 70% लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे के स्तर पर रहते हैं, उसमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों और जन जातियों से सम्बन्धित हैं। लगभग 95% इस श्रेणी से सम्बन्धित हैं। इस समस्या का तीन पहलुओं से अध्ययन करना है—आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। इसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है, ताकि एक बार हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाये।

महोदय, मेरे पास विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित आंकड़े हैं। इनके विषय में पहले ही कह दिया गया है, और मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता। इनका नौकरी कोटा सिवा ग्रेड IV के कहीं भी ठीक से नहीं भरा गया। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हैं? मैं देश में जाति व्यवस्था के उद्भव के विषय में नहीं जाना चाहूंगा। पिछली कई सदियों से हमारे देश में जागीरदारी भूमि प्रथा थी। ये सामन्ती समाज और सामन्तिक अर्थ व्यवस्था और सामाजिक और राजनैतिक स्थितियां थी, जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक और शोषण की नीति आधारित थी। उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति न केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच अपनायी बल्कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी इसका शिकार बनाया, इस नीति के द्वारा इन्होंने हमारे देश का चरमसीमा तक शोषण किया।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने गत 30 वर्षों में इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हल करने का प्रयत्न नहीं किया। जनता सरकार ने भी गत दो वर्षों से जिस प्रकार का दृष्टिकोण इस समस्या के लिए अपनाया, उससे वे इस की जड़ में नहीं पहुंच पाए हैं। बल्कि बेलची और दूसरे स्थानों पर घटी घटनाओं पर हमें क्षोभ है कि इस समस्या ने जटिल रूप ले लिया। जैसा कि एक माननीय सदस्य से कहा कि इस समस्या का आर्थिक हल ढूँढना चाहिए। यह आमूलचूल भूमि सुधारों से ही संभव हो सकता है। यदि भूमि को वास्तविक खेतिहरों के बीच बांट दिया जाये, तो ये 95% अनु-

* बंगला में किए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सूचित जातियां और जन जातियों के लोग जो कि गरीबी की रेखा से निम्न स्तर पर रहते हैं, अपनी जीविका अर्जित कर पायेंगे और बेहतर जीवन व्यतीत कर पायेंगे। किसी ने कहा कि इसने नारे का रूप ले लिया है, और इसके द्वारा कुछ अर्जित नहीं किया जा सकता। मुझे यह कहते हुए क्षोभ है कि वे सामंती समाज को समर्थन दे रहे हैं। इन लोगों पर जो सामाजिक अन्याय हुआ, उसे मालूम करके हल करना है। यद्यपि हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, परन्तु हमारे देश में राष्ट्रीयता अभी सही रूप से नहीं पनपी है। क्या आज हम सभी 'भारतीय' होकर सोचते हैं? यदि हम यह कर सकते, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग मानवीय अधिकारों से वंचित नहीं होते। हम देखते हैं कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के भाइयों के साथ पशु जैसा अमानवीय व्यवहार होता है। उन्हें सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमें उन्हें मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। इन सभी को भारतीय समझ कर व्यवहार करना चाहिए। इन लोगों को बहुसंख्यक वर्ग से अपील करने और अपनी माँगे, माँगने का अधिकार है। साथ ही मैं यह भी कहूँगा, कि हमारी कई समस्याएँ हैं—आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन आदि, इस समस्या को संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं इससे कोई भी हल नहीं ढूँढ़ा जा सकता। इसी प्रकार यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नेतागण संकीर्ण पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करते हैं, तो परस्पर विरोध की भावना बढ जाएगी तथा समाधान करना मुश्किल हो जाएगा, श्री काम्बले ने कहा कि जब हम इस समस्या के लिए संघर्ष करे, तो हमें दलों और संगठनों को भूल जाना होगा। हमें स्वयं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केवल सदस्य ही मानना होगा। मेरे विचार से इससे समस्या का समाधान न हो पाएगा, बल्कि इससे संघर्ष उग्र हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद और अस्पृश्यता का समाधान जाति संघर्ष से ही संभव है, मैं उनमें से नहीं हूँ। आजकल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकाँश लोग कृषि मजदूर, खेती में बंटाईदार हैं अथवा शहरों में कारखानों तथा फैक्टरियों में काम करन वाले मजदूर हैं या सफाई कर्मचारी और मेहतर हैं तथा नगर साफ रखने के लिए सिर पर मल उठाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वे सभी कठोर श्रम करने वाले लोग हैं। बहुसंख्यक लोग उनका शोषण कर रहे हैं। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थायी समाधान नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक सदस्य को रोजगार मिले। कुछ माननीय सदस्यों ने इससे पहले 'काम करने का अधिकार' के विषय में चर्चा की जी हाँ, यदि 'काम करने का अधिकार' संविधान के मौलिक अधिकार के समान मान लिया जाए, तो बहुत-सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की न्यायोचित माँग में भी काफी कमी आएगी सांप्रदायिक दृष्टि से की जाने वाली मांगों में भी कमी आएगी खेती के लिए कम पारिश्रमिक पर मजदूर मिलते रहें इसलिए निहित स्वार्थ वाले सामंती प्रथा बनाए रखना चाहते हैं पूंजीवादी हमारी श्रेणियों में भेद-भाव बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इससे फैक्टरियों में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। इस वर्ग शोषण को समाप्त करने के लिए इन शोषकों और निहित स्वार्थों के विरुद्ध हमें संयुक्त मोर्चा गठित करना चाहिए। हमें सभी, किसानों, मजदूरों, मुसलमानों, ईसाइयों और उच्च जाति के शोषित लोगों का आह्वान करना

चाहिए और उनके लिए सशक्त संयुक्त मोर्चा गठित कर निहित स्वार्थों से संघर्ष करना चाहिए, जिन्होंने गरीब लोगों का शोषण किया है, पीड़ित किया है और अत्याचार किया है, और जो वर्ग शोषण की अपनी विशालकाय संरचना को बनाए रखना चाहता है, जब तक शोषण की इस सम्पूर्ण संरचना को नष्ट न किया जाएगा तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए पृथक मंत्रालय की माँग स्वीकार कर लें।

मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के "उत्थान के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया गया है। उनकी बेहतरी के लिए उन्हें भूमि देनी होगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने जा रही है। हमारी सरकार ने उन सभी लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है उन्हें जगह देने की व्यवस्था की है। मेरी सरकार ने बटाईदारों" के सम्बन्ध में "अधिकार के रिकार्ड" के लिए विधान पारित किया है। इन उपायों के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार ने शोषित और दलित लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने प्रयत्नों को बनाये रखा है।

महोदय, कामरेड मंगलदेव ने मरीच-झांपी के बारे में बात की है। मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। वह शरणार्थी पुनर्वास की समस्या है। इसका सम्बन्ध बंगलादेश से आये विस्थापितों से है, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जिन्होंने हंसते-हंसते अनेक मुसीबतों को झेला, उन्हें सुकून देने के लिए उनका पुनर्वास हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य था। यदि कांग्रेस सरकार ने या वर्तमान सरकार ने दण्डकारण्य में उनकी ओर उचित ध्यान दिया होता तो उन्हें दण्डकारण्य छोड़ना पड़ता। लगता है केन्द्र सरकार ने इन शरणार्थियों के समुचित पुनर्वास के लिए, जो कि वस्तुतः राष्ट्रीय समस्या है, पं० बंगाल सरकार की माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा उनके नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ दें। मैं बाबू जगजीवन राम द्वारा हैदराबाद में दिए गए वक्तव्य का समर्थन करता हूं कि 30 वर्ष बीत गए किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। शायद इन्हें अन्य उच्च जातियों के बराबर लाने के लिए और 30 वर्षों की आवश्यकता होगी। अतः मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और अन्य संवैधानिक परित्राण बने रहें। मैं एक बार फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों और उनके नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे संकुचित दृष्टिकोण छोड़ दें और आदमी के द्वारा आदमी के शोषण पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को समाप्त करने के लिए एक जुट होकर संघर्ष करें। आओ हम देश में एक नया आपसी रिश्ता कायम करें जो एक भारतीय का दूसरे भारतीय के साथ हो, जो एक मानव का दूसरे मानव के साथ हो; जो जाति, वंश या धर्म पर आधारित न हो और जो इस आधार पर न हो कि कोई मसलमान या ईसाई या अनुसूचित जाति या किसी अन्य जाति का है बल्कि उसका आधार केवल यही हो कि हम सब भारतीय हैं। यदि हम ऐसा कर पायें तो समझिए कि युग्म पुरानी समस्याओं का स्थायी हल निकल आया है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 6 बजे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और केवल 14 मिनट रह गए हैं किन्तु अभी तक हमें वक्तव्य की प्रति नहीं मिली है। हमें उस पर प्रश्न भी तैयार करने हैं।

सभापति महोदय : इस मुद्दे पर मैं 6 बजे बात करूंगा। श्री फेलीरो।

श्री एडुआर्डो फेलीरो (मारमागोआ) : महोदय मेरा नाम वक्ताओं में है किन्तु आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मुझे किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) माननीय सभापति जी,

कौम के डर से डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ
रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ।

हम लोग यहां पर बहुत हल्ला कर रहे हैं हरिजनों के लिए, उनके लिए बहुत आंसू बहा रहे हैं और आगे पता नहीं क्या-क्या करेंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिजनों के पास कोई चीज नहीं पहुंचती है। हरिजन समस्या का जो मूल कारण है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आप उन सामाजिक आर्थिक कारणों को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं उस कार्य में नहीं लगेंगे तब तक केवल कानून बना देने से और आदेश जारी कर देने से कोई काम बनने वाला नहीं है। हरिजनों पर पांच हजार साल पहले से अत्याचार हो रहे हैं लेकिन एक बात से मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूं, मैंने रिपोर्ट पढ़ने पहले ही कहा था कि हरिजन और सवर्ण का झगड़ा सौ वर्ष पहले आपको कहीं-नहीं मिलेगा, उसका कारण यह था कि हरिजन चाहे जितनी मार खायें उनमें हिम्मत नहीं थी कि बोल सकें। लेकिन जब से उसको थोड़ी-थोड़ी राहत मिलने लगी है, वह अपने अधिकारों को कुछ समझने लगा है, अब उसके ऊपर अत्याचार होता है तो वह उसके खिलाफ बगावत करता है। उसको बगावत करनी भी चाहिए। हमारा और आपका भी कर्त्तव्य है कि उससे बगावत करवायें। जो लोग सदियों से इन लोगों को दबाते, मारते और लूटते रहे हैं वे आज भी चाहते हैं कि वे दबकर रहें, उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलें। ऐसी परिस्थिति में झगड़ा तो होगा ही। आपको चाहे जितनी चिन्ता हो कि इस तरह के जो झगड़े हो रहे हैं वह बुरे लेकिन इस तरह के झगड़े हमारे लिए अच्छे हैं।

रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं,
गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं।

यदि आप संरक्षण नहीं दे सके, यदि आप उनके दुःखों को दूर नहीं कर सके तो वे खुद हथियार उठाकर उसकी कोशिश करते हैं जिसमें कुछ कुर्बान भी हो जाते हैं। बिना कुर्बानी के कोई चीज मिलती भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव-गांव में अगर हरिजन दबाए जाते हैं तो वे बगावत करें और गृह मन्त्री जी उनकी मदद करें। लेकिन आप मजबूर हैं, आप मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके कानून और आपकी अफसरशाही इस प्रकार की नहीं है। आप कहें तो मैं आपके अफसरों की स्तुति किया करूं क्योंकि उनकी निन्दा करके, उनका विरोध करके हम देख

चुके हैं। आज कोई भला आदमी चाहे निर्भय हो या न हो, आपके जातिवादी अफसर पूरे निर्भय हैं। अगर आपने नौकरशाही को इसी तरह से बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से हमारा और आपका नाश होने वाला है।

आप देखिये-आप की नाक के नीचे—सर गंगा राम अस्पताल है। वहाँ 1976 में एमरजेंसी के दौरान हरिजनों और सवर्ण लोगों को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई—छूत की दीवार। आज दो वर्षों से आप गद्दी में बैठे हुए हैं आपने क्या किया? मैं आप से पूछना चाहता हूं—संविधान के अनुसार यह अस्पृश्यता जुर्म है या नहीं है? अस्पृश्यता निवारण कानून के अनुसार यह जुर्म है या नहीं हैं? दिल्ली का प्रशासन तो आपके कार्यक्षेत्र में आता है, आपकी सरकार के मातहत है—बतलाइये आप ने क्या किया? आप सीधे-सीधे उस का पृष्ठ-पोषण कर रहे हैं—अन्यथा आप को चाहिये था कि उसको गिरवा देते। श्रीमान्, अगर आप नहीं करेंगे तो हम संसद सदस्यों को मजबूर हो कर—हम जो हरिजन समस्याओं से जूझने वाले लोग हैं, हम को खुद जा कर उस को गिराना होगा और आप को हम लोगों को गिरफतार करना पड़ेगा—यह बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिये।

मैं एक बात आप से और कहना चाहता हूं कि—अभी विशारद जी ने भी उस की तरफ इशारा किया था—वह है—धार्मिक स्वतंत्रता बिल। हम हिन्दू क्यों हैं—केवल इस लिए कि हम राम-राम करते हैं, लेकिन अपनी बनाई हुई चारपाई पर हम बैठ नहीं सकते, इतनी दुर्दशा हमारी हो चुकी है। जिस दिन हम खुदा के बन्दे बन जायेंगे या ईसा मसीह के बन्दे बन जाएंगे उस दिन हम को बराबरी का सब हक मिल जाएगा। तब तो फिर हमारा भला इसमें है कि हम हिन्दू धर्म को छोड़कर चले जायं और शायद आप भी यही चाहते हैं क्योंकि हिन्दू धर्म में रहकर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं—जिस खजाने में कहीं से एक पैसा आने वाला न हो और रोज उसमें से खर्चा होता चला जाय—तो क्या वह खजाना बना रह सकता है, कभी न कभी तो वह खत्म ही हो जायगा। यही हालत आज हिन्दू धर्म की है। अगर आप किसी को हिन्दू बना भी देंगे तो किस जाति में उसको रखेंगे? है कोई माई का लाल—जो बतला दे—कि उस को किस जाति में रखना होगा, उसके लिए तो आप को अलग से जाति बनानी पड़ेगी। अगर आपका लड़का किसी ईसाई लड़की से या मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो उसको मुसलमान या ईसाई बनना पड़ेगा और यदि कोई लड़की शादी कर ले तो भी वह हिन्दू धर्म में नहीं रह सकती—आप का लड़का भी जायगा और लड़की भी जाएगी। जब तक ये धर्म के ठेकेदार पंडित डंडा लेकर मन्दिरों में बैठे रहेंगे—आप का यह हिन्दू धर्म हिन्दुस्तान में बच नहीं सकता। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है?

आप देखिये—19वीं सदी में बंगाल में हिन्दुओं का बहुमत था—तब कैसे वहां मुसलमानों का बहुमत हो गया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारे देश में एक दिन दूसरे धर्मों का बहुमत हो जाएगा। हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व का नारा लगाने वालों के मन में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए यदि तनिक भी ईमानदारी है तो उनको हिन्दू धर्म में जाति और वर्ण के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं—उस को बन्द करना होगा, तब हिन्दू धर्म चलेगा, वरना यह धर्म इस देश में रहने वाला नहीं है।

अब मैं कर्ज की बात कहता हूं बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक कतरे खून निकला। बड़ा शोर मच रहा है अन्त्योदय का। उनको जीविका के साधन देने जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं, उन को कर्जा देंगे—लेकिन उन की जमानत कौन देगा ? मैं अपने क्षेत्र में गया था – सुना था कि अन्त्योदय का रुपया बट रहा है, लेकिन किस को मिल रहा है - उन की जमानत देने वाला कोई नहीं है। इस लिए बी० डी० ओ० ऐसे लोगों को खोज-खोज कर भेजता है जो किसी का हलवाहा हो, उस की जमानत दे देते हैं—और नहीं तो फिर उन को नहीं मिलता है और लोग आधा-आधा बाँट लेते हैं। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप बंधुआ मजदूरी कैसे रोकेंगे, जरा इस को हम को समझा दीजिए। उन को किसी तरह का आप काम नहीं दे सकते, कर्ज एक नया पैसा नहीं दे सकते, उन को श्राद्ध करना है और बेटा-बेटी की शादी करनी ही है, तो फिर वे कर्ज लेंगे ही और शरीर को बंधक रखेंगे। वह कहेंगे कि बाबू, हम अपना शरीर बंधक रखते हैं, आप का काम करेंगे और उस से कर्जा आप देंगे, वह भर देंगे। आप जरा मुझे समझा दीजिए कि बंधुआ मजदूरी का उपाय आपने क्या किया है ? कौन सा नियम आपने बनाया है और नहीं तो कहेंगे कि बंधुआ मजदूर आप बनाइए, गांवों के अत्याचारों को आप छोड़ दीजिए, केवल आप उनके शरीर की जमानत लीजिए और काम करवा कर पैसा भरवाइये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या गाँवों के चण्डालों को आप सौंपना चाहते हैं ? इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है और न कोई काम ही होने वाला है।

अब रही आरक्षण की बात। उसके बारे में मैं क्या कहूं। आरक्षण में इतनी बेईमानी होती हैं, जिनका कुछ कहना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की जगहों को आप देखें। आई० ए० एस० में कुल 3237 पोस्टस हैं जिनमें 277 हरिजन हैं जो 8.56 परसेन्ट बैठता है और इसी तरह से जनजातियों का कुल 4.08 परसेन्ट है। ये फीगर्स पहले की हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन 30 सालों में आपने लगभग 8 परसेन्ट किया है, तो यह जो 18 परसेन्ट है, यह कब पूरा होगा ? ये कितने दिनों में पूरा होगा।

मैं एक बात और इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब इस देश से अंग्रेज गए, तो कितने काले लोग थे ? वे लोग कलेक्टर थे, कमिश्नर थे और सचिव थे लेकिन कितने वे काबिल थे। जब अंग्रेज चले गए, तो रातों-रात सब काबिल हो गए और हम को कहते हैं कि तुम नालायक हो। हमको आप गद्दी पर बैठा दीजिए और फिर आप यह देखिए कि हम आपसे अच्छा काम करते हैं या नहीं ?

लेकिन श्रीमान्, आप की नीयत साफ नहीं है कि हरिजन को गद्दी पर बैठा दो, आपकी नीयत साफ नहीं है कि बैकवर्ड को गद्दी पर बैठा दो और ऐसा करने के लिए आप हजारों बहाने करते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं क्योंकि आपको इन दो वर्षों में काफी अनुभव हो गया होगा कि जरा आप हमको समझा दीजिए कि ऐसा क्यों है। हमारे गृह मन्त्री जी तो सारी जिन्दगी का अनुभव रखे हुए हैं। वे ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर बताएं कि क्या कभी किसी ईमानदार आफिसर का ड्यू डेट पर प्रमोशन हुआ है ? एक भी उदाहरण आप दे देंगे तो हम आपकी चिलवाई करेंगे। जितने ईमानदार अफसर हैं, वे दरबार नहीं करें, न डाली लाएंगे और न घूस देंगे। प्रमोशन उसी का होता है जो घूस लेता है और आधा देता है और आधा अपने पास रख लेता है,

अपनी गोटी चम और उनकी गोटी भी चम। ऐसे लोगों का प्रोमोशन होता है और जितने ईमानदार हैं उन सब का करेक्टर रोल खराब है। जितने हरिजन हैं, और बैकवर्ड हैं उनका करेक्टर रोल लिखने वाले यही हैं। इसलिए उनका प्रोमोशन नहीं होगा। अगर आप सीधे-सीधे प्रोमोशन नहीं देना चाहते, तो रिजर्वेशन में आपको प्रोमोशन देना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए आप अलग से हरिजन मंत्रालय बनाएं। अगर इसके लिए बात की जाती है, तो इसमें किसी को चिढ़ क्यों लगती है। आप को हरिजन और बैकवर्ड दोनों का मंत्रालय अलग से बनाना पड़ेगा अगर सचमुच में आप इनका उत्थान चाहते हैं। किसी हरिजन विरोधी को हरिजन अफसर बना कर, किसी हरिजन विरोधी को रिक्रूटिंग अफसर बना कर के और किसी बैकवर्ड विरोधी को प्रोमोटिंग आफिसर बनाकर अगर आप चाहते हैं कि उनका प्रोमोशन हो या रिक्रूटमेंट हो, तो वह नहीं होगा। क्या वजह है कि आप उनको प्रोमोशन नहीं देते हैं। ये सारे के सारे अफसर नालायक थे। अंग्रेजों के जमाने में और गद्दी पर बैठकर ये रातोंरात काबिल बन गए। मेरा कहना यह है कि हरिजन का कम्पीटीशन हरिजन से करवाइये। आप सवर्णों से उनका कम्पीटीशन करवाते हैं।

सभापति महोदय : कुशवाहा जी, आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(दो) निजामुद्दीन, नई दिल्ली में पुलिस तथा वहां के निवासियों के बीच हुई मुठभेड़ का पत्राचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, यह जो कालिंग स्टेशन है, इस में मेरा पहला नाम है और हम को जो कागज मिला है, वह अभी अँग्रेजी में मिला है। इसको मैं पढ़ नहीं सका हूं।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुवनी) : फाड़ो इसको। आज ही श्री विनायक प्रसाद यादव ने सुबह कहा था कि हिन्दी में दिया जाए। हिन्दी में देने के लिए तथा बार-बार यह सवाल यहां उठता रहेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। इस बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री एच. एम. पटेल : महोदय, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने आज प्रातः स्पष्ट किया था कि ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल ही दिये गए थे। मैंने जानकारी लेने का प्रयत्न किया है। मुझे ही उसे अनुमोदित करना होता है और उसके लिए अनुवाद की व्यवस्था करनी होती है। आप को जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। आज प्रातः जब यह शिकायत की गई थी तो दो मिनट में ही हिंदी संस्करण सदस्यों के हाथों में दे दिया गया था : मैं खेद व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय— अब जब कि गृह मंत्री ने खेद प्रकट कर दिया है, पासवान जी, आप आरम्भ करें।

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि जो इनके मंत्रालय में हिन्दी में चीज जाती है क्या वह अंग्रेजी में ही ऊपर तक जाती है। अगर जब हिन्दी की चीज का अँग्रेजी में अनुवाद होकर ऊपर जा सकता है तो अँग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद होकर

यहां क्यों नहीं आ सकता है ? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सचिवालय में अँग्रेजी का कितना स्टाफ है और हिन्दी का कितना स्टाफ है ? इस तरह का मामला आज से नहीं चल रहा है, जब भी किसी विषय पर गृह मंत्री महोदय जवाब देते हैं वे अँग्रेजी में देते हैं। इसका हिन्दी में जवाब आने में क्या दिक्कत थी ?

श्री हुकम देव नारायण यादव : भारत सरकार के एक मंत्री राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण करते हैं लेकिन यहां लोक सभा में क्या अंग्रेजी ही चलती रहेगी ? क्या यहां दोनों भाषाएँ नहीं चलेंगी ?

सभापति महोदय : पासवान जी, पहले यह मंत्री महोदय के पास जाता है। उन्होंने खेद प्रकट किया है। वह मामले की जांच करेंगे आप आरम्भ करें। मंत्री महोदय ने व्यावहारिक कठिनाई बताई है और खेद भी प्रकट किया है। भविष्य में आपको हिन्दी में कागजात समय पर मिलेगा।

श्री हुकम देव नारायण यादव : हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। हम को पता नहीं लगेगा कि मंत्री जी के उत्तर में क्या है।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, सिर्फ एक पेज का यह स्टेटमेंट साइक्लोस्टाइल्ड है। इसको हिन्दी करने में क्या दिक्कत थी ? जब तक उनके दिमाग से अंग्रेजी नहीं जायेगी तब तक यह हिन्दी में नहीं आ सकेगा। क्या आपका सचिवालय या दफ्तर इतना इनएफिशियेन्ट है कि सुबह से शाम तक उसे हिन्दी में करने का समय ही नहीं मिला ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने यह भी बताया कि यह सचिवालय के पास नहीं आता है। पहले यह मंत्री महोदय के पास जाता है। पासवान जी, चुप करिये।

पासवान जी, अब आप शुरू कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"पुलिस और नई दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र के निवासियों के बीच मुठभेड़ तथा उसमें अनेक व्यक्तियों के गम्भीर रूप से घायल होने का समाचार।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमान् 11-5-1979 को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि हबीब निजामुद्दीन मस्जिद के समीप चरस बेच रहा है और वहाँ झगड़ा हो गया है। कथित हबीब फेरी लगाकर एक कुख्यात चरस बेचने वाला है और वह बारह बार पकड़ा जा चुका है। इनमें से बार-बार वह उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया है। उसे दो बार दिल्ली से निष्कासित किया जा चुका है और गत निष्कासन की अवधि केवल 21 मार्च,

1979 को समाप्त हुई थी। अत: पुलिस ने उस सूचना को विश्वसनीय समझ कर स्वीकार कर लिया और जांच के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस दल को देखकर हबीब भाग गया और जमीन नगर बस्ती में अपने ही मकान के समीप एक मकान में घुस गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने तलाशी लेनी चाही तो वह जमीन पर लेट गया और मदद के लिए शोर मचाने लगा। उसके शोर को सुन कर पड़ोस से लगभग 25 व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गये। पुलिस ने हबीब को उठाने की चेष्टा की लेकिन हबीब के कुछ सम्बन्धियों ने, जो तब तक घटना स्थल पर पहुंच चुके थे, पुलिस के साथ हाथापाई की ताकि पुलिस को उसकी तलाशी लेने से रोका जा सके। इसी बीच पुलिस स्टेशन से, जो कि घटनास्थल से 300 गज की दूरी पर है, वहां कुछ और पुलिस वाले पहुंच गये लेकिन भीड़ ने हबीब को गिरफ्तार करने में उन्हें मदद देने से काफी रोका। औरतों ने हबीब को चारों ओर से घेर लिया और पुरुषों ने उसे गिरफ्तार करने में पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई। अन्त में पुलिस वाले उस सारे प्रतिरोध पर नियंत्रण पाने में सफल हो गये और हबीब को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए वहां से उठा लिया गया। इस पर भीड़ ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और लाठियों तथा पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। इसके बाबजूद भी सुबह लगभग 9 बजे पुलिस हबीब को पुलिस स्टेशन ले गई किन्तु भीड़ ने उनका पीछा जारी रखा जिनकी संख्या बाद में बढ़ कर लगभग 40 हो गई। भीड़ ने हबीब की रिहाई की माँग की और नारे लगाये। सराय कालेखां के कुछ लोग तथा कुछ दुकानदार और अन्य लोग भी भीड़ में शामिल हो गये। इस तरह भीड़ में लगभग 300 व्यक्ति सम्मिलित हो गये। कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और इसलिए मांग की है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए। उन्होंने भीड़ को हिंसा पर उतारू होने के लिए भी उकसाया। किसी तरह पुलिस भीड़ को शाँत करने और स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल हो गई। उपरोक्त घटना में दस पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। भीड़ में से सात को, जिनमें पांच महिलाएं भी हैं, मामूली चोटें आई हैं। भीड़ में से घायल चार व्यक्तियों ने एक्सरे जाँच के लिए अनुरोध किया जोकि उसी दिन कर लिया गया। इस बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

11-5-79 को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 148, 149, 307, 186, 353, 332, 235 – क के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255 के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया। हबीब सहित दो व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला जांचाधीन है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित हबीब तथा कुछ अन्यों ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध शिकायत की थी और ऐसी शिकायतों के ही कारण अकेले हबीब को गिरफ्तार किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस कर्मचारियों ने भीड़ में महिलाओं के साथ छेड़खानी की। इसलिए 11 तारीख को ही पंजाब पुलिस नियम 16-38 (1) के अंतर्गत जांच करने का आदेश दे दिया गया। श्री सेवा दास, अवर उपायुक्त यह जाँच कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान—इस वक्तव्य को मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ समाचार पत्रों में। इसमें कोई बात नहीं जोड़ी गई है। मेरे पास जो अखबार हैं जिनमें उस दिन की घटना के बारे में निकला है, वे हैं हिन्दुस्तान टाइम्ज और इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों को आप देख लें। इनमें कहा गया है कि महिलाओं तक को बेरहमी के साथ पीटा गया है। मैं नहीं कहता हूं कि जो क्रिमिनल्ज हैं उनको पकड़ा न जाए। लेकिन अननिसैरेली क्रिमिनल पैदा न किए जाएं यह भी मैं कहना चाहता हूँ। कानून का ऐसा मंशा भी नहीं होता है। आप देखें इसमें किन्हीं महिलाओं का हाथ टूटा हुआ है, किन्हीं का पांव टूटा हुआ है और सब महिलाओं ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और वे रो रही हैं।

मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। पुलिस का कहना है कि हबीब बदमाश है। अखबारों में जो निकला है उसके मुताबिक भी यह बात सही है कि हबीब पहले बदमाश था और उसको दिल्ली से बाहर भी दो अवसरों पर निकाला गया था और बाहर निकालने की सजा भी हुई थी लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि उसने चरस वगैरह का कारोबार छोड़ करके फल बेचने का काम शुरू कर दिया था। दोनों समाचार पत्रों में एक समान न्यूज आई हैं। यह भी आया है कि पहले हबीब बदमाश था और उससे पुलिस को पैसा मिलता था। बाद में उससे पुलिस को पैसा मिलना बन्द हो गया। मैं आज गम्भीरता से एक बात कहना चाहता हूँ। यह पता नहीं चलता है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जो पुलिस फोर्स थी जब वह आई. जी. के अंडर हुआ करती थी तब हमेशा यह कहा जाता था कि पुलिस कमिशनर बना दो तब ला एंड आर्डर का मामला एक दम कन्ट्रोल में आ जाएगा और जब पुलिस में पुलिस कमिशनर का पद हो गया तो आज मैं बहुत ही जवाब देही के साथ कहता हूं कि दिल्ली में क्या हालत है इसको भी जरा आप देख लें। दिल्ली में एस. एच. ओ. या सब इंस्पैक्टर की पोस्ट कोई मामूली पोस्ट नहीं है। जिस निजामुद्दीन थाने की बात हो रही है उसको लेकर एक बार पहले भी मैंने श्री के. के. कौल डी० सी० से फोन पर बात की थी और वह तब की थी जब यहां एक हरिजन को बिना किसी कारण तीन दिन तक उस थाने में बन्द करके रखा गया था। और हमको तीसरे दिन मालूम हुआ जब उसका एक सम्बन्धी जो पार्लियामेंट में झाड़ू लगाता है हमारे घर आया और उसने कहा कि हमारे आदमी को तो थाने में बन्द किया हुआ है आप हमारी सहायता करो। तो मैंने झील, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से बात की, उन्होंने कहा, कि मैं थाने से छानबीन कर रहा हूं। फिर मैंने डी० आई० जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया। दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसको कोर्ट में ले जाकर हाजिर कराया गया। तो निजामुद्दीन थाने के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं है। आपने यह नहीं कहा, लेकिन एक दिन पहले उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक डेलीगेशन मिलने के लिये आया था। हो सकता है कि उसके कारण अधिकारियों को आक्रोश हो। एस० एच० ओ० की पोस्ट कोई मामूली पोस्ट नहीं है, और 300 जो इन्स्पेक्टर्स हैं दिल्ली में उसमें से चुन करके 60 एस० एच० ओ० लगाये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये आपने कोई क्राइटीरिया फिक्स किया है? एस० एच० ओ० कौन होगा? जो डी० आई० जी० के यहाँ खाना पहुंचायेगा या उनके पाँव दबायेगा या नीलामी बोल कर ज्यादा पैसा उच्च अधिकारियों को देगा। आप जाकर के देखें कि जो स्टाफ कार होती है पुलिस की वह किसके उपयोग में आती है? लोग कहेंगे कि पौलिटिकिल इंटरफीयरेंस नहीं होना चाहिए हम भी कहते हैं कि ट्रांस्फर और पोस्टिंग में इंटरफीयरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन

स्टाफ कार का प्रयोग होगा कुत्तों को घुमाने के लिए, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, फल खरीदने के लिए। मैं कहता हूं कि आप देखिए कि जिनके विरुद्ध मर्डर के मुकदमे लगे हैं और जिनको उस वजह से सस्पेंड किया गया था वह आज दिल्ली के थानों में एस० एच० ओ० बन कर बैठे हुए हैं। मीना टंडन के मर्डर कांड में जिसको सस्पेंड किया गया था वह यहाँ एस० एच० ओ० बन कर बैठा हुआ है। संजय गीता के कांड में प्रधान मंत्री ने कहा था कि ऐसे पुलिस अधिकारी को पुलिस में रहने का अधिकार नहीं है, तुरन्त बर्खास्त किया जाय। लेकिन दूसरी जगह उसको फिर एस० एच० ओ० बना दिया। तो क्या इस तरह से दिल्ली की ला एंड आर्डर ठीक होगी? मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, एक जगह घटना घटी एक एस० एच० ओ० शराब बिकवाता था और एस० पी० ने इनक्वायरी की, इनक्वायरी चल रही थी लेकिन एस० एच० ओ० को नहीं हटाया गया। तो इस तरह से आप कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई क्राइटीरिया फिक्स करना होगा।

क्या कारण है कि जो आपके यहाँ अफसर हैं, डी० एस० पी०, एस० पी० और एस० एच० ओ० हैं वह ईमानदारीपूर्वक रहना चाहते हैं, वह बड़े अफसरों की दरबारी नहीं करना चाहते, उन के बीबी, बच्चों को घुमाना नहीं चाहते, लेकिन वह वहीं पड़े हुए हैं, उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है। लेकिन जिनके पास काबलियत नहीं है लेकिन अफसरों के यहाँ फल पहुंचाते हैं उनको एस० एच० ओ० बना दिया जाता है और कहते हैं कि तुम लूट करो। मैंने इसी सदन में गृह मंत्री जी को पूछा था कि क्या आपको जानकारी है कि दिल्ली में थाने नीलाम होते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक शिकायत दूं तो गृह मंत्रीजी उसकी जांच करायेंगे। आप क्यों नहीं अपनी इंटेलीजेंस ब्रान्च को कहते हैं कि वह पता लगाये कि जो बड़े-बड़े पुलिस के अफसर हैं उनको कितना पैसा मिलता है और कहाँ से लाखों रु० का फर्नीचर उनके घरों में आता है, तमाम सुख सुविधा के सामान उनके घर में हैं, यह सब कहाँ से और कैसे आता है। ऐसा लगता है कि शासन का चंगुल किसी अफसर के ऊपर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप करना चाहते हैं तो पुस्तैदी के साथ करना होगा।

हबीब का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो। वह बदमाश था या निर्दोष था यह मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब पुलिस वहाँ जाती है, या तो वह बहुत बड़ा क्रिमिनल था तो आपने उसको पहले से क्यों नहीं बन्द किया? क्यों छोड़ दिया। और अगर वह क्रिमिनल था तो क्या कारण है कि 300 आदमी एकाएक उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं? आपके थाने को घेर लेते हैं। समाचार पत्रों में यह भी आया था कि बिना कुर्की वारन्ट के आपके अफसर वहाँ पहुंच गए थे।

इन सारी चीजों का आपको जिक्र करना चाहिए था कि यदि बिना वारन्ट के पहुंच गया है तो क्यों पहुंच गया? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण-सी बात नहीं है, एक तरफ जहां हमारी इन्टैंशन है कि हम गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम जहाँ से आते हैं, पुलिस वहाँ गुंडे पैदा करती है। गरीब का लड़का है, खाने-पीने में अच्छा है जरा देखने में हट्टा-कट्टा है तो तुरन्त पुलिस 109 दफा में चालान करेगी कि तुम डकैती में शामिल थे।

जितने भी थाने है, कौन सा ऐसा थाना है जहां के एस० एच० ओ० और डी० एस० पी० को मालूम नहीं है कि कौन गुंडा है। आपने कहा कि गुंडों को दिल्ली से निकाल कर बाहर करो। यह अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपने क्या कानून बनाया है। गुंडे को यहां से निकालते हैं तो

वह पंजाब में चला जाता है। रात में दिल्ली में आयेगा और डकैती कर लेगा फिर दिन में पंजाब में चला जाएगा। कल नाम आयेगा कि उसने दिल्ली में डकैती किया तो वह कहेगा कि हम तो दिल्ली से निकाले हुए हैं। मेरा कहना है कि कानून सोच-समझकर बनाया कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हर थाने के थानेदार, एस० एच० ओ०, डी० एस० पी० को मालूम है कि कौन क्रिमिनल है, लेकिन कहीं घटना घटेगी, कहीं कुछ होगा तो क्रिमिनल को नहीं पकड़ा जाएगा।

हम लोग जब जेल में थे, तो जितने लोग जेल में आते थे सब का ःण्टरव्यू लिया करते थे। उससे मालूम हुआ कि 75 परसेन्ट नौजवान गरीब लोग जेल में आते हैं और उसके बाद जेल से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और फिर क्रिमिनल बनकर दुबारा जेलों में आते हैं। तो इस तरह से क्रिमिनल पैदा किये जाते हैं। इस तरह से एक तरफ तो हम गुण्डों का सफाया करें और दूसरी तरफ जो अच्छा काम करें, उनको सुधरने का मौका दें और क्रिमिनल बनाने का काम न करें।

मैं अपने गृह-मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह हमें बतलायें कि यहाँ जो घटना घटी है और जो परस्पर-विरोधी बयान आये हैं, इसके लिए मैं कमीशन की बात नहीं कहता हूं, मैं इतना ही कहता हूं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दीजिए और 15 दिन में उससे रिपोर्ट मांग लीजिए, सब बातें साफ आ जाएंगी।

दूसरे दिल्ली में जो आफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग के लिए उनके पास क्या क्राइटीरिया है, यह भी बताने की कृपा करें ?

इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए आप क्या कर रहे हैं ? एक दो अफसरों के नाम, जिसको आप कहें, मैं आप को नाम दे दूंगा, आप इण्टेलिजेंस विभाग से उनकी आमदनी के विषय में और उनके सामान के विषय में कि यह सब कहां से आया, क्या आप कोई जाँच करवायेंगे ? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री एच. एम. पटेल : मैं माननीय सदस्य के अन्तिम प्रश्न को सबसे पहले लूंगा। मैं माननीय सदस्य की इस बात का निश्चित रूप से स्वागत करूंगा कि वह उन पुलिस अधिकारियों के नाम मुझे दे दें, जिन्हें वह जानते हैं कि वे भ्रष्ट हैं। मैं निश्चित रूप से उन मामलों की जाँच करूंगा।

माननीय सदस्य ने हबीब के इस मामले को एक आधार बना लिया है और सामान्य रूप से दिल्ली पुलिस से सम्बद्ध मामलों और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को उससे सम्बद्ध कर दिया है। वह एक पृथक विषय है। दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति की हमें पूरी तरह जानकारी है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस की निन्दा करने से ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि अच्छे और ईमानदार अधिकारी भी हैं, परन्तु उन्हें आगे आने का अवसर नहीं मिलता। मुझे खुशी है कि उन्होंने इन सभी बातों का उल्लेख किया है। हमें इनमें से कुछ बातों की जानकारी है और हम निश्चित रूप से उनकी जांच करेंगे, परन्तु यह कहना कि हबीब को छुआ भी नहीं जाना चाहिए था जो एक ज्ञात अपराधी है, सही नहीं होगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि उसे दिल्ली से निष्कासित किया गया था और उस पर तीन बार मुकदमा चलाकर दोष सिद्धि की गई थी।

वह एक निकटवर्ती इलाके में आया था और वहां उसने अपराध किए। उससे वह निष्कर्ष निकलता है, जिसकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, अर्थात् अपराधियों को निष्कासित करने की वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं उनसे सहमत हूं। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि मुझे इस बात की शंका है कि मैं उनकी इस बात को नहीं मान सकता कि जो कुछ पुलिस कहती है वह गलत है और समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार सदैव विश्वसनीय होता है। मैं नहीं समझता कि उनका ऐसा दृष्टिकोण अपनाना न्यायोचित है।

मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरे विचार में उन्होंने और कोई सवाल नहीं उठाया है। मैं निश्चित रूप से सामान्य मुद्दे की जाँच करूंगा, जिसके बारे में उन्होंने अभिमत व्यक्त किए हैं।

श्री राम विलास पासवान : चरस का केस ?

श्री एच० एम० पटेल : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-अधिनियम के अन्तर्गत चरस रखना एक उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी अपराध है और उसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट के तीन पैराग्राफ्स में वही कहा गया है, जो इस पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० का वर्णन है, जो उसका मालिक समझा जाता है, और यह बिल्कुल गलत है। मिनिस्टर साहब एक बात को सही कह सकते हैं कि हबीब एक पुराना मुजरिम, कनविक्ट है, और इस बात को लेकर जो कुछ भी वहाँ हुआ है, पुलिस उसको छिपाना चाहती है।

मैं अखबारी रिपोर्ट पर नहीं जाता हूं, और न ज्यादा जाया करता हूं। इसकी सीरियसनैस को एम्फासाइज करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हालांकि मैं सत्रह साल से पार्लियामेंट में हूं, लेकिन यह मेरा पहला कालिंग एटेन्शन नोटिस है, और बहुत दुखी होकर मैंने इसको दिया है।

जिस जगह पर मैं साल, डेढ़ साल तक रहता रहा हूं, यह पुलिस स्टेशन वहाँ से सौ गज के फासले पर है। पहले भी तीन-चार ऐसे वाकये हो चुके हैं, और अगर मैं उनके बीच में न पड़ता, तो शायद ऐसा वाकया किसी और नाम से बहुत पहले ही हो गया होता, किसी गुंडे का नाम ले लिया गया होता। इस मामले की भी मैंने सीधे अपने आप भी, और कुछ विश्वस्त लोगों के जरिए भी तहकीकात कराई। इस पुलिस स्टेशन के खिलाफ और खास तौर से जब से प्रैजेन्ट एस० एच० ओ० आया है, उसके खिलाफ, गवर्नमेंट को बराबर शिकायतें लिखी जा रही हैं। मैंने पूरी फाइल वहाँ की वैलफेयर कमेटी के सैक्रेटरी से देखी। वह एक बहुत ही एनलाइटन्ड और एन्थ्युजियेस्टिक यंगमैन है। वहाँ पर जो मुकद्दमे दर्ज हुए हैं, उनमें से एक मुकदमा उस पर भी दर्ज हुआ है।

वे लोग एक साल से ज्यादा से लगातार जब इस पुलिस स्टेशन के खिलाफ गवर्नमेंट को लिखते रहे हैं। जब 10 तारीख को वहाँ से एक डेपुटेशन होम मिनिस्टर साहब से, या किसी और से, मिलने के लिए चला – पचास-साठ आदमी थे —, तो वहाँ के ससिस्टेंट एस० एच० ओ० ने उनको रोकने की कोशिश की, बहुत कहा कि आप मत जाओ, उनको मना किया।

इसके बावजूद वे लोग आए, और जब यहां पहुंचे, जहां दफा 144 लागू थी, तो पांच आदमी इजाजत लेकर मिनिस्टर साहब से मिलने आए और उन्हें रिप्रेजेन्टेशन दिया।

इससे पहले भी वे कई दफा रिप्रेजेन्टेशन्ज दे चुके थे, जिसके बारे में वहां के डिप्टी कमिश्नर ने कई दफा उस इलाके के लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की और इन शिकायतों के सिलसिले में बीच में पड़े।

मैं यह भी बता दूं कि मैं खुद भी मौके पर गया हूं। हालांकि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं इतवार के दिन आध घंटा वहां पर लगाया और लोगों से बातचीत की। मैं वहाँ के लोगों को जानता हूं हो सकता है कि यह शख्स एक मुजरिम है। यह एक अलग सोशियालाजिकल स्टडी करने की बात कही होगी कि उसके मुजरिम बनने की पुरानी कहानी क्या है।

लेकिन एक दफा कोई आदमी किसी तरह से गलती से मुजारिम हो जाय तो वह आसानी से पुलिस के चंगुल से निकल नहीं सकता है क्यों कि यहां दिल्ली में आमतौर से लैंड लार्डस, पुलिस और गुंडे ये तीनों मिल जाया करते हैं और मिल कर एक आदमी की जिन्दगी तबाह कर दिया करते हैं। ऐसे कई किस्से हैं। मुमकिन है यह इसी तरह का किस्सा हो क्योंकि इस का जो सब से पहला कन्विक्वशन हुआ था वह इस बात पर हुआ था कि एक जमीन थी वहां दरगाह की। उस दरगाह की जमीन के एक हिस्से पर इस के गुरु का कब्जा था। जब वह गुरु मर गया तो औरों ने कब्जा करना चाहा लेकिन उस ने कब्जा नहीं छोड़ा। उस दिन से उसकी यह लड़ाई 20-22 साल से चली आ रही है और चलते-चलते यह एक बड़ा मुजरिम बन गया या बना दिया गया लोग कहते हैं कि अब यह जुर्म नहीं करता है, अब इस ने जुर्म करना छोड़ दिया है और शराफत की जिन्दगी व्यतीत करना चाहता है लेकिन पुलिस इस का पीछा नहीं छोड़ती है। खैर, मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्यों कि मैं समझता हूं कि मुझे इस में और ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत है। लेकिन यह बात सही है, आप इस को मान लें या आपकी मर्जी, न मानें, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह चरस बेचते हुए या चरस के साथ नहीं पकड़ा गया था। यह गलत बात है। चरस एक आदमी और बेचता है जिस से 500 रुपये महीने बंधे हुए हैं। वह आदमी जो बेचता है उस से और दूसरे बहुत से लोगों से इस थाने के आदमियों के रुपये बंधे हुए हैं। शाम को 6-7 बजे के बाद ये लोग निकलते हैं और काफी रुपया इकट्ठा करते हैं 6 बजे से ले कर रात के 9 बजे तक। किसी को पकड़ा और उठा कर थाने में बन्द कर दिया। बाद में उस से रुपया ले लिया। एक दिन एक सीधा सादा लड़का सुबह-सुबह मेरे पास आया। मैं ने कहा न कि सौ गज की दूरी पर मेरा मकान है, वहां मैं जनरली किसी से मिला नहीं करता हूं। वहां वह सुबह-सुबह आया दस पन्द्रह मोअज्जिज लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि यह शरीफ लड़का है, गवर्नमेंट में सर्विस करता है, इसको कल गिरफ्तार कर लिया। शाम को घर आ रहा था, एकदम इस को पकड़ कर थाने में ले गए और वहां रात को 11 बजे जा कर 3 सौ रुपये लेकर तब छोड़ा। उस के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मैं एकदम कह दूं कि वह जिम्मेदार लोग झूठ बोलते हैं तो इतनी तो हिम्मत मेरी नहीं है कि जिन को मैं जानता हूं कि ये झूठ बोलने वाले नहीं हैं उन को ऐसा कह दूं। मैं ने उस लड़के से पूछा, काफी सवालात उस से किए और मैं कान्विन्स्ड हुआ कि वह जो कुछ कहानी कह रहा है वह सही कह रहा है।

दूसरी मर्त्तबा, एक बार मेरे पास तीन सौ आदमियों के दस्तखत आए कि एक गुंडा है, निकम्मा आदमी है और वह पड़ोस के एक आदमी को तंग कर रहा है। वह चाहता है कि पुलिस के जरिए तंग कर के उस आदमी को मकान से निकाल दे और उस मकान पर वह कब्जा कर ले। मेरी यह आदत नहीं है कि मैं सीधा आई जी को या आप को चिट्ठी लिखू मैं सीधा एस० एच० ओ० को टेलीफोन करता हूं, एच० एच० ओ० नहीं मिलता तो डी. एस. पी. को करता हूं और डी० एस० पी० नहीं मिलता है तो एस० पी० को करता हूं कोई न मिले फिर कहीं जा कर कमिश्नर को या और किसी को कहा करता हूं, मैंने इन को टेलीफोन किया तो ये टेलीफोन पर नहीं थे। डी० एस० पी० को किया तो डी० एस० पी० ने सही जबाव नहीं दिया क्यों कि पचासस ाठ निहायत शरीफ आदमी मेरे पास आए थे, मोअज्जिज आदमी उस इलाके के, वह कहने लगे कि यह आदमी गुंडा है इस इलाके का और थह इसकी मदद कर रहा है और इस आदमी को तबाह करने पर तुला हुआ है। तब जा कर मैं ने डिप्टी कमिश्नर को खुद टेलीफोन किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उस को मेरे पास भेज दीजिए। तब मैं ने भेजा। उस के बाद मामला मेरे पास नहीं आया न शिकायत आई, न मैंने पूछा कि उस का क्या हुआ। कोई बात तसल्ली की हो गई होगी, ठीक हो गया होगा मामला, तभी वह मेरे पास नहीं आए। यह दूसरा वाकया है जो मेरी आखों देखा, चश्मददीद हैं वाकया है।

तीसरा—बता रहा हूं। मेरे पास मोअज्जिज़ लोग आए मेरे गांव के आस पास के। वह पहले रिपोर्ट दर्ज कराने गए। जो उनकी लड़की के साथ ज्यादती कर के उसको खराब करना चाहता था, उस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वह गए तो रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया। तब वह मेरे पास आए, तो मैंने एस० एच० ओ० को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भेज दीजिए। उस के बाद में वह मसला ठीक हुआ।

इन के खिलाफ कितनी ही शिकायतें वहां के लोग मेरे पास आ कर करते हैं। यहां यह वाकया जो है यह बिल्कुल गलत है। इस वक्त उस आदमी से बदला लिया गया है। क्यों कि वह मुजरिम था इसलिए उस को पकड़ने गए। और किसी को कह नहीं सकते थे। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कोई कानून है ऐसा कि जिसका रिकार्ड हो जाता है पुलिस के अन्दर उस को जब चाहे पुलिस बुला सकती हे चाहे उसको लिखित कुछ दे या न दे। यह आप से मिलने के लिए आए, इस का बदला इस से लेने के लिए अगले दिन सुबह ही उस के पास पांच छ: आदमी पहुंचे और कहा कि चलो। उसने कहा कि कहां चलें, मैंने क्या जुर्म किया है, तो उस को कहा कि हां, तुम को बताएंगे, अभी तुम को सीधा करेंगे, बहुत इधर उधर जा कर रिपोर्ट करते हो। वह आदमी वहाँ पापुलर है, आप यह मत समझिए कि वहां दो तीन सौ आदमी नहीं थे। वहां हजार पन्द्रह सौ आदमी इकट्ठे हो गए थे। आखिर क्या एक गुंडे के लिए हजार पन्द्रह सौ आदसी इकट्ठे हो गए? दस पांच या बीस आदमियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन क्या हजार पन्द्रह सौ आदमियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है?

सारे दिन वहां पर लोग खड़े रहे—निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने। इसको पीटा गया, यह वहां से निकल कर भागा। पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, उसने चलने से मना किया तब फिर पीटना शुरू किया। उसका सारा बदन टूटा पडा है। औरतों के भी बेहद चोट लगी है। मैंने

जाकर देखा है, अजीब जगहों पर, जहां पर नहीं मारना चाहिए था, वहां पर पीटा गया। एक आदमी पड़ा हुआ कराह रहा था। 6 चोटें मैंने देखी जोकि भीड़ की नहीं हो सकती थीं। दिखाई पड़ता है जान बूझ कर पीटा गया है, मारा गया है, बन्द किया गया है, घसीटा गया है। वह भीड़ की चोटें नहीं हो सकतीं।

आपने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है लेकिन एक एडीशनल एस० पी०, एस० पी० पर क्या तहकीकात करेगा ? इसलिए मेहरबानी करके बाहर के किसी जिम्मेदार आदमी को तहकीकात करने के लिए भेजिए मैं यह नहीं कहता कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वह कोई गलत आदमी है। मैं तो कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर को भी तहकीकात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने खुद वहां की समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की जबकि उसे मालूम था, लगातार लिखित शिकायतें आ रही थीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी बाहर के जिम्मेदार आदमी से तहकीकात करायें ताकि अस्लियत मालूम हो सके। साथ ही आप वहां के एस० एच० ओ० को भी हटायें और पुलिस लाइन भेजें किसी और जगह नहीं। मुझे मालूम है कि वह एस० एच० ओ० जहां भी गया है वहाँ से उसके खिलाफ शिकायतें आई हैं। यह आदमी शाम को 6 बजे निकलता है और शेखी मारता है। इसलिए इसको यहां से हटायें और किसी इंडेपेन्डेन्ट अफसर को मुकर्रर करें। मैं इस वक्त किसी जुडीशियल या मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की बात नहीं करता लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से, जाहिर है, मामला आगे भी बढ़ सकता है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि दिल्ली की पुलिस खराब है लेकिन दिल्ली में गुंडई बढ़ती जा रही है। कुछ पुलिस पैट्रोनेज और कुछ पोलिटिकल गलत बातों की वजह से बेइमान आदमियों को बढ़ोत्तरी मिल रही है। अभी एक सब इंस्पेक्टर एस० एच० ओ० को एक जगह से तब्दील किया गया है सिर्फ इस बात पर कि साल भर से उसके पीछे गुण्डे लगे हुए थे और वह इमानदारी से काम कर रहा था। इसी लिए उसका ट्रांसफर कर दिया गया।

मैं चाहूंगा कि निजी तौर पर आप सेटिस्फाई हो जायें कि मैंने जो बातें कही हैं वह कहां तक सही हैं और आप दिल्ली पुलिस को ठीक करने की कोशिश करें। मैं भी दिल्ली में जहां-जहां गुंडागर्दी होगी, उसका मुकाबला जरूर करूंगा ताकि ईमानदार आदमियों को काम करने का मौका मिल सके।

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमान् जी, मैं माननीय सदस्य का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने मुझे और सदन को वह जानकारी दी है जो उनकी अपनी जानकारी पर आधारित है। इसलिए, उनकी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जायगा और मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाये हैं, उनमें से प्रत्येक मुद्दे की मैं जांच करूंगा।

जहां तक इस एस० एच० ओ० का सम्बन्ध हैं, मुझे बताया गया है कि उसका इस स्थान से पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका है। परन्तु मेरे विचार में, उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका और आगे अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है और मैं ऐसा करूंगा।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है, मैंने वह सुझाव नोट कर लिया है और यह देखूंगा कि किस प्रकार सबसे अच्छी तरह जांच की जा सकती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, यह एक फैशन बन गया

है कि जब कभी भी मौका मिले, पुलिस के ऊपर दोषारोपण किया जाय। अगर वे 300 आदमी, पुलिस स्टेशन जाने की वजाय, किसी संसद सदस्य के घर चले जाते, तो वह निश्चित रूप से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करता। इतनी बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? प्रश्न तो यह है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नेताओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं अपने विवरण में कहा है :

> "कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनके साथ छेड़खानी की और इसलिए, उन्होंने यह मांग की कि इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को तत्काल निलम्बित किया जाय।"

मैं जानना चाहता हूं कि वे नेता कौन हैं। क्या वे स्वयंभू नेता हैं अथवा वे किसी दल से सम्बन्धित हैं?

मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह घटना सबेरे 9 बजकर 5 मिनट पर घटी। बलात्कार और छेड़खानी दिन के समय कैसे हो सकती है? पुलिस को नाहक दोष दिया जा रहा है। मुझे थोड़ा सा अनुभव है। दो व्यक्तियों ने कुछ आदमियों को धोखा देकर 1,02,000 रु० ले लिये और उन्हें यह वचन दिया कि वे उन्हें खाड़ी के देशों में भेज देंगे। मैं किसी पुलिस स्टेशन को टेलीफोन करना चाहता था, परन्तु मेरे पास टेलीफोन नम्बर नहीं था; इसलिए मैंने 100 नम्बर पर टेलीफोन किया। तत्काल वायरलैस उपकरणों से युक्त दो पुलिस गाड़ियाँ मेरे घर पर आ गईं और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह के एक मामले में एक व्यक्ति ने कुछ आदमियों को ठग लिया था, और वह काबुल में था। दिल्ली पुलिस ने इन्टर पोल के माध्यम से उसे गिरफ्तार करवा लिया। परन्तु बाद में उसे यहां नहीं लाया जा सका, क्योंकि उसके पास ब्रिटिश पारपत्र था। इसलिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस काम करती है।

श्री ब्रह्मप्रकाश जैसा आदमी जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं—भी पुलिस को दोष दे रहे हैं और यह कहते हैं कि हरेक आदमी खराब है। सौ आदमियों में से, दस आदमी खराब हो सकते हैं, परन्तु हमें प्रत्येक पुलिस कर्मचारी की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए।

श्री ब्रह्मप्रकाश : मैंने दोष नहीं दिया है।

श्री महीलाल : उन्होंने यह नहीं कहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अगर उनका वह मतलब नहीं है, तब ठीक है। हम लोग जो एम०पीज हैं, चाहे आपके एम० पीज हैं या अपोजीशन के एम० पीज हैं सब के पास टेलीफोन हैं और टेलीफोन पर बहुत सा काम हो सकता है। यह कहना कि इसको ट्रांस्फर करो, यह बुरा है या डी० एस० पी० बुरा है—ऐसी बात ठीक नहीं है। आज जो हमारी नई पीढ़ी के अफिसर्ज आ रहे हैं उन आफिसर्ज के अन्दर भी देश भक्ति है, वे चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और अपनी गवर्नमेन्ट का नाम ऊंचा करें-- इसलिये इस तरह से कन्डेमनेशन नहीं करना चाहिये। हमारे जो नौजवान आदमी हैं- जैसे हमारे पासवान जी हैं—जब वह बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ है, नौजवानों में जोश होता है वे कुछ भी बोल सकते हैं ...

श्री रामविलास पासवान : मैं जो भी बात कहता हूं—प्रूफ के साथ कहता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सवाल यह है कि आज हमारी सिटीज में यह बात आ गई है कि जैसे ही कोई छोटा-सा इन्सीडेन्ट होता है तो भाव क्लेक्ट हो जाता है, पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देता है। मेरा कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो सिटी के लोग हैं वह इस किस्म का कोई इश्तियाल न दें, उनको समझायें। यहां इतने एम० पीज हैं, पचासों मिनिस्टर्ज हैं—किसी भी आदमी को टेलीफोन करके खबर दे सकते हैं। यह कह देना कि आई० जी० खराब है, डिप्टी कमिश्नर खराब है, पुलिस खराब है यह देश के लिये अच्छा नहीं है, इस तरह से इनका होलसेल कन्डेमनेशन नही होना चाहिये।

मैं तो अपोजीशन का आदमी हूं—मेरे को चाहिये कि मैं आपकी निन्दा करूं, सारी तोहमत आप पर डालूं—लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने आपको अभी दो इन्सीडेन्ट्स बतलाये। उस वक्त चरणसिंह जी होम मिनिस्टर थे—जैसे ही मैंने उनको बतलाया उन्होंने उसी वक्त उस आदमी को काबुल में अरेस्ट करने के लिये कहा और कार्यवाही की गई। मेरा यह मकसद नहीं है कि पुलिस में जिस इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत है— वह न हो, वह जरूर होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि पुलिस देवता है, जैसे हम लोग देवता नहीं हैं, वैसे ही पुलिस भी देवता नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ सीमा तक सन्तुलन बनाये रखा है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछा है। मैं निश्चित रूप से इस बात की सराहना करता हूं कि पुलिस में अच्छे आदमी भी हैं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : कोई भी यह नहीं कहता कि हमें अपराधियों का बचाव करना चाहिए। साथ ही इस सदन के माननीय सदस्यों और इस देश की जनता का यह कर्तव्य है कि अपराधियों को प्रोत्साहन न दें जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री पासवान ने भी कहा है।

इस विवरण का अध्ययन करने पर, मुझे खेद है कि मेरी यह धारणा बनती है कि यह दोष मत्थे मढ़ने का मामला है, क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पहले उस क्षेत्र के व्यक्तियों ने स्थानीय पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उस क्षेत्र के लोगों पर किये गये अत्याचारों का उसमें उल्लेख किया गया था। अब यह तथ्यों से पूर्णत: स्पष्ट है कि उन लोगों से बदला लेने के लिए प्रयास किया गया है जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध ज्ञापन दिया था।

अब यह हबीब और पुलिस विभाग के बीच विवाद नहीं है। अब, उस प्रयोजन के लिए, मैं अध्यक्ष पीठ के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किसी भी उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत हबीब के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई निश्चित मामला बनाये बगैर क्या पुलिस उस इलाके में गई थी। अब, मेरा निवेदन यह है कि अगर पुलिस बिना किसी निश्चित और विश्वसनीय जानकारी के उस क्षेत्र में गई है, तो क्या मन्त्री महोदय ने वहां रखी सामान्य डायरी देखी है जिससे यह पता चल सके कि क्या उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन कथित अपराध के बारे में वस्तुत: कोई जानकारी दर्ज की गई थी। अब अपराधी का पता लगाने के लिए वे उस इलाके में गये। पुलिस की सूचना के अनुसार अपराधी को पकड़ते समय,

कुछ विरोध प्रकट किया गया और इस विशेष अपराधी को पकड़ने के विरुद्ध उन्होंने विरोध प्रकट किया। मैं नहीं समझता कि उस क्षेत्र के लोग, अगर वह अपराधी है, इस प्रकार का तरीका अपनायेंगे। राजधानी के प्रमुख समाचार पत्रों सहित, सभी समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वह अपने आपको सुधारने का प्रयास कर रहा था और अब वह पिछले दिनों से एक परिवर्तित आदमी था।

मेरा निवेदन है कि उस इलाके में जाने से पहले, इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में पुलिस को बहुत सावधान होना चाहिए था। अब मेरा निवेदन यह होगा कि अगर कतई कोई प्रतिरोध था, तो उन्हें क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी ? आप उन धाराओं को देखिए, जिनके अधीन इन लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं। वे हैं—धारा 147, 148 गैर-कानूनी रूप से एकत्रित होने के लिए और 149 तथा 307—हत्या का प्रयास करने के लिए। परन्तु अगर आप विवरण का अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे यह पता चले कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने का प्रयास किया। अब पुलिस उस क्षेत्र के लोगों पर एक मामला का पता चाहती है और हत्या का प्रयास करने के बारे में उन्होंने एक मनगढ़न्त कहानी बना ली है। किसकी हत्या ? आप विवरण का अध्ययन करें। पुलिस ने भी धारा 307 हत्या करने के प्रयास का मामला नहीं बनाया है। ऐसा क्यों किया गया है ? क्या यह दोष मत्थे मढ़ने का मामला नहीं है ? यह धारा इसलिए लगाई गई है जिससे इन लोगों को जेल में रखा जा सके, क्योंकि इस धारा के अधीन अपराध की जमानत नहीं होती। सैशन्स न्यायालय में इस बारे में मुकदमा चलाया जा सकता है। यही वजह है कि वे यह धारा लगाना चाहते थे। क्यों ? किस लिए ? उन लोगों को गिरफ्तार करना उनका प्रयोजन था जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की थी। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कार्यवाही करना पुलिस कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है और इससे लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि नेताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर इन पुलिस अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? अब विवरण के अनुसार, कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और छेड़खानी की। इसलिए, उन्होंने यह माँग की कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को तत्काल निलम्बित किया जाय। इसके अलावा, यह भी कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने भीड़ में उपस्थित महिलाओं के साथ छेड़खानी की।"

कुछ भी हो, रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को चोटें लगी हैं, उन्हें मामूली चोटें आईं। विवरण से मुझे यह पता नहीं चलता कि बलात्कार या छेड़खानी की घटना हुई और उसके लिए, शिकायत दर्ज की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन एक प्रज्ञेय अपराध के बारे में यह शिकायत है। इसलिए उन्हें मामला दर्ज करना पड़ेगा, चाहे वह गलत हो या सही हो। उस क्षेत्र के लोगों ने एक प्रतिकूल शिकायत दर्ज की है। पुलिस अधिकारी कैसे यह कह सकते हैं कि यह एक गलत शिकायत है, जब तक कि जाँच पड़ताल न की जाय। उदाहरण के लिए, सारे मामले

की जांच पड़ताल करने के बाद, अगर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह झूठा मामला है, उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद वे शिकायत को रजिस्टर से बाहर निकाल सकते हैं। लोगों के आरोप के बारे में पुलिस अधिकारी कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह एक झूठा मामला है। न्याय के हित में जांच का आदेश दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लोगों द्वारा एक प्रतिकूल शिकायत भी की गई है। अब मेरा निवेदन यह है कि न्याय के हित में, प्रतिकूल शिकायत को भी पुलिस द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? यह मेरा पहला सवाल है।

इसके अलावा, मुझे खुशी है कि उस इन्सपैक्टर का तबादला कर दिया गया है जो लोगों को परेशान करता था। जहां तक इस व्यक्ति द्वारा किये गये अत्याचार का सम्बन्ध है, मैं गृहमंत्री द्वारा की गई कार्यवाही की वस्तुतः सराहना करता हूं। मेरे अन्य प्रश्नों का गृह मन्त्री उत्तर देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : अब, माननीय गृह मन्त्री।

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से अपना दृष्टिकोण सामने रखा है। स्पष्ट रूप से, वह एक प्रतिष्ठित वकील हैं – सम्भवतः वह एक फौजदारी वकील हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि बलात्कार आदि की शिकायत पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। किसी न किसी को मामला दर्ज करना चाहिए था। यहां जो कहा गया है वह यह है कि लोगों ने यह कहा अर्थात् पुलिस ने यह किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मामला दर्ज करने के लिए कहा।

जो कुछ भी मैं कह सकता हूं—मैंने पहले भी कहा है– वह यह है कि श्री हबीब एक कुख्यात अपराधी है। यह हो सकता है कि उसे अपराधी बना दिया गया हो, जैसा कि मुझे बताया गया है; उसने एक भले आदमी की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया हो और, उसके बाद, उसने एक अपराध किया हो और उसकी वजह से दूसरा अपराध किया हो और अब वह एक अपराधी है। यह एक पृथक मामला है और इसके बारे में हमें समाज शास्त्रीय अध्ययन करना होगा। पुलिस को इसकी छानबीन करनी होगी। क्या इसका मतलब यह है कि वे इसकी छानबीन न करें? सूचना उस व्यक्ति के बारे में है, जो अपने पिछले कार्यों के कारण कुख्यात है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपके अनुसार, वह एक अपराधी था। यहां किसी मामले का पता नहीं चलता। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि मैं केवल स्थिति का ब्यौरा दे रहा हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि आधार क्या था अर्थात् पुलिस की कार्यवाही के पीछे यह तर्क था। अगर माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति की पिछली गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन्हें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से उस पर ध्यान दूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर कुछ गलत काम होता है, तो आप हमें दोष देंगे। कुछ बातें हुई हैं, यह हो सकता है कि यह व्यक्ति विशेष

उतना बुरा न हो जितना कि उसे बना लिया गया है । परन्तु, पुलिस द्वारा मामले की जांच करना पूर्णतः उचित था । अगर उन्होंने यह पाया ... (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : केवल तभी, अगर प्रज्ञेय अपराध हो, कि चरस वहां पाया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए औचित्य था । वहां कुछ भी नहीं मिला । पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है ?

श्री एच० एम० पटेल : स्पष्टतः, अगर कुछ भी नहीं मिलता है, तो वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते । उसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस को वहां जाना ही नहीं चाहिए था और जाँच ही नहीं करनी चाहिए थी ।

श्री जनार्दन पुजारी : उसके लिए, कोई आधार तो होना चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल : यह फौजदारी न्यायालय नहीं है । यह ध्यानाकर्षण सूचना है । हमारे ध्यान में कुछ बातें लाई गई हैं । मेरे पास जो भी जानकारी थी, वह दे दी है । आप आगे भी उल्लेख कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से उसकी छानबीन करेंगे ।

मेरे विचार में, यह वह स्थान नहीं है, जहां हम यह निर्णय करें कि हर बात सही ढंग से की गई या नहीं । इसके लिए, जाँच की जा रही है । मैं नहीं समझता कि और किसी कार्यवाही की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : सभा कल सुबह साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

मध्यान्ह पश्चात् 6.50 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 मई, 1979/26 वैशाख, 1901 (शक) के साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

© 1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, इंडियन प्रेस द्वारा मुद्रित ।